अष्टम माला, खंड 1, अंक 1

सोमवार 21 जनवरी, 1985

1 माघ 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण
सोमवार, 21 जनवरी, 1985/1 माघ, 1906 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (ii) तथा पृष्ठ 117, पंक्ति 23, "श्री के० कुन्हम्बु" के स्थान पर "श्री के० कुन्जम्बु" पढ़िये।

पृष्ठ 74, पंक्ति 23 और 24 के बीच बाईं ओर "(हिन्दी)" पढ़िये।

पृष्ठ 112, पंक्ति 9, "सरकार क कुछ" के स्थान पर "सरकार के कुछ" पढ़िये

पृष्ठ 113, पंक्ति नीचे से 2, "श्री के० पी० उन्नीकृष्ण" के स्थान पर "श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्" पढ़िये।

पृष्ठ 123, पंक्ति 16, "श्री बह्मल" के स्थान पर "श्री ब्रह्मदत्त" पढ़िये।

प्राक्कथन

आठवीं लोक सभा के लोक सभा वाद-विवाद का यह पहला खण्ड है। सातवीं लोक सभा के अवसान तक लोक सभा वाद-विवाद के दो संस्करण निकाले जाते थे; (एक) मूल संस्करण जिसमें सभा की कार्यवाही का विवरण उन्हीं भाषाओं में छापा जाता था जिनमें वह सभा में सम्पन्न हुई हों, पर जो भाषण क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते थे उनका अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद सम्मिलित किया जाता था और उर्दू में दिए गए भाषणों को देवनागरी लिपि में छापा जाता था, पर साथ ही उन भाषणों को प्रकोष्ठकों में फारसी लिपि में भी छापा जाता था; और (दो) हिन्दी संस्करण जिसमें हिन्दी में सम्पन्न हुई कार्यवाही को मूल रूप में, उर्दू में दिए गए भाषणों को देवनागरी लिपि में तथा अंग्रेजी में हुई कार्यवाही का एवं क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद छापा जाता था।

2. आठवीं लोक सभा के प्रथम सत्र से, लोक सभा की सामान्य प्रयोजन समिति के निर्णय के अनुसार, "लोक सभा वाद-विवाद" के दो संस्करण प्रकाशित किए जा रहे हैं; (एक) अंग्रेजी संस्करण जिसमें अंग्रेजी में सम्पन्न कार्यवाही मूल रूप में और हिन्दी या किसी क्षेत्रीय भाषा में हुई कार्यवाही का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित होगा; और (दो) हिन्दी संस्करण अपने वर्तमान रूप में, पर उर्दू भाषणों को देवनागरी लिपि में छापने के साथ उन्हें फारसी में प्रकोष्ठकों में भी छापा जाएगा।

3. इसके अलावा लोक सभा की कार्यवाही का मूल संस्करण भी केवल रिकार्ड और संदर्भ के लिए तैयार किया जा रहा है जिसकी सजिल्द प्रतियां संसद ग्रन्थालय में रखी जा रही हैं।

4. अंग्रेजी और हिन्दी दोनों संस्करणों में एक समुचित संकेत दिया जा रहा है, जो यह दर्शायेगा कि कार्यवाही का कौन सा अंश-विशेष मूल रूप में अंग्रेजी/हिन्दी में है और कौन सा अनूदित है।

5. आशा है कि अंग्रेजी और हिन्दी के ये अलग अलग संस्करण सदस्यों एवं रूचि रखने वाले अन्य लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

नई दिल्ली;
जनवरी, 1985

सुभाष काश्यप,
महासचिव।

85-M/B(D)163LSS—1

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 1, पहला सत्र, 1985/1906 (शक)

अंक 5, सोमवार, 21 जनवरी, 1985/1 माघ, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 17, 18, 21 से 24, 28 और 29	1–21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 19, 20, 25 से 27 और 30 से 36	22–35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 30 से 73 और 75 से 100	35–107
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	108–112
सरकार के कुछ व्यक्तियों की राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों के बारे में वक्तव्य	112–114
श्री एस० बी० चव्हाण	
विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	115–116
विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1984 के बारे में विवरण	116
श्री एस० बी० चव्हाण	
नियम 377 के अधीन मामले–	117–120
(एक) कपास उगाने वाले किसानों को बरबादी से बचाने के लिए कपास के विपणन तथा मूल्य निर्धारण हेतु एक निश्चित नीति अपनाए जाने की आवश्यकता	117
श्री रणजीत सिंह गायकवाड़	

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

(दो) केरल में पालघाट में रेल-सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने की तत्काल मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता — 117

श्री के० कुन्हम्बु

(तीन) दिल्ली दुग्ध योजना में फालतू पाए गए कर्मचारियों को सेवामुक्त करने के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता — 118

श्री ललित माकन

(चार) विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कीड़ों के भारी प्रकोप से दलहन की फसल को बचाने के उपाय करने की आवश्यकता — 118

श्री प्रताप भानु शर्मा

(पांच) केरल के इदुक्की जिले में पहाड़ी-राजपथ (हिल हाइवे) के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता — 118

प्रो० पी० जे० कुरियन

(छ) ट्यूब-वेल लगाने हेतु पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों को ऋण देने से संबंधित नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता — 119

श्रीमती गीता मुखर्जी

(सात) आन्ध्र प्रदेश के तूफान-ग्रस्त-क्षेत्रों के लिए राहत — 120

श्री पुचालापल्ली पेंचालैया

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव — 120–155

श्री ब्रह्म दत्त — 120

श्री सी० माधव रेड्डी — 125

श्री जयदीप सिंह — 130

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली — 133

श्री पी० कोलनदाईवेलु — 134

श्री ललित माकन — 138

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी — 141

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी — 146

श्री शरद दिघे — 152

	पृष्ठ
यूनियन कार्बाइड के भोपाल स्थित कारखाने की भंडारण टंकियों से जहरीली गैस के रिसाव के परिणामस्वरूप मानव और पशु जीवन की भारी क्षति के बारे में वक्तव्य पर चर्चा	155–192
प्रो. मधु दंडवते	155
श्री एडुआर्ड फैलीरो	164
श्री ईरासु अम्यापू रेड्डी	168
श्रीमती गीता मुखर्जी	168
श्री अरविन्द नेताम	171
श्री सी० पी० ठाकुर	173
श्री रेणुपद दास	176
श्री दलबीर सिंह	179
श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी	181
श्री वीरेन्द्र पाटिल	182

लोक सभा

सोमवार, 21 जनवरी, 1985/ 1, माघ 1906(शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

बिहार में विद्युत परियोजनाओं की क्षमता का उपयोग

*17. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में विद्युत परियोजनाओं की क्षमता के उपयोग में गत पांच वर्षों के दौरान कोई महत्वपूर्ण सुधार हुआ है ;

(ख) उस राज्य में क्षमता के उपयोग का स्तर कम रहने का कारण दोषपूर्ण उपकरण हैं अथवा रख-रखाव सम्बन्धी कमियां; और

(ग) अन्य राज्यों में इसी प्रकार के उपकरणों का तुलनात्मक कार्य-निष्पादन क्या है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख). बिहार में संयंत्र भार अनुपात में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है, जिसके मुख्य कारण ये हैं; उपस्कर में कमियां, सातवें दशक में प्रतिष्ठापित कुछ यूनिटों का पुराना होना, फुटकर पुर्जों के उपलब्ध न होने के कारण नियोजित अनुरक्षण की अवधि में वृद्धि, कोयले की गुणवत्ता में गिरावट तथा प्रशिक्षित प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों की कमी ।

(ग) मध्य प्रदेश में कोरबा में और उत्तर प्रदेश में ओबरा में प्रतिष्ठापित इसी प्रकार की 50 मेगावाट की यूनिटों का कार्य-निष्पादन अपेक्षाकृत बेहतर है, जबकि बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज में यह घटिया है । नेवेली में लिग्नाइट पर आधारित 100 मैगावाट की ऐसी ही यूनिटों का कार्य-निष्पादन कोयले पर आधारित पतरातु स्थित यूनिट से बेहतर है । जहां तक 110 मेगावाट की यूनिटों का संबंध है अन्यत्र स्थित ऐसे ही केन्द्रों की तुलना में पतरातु और बरौनी का कार्य-निष्पादन घटिया है ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इन कमियों को दूर करने में कितना समय लगेगा ।

श्री बी० शंकरानन्द : श्रीमन् जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, बिहार में तापीय विद्युत केन्द्रों का कार्य-निष्पादन अन्यों की तुलना में असंतोषजनक रहा है और इसके कई कारण हैं, जैसे : त्रुटिपूर्ण संयंत्र व उपकरण, परिचालन तथा रख-रखाव में कमियां और कमजोर प्रबन्ध आदि। निम्न कार्य-निष्पादन का एक कारण खराब औद्योगिक सम्बन्ध भी है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के भ्रमणकारी दल केन्द्र के प्राधिकारियों को कार्य-निष्पादन में निरंतर सुधार लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के सम्बन्ध में परामर्श देते रहे हैं। संयंत्र सुधार कार्यक्रम बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण राज्य बिजली बोर्डों की सहयता भी करता रहा है। तथापि, बिहार राज्य बिजली बोर्ड के केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में अभी तक कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। देश के वर्तमान तापीय विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरम्भ की है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है कि इन कमियों को दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बायलरों के डिजायन में कमियां रही हैं और मैं यह प्रश्न पूछता हूं : बायलरों के डिजायन में सुधार लाने के लिए कौन से विशेष कदम उठाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही तो बताया है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : जी नहीं श्रीमन्, उन्होंने यह नहीं कहा है। उन्होंने एक सामान्य बयान दिया है और कोई विशिष्ट उपाए नहीं बताए हैं।

श्री बी० शंकरानंद : श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मौजूदा विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए कई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें आरम्भ की गई हैं और आधुनिकीकरण के लिए.....

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं यही तो बता रहा हूं। इनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए हमने कई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें आरम्भ की हैं, जिन पर 500 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा।

श्री अमलदत्त : बिहार में कितना खर्च किया जाएगा? इस समय आप बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। क्या यह 500 करोड़ रुपए बिहार के लिए हैं?

श्री बी० शंकरानंद : जी नहीं, इसमें बिहार शामिल है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें बिहार भी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें बिहार शामिल है।

श्री बी० शंकरानंद : इसमें बिहार भी शामिल है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे क्यों शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए कि इसका सम्बन्ध विद्युत उत्पादन से है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री अमल दत्त : प्रश्न बिहार के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अलग नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानंद : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि बिहार भारत में है।

श्री अमल दत्त : आप बिहार के लिए अलग क्यों नहीं कर देते।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री बी० शंकरानन्द : श्रीमन्, बिहार में तीन विद्युत केन्द्र हैं, और जैसा मैंने कहा है, बिहार राज्य बिजली बोर्ड के पतरातु, बरौनी तथा कारबिघिया तापीय विद्युत केन्द्रों को नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए योजना में शामिल किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उपरोक्त विद्युत केन्द्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उपरोक्त स्कीम को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। मैंने आपको देख लिया है। मैं उपयुक्त समय पर आपका नाम पुकारूंगा।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पतरातु-बरौनी की 110 मैगावाट वाली इकाइयों का सम्बन्ध है, इन इकाइयों का कार्य-निष्पादन अन्य स्थानों पर स्थित ऐसी ही इकाइयों की तुलना में बहुत कम है। पतरातु तथा बरौनी इकाइयों में निम्नस्तर के कार्य-निष्पादन के क्या विशेष कारण हो सकते हैं? क्या यह रख-रखाव के अभाव अथवा, घटिया रख-रखाव या उपकरणों की अपर्याप्तता के कारण है?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसके कारण ये हैं :

संयंत्र तथा उपकरणों में त्रुटि;

प्रचालन तथा रख-रखाव में कमी, तथा कमजोर प्रबन्ध व्यवस्था।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : अन्यत्र स्थित केन्द्रों में भी उसी किस्म तथा डिजाइन के उपकरण हैं।

श्री बी. शंकरानन्द : अन्य स्थानों पर ऐसी इकाइयां बेहतर कार्य कर रही हैं और मैं अब भी कहता हूं कि यह कमजोर प्रबन्ध के कारण है ।

डा. कृपासिन्धु भोई : माननीय अध्यक्ष महोदय क्षमता उपयोग का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 75% है । हमारे देश में अन्य स्थानों पर क्षमता उपयोग कितना है और बिहार में क्षमता उपयोग कितना है?

(ख) पन-विद्युत तथा तापीय विद्युत केन्द्रों का क्षमता उपयोग अलग-अलग कितना है;

(ग) हमारे प्रधान मंत्री जब पिछली लोक सभा के सदस्य थे . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : यहां प्रश्नों की अनुसूची नहीं बन रही है । जी नहीं ।

डा. कृपासिन्धु भोई : उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी कोयला धोवनशालाओं में घनत्व प्लवन प्रक्रिया अपनानी होगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक विशिष्ट अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा । कृपया कोई एक प्रश्न पूछ लीजिए ।

डा. कृपासिन्धु भोई : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको संरक्षण दे रहा हूं ।

डा. कृपासिन्धु भोई : यह समूचे देश की समस्या है ।

अध्यक्ष महोदय : सदन में और भी सदस्य हैं । आप पन-विद्युत, तापीय विद्युत सभी पर प्रश्न नहीं पूछ सकते । यदि आप चाहें तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

डा. कृपासिन्धु भोई : क्या मैं असंगत प्रश्न पूछ रहा हूं ?

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है । मैं चाहता हूं कि आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

डा. कृपासिन्धु भोई : आप विपक्ष को संरक्षण दे रहें हैं, आपने श्री बीजू पटनायक तथा मधुजी को तीन बार संरक्षण दिया, लेकिन आप . . . .

अध्यक्ष महोदय : मुझसे बहस न करें । आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछिए ।

डा. कृपासिन्धु भोई : लेकिन आप मेरे साथ भेद-भाव बरत रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, श्रीमान्, मैं भेद-भाव नहीं बरत रहा हूं? मैं क्यों भेदभाव बरतूंगा ? मुझे भी इससे क्या मिल रहा है मुझे बिजली नहीं मिल रही है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिजली का अकाल है ।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, सूचना के लिए एक बात बता दूं । मैंनें आप का संरक्षण बिलकुल नहीं मांगा था । उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप उनके प्रश्न का उत्तर देंगे ?

श्री बी. शंकरानन्द : मैं उनका प्रश्न समझ नहीं पाया था । वह इसे दोबारा पूछ सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हां, एक अनुपूरक प्रश्न ।

डा. कृपासिन्धु भोई : मैं (क), (ख) और (ग) भाग में पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : (क), (ख), (ग) नहीं । केवल (क) ।

डा. कृपासिन्धु भोई : क्षमता उपयोग का अंतराष्ट्रीय स्तर क्या है, और हमारा क्षमता उपयोग कितना है तथा बिहार में क्षमता उपयोग कितना है ? और पन-विद्युत तथा तापीय विद्युत का क्षमता उपयोग अलग-अलग कितना है ?

अध्यक्ष महोदय : इतने सारे प्रश्नों की अनावश्यक रूप से खिचड़ी वना दी है ।

डा. कृपासिन्धु भोई : जब हमारे प्रधान मंत्री पिछली लोक सभा के सदस्य थे तो उन्होंने सदन में इस बात पर बल दिया था कि सभी कोयला धोवनशालाओं में घनत्व प्लवन प्रक्रिया होनी चाहिए ।

श्री बी. शंकरानन्द : श्रीमन् माननीय सदस्य भ्रमित हैं । उन्हें नहीं मालूम कि क्षमता उपयोग का कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर निर्धारित नहीं है ।

डा. कृपासिन्धु भोई : मुझे यह भलि भांति मालूम है । मंत्री महोदय इस तरह की बात नहीं कह सकते । मैं जानता हूं कि यह 75% है । मैं इसका उत्तर दूंगा । मैं ऐसी बात नहीं कहने दूंगा । यदि वह चाहें तो मैं उनकी जानकारी के लिए कई चीजें बता सकता हूं, उन्हें शिक्षित करने के लिए उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री को सही उत्तर देना होता है ।

डा. कृपासिन्धु भोई : मंत्री महोदय को यह नहीं कहना चाहिए कि सदस्य को मालूम नहीं है । वह सदन में अपमान नहीं कर सकते ।

श्री अमल दत्त : मंत्री महोदय को तैयार होकर आना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप एक मंजे हुए सांसद हैं । कृपया बैठ जाइए ।

श्री अमल दत्त : उन्हें अच्छी तरह तैयार होकर आना चाहिए ।

श्री बी. शंकरानंद : बिजली के क्षेत्र में क्षमता उपयोग जैसी कोई बात नहीं है । इसे संयंत्र भार अनुपात कहते हैं ।

डा. कृपासिन्धु भोई : ऐसा न कहें । नहीं तो मैं विशेषधिकार का मामला उठाऊंगा । मेरे पास जो भी दस्तावेज है, मैं उन्हें दिखा सकता हू । **(व्यवधान)**

श्री बी. शंकरानंद : विद्युत के क्षेत्र में हमेशा संयंत्र भार अनुपात की ही बात कही जाती है । संयंत्र भार अनुपात किसी इकाई द्वारा किसी निश्चित अवधि के दौरान पैदा की गई विद्युत और उस विद्युत का अनुपात है जो उस इकाई को इस पूरी अवधि के दौरान अपनी अधिकतम क्षमता पर

लगातार चलाए जाने से पैदा होगी । इसे प्रतिशतता में दर्शाया जाता है और यह किसी भी विद्युत संयंत्र के कार्य-निष्पादन का महत्वपूर्ण संकेत है । इसलिए, 'क्षमता उपयोग' की बजाए हम आम भाषा में इसे संयंत्र भार अनुपात कहते हैं ।

अब बिहार के सम्बन्ध में, जैसा मैनें कहा है, विद्युत केन्द्रों का कार्य-निष्पादन निम्न स्तर का है; यह अल्पतम तो नहीं है, लेकिन काफी कम है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद पवार ।

डा. कृपासिन्धु भोई : क्या आप उत्तर से संतुष्ट हैं?

प्रो. के. के. तिवारी : मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए । तीन क्वेश्चन्स आपकी साइड के हो गए हैं, अब एक आपोजीशन की साइड से होना चाहिए ।

[अनुवाद]

प्रो. के. के. तिवारी : बिहार में बिजली की स्थिति बहुत खराब है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से बात ठीक नहीं होती है । मिनिस्टर साहब ने नया नया चार्ज लिया है । उनको अन्डरस्टेंड करने में कुछ समय लगेगा ।

[अनुवाद]

प्रो. के. के. तिवारी : बिहार से आये सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह मामला केवल बिहार से संबंधित है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों करते हैं। बाहर के लोग भी इन्ट्रेस्टेड हो सकते हैं। बांट कर देना पड़ता है। आप की साइड के तीन हो गए हैं। एक इधर का भी होना चाहिए ।

[अनुवाद]

प्रो. के. के. तिवारी : कृपया बिहार से आए सदस्यों को भी बोलने की अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरे विनिर्णय को नहीं मान रहे ।

प्रो. के. के. तिवारी: मैं केवल यह कह रहा हूं कि यह प्रश्न विशेष रूप से बिहार से संबंधित है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही बिहार के सदस्यों को तीन पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी है ।

डा. कृपासिन्धु भोई : क्या आप मंत्री महोदय द्वारा दिये गए उत्तर से सन्तुष्ट हैं ?

श्री. बी. शंकरानन्द : चूंकि संयंत्र का भार अनुपात (प्लांट लोड फैक्टर) का मैंने जिक्र किया है, मुझे अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़े भी देने चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार संयंत्र का भार अनुपात

50 से 70 प्रतिशत है। जहां तक बिहार का संबंध है, मैं कहना चाहूंगा कि 1984-85 में बरोनी में संयंत्र अनुपात 14.7 प्रतिशत; और पटरादू में 29.2 प्रतिशत और बिहार में 27.5 प्रतिशत है। अखिल भारतीय आंकड़े 45.9 प्रतिशत हैं।

श्री शरदचंद्र गोविंदराव पवार : बी. एच. ई. एल. द्वारा सप्लाई किये गए उपकरण इस अक्षमता के लिए कहां तक जिम्मेदार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि उस समय बी. एच. ई. एल. की स्थापना हुई थी।

श्री बी. शंकरानन्द : सामान्यतः हम ऐसा नहीं कह सकते। जहां तक 110 मेगा वाट का संबंध है, उपकरण के डिजाइन और निर्माण में कुछ गलतियां हुई हैं।

प्रो. के. के. तिवारी : बिहार में बिजली उत्पादन की स्थिति बिल्कुल निराशाजनक है। कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 940 मेगावाट है, जबकि औसत उत्पादन कभी भी 150 मेगा वाट से अधिक नहीं हुआ है। इस मामले पर इस सभा में और राज्य में भी चर्चा हुई है। डिजाइनिंग में कमियां हैं और कुछ अन्य कारण भी हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि अब तक बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। जहां तक बिजली उत्पादन के स्रोतों का संबंध है, बिहार में यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं लेकिन जहां तक प्रति व्यक्ति आय का संबंध है, नागालैण्ड और अन्य राज्यों के समान बिहार सबसे बाद में आता है। पिछली लोकसभा में हमने यह मामला उठाया था, और सरकार बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के बारे में विचार कर रही थी। वर्तमान विद्युत संयंत्र के निराशाजनक कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने और बिहार में परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेगी ?

श्री बी. शंकरानन्द : इस सुझाव पर कार्यवाही की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : जब अन्य विद्युत केन्द्र भी सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा केन्द्र सही ढंग से कार्य करेगा ?

प्रो. के. के. तिवारी : इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें सुधार करना होगा। आपको इस कार्य के लिए शक्ति लगानी चाहिए

निर्धन लोगों के लिये कम लागत वाले मकानों का निर्माण

***18 श्री वी. एस. विजयराघवन : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धन लोगों के लिए आवासीय मकानों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर कम-लागत वाले मकानों के निर्माण के लिए कोई नया कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री: (श्री अब्दुल गफूर) (क) तथा (ख) आवास राज्य का विषय है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना की अग्रताओं के मुताबिक विभिन्न वर्गों के लक्ष्य के लिए योजनाएं चला रहे हैं। इससे संबंधित कार्यक्रमों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के लिए आवास तथा नगर विकास निगम के माध्यम से सहायता की योजनाएं, ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए आवास सुविधाएं बढ़ाने के लिए उन्हें आवास स्थलों के आबंटन एवं निर्माण सहायता के लिए प्लान योजना और संस्थानिक सहायता के जरिये निम्न आय वर्गों के लिए वित्त व्यवस्था का प्रावधान शामिल है। सातवीं योजना अवधि के दौरान उच्चतर परिव्ययों सहित इन कार्यक्रमों को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय भवन संगठन के अनुसार 1985 में करीब 247 लाख मकानों की कमी रहेगी, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 188 लाख मकानों की और बाकी शहरी क्षेत्रों में।

जहां तक कमजोर वर्गों के लिए आवास योजनाओं का संबंध है, 16.2 लाख मकानों का लक्ष्य रखा गया है और 30-11-84 तक 7.28 लाख का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। 1985 के अन्त तक एक लाख और मकान तैयार हो जायेंगे।

जहां तक भूमिहीन मजदूरों के लिए मकानों का संबंध है, योजना आयोग के अनुसार 1985 के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों की संख्या लगभग 145 लाख थी और राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के अनुमान के अनुसार गांव में मकानों की कमी लगभग 188 लाख होगी। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए योजना लक्ष्य 16.2 लाख यूनिटों का था, और इसमें से 7.28 लाख यूनिट का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। जहां तक ग्रामीण आवासीय स्थलों का संबंध है, 250 रु. की विकास लागत पर, उनके लिए योजना लक्ष्य 68 लाख परिवारों का है जिनमें से 50 लाख का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। 500 रु. के लगभग निर्माण सहायता के हिसाब से उनके लिए योजना लक्ष्य 36 लाख रखा गया था और 17 लाख का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है...

एक माननीय सदस्य: उन्हें अपना पूरक प्रश्न पूछने दिया जाये।

श्री अब्दुल गफूर: उन्होंने प्रश्न पूछा था कि नई योजनाएं कौन सी हैं और इसलिये मैं इन्हें स्पष्ट कर रहा हूं, ताकि कोई पूरक प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही न रहे। पूरक प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ही मैं यह सारी जानकारी दे रहा हूं।

श्री वी. एस. विजयराघवन: क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने बैंकों को अनुमति दी है कि वे मकान निर्माण के लिए सीधे ही ऋण दे सकें?

श्री अब्दुल गफूर: अनेक योजनाएं हैं। मैं हुडको का उदाहरण देना चाहूंगा। जहां तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों का संबंध है, हुडको 5 से 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सहायता दे रहा है, कम आय वर्ग में 8 प्रतिशत ब्याज दर पर, मध्यम आय वर्ग में $10\frac{1}{2}$ प्रतिशत पर और उच्च आय वर्ग में $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है। ये योजनाएं हुडको द्वारा चलाई जा रही है, और हुडको के लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किये गए थे, वे सारे प्राप्त कर लिये गये हैं। अगर आप चाहें तो मैं संख्या भी बता सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री बी. एस. विजयराघवन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ग्रामीण कार्य आवासीय योजना की जानकारी है। अगर हां, तो क्या वह इसे लोकप्रिय बनायेगी ?

श्री अब्दुल गफूर : मैं समझ नहीं पाया। अगर उनका तात्पर्य इस बात से है कि राष्ट्रीय भवन संगठन के एक अनुसंधान के अनुसार वह 5000 रु. में भूमिहीन मजदूरों के लिए मकान तैयार कर सकते हैं। और इसी प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अनुसंधान जारी हैं कि क्या वहां 7000 रु. में मकान तैयार हो सकते हैं। सामूहिक रूप से कई राज्यों में काश्मीर और अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय भवन संगठन ने ऐसा किया है। कुछ राज्यों में करीब 25,000 मकान तैयार किये गए हैं। प्रदर्शन के लिए यह योजना सारे देश में प्रदर्शित की जा रही है।

श्री बड्डे शोभने द्रीश्व राव : क्या सरकार हुडको के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को अधिक धन देने के बारे में कदम उठायेगी जिसने पिछले दो वर्षों के दौरान 80 करोड़ रु. की लागत से 1,40,000 स्थायी मकानों के निर्माण की योजना आरम्भ की है।

श्री अब्दुल गफूर : जैसा कि आप जानते हैं कि सारी बातों पर सातवीं योजना में विचार हो रहा है। अगर हमें अधिक धनराशि मिलती है तो हम निश्चित रूप से आपकी समस्याओं पर ध्यान देंगे और आपके राज्य को भी अधिक धन देंगे। मैं कह सकता हूं कि जहां तक आवास का संबंध है, आपके राज्य का प्रथम स्थान है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और हम आपको सहायता देने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : आपकी आज्ञा से मैं माननीय निर्माण और आवास मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए जो मकान बनाए गए हैं, उनकी कीमत प्रति मकान क्या आती है, यह कीमत कब तय की गई थी और उस पर अनुदान कितना है ?

[अनुवाद]

श्री अब्दुल गफूर : बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए भी यह करीब 5,000 रु. ही है। जहां तक भूमिहीन मजदूरों के लिए स्थलों का संबंध है, इस बारे में अच्छा परिणाम निकला है। अब कुछ राज्य सरकारें इस बारे में भी जोर दे रही हैं कि केन्द्रीय सरकार इन भूमिहीन मजदूरों को स्थल (भूमि) खरीदने के लिए भी सहायता दे। जहां तक मकानों के निर्माण का संबंध है, मुझे आपको बताते हुए खेद हो रहा है कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश और बिहार काफी पिछड़े हुए हैं।

श्री अमल दत्त : माननीय मंत्री ने कई एक योजनाओं के बारे में कहा है और हमें कमी के बारे में बताया है जो कि अब 247 लाख के लगभग है और जिसमें वृद्धि होती रहेगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कई एक योजनाएं हैं और इनके अन्तर्गत विभिन्न रियायतें दी जाती हैं। इस प्रकार की बातों से भ्रम पैदा होता है। इसके अलावा आवास कार्यक्रमों और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे 'एन. आर. ई. पी., 'आर. एल. ई. जी. पी.' आदि में कोई तालमेल भी नहीं है। जब तक तालमेल नहीं होगा और योजनाएं सरल नहीं बनेगी, तब तक गांव स्तर पर आम व्यक्ति के लिए ये योजनाएं और अन्य योजनाएं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हैं, में सम्मिलित हो पानी

मुश्किल हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव है, जैसा कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ से काफी कम दरों पर पैसा मिलता है, जोकि 50 वर्षों में या इसी प्रकार की अवधि में लौटाना होता है। क्या इसी प्रकार का ऋण ग्रामीण लोगों के लिए और मकानों की कमी को दूर करने के लिए भी उपलब्ध किया जा सकता है।

श्री अब्दुल गफूर : सरकार सभा के किसी भी सदस्य, विशेषकर विपक्ष से किसी भी अच्छे सुझाव पर विचार करने के लिए हमेशा तैयार है।

असम के कछार जिले में भूकम्प

*21. **डा. कृपा सिंधु भोई**: क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में असम के कछार जिले में भूकम्प आया था;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप जान-माल की कितनी हानि हुई ;

(ग) कौन-कौन से राहत उपाय किये गए हैं; और

(घ) भूकम्प पीड़ितों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 30 तथा 31 दिसम्बर, 1984 की रात्रि में भूकम्प से कछार जिले के कुछ भाग प्रभावित हुए थे।

(ख) असम सरकार से मिली सूचना के अनुसार जान तथा माल की हुई क्षति नीचे दी गई है :–

1. मृतक मानव की संख्या	13
2. मरे पशुओं की संख्या	1
3. प्रभावित ग्रामों की संख्या	125
4. क्षतिग्रस्त घरों की संख्या	3,000
5. क्षतिग्रस्त पुलों की संख्या	2
6. क्षतिग्रस्त लकड़ी के पुलों की संख्या	6
7. क्षति हुई सम्पत्ति की अनुमानित लागत	40.00 लाख रुपए।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मृतक के रिश्तेदार को 1,000 रुपये प्रति व्यस्क और 500 रुपये प्रति नाबालिग की दर पर अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिया गया है। तथापि, राज्य सरकार का इस सहायता को 5,000 रुपये प्रति व्यस्क तथा 2,500 रुपए प्रति नाबालिग तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। घायल व्यक्तियों को भी उपयुक्त मुआवजा दिया गया है। लगभग छह सौ प्रभावित परिवारों को छह राहत शिविरों में बसाया गया है। प्रभावित लोगों को कम्बल, तिरपाल तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं निःशुल्क वितरित की गई हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वास एकक/संस्थानों की क्षति की मात्रा का जायजा लेने के लिए घर-घर सर्वेक्षण किया जा रहा है।

राज्य सरकार के अनुरोध पर तत्काल राहत तथा पुनर्वास संबंधी कार्य शुरू करने के लिये भारत सरकार ने 8-1-1985 को अग्रिम साधनोपाय के रूप में 5 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है।

डा. कृपा सिन्धु भोई : श्रीमन्, मुझे मंत्री महोदय और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने यथाशीघ्र भूकम्प से प्रभावित लोगों को मदद दी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश में कोई आधुनिक चेतावनी देने की व्यवस्था है जिससे कि भूकम्प से प्रभावित लोगों को पूर्व-सूचना दी जा सके ताकि वे सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। दूसरे, विभिन्न शैलसमूह के कारण इस प्रकार की प्राकृतिक विपत्ति आती है, जिसमें चार शैलसमूह हैं—प्राचीन शैलसमूह, पुराने शैलसमूह, गोंडवाना समूह और राकफेलर समूह। दूसरे, अगर हम हैदराबाद स्थित एन. एस. आर. ए. एजेंसी को यह कार्य सौंप दें तो हम जान सकते हैं कि वास्तव में कहां तक विपत्ति आ रही है।

श्री बूटा सिंह : मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हूं कि सम्भावित भूकम्प क्षेत्रों में पूर्व-सूचना दी जानी चाहिए। लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से ऐसा बताने वाली व्यवस्था और भूकम्प से होने वाली हानि के बारे में सही प्रकार से पता लगाने के बारे में किसी व्यवस्था का पता नहीं लगाया जा सका है। लेकिन मैं सभा को बताना चाहता हूं कि देश को पांच भूकम्पीय क्षेत्रों में बांटा हुआ है। असम एक ऐसा क्षेत्र है जहां भूकम्प काफी आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में 12 भूकम्पीय प्रेक्षण क्षेत्र हैं। और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच और स्थापित करने का प्रस्ताव है। ताकि हम प्रभावित क्षेत्रों में कुछ जानकारी दे सकें।

श्रीमन्, इस कछार जिले में अक्सर भूकम्प आते रहते हैं। पहले ही पर्याप्त सहायता दी जा चुकी है। हम राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट मिल जाएगी और कुछ अधिक कदम उठाने की आवश्यकता हुई तो हम अवश्य उठायेंगे।

डा. कृपा सिंह भोई : श्रीमन्, माननीय मंत्री द्वारा विस्तृत जानकारी दिये जाने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। जब पानी इकट्ठा होने के कारण जमीन के भीतर एक बड़ा जलाशय बन जाता है तब 30—40 वर्षों में 50 कि. मी. के अन्दर भूकम्प आते हैं। माननीय मंत्री ने माना है कि कछार जिले में बार-बार भूकम्प आते रहते हैं। क्या मंत्री सभा को बतायेंगे कि इस क्षेत्र में कितने वर्षों के बाद भूकम्प आते हैं और एन. एस. आर. ए., हैदराबाद जैसे व्यावसायिक विशेषज्ञता वाली संस्थाओं ने इन शैल क्षेत्रों के निर्माण को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है।

श्री बूटा सिंह : श्रीमन्, मुझे खेद है कि मेरा तकनीकी ज्ञान माननीय सदस्य के बराबर नहीं है। लेकिन मेरे पास यह जानकारी है। 10 जनवरी, 1889 को एक भारी भूकम्प इस क्षेत्र में आया। मैग्नीच्यूड 7.5 जिससे कछार जिले को काफी नुकसान पहुंचा।

चूंकि यह क्षेत्र 'दावकी और ह्रास्लांग फाल्ट्स' के नजदीक है, इसलिए वर्तमान भूकम्प अप्रत्याशित नहीं था।

वास्तव में सारा पूर्वोत्तर भारत ही भूकम्पीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यहां विश्व के दो सबसे भयानक भूकम्प आए। एक—जून, 1897 में (8.7 मैग्नीट्यूड) शिलांग पठार में और दूसरा—अगस्त 1950 में (8.5 मैग्नीट्यूड) का असम के पूर्वोत्तर में। ये भूकम्प भारतीय और यूरेशियन पठारों के टकराने के कारण हुए।

85-M/B(D)163LSS—2

जहां तक नवीनतम तकनीक की उपलब्धता का संबंध है, मैंने पहले ही कहा है कि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में पांच और केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं, ताकि हम कम से कम इन क्षेत्रों में भूकम्पों संबंधी कुछ मूल बातें जान सकें।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न की खरीद

*22. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1984 की रबी और खरीफ की फसलों में भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की है;

(ख) इन खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए कितनी सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या खाद्यान्न का भण्डारण खुले में भी किया गया है;

(घ) क्या सरकार की भारी मात्रा में खाद्यान्न भण्डारण करने की कोई भावी योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस खाद्यान्न के सुरक्षित भण्डारण की कोई तत्संबंधी योजना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) रबी और खरीफ विपणन मौसम 1984-85 के दौरान 16-1-1985 तक कुल 162.4 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की वसूली की गई है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास 30-11-1984 को अपनी और किराये दोनों की, ढकी हुई उपलब्ध भण्डारण क्षमता 189.8 लाख मीटरी टन थी।

(ग) से (ङ) जी, हां।

श्रीमती किशोरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है। इसलिये मैं, यह जानना चाहती हूं कि खुले में भण्डारण करने के कारण कुल कितने खाद्यान्न का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही मैं खाद्य मंत्री से यह भी जानना चाहती हूं। भाग (घ) के बारे में मंत्रीजी द्वारा दिया गया उत्तर भी स्वीकारात्मक है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उप-मंडलीय और ब्लॉक स्तर पर भण्डारण सुविधायें जुटाने की कोई योजना है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिए सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त जोरदार कार्यक्रम भी है और जिला स्तर से ही क्षमता निर्माण करने की नीति है जैसा कि सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता हेतु भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने अपने 12-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आदेश दिया था और हम उसी आदेश का पालन कर रहे हैं।

श्रीमती किशोरी सिंह : क्या आधुनिक खत्तियों में भी खाद्यान्न जमा करने का कोई प्रस्ताव है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हम आधुनिक खत्तियों सहित बहुत ही सस्ती और कुशल भण्डार प्रणाली बनाने के लिए अर्वोपाय ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री डी. बी. पाटिल : यह कहा गया है कि खाद्यान्न का भण्डारण खुले में किया गया है। माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि खुले में भण्डारण करने के कारण कुल कितने खाद्यान्न का नुकसान हुआ है। अब मेरा प्रश्न यह है कि गत 3 वर्षों में कुल कितना नुकसान हुआ है।

राव बीरेन्द्र सिंह : उसके लिए मुझे अलग से सूचना दीजिए। किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि विभिन्न कारणवश नुकसान तो होता ही रहता है। खाद्यान्न के लाने-ले-जाने के अलावा खुले में भण्डारण किये जाने से भी आंशिक रूप से नुकसान होता है।

श्री इरासु अय्यापु रेड्डी : खुले में कितने खाद्यान्न का भण्डारण किया जाता है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मेरे विचार में यह लगभग 20 लाख टन है।

प्रो. एन. जी. रंगा : क्या उन निजी भण्डार गृहों का लाभ उठाने का भी प्रयास किया गया है जो कि लोग अपने निजी उपयोग के लिये बनाते हैं जिससे कि खुले में अनाज रखने से जो हानि होती है, उसकी मात्रा कम हो सके ?

राव बीरेन्द्र सिंह : भारतीय खाद्य निगम इस समय जिस 50 प्रतिशत भण्डारण क्षमता का उपयोग कर रहा है, वह भण्डारण क्षमता उसकी अपनी है। शेष 50 प्रतिशत क्षमता केन्द्रीय भण्डागार निगम और राज्य भण्डागार निगम की है तथा इसमें विभिन्न गैर-सरकारी गोदाम शामिल हैं जिनका उपयोग किराये पर लेकर किया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के गृह निर्माण डिवीजनों द्वारा गम्भीर त्रुटियां

*23. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली विकास प्राधिकरण के गृह निर्माण डिवीजनों द्वारा गम्भीर त्रुटियों के बारे में 7 जनवरी, 1985 के टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली संस्करण में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफ्फार): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण के गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष ने तीन आवास डिवीजनों की तकनीकी लेखा परीक्षा की थी और फालतू भुगतान के कुछेक मामलों के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न डिवीजनों में निम्नलिखित अनियमितताओं को सूचीबद्ध किया था :—

(i) एकीकृत योजना और विकास कार्य के निष्पादन का अभाव ;

(ii) प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति का अभाव;

(iii) तकनीकी स्वीकृति का अभाव;

(iv) विद्यमान कार्य के विस्तृत नक्शों का अभाव;

(v) निष्पादन के दौरान मात्राओं में भारी बढ़ोत्तरी;

(vi) निम्नतम निविदा कर्ताओं को छोडकर शेष को उसी दिन धरोहर राशि वापस करना;

(vii) निविदाओं की स्वीकृति का अधिकार न होने पर भी सहायक इंजीनियरों द्वारा निविदाएं स्वीकार करना ।

(viii) महत्वपूर्ण लेखा रिकार्डों की देखभाल न करना ;

(ix) अनधिकृत कालोनियों में करों की वसूली न करना;

(x) 132 मीटर तक नाली का अधिक माप;

(xi) नन्द नगरी में दो पम्प गृहों के लिए अत्यधिक माप;

(xii) मिट्टी के निपटान एवं आपूर्ति के लिए साथ-साथ भुगतान;

(xiii) बजट प्रावधानों से अधिक खर्च ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की चूक एवं अनियमिताएं भविष्य में न हों, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कई प्रशासनिक उपाय किए हैं। उनके द्वारा किए गए म.त्वपूर्ण प्रशासनिक उपाय इस प्रकार हैं :

(i) अधीक्षक इंजीनियरों द्वारा डिवीजनों का निरीक्षण:

(ii) प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति संबंधी पूर्वआवश्यकताओं पर बल देना;

(iii) ये अनुदेश किए गए हैं कि निर्माण कार्यों को छितराया न जाए और निविदाओं के लिए समाचार-पत्रों में व्यापक प्रचार किया जाए ।

उन मामलों में, जहां अधिक भुगतना एवं नियमों का गम्भीर उल्लंघन हुआ पाया गया, संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : सरकार स्वच्छ प्रशासन के प्रति कृत संकल्प है किन्तु जो उत्तर दिया गया है, उससे उसका ताल-मेल नहीं बैठता। ऐसा इसलिए है कि मेरे प्रश्न के उत्तर में एक वक्तव्य दे दिया गया है और जब तक मैं यह न बताऊं कि उसमें क्या है, उस वक्तव्य के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा ।

पहली बात तो यह है कि इस वक्तव्य में यह कहा गया है कि गुणवता नियन्त्रण कक्ष, जिसने निरीक्षण किया था, ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और इस प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अधिक भुगतान के कुछेक मामलों के अतिरिक्त अनियमिताओं के तेरह मामले और हैं। ये अनियमितताएं इस प्रकार की हैं, यथा महत्वपूर्ण लेखा अभिलेखों का न रखना, 132 मीटर तक नाली का अधिक माप, नंद नगरी में दो पम्पगृहों के लिये अत्यधिक माप; स्वीकृत योजना और विकास कार्य के निष्पादन का अभाव, प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति का अभाव, आदि। इससे ऐसा प्रतीत नहीं

होता कि इस प्रकार के कार्य किये गये थे और ऐसा प्रतीत होता है कि इन अनियमितताओं के कारण वास्तव में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है।

समाचार पत्र में छपी खबर में, जिसे मैंने अपने प्रश्न में उद्धृत किया था, यह कहा गया है कि :

"यमुना पार के इलाके में कार्य कर रहे तीनों गृह निर्माण डिवीजनों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सभी सुस्थापित लेखा प्रणालियों का उल्लंघन किया गया ।"

इस खबर में यह भी कहा गया है कि :

"ऐसी स्थिति जहां किसी जाँच-पड़ताल की संतुष्टि के लिये अपेक्षित साधन जुटाने के लिये लेखों का ब्यौरा और पूर्ण अभिलेख नहीं रखा जाता है, वहां रख-रखाव, मरम्मत और उन मामूली कामों पर करोड़ों रुपए का सार्वजनिक धन व्यय किया गया है जिसके बारे म डिवीजन के संबंधित अधिकारियों को ही पता होता है . . .।"

मंत्री जी द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण में केवल तेरह मामलों का ही उल्लेख है।

समाचार पत्र में छपी खबर में यह भी कहा गया है कि :

दिल्ली विकास प्राधिकरण के इंजीनियर आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं के नाम जान-बूझ कर अधूरे अस्पष्ट और भ्रामक रखते हैं और इस बता की पूरी पूरी चेष्टा करते हैं कि उनके स्थानों और वास्तविक काम का पता न चल सके।"

मेरा प्रश्न इसी पर आधारित था। इस विवरण में धनराशि के बारे में नहीं बताया गया है अपितु बहुत ही गंभीर प्रकार की तेरह अनियमितताओं की सूची दी गई है। इसके लिये क्या उपाय किये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न क्यों नहीं पूछती हैं ? यह कोई तरीका नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : किये गये उपायों के बारे में आपने यह बताया है कि अधीक्षक इंजीनियरों, आदि द्वारा डिवीजनों का निरीक्षण किया गया है। क्या इससे पूर्व जांच-पड़ताल करने की प्रणाली नहीं थी ? इसके अतिरिक्त यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था और कार्यवाही कब की गई थी ? समय सीमा क्या है ? इन विशेष चूकों के बारे में वास्तव में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अब्दुल गफूर : मैं माननीया सदस्या का कृतज्ञ हूं। उन्होंने प्रश्न भी पूछा और उत्तर भी दिया ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने उत्तर नहीं दिया है; बल्कि सभा के हितार्थ इन तथ्यों को बताया है ।

श्री अब्दुल गफूर : ठीक है। इस प्रश्न के पूछने के लिये मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं।

पहली बात यह है कि सरकार ने कोई बात छिपाने की चेष्टा नहीं की है; क्योंकि प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख है कि ये अनियमिततायें कैसे की गई हैं। आपकी जानकारी के लिये तथा सभा की जानकारी के लिये विवरण सभा पटल पर रखा गया था।

इन अनियमितताओं से मैं स्वयं ही अवगत हूं और अनियमितताय इस प्रकार की हैं कि इससे न केवल सदस्यगण ही चिंतित हैं अपितु सरकार भी अत्यधिक चिंतित है और में अपेक्षित कार्यवाही करने वाला हूं ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था और कार्यवाही कब की गई थी ?

श्री अब्दुल गफूर : प्रारम्भिक प्रतिवेदन सतर्कता कक्ष में 5-1-1984 को प्राप्त हुआ था और विस्तृत प्रतिवेदन सतर्कता कक्ष में 2-4-1984 को प्राप्त हुआ था। मुख्य इंजीनियर ने 14-7-84 को ज्ञापन प्रस्तुत किया था। ज्ञापन 18-10-1984 को जारी किया गया था। एक कार्यकारी इंजीनियर, 4 इंजीनियरों, 2 सहायक इंजीनियरों और 4 कनिष्ठ इंजीनियरों को ज्ञापन दिया गया है। कुछ के उत्तर आ गये हैं और कुछ के आने शेष हैं। आपको पता है कि जब कोई कार्यवाही की जाती है तो कुछ नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। अन्यथा सारी कार्यवाही बेकार हो जाती है। इसलिये, सर्वप्रथम एक निश्चित समय के अन्तर्गत उनसे यह स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि ये अनियमिततायें क्यों हुई हैं। इसके अनन्तर कुछ उत्तर दे देते हैं और कुछ और अधिक समय लेते हैं। इसीलिये, कार्यवाही करने से पूर्व हर प्रकार का अवसर प्रदना किया जाता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं जानना चाहती हूँ कि कार्यवाही की स्थिति क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह चाहती हैं कि कार्यवाही शीघ्र की जाये।

श्री अब्दुल गफूर : माननीय सदस्या बहुत सतर्क हैं और यह मंत्रालय भी उतना ही सतर्क है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है।

रोहिणी योजना के सैक्टर 7 में आबंटियों को भूमि का कब्जा दिया जाना

***24. श्री हरिकृष्ण शास्त्री :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की रोहणी योजना के सेक्टर 7 के आबंटियों को भूमि का कब्जा दे दिया गया है ;

(ख) क्या आबंटियों को भू-खण्डों पर निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य की अनुमति न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) निर्माण करने की अनुमति देने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) निकाली गई पहली दो लाटरियों में सैक्टर VII में आबंटित 4808 प्लाटों में से, 2,752 आबंटियों को कब्जा दे दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री हरिकृष्ण शास्त्री : आपके माध्यम से मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ अफसरशाही समस्याओं के कारण इस क्षेत्र में लोगों को भारी कठिनाइयों का समाना करना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी को यह बात पता होगी कि निर्माण लागत दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और जिन लोगों को ये प्लाट आबंटित किये गये हैं, वे बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की ओर ध्यान देंगे कि आबंटियों को प्लाटों का आबंटन ठीक तरह से और शीघ्र किया जाए। उन्हें नक्शे तथा अन्य वस्तुयें यथा समय दे दी जायें जिससे कि उन्हें शिकायत करने की आवश्यकता न पड़े।

श्री अब्दुल गफूर : निश्चित रूप से। माननीय सदस्य ने जो कहा है उस पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। कुछ बातें हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाट आबंटित करते समय, जिन लोगों की भूमि आबंटित की जाती है, उनसे कुछ जानकारी मांगी जाती है। इस विशेष जानकारी को देने में जब वे लोग देरी करते हैं; तब देरी होती है। जहां तक प्लाटों का आबंटन का प्रश्न है, पत्र में दिये गये उत्तर से मुझे मालूम पड़ता है कि कहीं न कहीं देरी हुई है और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की देरी न हो।

श्री डी. के. नायकर : इस प्रश्न के संबंध में, माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहूंगा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में कुछ ऐसी जटिलताएं हैं जिसके कारण आवास संबंधी कार्यकलाप उतनी तेजी से नहीं हो पाते हैं जितनी तेजी से उनके होने की अपेक्षा की जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी भूमि अधिग्रहण कार्यवाही अधिनियम में कोई संशोधन करने वाले हैं और क्या भूमि अधिग्रहण के संबंध में उनका विचार कोई ऐसी प्रक्रिया लागू करने का है जिससे कि अधिग्रहण कार्यवाही तेजी से सम्पन्न हो सके।

श्री अब्दुल गफूर : मेरे विचार से भूमि अधिग्रहण के संबंध में अब तक कुछ संशोधन किये गये हैं, ताकि प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, डी. डी. ए. की तरफ से जो लैण्ड एक्वायर की जाती है तो किसानों को बहुत थोड़ा पैसा दिया जाता है। जब दूसरे अलाटीज को प्लाट्स आलॉट करते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा वसूल करते हैं ।।.............(व्यवधान)......जिन लोगों ने रोहिणी के अलावा एप्लीकेशन्स दे रखी हैं, वह तीन-तीन और चार-चार साल से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, पहले श्री बूटा सिंह जी थे, तो उनके जमाने की दरखास्तें भी पेन्डिग पड़ी हुई हैं और उनको आज तक अलाटमेंट नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कब तक उनको अलाटमेंटर कर देंगे।

श्री अब्दुल गफूर : इतनी एप्लीकेशन्स हैं, आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट की नीयत हमेशा अच्छी होती है कि जितना जल्द से जल्द हो, उनको अलाट किया जाए। आप यह भी जानते हैं कि जमीन के मिलने में दुश्वारी हो रही है। फिर भी कोशिश की जायेगी। आप देखेंगे कि इसी लोकसभा के सैशन में एक एक्ट बनने के लिए जा रहा है नेशनल कैपिटल रिजन के बारे में, जिसमें राजस्थान, यू. पी. और दिल्ली के कुछ हिस्से लिए जायेंगे। जमीन मिल जायेगी तो उसके तहत जितने लोग चाहेंगे, मकान बनाने के लिए सारी सुविधाएं उनको आसानी से मिल जायेंगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अमर सिंह राठवा नहीं हैं, श्री बी. वी. देसाई नहीं है, और श्री चिंतामणि जेना भी नहीं हैं। इस प्रकार आज पहली बार तीनों ही अनुपस्थित हैं। अब श्री डूमर लाल बैठा।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से चावल गायब होना

*28. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर की दुकानों के एक संगठन ने आरोप लगाया है कि पहाड़गंज की तीन उचित दर की दुकानों के मालिकों द्वारा 28 नवम्बर, 1984 को बैंक ड्राफ्ट के जरिए अपेक्षित पूरी राशि जमा करवा देने के बावजूद उनका 45 क्विंटल चावल भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से गायब हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह): (क) तथा (ख). यह सच है कि उचित दर की छः दुकानों से सम्बन्धित विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं (गेहूँ, चावल तथा चीनी) के 77 बोरे, जिनके लिए उक्त दुकानों ने 28 नवम्बर, 1984 को बैंक ड्राफ्ट जमा करवा दिए थे, केन्द्रीय तार-घर, पूसा, नई दिल्ली स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में इधर-उधर हो गये थे। गोदाम के प्रत्यक्ष सत्यापन के पश्चात अब ये बोरे उचित दर की दुकानों को दिए जा चुके हैं।

श्री डूमर लाल बैठा: क्या मंत्री जी से मुझे पता चलेगा कि गोदामों की प्रत्यक्ष जांच कब हुई थी ? क्या इस बात की जाँच—पड़ताल की गई थी अर्थात् यह देखा गया था कि किसी संबंधित कर्मचारी का तो इसमें कोई हाथ नहीं था ? यदि हाँ; तो क्या कार्य वाही की गई ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जाँच की तारीख मुझे मालूम नहीं है किन्तु मेरे विचार से प्रत्यक्ष जांच के समय कोई गलती नहीं पाई गई थी। इसके बाद, शिकायत पर कार्य वाही की गई थी।

श्री डूमर लाल बैठा : 28 नवम्बर को पूरा रुपया जमा कर दिया गया था। इसलिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि यह सत्यापन कब किया गया था, क्योंकि रुपया जब 28 नवम्बर को जमा कर दिया गया था और तब भी यदि माल की सुपुर्दगी 2 या 3 महीने के बाद की गई थी; तो संबंधित कर्मचारियों का हाथ होना निश्चित है। जाँच प्राधिकारी द्वारा इसके बारे में जांच की जानी चाहिये थी।

राव बीरेन्द्र सिंह: कुछ गड़बड़ थी। इसके बाद शिकायत पर कार्यवाही की गई थी और माल सुपुर्द कर दिया गया था। मुझे विश्वास है कि भारतीय खाद्य निगम इस संबंध में कोई अपनी ही कार्यवाही कर रहा होगा जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की आवृत्ति रोकी जा सके।

श्री डूमर लाल बैठा : किसी का हाथ था अथवा नहीं, इसके बारे में पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? यह एक विशिष्ट प्रश्न है।

राव बीरेन्द्र सिंह : कर्मचारियों का इसमें हाथ था या नहीं यह देखने के लिये, आगे कार्यवही की जायेगी। माननीय सदस्य के सुझाव पर मैं मामले की आगे जाँच कराऊँगा।

पारेषण हानियां

***29. श्री मूल चन्द डागा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1982–83 और 1983–84 के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार राज्य विद्युत बोर्डों में कुल कितने रुपए की अधिकतम पारेषण हानि हुई;

(ख) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है और उसके क्या परिणाम निकलें; और

(ग) किस राज्य का कार्यकरण सर्वश्रेष्ठ रहा है और उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) वर्ष 1982–83 और 1983–84 के दौरान देश में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के संबंध में पारेषण और वितरण हानियों की प्रतिशतता दर्शाने वाला ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है ।

रुपये के रूप में हानि का अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि (1) वाणिज्यिक और तकनीकी हानियों को अगल अगल करना संभव नहीं है और (2) खपत का स्वरूप एवं विद्युत सप्लाई की दरें अलग–अलग राज्यों में भिन्न–भिन्न हैं ।

(ख) पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को अनेक उपाय करने के लिए सुझाव दिए गए हैं । राज्य बिजली बोर्डों ने प्रणाली सुधार सेल स्थापित किए है तथा इन सेलों द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर प्रणाली सुधार स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं ।

(ग) देश में मेघालय राज्य बिजली बोर्ड की पारेषण और वितरण हानियां सबसे कम हैं क्योंकि मेघालय में उत्पादित अधिकांश विद्युत की खपत असम राज्य को दिए जाने के रूप में उच्च वोल्टता लाइनों के जरिए होती है ।

विवरण

वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान देश में प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड की पारेषण और वितरण हानियों की प्रतिशतता का ब्यौरा

(आकड़े प्रतिशत में)

राज्य बिजली बोर्ड का नाम	1982–83*	1983–84*
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	23.10	21.38
2. असम	20.00	19.98

1	2	3
3. बिहार	23.15	22.21
4 गुजरात	21.06	21.68
5. हरियाणा	19.63	19.56
6. हिमाचल प्रदेश	18.07	17.39
7. जम्मू और कश्मीर	41.40	40.71
8. कर्नाटक	21.00	20.98
9. केरल	12.47	14.25
10. मध्य प्रदेश	20.47	19.45
11. महाराष्ट्र	15.14	15.14
12. मेघालय	7.00	6.10
13. उड़ीसा	17.96	18.00
14. पंजाब	17.17	17.03
15. राजस्थान	23.58	25.29
16. तमिलनाडु	18.80	18.75
17. उत्तर प्रदेश	19.78	18.21
18. पश्चिम बंगाल	17.00	17.00

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बड़ा अजीब उत्तर दिया है, प्रश्न कुछ है और उसका उत्तर कुछ आ रहा है, आप मेहरबानी करके थोड़ा हमें प्रोटेक्ट करियेगा। मेरा प्रश्न यह था कि पूरे भारत में, विभिन्न राज्यों में जितने राज्य बिजली बोर्ड हैं, उनमें से प्रत्येक में कुल कितने रुपये की पारेषण हानि है क्योंकि सभी बिजली बोर्ड लॉस में हैं। वर्ष 1978 के पहले वैंकटरामन कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यही बात कही थी और उसके बाद तीनों फाइनेंस कमीशनों ने भी यही कहा है कि उनसे रिटर्न नहीं मिल रहा है और सारे भारत के विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। मैंने पूछा था कि प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड को कितना लास हो रहा है तो उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। उसका उत्तर क्या दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय का उत्तर है : "रुपये के रूप में हानि का अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है। कुछ भी हो बिजली बोर्डों को चलाती तो राज्य सरकारें ही हैं। क्या वे हमें उस हानि की राशि के बारे में नहीं बता सकती हैं जो वे उठा रही हैं। प्रत्येक बोर्ड घाटे में चल रहा है। मैं आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं।

[हिन्दी]

देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर 1982–83 में ट्रांसमिशन लॉसेज 23.10 परसेंट था। आप अपने उत्तर में स्पष्ट कीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास पहले से ही उत्तर मौजूद है तो आप उत्तर दोबारा क्यों मांग रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रांसमिशन लॉसेज के कारण कुल कितना घाटा प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड को है, आप मेहरबानी करके इतना बता दीजिएगा।

[अनुवाद]

श्री बी. शंकरानन्द : प्रश्न यह है: "देश में 1982–83 और 1983–84 के दौरान राज्यवार और वर्ष-वार राज्य विद्युत बोर्डों में कुल कितने रुपये की अधिकतम पारेषण हानि हुई। तभी तो मैंने बताया है कि वाणिज्यिक और तकनीकी हानियों को अलग-अलग करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रुपयों के चक्कर है, वह आप हिसाब लगा लीजिए।

[अनुवाद]

श्री मूलचन्द डागा : आप अपने उत्तर को देख सकते हैं। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री राजेश पाइलट : केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य विद्युत बोर्डों को मार्ग निर्देश भेज रखे हैं कि कुल विद्युतोत्पादन में से एक निश्चित प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दिया जाना है, जिनका कोई भी राज्य पालन नहीं कर रहा है। उन राज्यों के बारे में केन्द्रीय सरकार के क्या निर्देश हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के इन सिद्धान्तों का पालन नहीं कर रहे हैं ?

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय यह अच्छी बात है कि माननीय सदस्य ने ग्रामीण विद्युतीकरण का उल्लेख किया है। सबसे अधिक हानि तो ग्रामीण क्षेत्रों में पारेषण से ही होती है।

श्री राजेश पाइलट : नहीं, नहीं। मैंने तो केवल इतना ही पूछा था कि क्या मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य प्रश्न पूछिये, क्योंकि समय समाप्त हो गया है।

श्री राजेश पाइलट : कुल जितना विद्युतोत्पादन होता है, प्रत्येक राज्य में उसमें से कुछ प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निश्चित कर दिया जाता है। क्या वे उस मार्गदर्शक सिद्धान्त का पालन कर रहे हैं या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय । प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलना

*19. **श्री नवीन रावणी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" के अन्तर्गत कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने का प्रत्येक राज्य के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) देश में विशेषकर गुजरात में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उन गांवो में जहां सम्पर्क सड़कों का अत्यन्त अभाव है, सम्पर्क सड़कें बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि एंव ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियां टिकाऊ स्वरूप की ही होनी चाहिए। चूंकि सड़कों के निर्माण का सारा कार्य टिकाऊ स्वरूप का ही होना था, इसलिए कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। अक्तूबर, 1980 में जब काम के बदले अनाज कार्यक्रम की जगह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया गया था, उस समय यह देखा गया था कि पहले वाले कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए सड़क-निर्माण के अनेक कार्य टिकाऊ स्वरूप के नहीं थे। इसलिए, वर्ष 1980-81 में कच्ची सड़कों को पक्की सड़कें बनाने के लिए 105 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया था।

यद्यपि कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने की पूरी सूचना अभी तक सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त नहीं हुई है, तथापि कुछ राज्यों से मिली रिपोर्टों से पर्याप्त प्रगति का पता चलता है। गुजरात सरकार से मिली रिपोर्ट से पता चलता है कि 1980-81 तक उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई 2,795 किलोमीटर कच्ची सड़कों में से जनवरी, 1982 के अन्त तक 2,329 किलोमीटर सड़कें पक्की बना दी गई थीं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धांतों में विशेष रूप से यह व्यवस्था की गई है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों के लिए सम्पर्क सड़कें बनाने का कार्य शुरू किया जाए। सम्पर्क सड़कों के निर्माण का कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा अगस्त, 1983 से प्रारंभ किए गए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों में शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

खाली समय में किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए रोजगार

*20. श्री छीतूभाई गामित : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गांवों में खाली समय में किसानों और खेतिहर श्रमिकों को रोजगार देने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई चरणबद्ध कार्यक्रम बना रही है; और

(ख) क्या सरकार का विचार गांवों में ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग और गृह उद्योगों को बढ़ाव देने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने अक्तूबर 1980 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अलावा, सरकार ने, 15 अगस्त, 1983 से दूसरा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अर्थात् ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरटी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार करना और उनका विस्तार करना है ।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को सहायता देकर स्व-रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है ताकि वे आय कमाने वाले कार्य शुरू कर सकें, जिनमें उद्योगों, सेवाओं और व्यापार के क्षेत्रों के कार्य शामिल हैं ।

इसके अलावा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है तथा आयोग के समस्त कार्यकलापों के लिए सारी धनराशि भारत सरकार देती है। आयोग द्वारा 1984-85 के अन्त तक अपने विभिन्न कार्य-कलापों के अन्तर्गत लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की संभावना है ।

सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी शामिल हैं, को रोजगार प्रदान करने हेतु 15 अगस्त, 1983 से एक स्कीम शुरू की है । इस स्कीम के अन्तर्गत, 18–35 वर्ष की आयु-वर्ग के जिन शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने मैंट्रीक परीक्षा व इससे ऊंची परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा धनी-वर्ग के नहीं हैं, उनको 25,000 रु. तक का मिश्रित ऋण कम ब्याज-दर पर अर्थात् पिछड़े इलाकों के लोगों के लिए 10 प्रतिशत पर और गैर-पिछड़े इलाकों के लोगों के लिए 12 प्रतिशत पर दिया जाता है। 31 मार्च, 1984 तक 2.5 लाख उद्यमों के लक्ष्य की तुलना में बैंको ने 2.42 लाख आवेदन-पत्रों को मंजूर किया है जिन पर 401 करोड़ रु. की राशि का ऋण दिया गया है। यह स्कीम इसी उद्देश्य के लिए 1984-85 के लिए बढ़ा दी गई है ।

[अनुवाद]

राज्यों को खाद्यान्न का आबंटन

*25. श्री अमर सिंह राठवा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1984 के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार से गेहूं और चावल की सप्लाई हेतु कितनी-कितनी मांग की गई थी;

(ख) इन महीनों में उन्हें कितनी-कितनी मात्रा प्राप्त हुई;

(ग) क्या कुछ राज्यों को अपनी आवश्यकतानुसार खाद्यान्नों का कोटा प्राप्त नहीं हुआ, यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं, और

(घ) उनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है, जिसमें विभिन्न राज्यों के संबंध में सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1984 के दौरान केन्द्रीय भण्डार से गेहूं और चावल की मांग, आवंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है। (**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 83/85**)

(घ) विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्नों के आवंटन केन्द्रीय भण्डार में स्टका की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किए जाते हैं। तथापि, केन्द्रीय भण्डार से आवंटन केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं।

रबी फसल पर अपर्याप्त वर्षा का प्रभाव

*26. श्री बी. वी. देसाई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकतर भागों में दिसम्बर, 1984 के पिछले तीन सप्ताहों के दौरान पर्याप्त शीतकालीन वर्षा नहीं हुई है, जिससे देश के वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में खड़ी रबी की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या रबी की फसल के उत्पादन के अत्यधिक प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि गेहूं जो इसकी मुख्य फसल है, उसके लिए उत्तर-पश्चिम भारत में सिंचाई अनिवार्य है; और

(ग) यदि हां, तो कम वर्षा से फसल के उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है तथा रबी की फसल के कम उत्पादन से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) देश के बहुत बड़े हिस्से में दिसम्बर के आखिरी तीन हफ्तों के दौरान वर्षा कम हुई। तथापि, वर्षा सिंचित महत्वपूर्ण रबी सस्यगत क्षेत्रों में दिसम्बर के अन्त से कुछ वर्षा हुई जो फसलों के लिए लाभदायक साबित हुई।

(ख) तथा (ग) गेहूं की फसल की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए जो अधिकांशत: सिंचाई के अंतगर्त है, रबी के उत्पादन पर अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। फसल के लिए अपेक्षित मौसम की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा राज्य सरकारों के परामर्श से बिजली और कृषि आदानों की उपलब्धता का प्रबोधन किया जा रहा है।

छठी योजना के दौरान नारियल की खेती के क्षेत्र का विस्तार कार्यक्रम

*27. श्री चिन्ता मणि जैना : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन राज्यों में नारियल की खेती के क्षेत्र का विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस प्रकार का कार्यक्रम उड़ीसा में भी शुरु किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो किए गए कार्य का क्या ब्यौरा है और उसके क्या परिणाम रहे ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) छठी योजना में केरल, कर्नाटक तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा के राज्यों और गोवा, दमन और दीव, अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह और पांडिचेरी के संघ शासित प्रदेशों में नारियल वाले क्षेत्र में विस्तार किया गया।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये कुल 402.127 लाख रुपये के परिव्यय से पांच केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें चल रहीं है। इसके अतिरिक्त, कुल 1516.538 लाख रुपये के परिव्यय से नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से 9 परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

(1) संकर नारियल पौद उत्पादन और वितरण योजना के अंतर्गत कुल 1.1 लाख लम्बे व बौने संकर नारियल की पौदें उगायी गई।

(2) नारियल विकास संबंधी पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक 0.25 हैक्टार क्षेत्र के 120 प्रदर्शन आयोजित किये गये।

(3) नहर के किनारों पर कुल 2.20 लाख पौद लगायी गई।

(4) कटक के बालीकुडा ब्लाक के मरीचपुर में एक क्षेत्रीय नारियल नर्सरी स्थापित की गई।

(5) 1984–85 में नारियल क्षेत्र के विस्तार के अन्तर्गत 23.79 हैक्टार क्षेत्र लाया गया।

भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों की क्रियान्विति

*30 **श्री चित्त महाटा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मार्ग निर्देशों के परिप्रेक्ष में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों की क्रियान्वित की इस समय क्या स्थिति है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून अभी भी केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) केन्द्रीय मार्गदर्शी नियमों के अनुसार भूमि की सीमा के कार्यान्वयन के बारे में अद्यतन सूचना के अनुसार, फालतू भूमि धारकों ने 14,40,172 विवरणियां दाखिल की हैं। इनमें से 14,16,531 विवरणियों को निपटा दिया गया है। अब केवल 23.641 अर्थात् 1.6 प्रतिशत विवरणियां शेष हैं। इन विवरणियों को निपटाने के बाद 42.81 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गयी है जिसमें से 30.01 लाख एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया गया है। इसमें से 21.22 लाख एकड़ भूमि को 15.91 लाख लाभार्थियों में वितरित कर दिया गया है।

(ख) व (ग) राज्य विधायिकाओं द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयक विचाराधीन हैं :–

(1) उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1979;

(2) पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1981

खेती के अयोग्य भूमि का सर्वेक्षण

*31. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेती के अयोग्य भूमि के क्षेत्र का पता लगाने के लिये पिछला सर्वेक्षण कब किया गया था;

(ख) उस सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक राज्य में कितनी फालतू अकृष्य भूमि है; और

(ग) खेती के अयोग्य फालतू पड़ी भूमि का कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) देश के प्राय: सभी राज्यों में प्रत्येक मौसम में भू-उपयोग सर्वेक्षण नियमित रूप से किये जाते हैं। नवीनतम सर्वेक्षण, जिसके सम्बन्ध में अधिकांश राज्यों में परिणाम उपलब्ध हो गये हैं, कृषि वर्ष 1981-82 से संबंधित हैं।

(ख) राज्यों में बंजर और अकृष्य भूमि जैसी अकृष्य भूमि तथा कृषि योग्य बेकार भूमि और चालू परती भूमि के अलावा परती भूमि के क्षेत्र को दर्शाने वाली जानकारी संलग्न विवरण–I में दे दी गयी है।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण–2 में दी गई है।

विवरण–1

बंजर और अकृष्य भूमि, कृषि योग्य बेकार भूमि और चालू परती भूमि के अलावा परती भूमि-राज्यवार

लाख हैक्टार (अस्थायी)

क्रम संख्या	राज्यों/संघ क्षेत्र राज्य	कृषि योग्य बेकार भूमि		बंजर और अकृष्य भूमि		चालू परती भूमि के अलावा परती भूमि	
		1980–81	1981–82	1980–81	1981–82	1980–81	1981–82
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	8.7	8.9	23.4	23.0	13.5	13.2
2	असम	1.4	1.2	15.4	15.4	1.1	1.0
3	बिहार	4.5	4.5	10.1	10.1	9.4	9.6
4	गुजरात	19.9	19.7	25.0	25.0	3.3	3.0
5	हरियाणा	0.3	0.4	0.7	0.7	–	–
6	हिमाचल प्रदेश	2.2	2.4	1.4	1.4	0.1	0.1
7	जम्मू और कश्मीर	1.5	1.4	2.3	2.7	0.1	0.1
8	कर्नाटक	5.0	5.0	8.4	8.5	5.6	5.2
9	केरल	1.3	1.3	0.9	0.9	0.3	0.3
10	मध्य प्रदेश	19.1	18.4	23.2	23.5	11.0	10.7
11	महाराष्ट्र	9.9	9.9	17.3	17.3	8.0	8.0
12	उड़ीसा	2.5	2.5	2.7	2.7	1.9	1.9
13	पंजाब	0.4	0.4	1.0	0.9	–	–
14	राजस्थान	64.2	62.1	29.2	29.6	20.9	20.6
15	तमिलनाडु	3.4	3.4	5.8	5.8	4.6	4.9
16	उत्तर प्रदेश	11.5	11.2	11.4	11.2	7.1	7.3
17	पश्चिम बंगाल	3.7	3.7	1.2	1.2	0.6	0.6
18	अन्य*	7.8	7.9	22.3	22.4	10.7	9.3
	अखिल भारतीय	167.3	164.3	201.7	202.3	98.2	95.8

नोट: अन्यों के तहत शामिल किये गये असम, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के आंकड़े नवीनतम उपलब्ध अवधियों से संबंधित हैं। महाराष्ट्र के लिये आंकड़े समय पर सूचना देने वाली योजना के अन्तर्गत उपलब्ध अनुमानों पर आधारित हैं।

*अन्यों में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं।

85-M/B(D)183LSS—3

विवरण–2

अकृष्य भूमि और बंजर भूमि में पहाड़, मरु भूमि आदि शामिल हैं, जिन्हें खेती के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता जब तक कि बहुत अधिक खर्च न किया जाये। तथापि, भूमि और अवक्रमित क्षेत्रों के निम्नलिखित वर्गों के कुछ भागों को सम्भवतः खेती तथा लाभदायी वृक्ष और अन्य पौधे उगाने के लिये उपलब्ध कराया जा सकता है :—

(1) खेती योग्य बेकार भूमि ।

(2) चालू परती भूमि के अलावा परती भूमि ।

(3) उबड़-खाबड़ क्षेत्र और मली।

(4) क्षारीय मृदा।

(5) जललग्न क्षेत्र; और

(6) तटीय लवणीय रेतीले क्षेत्र सहित लवणीय मृदा ।

2. खेती योग्य बेकार भूमि के सर्वेक्षण और वर्गीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत तीसरी योजना अवधि और मार्च, 1969 तक 15 राज्यों में 100 हैक्टार से कम वाले खण्डों में 23 लाख हैक्टार क्षेत्र का पता लगाया गया। एक अन्य केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कृषि योग्य बनायी गयी। 1.90 लाख हैक्टार खेती योग्य-बेकार भूमि पर खेतीहर कृषि श्रमिकों के लगभग 1.1 लाख परिवारों को बसाया गया। उत्पादकता वर्ष 1982 से 8 राज्यों में चालू परती भूमि के अलावा परती भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाने के संबंध में एक कार्यक्रम शुरु किया गया; जिसे बाद में बढ़ाकर 13 राज्यों में कर दिया गया। आवश्यकतानुसार भूक्षरण नियंत्रण और नमी संरक्षण के उपायों से खेती, लाभदायक वृक्षों को उगाकर और वनरोपण आदि के माध्यम से कुल 7.49 लाख हैक्टार क्षेत्र को अधिक उत्पादन देने वाली भूमि की प्रबन्ध पद्धति के अन्तर्गत लाया गया।

3. सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित के सर्वेक्षण, वर्गीकरण और सुधार के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को शुरु करने का प्रस्ताव है :—

(1) खेती योग्य बेकार भूमि और चालू परती भूमि के अलावा परती भूमि।

(2) उबड़-खाबड़ भूमि

(4) भूमिगत जल में वृद्धि और सतहरी सरोवर दोनों के कारण जललग्न क्षेत्र।

(3) क्षारीय मृदा; और

(5) तटीय लवणीय रेतीले क्षेत्र।

बिहार में कोइल कारो परियोजना

*32. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजनावधि में बिहार में 700 मेगावाट की कोइल कारो परियोजना आरम्भ करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भूमि के अर्जन की समस्याओं को हल करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) परियोजना के क्रियान्वयन के लिये अन्य क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं का हल निकालने के लिए राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

शुष्क भूमि के कृषकों को सहायता के लिये योजनायें

*33. **श्री उत्तम राठौर** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुष्क भूमि के कृषकों को अत्यधिक या कम वर्षा के कारण फसलें नष्ट हो जाने की सदैव आशंका रहती है ;

(ख) क्या सरकार का कपास, ज्वार, तुवार जैसी फसलों और अन्य फसलों का बीमा आरम्भ करके शुष्क भूमि के कृषकों की सहायता के लिये कोई योजनाएं आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार ने शुष्क खेती को अधिक लाभप्रद बनाने के लिये किन्हीं अन्य योजनाओं पर विचार किया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) शुष्क भूमियों में फसल उत्पादन मुख्यतया परिवर्तनशील वर्षा और इसकी सघनता तथा वितरण से जुड़ा होता है।

(ख) जी हां। राज्य सरकारों के सहयोग से भारतीय सामान्य बीमा निगम के माध्यम से बारह राज्यों में क्षेत्र पर आधारित मार्गदर्शी फसल बीमा योजना पहले से चल रही है। इसके तहत वर्षा सिंचित महत्वपूर्ण फसलें जैसे धान, ज्वार, मूंगफली, जौ, गेहूं, चना, मक्का, कपास आदि आती हैं।

(ग) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जोखिम को कम करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षेत्र तथा जिन्स विकास दोनों योजनाएं शुरु की गई हैं.

[हिन्दी]

जल संसाधनों के संबंध में नेपाल के साथ बातचीत

*34. **श्री हरीश रावत** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पंचेश्वर परियोजना सहित जल संसाधनों के उपयोग और वितरण के मामले में अब तक नेपाल के साथ कितनी बार अधिकारिक स्तर पर बातचीत हुई है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ख) नेपाल सरकार द्वारा पंचेश्वर परियोजना के निर्माण में अभीष्ट रुचि न दिखाये जाने के समाचारों को दृष्टिगत करते हुए क्या सरकार इस परियोजना के संदर्भ में उच्च राजनैतिक स्तर पर वार्ता करने पर विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) 1977 में प्रधान मंत्री जी के नेपाल के दौरे के बाद नेपाल की महामहिम सरकार के साथ सचिव स्तर की छः बैठक की गईं। इन बैठकों से विभिन्न जटिल मुद्दों के बारे में प्रत्येक सरकार की स्थिति को अच्छी तरह समझने में सहायता मिली है। अभी तक विश्व बैंक ऋण सहायता से करनाली परियोजना की व्यवहायता रिपोर्ट तैयार करने का काम अन्तर्राष्ट्रीय फर्म के परामर्शदाताओं को सौंपने के बारे में समझौता हुआ है। पंचेश्वर परियोजना के बारे में नदी के दोनों ओर समान दक्षता के दो विद्युत घर स्थापित करने के लिए सहमति हो गई है। आगे विचार विमर्श करने का विचार है।

(ख) वर्तमान स्थिति में उच्चस्तरीय राजनीतिक चर्चा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

सूखा प्रवण क्षेत्रों में किसानों के लिये शुष्क-भूमि कृषि तकनीक का प्रावधान

***35. प्रो० मधु दण्डवते : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सूखा प्रवण प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में किसानों को व्यापक स्तर पर शुष्क भूमि कृषि तकनीक उपलब्ध करने की कोई योजनाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो सूखा प्रवण क्षेत्रों में 1983–84 के दौरान उक्त तकनीक पर कुल कितना निवेश किया गया ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए राज्यों और जिलों की सूची विवरण में दी हुई है। ये देश के प्रमुख सूखा–सम्भावित क्षेत्र हैं।

(ख) सूखा–सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है, खेती के परम्परागत स्वरूप को सुधार कर, कृषि के उपयुक्त तरीकों और मिट्टी एवं जल संरक्षण की तकनीकों को अपना कर सूखी भूमि पर खेती की पैदावार में सुधार करना। अन्य बातों के साथ–साथ, ये कार्यक्रम इस बात पर भी जोर देते हैं कि वाटरशेड के आधार पर सूखी भूमि पर खेती का सुधार किया जाए जिसके लिए मिट्टी और जल संरक्षण तथा सूखी भूमि पर खेती के उन्नत तरीकों को अपनाया जाए। फसलों के प्रदर्शन और सामग्रियों का वांच्छित मात्रा का उपयोग कर इन क्षेत्रों में कृषि के उन्नत तरीके, नई फसलें और फसल–चक्र प्रचालित किए गए हैं। इन स्कीमों का कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियों और मौके पर जाकर देखने के लिए दौरे आयोजित किए जाते हैं, ताकि वे सूखी भूमि पर खेती की नवीनतम

तकनीकों के बारे में अपने ज्ञान को अद्यतन बना सकें। किसानों के लाभार्थ सूखी–भूमि के निकटतम केन्द्रों पर खेत दिवस और दौरे भी आयोजित किए जाते हैं। सूखी–भूमि पर खेती की नवीनतम प्रौद्योगिकी का किसानों के खेतों तक विस्तार करने के लिए योजनाओं को तैयार करने के कार्य में कृषि वैज्ञानिकों का सहयोग लिया जा रहा है।

(ग) 1983–84 से इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषि विकास, जिसमें सूखी भूमि पर खेती भी शामिल है, पर 10.54 करोड़ रुपये व्यय किया गया था।

विवरण

सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरू भूमि विकास कार्यक्रम में शामिल क्षेत्र

राज्य	जिला	कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल खण्डों की संख्या
1	2	3
I. सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम		
1. आन्ध्र प्रदेश	1. अनंतपुर	16
	2. चित्तूर	8
	3. कुड्डापा	6
	4. महबूबनगर	12
	5. कुरनूल	13
	6. प्रकाशम	9
	7. रंगारेड्डी	2
	उप योग :	66
2. बिहार	1. पालामऊ	24
	2. संथाल परगना	7
	उप योग :	31
3. गुजरात	1. अहमदाबाद	2
	2. अमरेली	8
	3. भावनगर	3
	4. जामनगर	2
	5. कच्छ	7
	6. पंचमहल	7
	7. राजकोट	4
	8. सुरेन्द्रनगर	9
	उप योग :	42

1	2	3
4. हरियाणा	1. मोहिन्दरगढ	9
	उप योग :	9
5. जम्मू तथा कश्मीर	1. डोडा	8
	2. ऊधमपुर	5
	उप योग :	13
6. कर्नाटक	1. बीजापुर	11
	2. बेल्लारी	5
	3. बेलगांव	4
	4. चित्रदुर्ग	6
	5. धारवाड़	14
	6. कोलार	9
	7. तुमकुर	6
	8. गुलबर्गा	8
	9. बीदर	3
	10. रायचूर	4
	उप योग :	70
7. मध्य प्रदेश	1. खरगोन	7
	2. झबुआ	12
	3. शहडोल	5
	4. धार	8
	5. सिधी	8
	6. बेतूल	8
	उप योग :	48
8. महाराष्ट्र	1. अहमदनगर	8
	2. शोलापुर	9
	3. नासिक	8
	4. सांगली	5
	5. सतारा	4
	6. धुले	4
	7. औरंगाबाद	4
	8. जालना	1
	9. जलगांव	4
	10. बीड़	6
	उप योग :	53

1	2	3
9. उड़ीसा	1. फूलबनी	14
	2. कालाहांडी	11
	3. बोलनगीर	8
	4. सम्बलपुर	6
	उप योग	39
10. राजस्थान	1. अजमेर	2
	2. बांसवाड़ा	8
	3. डूंगरपुर	5
	4. उदयपुर	3
	उप योग :	18
11. तमिलनाडु	1. धर्मपुरी	10
	2. रामनाथपुरम	16
	3. पुडुकोट्टै	4
	उप योग :	30
12. उत्तर प्रदेश	1. मिर्जापुर	10
	2. बांदा	10
	3. जालौन	3
	4. हमीरपुर	5
	5. झांसी	3
	6. ललितपुर	2
	7. बहराइच	14
	8. गौंडा	5
	9. खेरी	8
	10. सीतापुर.	3
	उप योग :	63
13. पश्चिम बंगाल	1. पुरूलिया	17
	2. मिदनापुर	7
	3. बांकुड़ा	5
	उप योग :	29
	कुल योग :	511

1	2	3
II. मरूभूमि विकास कार्यक्रम		
गर्म शुष्क क्षेत्र		
1. गुजरात	1. बनासकंठा	6
	2. मेहसाना	2
2. हरियाणा	1. हिसार	10
	2. भिवानी	7
	3. रोहतक	5
	4. सिरसा	4
3. राजस्थान	1. गंगानगर	9
	2. बीकानेर	4
	3 चुरू	7
	4. झुनझुनु	8
	5. सीकर	8
	6. नागोड़	11
	7. जोधपुर	9
	8. जेसलमेर	3
	9. बाड़मेर	8
	10. जालोर	7
	11. पाली	10
शीत शुष्क क्षेत्र		
4. हिमाचल प्रदेश	1. लाहौल तथा स्पिती	1
	2. किन्नौर	1
5. जम्मू तथा कश्मीर	1. लेह	5
	2. कारगिल	1
	कुल योग :	126

चीनी का उत्पादन

*36. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों और वर्ष 1984-85 के गन्ने के चालू मौसम तक चीनी का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या सरकार का देश की चीनी की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से चीनी का आयात करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) पिछले चार चीनी मौसमों के दौरान और चालू मौसम में अब तक चीनी उत्पादन के आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

चीनी मौसम (अक्तू.—सित.)	चीनी उत्पादन (लाख मीटरी टन)
1980-81	51.48
1981-82	84.38
1982-83	82.32
1983-84	59.16
1984-85 (31-12-1984 तक)	15.98

(ख) 5 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने के अलावा जिसके लिए पिछले वर्ष ठेके किये गए थे, चीनी का और आयात करने के किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 1984-85 मौसम में चीनी के उत्पादन की शुरुआत आशानुकूल हुई है और 31 दिसम्बर तक 15.98 लाख मीटरी टन तक उत्पादन हुआ है, जबकि 1983-84 मौसम में इसी तारीख तक 13.78 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ था। चीनी का और निर्यात/आयात भावी उत्पादन प्रवृत्तियों, कुल उपलब्धता, आवश्यकता, देशी और अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में चीनी के मूल्यों आदि पर निर्भर करेगा और इस समय आयात/निर्यात की मात्रा के बारे में अनुमान लगाना समय-पूर्व होगा।

(ग) 1984-85 मौसम के दौरान गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से, गन्ने के बीजों और अन्य आदानों की बेहतर क्वालिटी, पौध संरक्षण, खेत पर निदर्शन, गन्ना विकास से संबंधित कामगारों को प्रशिक्षण, आदि के लिए विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ किये गए हैं। इसके अतिरिक्त, गन्ने और चीनी के भी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को लाभकारी गन्ने के मूल्य के भुगतान को सुनिश्चित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए धनराशि

30. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा राज्यों और संघ क्षेत्रों की ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है और संबंधित राज्यों द्वारा इन योजनाओं के लिए वर्ष 1984-85 के लिए कितनी धनराशि रखी गई है; और

(ख) सरकार ने तत्संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) इस मंत्रालय की मुख्य ग्रामीण विकास योजनाएं ये हैं :—

(1) समन्वित ग्रामीण विकास योजना, (2) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (3) मरुभूमि विकास कार्यक्रम, (4) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, तथा (5) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम । पहली चार योजनाओं पर व्यय को केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर-बराबर आधार पर वहन किया जाता है जबकि पांचवीं योजना पूर्णतया केन्द्रीय वित्तपोषित है। वर्ष 1984-85 में इन योजनाओं के लिये दी गई निधियों के केन्द्रीय तथा राज्य के हिस्सों को दर्शाने वाले विवरण सभा पटल पर रखे गए हैं। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 84/85]

(ख) आवधिक प्रगति रिपोर्टों, लेखापरीक्षा रिपोर्टों, क्षेत्रीय बैठकों तथा केन्द्रीय अधिकारियों के दौरों के जरिए इन कार्यक्रमों की नियमित निगरानी तथा समीक्षा की जा रही है तथा जो राज्य कार्यक्रम की प्रगति में पिछड़ रहे हैं। उनको कार्यक्रम के निष्पादन में तेजी लाने हेतु सचेत किया जाता है।

राज्यों को सिंचाई के लिए धनराशि का आवंटन

31. **प्रो॰ नारायण चन्द पराशर: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या इस तथ्य को देखते हुए कि सिंचाई, 20-सूत्री कार्यक्रम की प्रथम मद है, राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के आरम्भ करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी राज्य ने गत तीन वर्षों अर्थात् 1 अप्रैल, 1981 से 31 मार्च, 1984 तक किसी वर्ष में तथा चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 में सिंचाई के लिए आवंटित धनराशि के बारे में असंतोष व्यक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान छोटी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण आरम्भ किए जाने के लिए दी गई धनराशि के संबंध में असंतोष व्यक्त किया है; और

(घ) इस संबंध में राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी॰ शंकरानन्द) : (क) से (घ) सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि राज्यों ने सिंचाई के लिए उच्च प्राथमिकता दी है। केन्द्रीय सहायता ब्लॉक ऋणों तथा ब्लॉक अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष स्कीम अथवा विकास के सेक्टर से जुड़ी नहीं होती है। सिंचाई सेक्टर के लिए आवंटन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। अतः सिंचाई सेक्टर को निधियां आवंटन करने के संबंध में असन्तुष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, राज्यों को वित्तीय संसाधनों की कमी का अनुभव हो रहा है और इस प्रकार की कमियों के कारण, राज्यों को अर्थपूर्ण ढंग से सहायता प्रदान करना भारत सरकार के लिए सम्भव नहीं हो पाया है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में कार्य सहायक

32. **श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे कार्य सहायकों की संख्या कितनी है और उनको दैनिक मजूरी किस दर से दी जाती है ;

(ख) क्या उनमें से अधिकांश दो वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और उन्हें नियमित रिक्तियों पर खपाया नहीं गया है;

(ग) क्या कार्य सहायकों को समान कार्य के लिए अलग-अलग मजूरी जो कि 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये प्रतिदिन दी जाती है और यदि हां, तो इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं ; और

(घ) अलग-अलग मजूरी के कारण कार्य सहायकों में असन्तोष को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में कोई कार्य सहायक नहीं है। इसलिए उन्हें दैनिक मजदूरी के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सूची में ठेकेदारों की श्रेणियां

33. **श्री के०टी० कोसलराम:** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सूची में नामांकित विभिन्न श्रेणियों के ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है और रिहायशी आवास के निर्माण हेतु इस प्रकार के प्रत्येक ठेकेदार को कितने मूल्य का ठेका दिया जा रहा है ;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किये गए प्रमुख परियोजनाओं के लिए पात्र सिविल इंजीनियरिंग फर्मों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दो भिन्न विभागों में बांटने का एक निर्माण के लिए और दूसरा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भवनों आदि के रख-रखाव के लिए कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) ब्यौरे विवरण-I में दिये गए हैं (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 85/85)। इसके अलावा डाक व तार विभाग एम०ई०एस०, रेलवे तथा राज्य लोक निर्माण विभागों में सूचीबद्ध ठेकेदार दिल्ली से बाहर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यों के लिये निविदा देने के पात्र हैं। डाक व तार विभाग और एम०ई०एस० में सूचीबद्ध ठेकेदार दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यों के लिये निविदायें देने के पात्र हैं।

(ख) ब्यौरे विवरण-II में दिये गए हैं (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० ९5/85)।

(ग) जी, नहीं।

उड़ीसा और अन्य समुद्रतटीय राज्यों में मत्स्य पत्तन सुविधायें

34. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास छठी योजना अवधि के दौरान समुद्र तटीय राज्यों में बेहतर मत्स्य पत्तन सुविधायें प्रदान करने का कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा और अन्य समुद्रतटीय राज्यों में चालू योजना अवधि में दी गई मत्स्य पत्तन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य का नाम	स्थान का नाम	मंजूर की गई लागत (लाख रुपए)
1	2	3
उड़ीसा	1. अस्तरंग (समेकित परियोजना)	642.20
	2. सावेलिया	2.42
	3. चुडामनी	14.07
	4. पाथारा	2.50
गुजरात	1. बांसी कोर्सी	16.10
	2. कासाम्बा	13.31
	3. जाफ्फराबाद	13.92
	4. सालाया	16.80
	5. माण्डवी	16.16
	6. मधवाड	17.76
	7. सचाना	17.77
	8. सुरजबाड़ी	29.38
महाराष्ट्र	1. महिम कोजबे	24.64

1	2	3
कर्नाटक	1. टाड्री (समेकित परियोजना)	638.02
	2. मंगलौर	90.00
	3. नेजाली	26.13
केरल	1. नींदकारा	370.00
	2. मुनक्कादावू	10.25
	3. नीलेश्वरम	15.00
	4. चेरुवाथुर	18.43
	5. पालाकोडे	15.00
	6. चेट्टुवाइ	19.50
	7. धर्माडोम	20.95
	8. दक्षिणी पारावूर	24.94
	9. थोट्टापल्ली	25.27
	10. न्यू माहे	28.43
	11. वालिक्कुन्नु	17.90
	12. उत्तरी विजांझम	18.70
	13. दक्षिणी विजांझम	19.10
तमिलनाडु	1. चित्तामुट्टम	234.00
	2. वालोनोक्कम	77.00
	3. पाजायार	67.32
	4. टोण्डी	41.00
	5. कोटैय्यापट्टीनाम	22.00
	6. इरवादी	25.00
पश्चिम बंगाल	1. दिघा	139.34
	2. जाल्दा	9.50
	3. न्यू जाल्दा	4.80
	4. जूनपुट	9.80
	5. खरपाई	6.30
	6. कालीनगर	7.13
	7. मघेशपुर	5.31
	8. बामानगर	4.18
	9. अक्षोयनगर	3.08

केरल की विद्युत परियोजनाएं

35. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या सिंचाई और विद्युतमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की उन बृहत और मध्यम विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं ;

(ख) ये परियोजनायें कब से स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) केरल की चार बृहत् और मध्यम विद्युत परियोजनाएं जिनको स्वीकृति दी जानी है, के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

केरल की विद्युत परियोजनाएं जिनको स्वीकृति दी जानी है ।

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)	के. वि. प्रा. में परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1	पुयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना	750	अप्रैल, 1981	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पुयानकुट्टी परियोजना चरण–1 (2×120 मेगावाट) की परियोजना रिपोर्ट को 10-1-1984 को स्वीकृति दे दी है बशर्ते पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण विभाग द्वारा परियोजना को स्वीकृति दे दी जाए । पर्यावरण विभाग की स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा है । जिसके प्राप्त हो जाने पर स्कीम की सिफारिश राज्य योजना में शामिल करने हेतु योजना आयोग से की जाएगी ।
2	चालाकुडी चरण–दो	200	अक्तूबर, 1982	परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई है तथा जल विज्ञान आदि के संबंध में टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को 10–1–85 को भेजी गई थीं जिनके उत्तर की प्रतीक्षा है । स्कीम की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

1	2	3	4	5
3	मनन्थवाड़ी बहुद्देश्यीय स्कीम	240	मई, 1980	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई है और जल विज्ञान तथा सिविल डिजाइन संबंधी पहलुओं के बारे में टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। चूंकि परियोजना में मनन्थवाड़ी नदी के जल को जो कि काबीनी की एक सहायक नदी है (कावेरी बेसिन) के जल को सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए पश्चिम की ओर व्यपवर्तित किया जाना है अतः इस परियोजना के अन्तर्राज्यीय पहलुओं को हल करना होगा। इसके अतिरिक्त बहुउद्देश्यीय परियोजना होने के कारण स्कीम को पहले योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया जाना है। तदुपरान्त विद्युत के भानापार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।
4	पल्लीवासल रिप्लेसमेंट योजना	240	जून, 1983	परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है। विद्युत संबंधी पहलुओं, निर्माण, मशीनरी और सिविल डिजाइन संबंधी पहलुओं के बारे में टिप्पणियां राज्य प्राधिकारियो को भेज दी गई है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। स्कीम की तकनीकी आर्थिक व्यवहारिता सुनिश्चित हो जाने के बाद इस पर विचार किया जाएगा।

कमेंग पन-बिजली परियोजना

36. श्री पी० के० थुंगन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमेंग पन-बिजली परियोजना वर्ष 1967 में शुरू की गई थी;

(ख) क्या केवल जांच-कार्य पर ही 1 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च हो चुकी है ;

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस परियोजना को किस तारीख तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) इस परियोजना पर अन्वेषण कार्य दिसम्बर, 1968 में शुरू किए गए थे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कमेंग परियोजना की परियोजना रिपोर्ट 1983 में प्राप्त हुई थी जिसकी इस समय जांच की जा रही है ।

(घ) निवेश संबंधी निर्णय ले लिए जाने के बाद स्कीम के पूरा होने में 9 वर्ष लगने की संभावना है ।

[हिन्दी]

बिहार में सोन नहर के लिए आधुनिकीकरण योजना

37. श्री विजय कुमार यादव : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में सोन नहर के लिए एक आधुनिकीकरण योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का उस योजना पर कितना व्यय करने का प्रस्ताव है और उक्त योजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सोन नहर के आधुनिकीकरण की एक स्कीम बिहार सरकार के विचाराधीन है । आधुनिकीकरण प्रस्ताव के प्रथम सोपान में 30,000 हैक्टेयर के आधुनिकीकरण की एक मार्गदर्शी परियोजना, वर्तमान निर्माण कार्यों में आवश्यक मरम्मत तथा संचार मार्ग प्रणाली में कुछ सुधार कार्य किये जाने की परिकल्पना है । राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा अनुमान तैयार करने का कार्य कर रही है । चूंकि, सातवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्ययों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः इस परियोजना पर होने वाले व्यय की मात्रा तथा इसके पूरा होने की संभावित तारीख नहीं बताई जा सकती ।

[अनुवाद]

वनस्पति के मूल्य निर्धारित करना

38. श्री कमल नाथ : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वनस्पति के मूल्य कितनी बार बढ़ाए गए थे ;

(ख) वनस्पति का वर्तमान मूल्य कब निर्धारित किया गया था ; और

(ग) क्या फसल की स्थिति को देखते हुए वनस्पति के मूल्य में कमी करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वनस्पति के मूल्य दो बार बढ़ाये गये ।

(ख) वनस्पति के मौजूदा मूल्य 24 मई, 1984 को नियत किये गये थे ।

(ग) जी नहीं ।

लोधी कालोनी में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी क्वार्टरों की सेवाओं को बनाए रखा जाना

39. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोधी कालोनी के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा आवंटियों द्वारा अपने क्वार्टरों की मरम्मत/रख-रखाव के लिए उनके पास दर्ज कराई गयी शिकायतों/अनुरोधों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और उनकी उपेक्षा की जा रही है ;

(ख) क्या इस सरकारी कालोनी में रखरखाव सेवा पिछले दस वर्षों से काफी खराब हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेवा केन्द्र कार्यकरण में सुधार करने के लिए उसकी जांच की जाएगी और निवासियों की शिकायतों को दूर किया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) यह सही नहीं है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उनके पास दर्ज क्वार्टरों की मरम्मत/रखरखाव की शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की है । शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है और आवश्यक मरम्मत/रखरखाव किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

40. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में अब तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत शामिल किए गये ब्लाकों के नाम क्या हैं ?

(ख) उनमें से कितने ब्लाकों में काम पूरा हो गया है कितनों में पूरा होने वाला है ;

(ग) विद्युतीकरण से छुटे गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए वर्ष 1984–85 में कितनी नयी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं मंजूर की गयी हैं, उनके नाम क्या हैं;

85-M/B(D)183LSS—4

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने अब तक योजना-वार कितनी धनराशि रिलीज की है और उड़ीसा सरकार कितनी धनराशि उपयोग में लायी है; और

(ङ) आदिवासी क्षेत्रों की इन योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) सूचना उड़ीसा सरकार/उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्यों को विश्व बैंक से धनराशि

41. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई परियोजनाओं संबंधी विश्व बैंक सहायता राज्य सरकारों को विशिष्ट परियोजनाओं के लिए रिलीज की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो धनराशि रिलीज करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है तथा उक्त धनराशि खर्च करने के लिए राज्यों द्वारा क्या तरीके अपनाये गए हैं ;

(ग) क्या आदिवासी क्षेत्रों की सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि की कमी होने के कारण मध्यम दर्जे की अधिकांश सिंचाई परियोजनायें अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं, हालांकि विश्व बैंक ने उनके लिए धनराशि उपलब्ध की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख). क्रेडिट/ऋण सहायता विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार को उपलब्ध कराई जाती है, राज्यों को नहीं। यह ऋण सहायता उन परियोजनाओं के लिए जिनको, विश्व बैंक सहायता हेतु स्वीकार करता है, कतिपय विशिष्ट घटकों पर किए गए खर्च की आंशिक प्रतिपूर्ति के रूप में होती है। भारत सरकार संबंधित राज्यों को विश्व बैंक से प्राप्त प्रतिपूर्ति के 70 प्रतिशत तक अतिरिक्त केन्द्रीय योजनागत सहायता उपलब्ध कराती है। उपर्युक्त संभावित अतिरिक्त सहायता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को अपने योजनागत संसाधनों में से अपनी परियोजनाओं पर खर्च के लिए व्यवस्था करनी होती है।

(ग) और (घ). संसाधनों की कमी के कारण, कुछ राज्य अपनी कुछेक मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए जिसमें जनजातीय क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं, पर्याप्त रूप से निधियां उपलब्ध नहीं करा सकें। कतिपय मामलों में, लागत के अधिक बढ़ने, तथा/अथवा परियोजनाओं के क्षेत्र में परिवर्तन हो जाने के कारण, विश्व बैंक ऋण की पूर्ति प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बावजूद, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

हिमाचल प्रदेश में गोदाम का निर्माण

42. **प्रो० नारायणचन्द पराशर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के बारे में 12 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2349 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदामों के निर्माण में हुई नवीनतम प्रगति क्या है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में किसी अन्य स्थान पर इस प्रकार के गोदाम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भण्डारण आवश्यकता के मूल्यांकन के आधार पर, भारतीय खाद्य निगम ने बिलासपुर में गोदाम का निर्माण न करने का निर्णय किया है।

(ख) और (ग). भारतीय खाद्य निगम और सेण्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का हिमाचल प्रदेश में, शिमला, चम्बा, कांगड़ा, सोलन और मण्डी में गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण पेय जल प्रदाय योजनाएं

43. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण पेयजल प्रदाय योजनाओं के निष्पादन के लिए पर्याप्त निधि के आबंटन को सुनिश्चित किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल समस्याग्रस्त गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनके लिए 1 जनवरी 1985 तक कम से कम एक सुरक्षित पेयजल स्रोत की व्यवस्था की गयी है और प्रत्येक राज्य में कुल समस्याग्रस्त गांवों की तुलना में ऐसे कितने प्रतिशत गांव (जिनमें अब तक यह व्यवस्था की गयी है) हैं; और

(ग) सातवीं पंच वर्षीय योजना में शतप्रतिशत समस्याग्रस्त गांवों मे पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जलपूर्ति राज्य का विषय है और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुहैया करने के लिए राज्यों द्वारा योजनाएं बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं। इस प्रयोजनार्थ राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रावधान किया जाता है। केन्द्र, पता लगाये गये समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान देकर राज्यों के संसाधनों में वृद्धि करता है। 1983–84 में कार्य निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत भी केन्द्र द्वारा अनुदान दिये गये थे। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को उपलब्ध परिव्यय तथा त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1981–82 से 1983–84 तक केन्द्र द्वारा दिए गए अनुदान संलग्न विवरण–एक में दिखाए गए हैं।

(ख) यह सूचना संलग्न विवरण–दो में दी गई है।

(ग) वर्ष 1984–85 के दौरान 41,859 समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। छठी योजना के अन्त तक 1,93,757 समस्याग्रस्त ग्रामों (84%) को लाभान्वित किए जाने की सम्भावना है। इस प्रयोजन के लिए 1984–85 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता

कार्यक्रम के अन्तर्गत 365.87 करोड़ रुपये, त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 242.50 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शेष बचे उपर्युक्त 37,000 समस्याग्रस्त ग्रामों को सातवीं योजना अवधि के दौरान प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा।

विवरण—एक

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में परिव्यय (राज्य क्षेत्र)	त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए अनुदान (केन्द्रीय क्षेत्र) कार्य	एम. तथा आई.	प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दिए गए अनुदान (केन्द्रीय क्षेत्र)
1981–82	236.16	109.02	0.91	–
1982–83	260.74	150.79	0.66	–
1983–84	318.41	197.71	0.82	66.11
	815.31	457.52	2.39	66.11

विवरण—दो

समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जलपूर्ति

वास्तविक उपलब्धि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1-4-1980 की स्थिति के अनुसार बिना जलपूर्ति के समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या	दिसम्बर, 1984 के अन्त तक लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या	उपलब्धि की प्रतिशतता
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	8,206	7,558	92.10
2. असम	15,743	7,409	47.06
3. बिहार	15,194	12,867	84.68

1	2	3	4
4. गुजरात	5,318	3,904न	73.41
5. हरियाणा	3,440	1,796	52.21
6. हिमाचल प्रदेश	7,815	4,640	59.37
7. जम्मू तथा कश्मीर	4,698	1,719न	36.59
8. कर्नाटक	15,456	15,443न	99.92
9. केरल	1,158	1,074न	92.75
10. मध्य प्रदेश	24,944	22,893न	91.78
11. महाराष्ट्र	12,935	11,245न	86.93
12. मणिपुर	1,212	707नद्ध	58.33
13. मेघालय	2,927	628न	21.46
14. नागालैण्ड	649	374न	57.63
15. उड़ीसा	23,616	21,676न	91.79
16. पंजाब	1,767	460	26.03
17. राजस्थान	19,803	15,300न	77.26
18. सिक्किम	296	204न	68.92
19. तमिलनाडू	6,649	6,478न	97.43
20. त्रिपुरा	2,800	2,818न	82.79
21. उत्तर प्रदेश	28,505	24,020न	84.27
22. पश्चिम बंगाल	25,243	11,758न	छ46.58
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	173	145न	83.82
24. अरुणाचल प्रदेश	1,740	1,233	70.86
25. चण्डीगढ़	–	–	–
26. दिल्ली	99द्ध	89	100.00

द्ध तीन समस्याग्रस्त ग्रामों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को अन्तरित कर दिया गया तथा 7 समस्याग्रस्त ग्रामों को छोड़ दिया गया।

न इसमें आंशिक रूप से लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्राम शामिल हैं।

द्धद्ध नवम्बर, 1984 तक की उपलब्धि के आंकड़े हैं।

छ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थल स्रोतों तथा जिला परिषद् कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 और 1981-82 के दौरान का लाभा-न्वियन शामिल नहीं है।

1	2	3	4
27. दादरा तथा नागर हवेली	–	–	–
28. गोवा, दमन और दीव	66	58	87.88
29. लक्षद्वीप	–	–	–
30. मिज़ोरम	214	100न	46.73
31. पांडिचेरी	118	103	87.29
योग	2,30,784	1,76,199	76.35

हिमाचल प्रदेश के जिलों में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

44. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में गोदाम बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों/जिलों के नाम क्या हैं जहां भारतीय खाद्य निगम ने गोदामों का निर्माण कार्य आरम्भ करने की मंजूरी दी है; और

(ग) हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों म किस तारीख तक गोदाम बनाये जाने की संभावना है और यदि कोई विलम्ब है तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने शिमला, चम्बा और कांगड़ा में गोदाम बनाने की स्वीकृति दे दी है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भंडागार निगम ने भी शिमला, मंडी तथा सोलन में गोदामों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है।

(ग) हमीरपुर तथा ऊना जिलों में गोदामों के निर्माण के प्रस्ताव पर भारतीय खाद्य निगम विचार करेगा। कांगड़ा में गोदाम के निर्माण का कार्य उसके लिए जमीन उपलब्ध होते ही शुरू कर दिया जाएगा भण्डारण की आवश्यकता को देखते हुए निगम का बिलासपुर में गोदाम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

देश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम

45. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने हिमाचल प्रदेश में तथा अन्य पर्वतीय राज्यों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक गांवों में किस तारीख तक पूर्णतः विद्युतीकरण किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि, नहीं तो सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं तथा इनके लिए केन्द्र राज्य द्वारा विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कितना धन आबंटित किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) यद्यपि देश में गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण करने के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं तथापि साधनों का प्रावधान करने और कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सोपानबद्ध करने के बारे में निर्णय सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय किया जाएगा ।

सामूहिक आवास समितियों को आबंटित प्लाटों का विकास कार्य

46. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामूहिक आवास समितियों को आबंटित प्लाटों का विकास कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) कितनी समितियों ने मकान बनाने का कार्य पूरा कर लिया है या शुरु कर दिया है;

(ग) कितनी समितियों ने अभी तक कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की है और इसके क्या कारण है; और

(घ) उन्हें सहायता देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) 17-1-1985 की स्थिति के अनुसार 9 सहकारी ग्रुप आवास समितियो ने अपनी आवास निर्माण परियोजनाएं पूरी कर ली हैं तथा अन्य 90 समितियों ने निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आबंटित की गई 424 समितियों में से 174 समितियों ने अभी तक अपने भवन नक्शे प्रस्तुत नहीं किए हैं। कुछ प्लाटों में विकास कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और इसके अतिरिक्त संगठनात्मक तथा वित्तीय कठिनाइयां हो सकती हैं ।

(घ) भूमि के विकास/सहकारी आवास समितियों को आबंटित क्षेत्रों में सेवाओं के प्रावधानों की देख-रेख के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय का गठन किया गया है ।

दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति लिमिटेड तथा नगर विकास निगम लिमिटेड भी दीर्घावधि सहायता देकर इन समितियों की सहायता कर रही हैं ।

सरकारी कर्मचारियों के पुत्रों/पुत्रियों/पत्नियों को सरकारी आवास का आबंटन

47. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के पुत्रों/पुत्रियों/पत्नियों को उनके पिता/पति के सरकारी सेवा से निवृत्त होने के समय उसी आवास को, यदि वे उसे पाने के पात्र और हकदार हों, स्थायी आधार पर रखने की अनुमति दी जाती है ;

(ख) वर्ष 1984 में मंत्रालय-वार कितने मामलों में यह रिआयत दी गई ;

(ग) क्या सरकार का विचार समाज कल्याण की दृष्टि से और सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी की सेवाओं की सराहना के रूप में उनके आश्रितों को समुचित श्रेणी का आवास आबंटित करने का है जो कि उस श्रेणी के आवास से कम श्रेणी का नहीं हो जिसे वे पाने के हकदार हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां। बशर्ते कि पात्र आश्रित को तदर्थ आबंटन की निर्धारित शर्तें पूरी होती हों।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) : टाइप ए और टाइप बी के लिए पात्र आश्रितों के बारे में ऐसा पहले ही किया जा रहा है। अन्य टाइपों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। आमतौर पर, तदर्थ आबंटन पात्र टाइप से एक टाइप नीचे में किया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग का नाम	1984 में उस टाइप में नियमित किए गए आबंटन के मामलों की संख्या
1	2	3
1	वित्त मंत्रालय	17
2	गृह मंत्रालय	17
3	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	14
4	स्वास्थ्य मंत्रालय	5
5	निर्माण और आवास मंत्रालय	27
6	रक्षा मंत्रालय	30
7	रेल मंत्रालय	4
8	श्रम मंत्रालय	4
9	ऊर्जा मंत्रालय	2
10	विदेश मंत्रालय	10

1	2	3
11	उद्योग मंत्रालय	3
12	कृषि मंत्रालय	10
13	समाज कल्याण मंत्रालय	1
14	वाणिज्य मंत्रालय	3
15	शिक्षा मंत्रालय	7
16	विधि मंत्रालय	7
17	संचार मंत्रालय	4
18	ग्रामीण विकास तथा सिविल आपूर्ति मंत्रालय	8
19	विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी मंत्रालय	2
20	परिवहन तथा जहाजरानी मंत्रालय	5
21	दिल्ली प्रशासन	13
22	भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार	2
23	संघ लोक सेवा आयोग	3
24	पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय	5
25	योजना मंत्रालय	2
26	सिंचाई मंत्रालय	6
27	पुनर्वास मंत्रालय	2
28	इस्पात विभाग	1
29	राज्य सभा सचिवालय	1

उड़ीसा में मिट्टी की उच्च अम्लता

48. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में 5 लाख हेक्टेयर से भी अधिक अच्छी उत्पादकता वाली जमीन में मिट्टी की उच्च अम्लता के कारण बहुत कम उत्पादन होता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस जमीन को उच्च अम्लता से बचाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उड़ीसा में लगभग 5 लाख हैक्टेयर भूमि उच्च अम्लता से प्रभावित है ।

(ख) उड़ीसा में सघन क्षेत्र में अम्लीय मृदा के सुधार से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 1976–77 से 1978–79 तक चल रही थी। इन तीन वर्षों के दौरान 16.37 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों के अनुसार इस योजना को 1979–80 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा 1980–81 से 1983–84 तक सुधार कार्य के लिए विशेष राहत अनुदान के रूप में 75 लाख रुपए प्रदान किए गए थे।

इस विषय पर सातवीं योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

विदेशी मत्स्य नौकाओं द्वारा भारत के समुद्री तटवर्ती क्षेत्र में आधुनिक जालों का उपयोग

49. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय विदेशी मत्स्य नौकायें हमारे समुद्री तटवर्ती क्षेत्र में आधुनिक जालों का उपयोग कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विदेशी मत्स्य नौकाओं द्वारा आधुनिक जालों, जिनके कारण हमारे समुद्र तट पर सम्पूर्ण समुद्री जीव समाप्त हो रहे हैं, का उपयोग रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). किराये पर लिये गये कुछ विदेशी मत्स्य जलयानों द्वारा जालीदार छोटे जालों का उपयोग किये जाने का समाचार मिला था। जालीदार विशेष जालों का विनिर्धारण करने के लिये कदम उठाये गये हैं और अवक्रताओं को सलाह दी गई है कि वे जाल के अन्तिम छोर पर कम से कम 80 मिली मीटर जालीदार जालों का उपयोग करें। सरकार ने किराये पर लिये गये विदेशी मत्स्यन जलयानों द्वारा उपयोग किये गये गियर की किस्म का प्रबोधन करने के लिये नामित अधिकारियों की नियुक्ति भी की है।

खाद्य तेलों को शुद्ध करने वाले एकक

50. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तिलहन उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य तेलों की शुद्ध करने वाले एककों की स्थापित करने की संभावना की जानकारी है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार अपने तेल प्रौद्योगिकी विदों को इस संभावना का पता लगाने के लिए निदेश देने तथा परियोजना की आर्थिक संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए कोई योजना तैयार करने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) व (ख). सरकार पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में तेल परिष्करण एककों को बढ़ावा दे रही है। ऐसे एककों को सहकारीराज्य क्षेत्र में तथा साथ ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तत्वाधान में पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है/ लाइसेंस दिया जा चुका है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे व्यक्ति

51. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में इस समय चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर रेजीडेंट इंजीनियर और मैनेजर के पदों पर अन्य विभागों से व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ;

(ख) वे राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में प्रतिनियुक्ति पर कितने समय से कार्यरत हैं और उनके कब तक कार्यरत रहने की संभावना है ;

(ग) क्या उन्हें राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम मे नियमित किए जाने या खपाए जाने की संभावना है ;

(घ) उनको राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के प्रतिनियुक्ति पर काय करने वालों से भिन्न कर्मचारियों की तुलना में क्या अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं ;

(ङ) प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को वहां बनाए रखने के कारण राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में कितने कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और किसी विशेष ग्रेड में अनेक वर्षों तक पदोन्नति नहीं हुई है ; और

(च) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में प्रतिनियुक्ति पर काय करने वाले कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने तथा प्रत्येक ग्रेड में गतिरोध दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में उनका नियमितीकरण/समावेशन, उनकी इच्छा उपयुक्तता और मूल संगठन की सहमति आदि पर निर्भर होगा।

(घ) कोई नहीं। वे अपनी प्रतिनियुक्ति की शर्तों से प्रशासित हैं।

(ङ) पात्रता, वरिष्ठता तथा योग्यता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम अपने अधिकारियों की पदोन्नति के मामलों का नियमित रूप से पुनरीक्षण करता है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों की संख्या	समयावधि/प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं		
			दो वर्षों के भीतर	2–3 वर्ष	3–4 वर्ष
1	मुख्य इंजीनियर	3	2	–	1
2	(क) मुख्य परियोजना प्रबन्धक	1	–	1	–
	(ख) परियोजना प्रबन्धक	16	9	3	4
3	वरिष्ठ रेजीडेन्ट इंजीनियर	–	–	–	–
4	प्रबन्धक (वित्त)	1	–	1	–
	योग	21	11	5	5

टिप्पणी :–इन व्यक्तियों की राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में उनकी आरम्भिक/बढ़ाई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि के पूरे होने तक कार्य करते रहने की आशा है ।

करोलबाग क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को प्लाटों का आवंटन

52. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने करोलबाग क्षेत्र, नई दिल्ली के अनुसूचित जातियों के लोगों को रैगड़पुरा में प्लाट आवंटित करने का फैसला किया था; और

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण आवंटन को रोके हुए है और आवंटियों को वैकल्पिक स्थान देने की पेशकश कर रहा है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) तथा (ख). रैगड़पुरा, करौल बाग क्षेत्र, नई दिल्ली के अनसूचित जातियों के कुछ पुराने अनधिकृत दखलकारों को प्लाट आवंटित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

53. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984 के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक का महीने-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वृद्धि पर काबू पाने और इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) पिछले कुछ महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आमतौर पर नियंत्रित रहे हैं ।

(ख) वर्ष 1984 के दौरान चुनी वस्तुओं के मासवार थोक मूल्य सूचकांक अनुबंध में दिए गए हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 86/85)

(ग) सरकार की नीति में प्रमुख बल आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से जिनकी आपूर्ति कम है, का उत्पादन बढ़ाने पर दिया गया है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है तथा उसमें सुधार लाया जा रहा है । कुछ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की अनुपूर्ति आयात करके की जाती है । आवश्यक वस्तुओं का निर्यात विनियमित किया जाता है । राज्य सरकारें, जमाखोरों और चोरबाजारियों तथा व्यापार में लगे अन्य असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के कानूनों के उपबन्धों को लागू कर रही है ।

दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि

54. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों के भारी आयात स्तर और दालों की कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार भविष्य में तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या नीति अपनायी जाएगी ; और

(ग) क्या तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी भरसक प्रयास करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परियोजनाओं में अनुसंधान और विकास कार्य को पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार का भविष्य में निम्नलिखित नीतियां अपनाने का विचार है :—

तिलहन

(1) सिंचित तिलहन फसलों के तहत क्षेत्र बढ़ाना, दोहरी फसल/क्रमिक फसल/अंतरा फसल तथा कम आर्थिक लागत की फसलों का पुनरस्थापन के माध्यम से क्षेत्र का विस्तार करना ;

(2) उत्तम बीजों का उपयोग वनस्पति रक्षण उपायों सहित पैकेज की उन्नत पद्धतियां अपना करके पैदावार के स्तरों में वृद्धि करना ;

(3) केरल तथा अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह में रेड आयल पाम की खेती का विकास करना ;

(4) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड परियोजना के माध्यम से खाद्य तेल तथा तिलहन उत्पादन तथा विपणन की पुनः संरचना करना ; और

(5) तिलहन उत्पादन परिसंस्करण और विपणन के समेकित विकास के लिए तथा वनस्पति तेल उद्योग के विकास के लिए एक राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड स्थापित किया गया है ।

दलहन

(1) सिंचित क्षेत्र में दलहनों का विस्तार ;

(2) रबी मौसम में अवशिष्ट नमी का उपयोग करके चावल की परती भूमि में धान की अल्पकालीन किस्मों के तहत अतिरिक्त क्षेत्र लाना ;

(3) अंतवर्ती फसल के रूप में ग्रीष्म में सिंचाई से मूंग तथा उड़द की अल्पकालीन किस्मों की खेती करना ;

(4) सिंचित तथा असिंचित दोनों परिस्थितियों के तहत सोयाबीन, बाजरा, कपास गन्ना तथा मूंगफली में अरहर की अंतरा-फसल ;

(5) उन्नत बीजों का प्रयोग, वनस्पति संरक्षण उपायों तथा समर्थन मूल्य सहित पैकेज को उन्नत पद्धतियों से पैदावार के स्तरों को बढ़ाना ; और

(6) खेसरी दाल के स्थान पर चना, मटर तथा अन्य दलहन उगाना ।

(ग) जी हां । इन वर्गों की फसल की बदलती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए दलहनों तथा तिलहनों पर अनुसंधान तथा विकासात्मक कार्य का समय-समय पर नवीकरण किया गया है । सातवीं योजना के दौरान, उत्पादकता बढ़ाने, जल्दी पकने वाली तथा रोगरोधी किस्मों का विकास करने और क्षेत्र विशेष प्रौद्योगिकी विकसित करने पर मुख्य तौर पर दबाव डाला जाएगा ।

बिहार में सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए खेती संबंधी नीति

55. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने बिहार के पालमऊ जिले जैसे सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए खेती सम्बन्धी किसी विशिष्ट नीति की सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी नीति कब तय की जाएगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) पलामू जिले के लिए किसी विशिष्ट नीति की सलाह नहीं दी गई है लेकिन अखिल भारतीय समन्वित बारानी कृषि अनुसंधान प्रायोजना हैदराबाद के अन्तर्गत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, कांके में एक बारानी

कृषि अनुसंधान केन्द्र 1971 से काम कर रहा है। इस केन्द्र ने फसल को उपयोग में लाने, फसल सुधार, जुताई, बीज की बुआई और उर्वरक प्रयोग के लिए उन्नत कृषि यंत्र, पौध संरक्षण रसायन, मृदा और नमी संरक्षण उपाय एवं अनिश्चित मौसम के लिए नियोजन के संबंध में अनुसंधान संबंधी सूचना प्रदान की है। ये उपलब्धियां पलामू जिले के लिए भी समान रूप से उपयोगी हैं।

डाल्टोंगिंग में कृषि तकनीकों पर बारानी कृषि करने वाले किसानों के लिए अनुकूलन प्रशिक्षण की व्यवस्था करके भी इस दिशा में शुरुआत की गई है। 1984 में डाल्टोंगिंग से 10 किलो मीटर दूर गुरुसुतिनाला में 2258 हैक्टेयर क्षेत्र का चयन जल संभर (वाटर शेड) के लिए किया गया है। जहां मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों और बारानी कृषि तकनीकों की अनेक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

नारियल उत्पादकों को सहायता

56. **श्री बी० एस० विजयराघवन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल की खेती का क्षेत्र बढ़ाने और अधिकतम उत्पादन करने के लिए उत्पादकों को सहायता देने की नारियल बोर्ड की कोई नई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) नारियल विकास बोर्ड उत्पादन में अधिक वृद्धि करने के लिए नारियल की खेती के क्षेत्र में विस्तार करने तथा उत्पादकों को सहायता प्रदान करने हेतु सात योजनायें कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं इस प्रकार हैं (1) 12 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों में नारियल वाले क्षेत्र में विस्तार सम्बन्धी परियोजना (2) उड़ीसा में नहर के किनारे नारियल के पेड़ लगाना (3) त्रिपुरा में खास भूमि पर नारियल के पेड़ लगाना (4) नारियल विकास बोर्ड के मुख्यालय तथा कर्नाटक में अच्छी किस्म को नारियल पौधों का उत्पादन (5) तमिलनाडू और 12 मार्गदर्शी संकर परीक्षण केन्द्रों में संकर बीज बगीचे की स्थापना (6) केरल में जड़ मुरझान रोग से प्रभावित नारियल पाम को हटाने के लिए नारियल उत्पादकों की सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। (7) छः राज्यों में नारियल उत्पादकों को सिंचाई सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करना। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1478.784 लाख रुपये हैं। इसके अतिरिक्त नारियल विकास बोर्ड ने 529.86 लाख रुपये के अनुमानित परिव्यय से सातवीं योजना के दौरान कार्यान्वित करने के लिए दो नयी योजनाओं का प्रस्ताव किया है। ये योजनाएं इस प्रकार है—(1) दस राज्यों में नारियल के लिए प्रदर्शन तथा बीज उत्पादन फार्मों की स्थापना; और (2) क्षेत्र प्रचार एकक की स्थापना। इन परियोजनाओं की जांच की जा रही है।

केरल में सिंचाई परियोजनाओं का पूरा होना

57. **श्री बी० एस० विजयराघवन : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पूरा होने के लिए लम्बित बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर कुल कितनी सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी ; और

(ग) उक्त परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

क्रमांक	परियोजना का नाम	चरम क्षमता हजार हैक्टेयर में	राज्यों द्वारा सूचित की गई पूरी होने की संभावित तारीख
क.	**बृहद परियोजनाएं**		
1	कल्लाडा	92.00	1989–90
2	पेरियार घाटी	79.46	1985–86
3	पम्बा	49.46	1985–86
4	कुटिटयाडी	35.85	1985–86
5	चित्तूरपुझा	32.60	1985–86
6	कन्हीरपुझा	21.90	1986–87
7	पझासी	32.37	1985–86
8	मुवत्तपुझा	52.20	1989–90
9	चिमोनी	26.20	1988–89
	योग क	422.04	
ख.	**मध्यम परियोजनाएं**		
1	कारापुझा	9.30	1988–89
2	अट्टापेडी	8.05	1989–90
	योग ख	17.35	
	योग (क+ख)	439.39	

[हिन्दी]

ग्रामीण गरीब जनता के लिये दूध और घी की उपलब्धता

58. श्री नवीन रावणी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की आजादी के समय गांवों में प्रत्येक घर में दूध, छाछ, देसी घी आदि आसानी से उपलब्ध होते थे परन्तु इस समय विशेषकर ग्रामीण गरीब जनता के लिए ये चीजें मुश्किल से मिल रहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उन्हें विशेषकर ग्रामीण क्षत्रों म गरीब और मध्य वर्ग की जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करान क लिए सरकार का विचार क्या कदम उठान का है; और

(ग) यदि हां, तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिय बनाय गये चरणबद्ध कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) स (ग) डेरी विकास राज्य का विषय है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों के विकास तथा दूध का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं। विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित और राज्य की प्लान योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप देश में दूध का उत्पादन 1950-51 में 170 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1983-84 में 363 लाख मीटरी टन हो गया। 1950–51 में प्रति व्यक्ति 133 ग्राम दूध उपलब्ध था, जो 1983–84 में बढ़कर 137 ग्राम हो गया। राज्य क्षत्र में आरम्भ की गई कुछ योजनाएं जिनका दूध के उत्पादन से सीधा संबंध है ये हैं: —मुख्य ग्राम योजनाएं तथा गहन पशु विकास परियोजनाएं। इसके अलावा, आप्रेशन फ्लड-2 परियोजना क अतिरिक्त भारत सरकार ने भी कई योजनाएं प्रायोजित की हैं, जैसे:—केन्द्रीय पशु प्रजनन फाम, पशु-यूथ पंजीकरण, गोशाला विकास, विदेशी डेरी नस्लों के साथ पशुओं का संकर प्रजनन तथा हिमित वीर्य की तकनीक को अपनाकर भैंसों का सुधार, संतति परीक्षण कार्यक्रम और केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन-व-प्रशिक्षण संस्थान।

दूध के वर्धित उत्पादन से जहां आमतौर पर दूध और दूध के उत्पाद अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे, वहीं आप्रेशन फ्लड परियोजना के तहत गठित की जा रही दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां उत्पादकों को, जोकि अधिकांशतः छोटे और सीमान्त किसान तथा भूमिहीन श्रमिक हैं, उनकी आय तथा खपत बढ़ाने के लिए लाभकारी मूल्य देने पर जोर देती हैं।

[अनुवाद]

"हुडको" द्वारा गुजरात को योजनाओं का आबंटन

59. श्री नवीन रावणी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास और शहरी विकास निगम द्वारा गुजरात को कितनी योजनाओं का आबंटन किया गया है ;

85-L/B(D)183LSS—5

(ख) ये योजनाएं कौन-कौन से स्थानों के लिए ह और इनके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) उक्त योजनाओं को सम्भवतः कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) तथा (ख) 31 दिसम्बर, 1984 की स्थिति के अनुसार, आवास तथा नगर विकास निगम ने गुजरात राज्य में 273.38 करोड़ रुपये की परियोजना लागत की और 164.17 करोड़ रुपये की ऋण वचनबद्धता की 388 योजनाओं की मंजूरी दी है। इन योजनाओं में 18 जनपदों के 60 शहरों एवं कस्बों को शामिल किया गया है, जिनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उनकी समय सूची के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वियन करना संबंधित ऋण प्राप्त कर्ता अभिकरणों की जिम्मदारी है। आवास तथा नगर विकास निगम कार्यान्वियन की प्रगति का नियमित रूप से प्रबोधन करता है।

विवरण

(i) गुजरात में हुडको द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत आने वाल शहरों/कस्बों की सूची

क्र. सं. नाम	क्र. सं. नाम	क्र. सं. नाम
1. राजकोट	21 बनासकंठा	41 उमरेठ
2 नाड़ियाड	22 गांधी नगर	42 मेहशाणा
3 बड़ौदा	23 पाण्डेसरा	43 पान्धरो
4 सूरत	24 नागलपुर	44 पोरबन्दर
5 अहमदाबाद	25 मौरवी	45 वीरांगम
6 भावनगर	26 खम्बात	46 जलोध
7 जाम नगर	27 जनागढ़	47 बावड़ी
8 सुरेन्द्र नगर	28 राज पिपला	48 धांगध
9 नन्दी सराय	29 उना	49 धांगधरा
10 वापी	30 चिखा	50 कड़ी
11 नवसारी	31 ओधर	51 दूधराज
12 अंकलेश्वर	32 बड़ौच	52 बरसाद
13 कलोल	33 अम्बेर गांव	53 कलराड़
14 पालमपुर	34 बल्लभ विद्या नगर	54 मोदासा
15 नरौदा	35 वलसाद	55 सिंगाच
16 भुज	36 मेरारल	56 कैर
17 अमरेली	37 हलवाद	57 बिल्ली मौरा
18 गांधी धाम	38 हिम्मतनगर	58 भवाज
19 कपड़वांज	39 किडाना	59 बाया
20 विट्ठल उद्योग नगर	40 हलोत	60 गोण्डल

(ii) ग्रामीण आवास योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले जिले

क्र.सं.	नाम	क्र.सं.	नाम	क्र.सं.	नाम
1	खेड़ा	7	भाव नगर	13	नादियाड़
2	बड़ौदरा	8	मैंहसाणा	14	जूनागढ़
3	पंच महल	9	साबरकंठा	15	भड़ौच
4	अहमदाबाद	10	सूरत	16	कुटन
5	सुरेन्द्र नगर	11	अमरेली	17	वलसाद
6	बनासकंठा	12	राजकोट	;8	गांधी नगर

विद्युत संकट

60. **डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा में विद्युत संकट है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भाखड़ा जलाशय में पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ;

(घ) क्या देश के कुछ अन्य राज्यों में भी विद्युत संकट है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या अल्पावधि और दीर्घावधि कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) पंजाब और हरियाणा दोनों भिन्न-भिन्न मात्रा में विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं ।

(ख) हरियाणा और पंजाब में वर्तमान विद्युत की कमी के मुख्य कारण ये हैं :—भाखड़ा ब्यास प्रणाली के जल विद्युत जलाशयों में जल स्तर नीचा होना, कृषि क्षेत्र से विद्युत की मांग में वृद्धि होना, हरियाणा में ताप विद्युत केन्द्रों का कार्य निष्पादन असंतोषजनक होना और केन्द्रीय परियोजनाओं में इन राज्यों के हिस्सों की व्यवस्था करने में कठिनाइयां होना ।

(ग) भाखड़ा जलाशय में अन्तर्वाह बर्फ के पिघलने पर निर्भर करता है और मई, 1985 से इसमें वृद्धि होने की आशा है ।

(घ) दक्षिणी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश और केरल जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य कुल मिलाकर भिन्न-भिन्न मात्रा में विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं ।

(ङ) विद्युत की कमी की समस्या को न्यूनतम करने के लिए नई विद्युत उत्पादन क्षमता को चालू करने के कार्यक्रम में तेजी लाने, वर्तमान संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने, कोयले की सप्लाई में सुधार करने तथा विद्युत केन्द्रों के इंजीनियरों और प्रचालन कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं । दीर्घकालिक उपायों में आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक नई परियोजनाएं शुरू करना शामिल है ।

ऊर्जा बोर्ड

61. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा के अत्यावश्यक क्षेत्र में क्रियाकलापों का समन्वय करने के लिए ऊर्जा बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा बोर्ड की शक्तियां क्या होंगीं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या 64/1/1/83-केब दिनांक 21 मार्च, 1983 के अन्तर्गत "ऊर्जा सलाहकार बोर्ड" की स्थापना की थी। इस सलाहकारी निकाय के मुख्य कार्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ऊर्जा सलहकार बोर्ड के कार्य इस प्रकार हैं :—

(1) विश्वव्यापी संदर्भ में देश में ऊर्जा की स्थिति की लगातार मानीटरिंग करना तथा समेकित और समन्वित आधार पर भावी उर्जा विकल्पों का प्रस्ताव करना ;

(2) समेकित ऊर्जा नीति तैयार करना जिसमें ऊर्जा के वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक स्त्रोत शामिल हैं तथा सभी क्षेत्रों में सप्लाई और मांग की प्रबंध व्यवस्था के लिए प्रचालनात्मक व्यवस्था तैयार करना और ऊर्जा के उपयोग की गहनता को ध्यान में रखते हुए उद्योग एवं परिवहन आदि में प्रौद्योगिकी विकल्पों को मद्दे नजर रखते हुए इनके क्रियान्वयन की मानीटरिंग करना :

(3) ऊर्जा की विभिन्न किस्मों की संभावित और उपलब्धता का समय समय पर मल्यांकन करना तथा अपने साधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इष्टतम आधार पर देश की ऊर्जा सबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित व्यवस्था का सुझाव देना ;

(4) उर्जा की सभी किस्मों की परस्पर उपलब्धता, संगत लागतों और ऊर्जा के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा की सभी किस्मों के मूल्य निर्धारण करने में नीति प्रस्तावित करना।

धान की अलाभकारी बिक्री

62. श्री मोहन लाल पटेल
डा. कृपा सिन्धु भोई } : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान वसूली की दर 103 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या वसूली एजेन्सी भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद न किए जाने के कारण धान को 85 रुपये प्रति क्विंटल की अलाभकारी दर पर बेचा जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों से कृषि मूल्य आयोग में कृषि समुदाय के कम से कम तीन प्रतिनिधि शामिल करने की वांछनीयता पर विचार किया है;

(घ) क्या उड़ीसा में हीराकुंड आयकट के सिंचित क्षेत्र में पैदा हुए धान को किसानों द्वारा 85 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से धान खरीद कर किसानों को इस स्थिति से बचाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। 1984-85 के विपणन मौसम के लिए धान की वसूली के समर्थन मूल्य निम्नलिखित रूप में निर्धारित किये गए हैं :—

किस्म	(रुपए प्रति हैक्टार)
सामान्य	137.00
बढ़िया	141.00
उत्तम	145.00

(ख) सरकार ने धान की खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है और इसी प्रकार अलाभकारी बिक्री की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) सरकार इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(घ) तथा (ङ). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 85 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान बेचने की किसानों से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भारतीय खाद्य निगम तथा उड़ीसा राज्य सहकारी विपणन संघ को उड़ीसा में वसूली से संबंधित कार्य सौंपा गया है।

कमान क्षेत्र में सिंचाई परियोजना

63. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कमान क्षेत्रों की सिंचाई परियोजना के सेटेलाइट फोटोग्राफ देखे हैं जिनमें खारेपन के स्तर में बढ़ोत्तरी परिलक्षित होती है;

(ख) यदि हां, तो खारेपन के बढ़ते हुए स्तर के कारण खेती योग्य भूमि को होने वाले नुकसान को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या अधिक मात्रा में सिंचाई और पानी की कमी के कारण होने वाले कुछ अन्य ज्ञात दुष्प्रभाव भी हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) प्रायोगिक क्षेत्रों (पाइलट एरियाज) में जल-जमाव वाले तथा खारेपन वाले क्षेत्रों को उपग्रह चित्रों के प्रयोग द्वारा निरूपण

करने के उद्देश्य से कुछ परीक्षण किए गए हैं। सिंचित कमानों में जल तालिका के बढ़ जाने, जिससे जल-जमाव तथा खारेपन में वृद्धि होती है, से उत्पन्न समस्या से भारत सरकार अवगत है तथा राज्य सरकारों से उपचारात्मक/सुधारात्मक उपाय करने पर जोर देती रही है। इन उपायों में ये शामिल हैं—परियोजना के आयोजना-स्तर पर पर्याप्त जल-निकासी की व्यवस्था, जल-तालिका में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भू-जल तथा भूमिगत जल का संयुक्त उपयोग, अधिक रिसन वाली पहुंचों में नहरों को पक्का करने सहित वर्तमान सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण, जल के समान वितरण एवं जल बेकार होने को कम करने आदि को सुनिश्चित करने के लिए वाराबंदी सहित बेहतर सिंचाई जल प्रबन्ध तरीकों को आरम्भ करना और एक खेत से दूसरे खेत में जल डालने की प्रणाली से सिंचाई करके जल बेकार होने से बचाने के लिए खेत-नालियों का निर्माण।

उपर्युक्त जल-निकास व्यवस्था के बिना अत्यधिक भू-जल का प्रयोग तथा अपर्याप्त भूमिगत जल विकास के कारण जल-जमाव तथा मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता उत्पन्न होते हैं जिससे भूमि की उत्पादकता पर असर पड़ता है। जल संचयन के कारण जल-ग्राहक बीमारियां भी फैल सकती हैं।

राज्यों में पन बिजली/ताप परियोजनाओं को कार्यान्वित न करना

64. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित बहुत सी पनबिजली/ताप परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उनको कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख). किसी राज्य में विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन का मुख्य दायित्व संबंधित राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड का है।

इस समय कुल 38,000 मेगावाट से अधिक क्षमता की विद्युत परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। कभी कभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति को प्रभावित करने वाले पहलू ये हैं : निधियां पर्याप्त न होना, उपस्कर की गैर-सिलसिलेवार तथा/अथवा विलम्ब से सप्लाई, भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयां, महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री की कमी और भू-वैज्ञानिक, इंजीनियरी एवं श्रम संबंधी समस्याएं।

(ग) विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्र करने में राज्य/परियोजना प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए अनेक उपाय किये गए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं की नियमित रूप से मानीटरिंग करना, उपस्कर और सामग्री को शीघ्र सप्लाई के लिए प्रयास करना, समस्याओं को हल करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के इंजीनियरों द्वारा परियोजना स्थलों का दौरा करना तथा परियोजना के क्रियान्वयन को समन्वित करने के लिए सम्बन्धित एजेन्सियों की समीक्षा बैठकें आयोजित करना। बेहतर परियोजना प्रबंध के लिए राज्य बिजली बोर्डों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किए गए हैं।

भूमि सुधारों की क्रियान्विति

65. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1985 के अन्त तक भूमि सुधार संबंधी कार्य को पूरा करने का है;

(ख) यदि हां, तो 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, और 1984-85 के अन्त तक राज्यवार, कितने एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया और कितनी जमीन वितरित की गयी;

(ग) धीमी क्रियान्विति के क्या कारण हैं; और

(घ) इसको तेजी से क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय अपनाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क), (ख), (ग) और (घ) भूमि सुधार और भूमि-सीमा संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रगति में और अधिक तेजी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मार्गदर्शी नियमों के अनुसार लागू किए गए भूमि-सीमा के संशोधित कानूनों के अन्तर्गत फालतू भूमिधारियों ने 14,40,172 विवरणियां दाखिल की थीं। इनमें से 14,16,531 विवरणियां निपटा दी गई हैं और केवल 23,641 विवरणियों पर निर्णय लिया जाना बाकी है। 42.81 लाख एकड़ के क्षेत्र को फालतू घोषित किया गया है। दिसम्बर, 1984 तक इसमें से 30.01 लाख एकड़ क्षेत्र का कब्जा ले लिया गया है और 21.22 लाख एकड़ भूमि 15.91 लाख लाभार्थियों को बांट दी गई है। राज्य-वार स्थिति का विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 87/85]। शेष क्षेत्र में से कुछ भाग खेती के लायक नहीं है और कुछ भाग सार्वजनिक कार्यों के लिए रखा गया है जिसमें सामाजिक-वानिकी शामिल है, जबकि कुछ क्षेत्र मुकद्दमेबाजी में फंसा हुआ है। जिस क्षेत्र का कब्जा ले लिया गया है और जो कि वास्तव में ही वितरण के लिए उपलब्ध है, उसको बांटने के प्रयास किए जा रहे हैं। चालू वर्ष में, 2 लाख एकड़ के वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जबकि उपलब्ध सूचना के अनुसार नवम्बर, 1984 तक 82,492 एकड़ वितरित कर दी गई है। यह संभव नहीं हो सका है कि समस्त फालतू घोषित क्षेत्र का कब्जा लिया जा सके, जिसका मुख्य कारण मुकद्दमेबाजी है। राज्यों को सलाह दी गई है कि प्रशासन तंत्र को मजबूत बनाया जाए ताकि निगरानी की व्यवस्था को सुधारा जा सके और मुकद्दमों को निपटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। भूमि-सीमा संबंधी अधिकांश कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करके संरक्षण प्रदान कर दिया गया है।

आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में मत्स्यपालन का विकास

66. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या कृषि तथा ग्राम्मीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में मत्स्यपालन विकास के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप में लाभान्वित करने हेतु देश में कार्यान्वित की जा रही मत्स्यपालन विकास संबंधी कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं दी गई हैं :—

योजना का नाम	उद्देश्य तथा संक्षिप्त कार्यात्मक ब्यौरे
1	2
1. मछुआ विकास एजेंसी कार्यक्रम (केन्द्र द्वारा प्रायोजित)	(1) यह कार्यक्रम दो विभिन्न योजनाओं अर्थात जलकृषि तथा अन्तर्देशीय मत्स्यपालन परियोजना के माध्यम से आई. डी. ए. की सहायता से चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मछुवारों को निम्नलिखित सहायता मुहैय्या करके ग्रामीण जलाशयों तथा तालाबों का विकास करने की व्यवस्था की गई है :— (क) तालाबों तथा जलाशयों के सुधार पर राजसहायता; (ख) प्रथम वर्ष के मछलीपालन कार्य हेतु आदानों के लिए राजसहायता; (ग) गहन जलकृषि पर मछुवारों को प्रशिक्षण देना; और (घ) तालाबों तथा जलाशयों का सुधार करने और आदानों दोनों के लिए मछुआरों की अतिरिक्त मांग संबंधी ऋण की व्यवस्था करने के अतिरिक्त निरन्तर विस्तार संबंधी सहायता के माध्यम से प्रौद्योगिकी की जानकारी देना। (2) देश में इस समय इस प्रकार की मंजूर की गई मछुआ विकास एजेंसियों की संख्या 147 है, इनमें से 13 आदिवासी जिलों में हैं। 4 के अलावा इनमे से अधिकांश मछुआ विकास एजेंसियां जिले पर आधारित हैं, जो क्षेत्रीय मछुवा विकास एजेंसियों के रूप में कार्य कर रही हैं। मेघालय तथा सिक्किम को छोड़ कर सभी प्रमुख राज्य इस कार्यक्रम के तहत लाए गए हैं। आदिवासी मछुवा विकास एजंसियों में आदिवासी मछुवारों

1	2
	के लिए राजसहायता, अन्य श्रेणी के मछुवारों को उपलब्ध रकम से दुगनी है। अनुदेश जारी किए गए हैं कि गैर-आदिवासी मछुवा विकास एजेंसियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के किसानों में से कम से कम 25 प्रतिशत को और जनजाति मछुवा विकास एजेंसियों के 50 प्रतिशत लाभानुभोगियों को लाया जाए।
2. सक्रिय मछुवारों के लिए ग्रुप दुर्घटना बीमा (केन्द्रीय प्रायोजित)	(1) समुद्री तथा अन्तर्देशीय दोनों परम्परागत तथा छोटे यांत्रिकृत क्षेत्रों में सक्रिय रूप से लगे सभी मछुवारों को दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान करना।
	(2) मछुवारों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना पोलिसी संबंधी प्रीमीयम पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष 50 प्रतिशत तक राजसहायता दी जाती है और शेष 50 प्रतिशत राज्यों द्वारा वहन की जा रही है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केन्द्रीय राज सहायता शतप्रतिशत है। मृत्यु और स्थायी अपंगता होने पर एक वर्ष के लिए 15,000 रुपये का संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रति लाभानुभोगी को 12 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देय होता है।
	ऐसे मछुवारे, जो मछुवा समितियों के सदस्य हैं और जो सदस्य होंगे, इस योजना द्वारा कवर किए जाते हैं। जहां इस प्रकार को सहकारी समितियां कार्य नहीं कर रही हैं वहां यह योजना, राज्य द्वारा यथाविधि मान्यता प्राप्त मछुवा कल्याण संगठन के माध्यम से चलायी जाती हैं।
3. मछुवारों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि (केन्द्र द्वारा प्रायोजित)	(1) मछुवारों को पेय-जल, गृह संबंधी सफाई का प्रबंध, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी मूल नागरिक सुविधायें प्रदान करना।
	(2) मछुवारों के बच्चों को शिक्षा/व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान करना।
	(3) आवास संबंधी सुविधाओं के लिए अनुदान देना।
	(4) मौसम संबंधी राहत की व्यवस्था करना।
	(5) साठ वर्ष की उम्र के बाद सक्रिय मछुवारों के जीवन निर्वाह के लिए बुढ़ापे में पेंशन देने की व्यवस्था करना।

1	2
	(6) यह योजना लाभ न लेने वाली समिति द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जो समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत की गयी है। कृषि मंत्री समिति के अध्यक्ष हैं और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से मात्स्यकी के प्रभारी मंत्री इसके सदस्य हैं।

विद्युत की कमी के बारे में राज्य सरकारों के साथ वार्ता

67. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों में दो महीने से विद्युत की कमी के कारण पैदा हुई गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने देश में विद्युत की कमी पर काबू पाने के लिए राज्य सरकारों से बातचीत शुरू की है;

(ख) यदि हां, तों राज्य सरकारों के साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार का विचार देश में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए क्या नए उपाय करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) बातचीत सफल रही है तथा संबंधित मुख्य मंत्रियों ने प्रभावी उपाय करने का आश्वासन दिया है।

(ग) विद्युत की कमी की समस्या को न्यूनतम करने के लिए नई विद्युत उत्पादन क्षमता को चालू करने के कार्यक्रम में तेजी लाने, वर्तमान संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने, कोयले की सप्लाई में सुधार करने तथा विद्युत केन्द्रों के इंजीनियरों और प्रचालन कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दीर्घकालिक उपायों में आगामी पंचवर्षीय योजना में और अधिक नई परियोजनाएं शुरू करना शामिल है।

गेहूं के वसूली मूल्य में वृद्धि

68. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी रबी मौसम में गेहूं के वसूली मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है;

(ग) क्या अक्तूबर, 1984 में किसानों को समय पर सप्लाई सुलभ कराने हेतु सभी आदान वितरण एजेंसियों को सक्रिय बनाने के लिए राष्ट्र-व्यापी अभियान चलाया गया था;

(घ) क्या बीज, उर्वरक आदि सहित सभी आदानों के शीघ्र वितरण के लिए प्रबन्ध किए गए थे; और

(ङ) क्या सरकार मोटे अनाज के मामले में भी विपणन सम्बन्धी प्रभावकारी सहायता प्रदान करने के प्रयास कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) 1985-86 विपणन मौसम के लिये गेहूं की मूल्य नीति पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ग) और (घ) जी हां।

(ङ) जी हां। यह निर्णय किया गया है कि मोटे खाद्यान्नों के मूल्य समर्थन संबंधी कार्यों के लिये राज्यों में संस्थागत प्रबंध किये जाने चाहिए। तदनुसार, खाद्य विभाग ने, जो कि एक केन्द्रीय विभाग है, इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की इच्छुक राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे इस सम्बन्ध में किये गए प्रबन्ध के बारे में जानकारी द।

कर्नाटक को सूखा राहत

69. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने 10 अक्तूबर, 1984 को कर्नाटक का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल से राज्य में सूखा राहत उपायों के लिए 31.50 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी;

(ख) क्या सूखे से निपटने के लिये जिससे राज्य के 19 जिलों में से 16 जिले प्रभावित हुए हैं, सितम्बर, 1984 में दो ज्ञापन प्रस्तुत किये गए थे जिनमें क्रमशः 123 करोड़ रुपये और 55 करोड़ रुपये की मांग की गई थी;

(ग) क्या केन्द्रीय दल सूखे की स्थिति से निपटने की आवश्यकता से संतुष्ट था; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को अब तक कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख). कर्नाटक सरकार ने सितम्बर, 1984 में 123.00 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए अभाव संबंधी एक ज्ञापन भेजा। तत्पश्चात्, अक्तूबर, 1984 में राज्य सरकार ने एक अनुपूरक ज्ञापन भेजा जिसमें उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के लिए केन्द्रीय सहायता की 55.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग की। राज्य सरकार ने दल के दौरे के दौरान 31.50 करोड़ रुपए की धनराशि की और मांग की। इस प्रकार धनराशि संबंधी अपनी आवश्यकता को बढ़ाकर कुल 209.50 करोड़ रुपए कर दिया।

(ग) और (घ) केन्द्रीय दल ने 8 से 12 अक्तूबर, 1984 के बीच राज्य का दौरा किया। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 22 नवम्बर, 1984 को कर्नाटक सरकार को राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 32.73 करोड़ रुपए की अधिकतम केन्द्रीय सहायता मंजूर की।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कार्यक्रम

70. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम रोजगार प्रधान लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम की गति तेज करने का इच्छुक है;

(ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 480 लाख घरों को कनैक्शन देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें 2400 करोड़ रुपए का व्यय होगा;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के कब क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 1984-85 क उपलब्धि का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) घरों में कनैक्शन देने के कार्यक्रम में निहित परिव्यय का अनुमान लगा लिया गया है। निधियों का प्रावधान करने और क्रियान्वयन को सोपानबद्ध करने के बारे में निर्णय सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय लिया जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अर्जन और मकानों का निर्माण

71. **श्री झूमर लाल बैठा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली में कितनी भूमि अर्जित की गई तथा लोगों को वितरण/आबंटन के लिए कुल कितने प्लाट विकसित किए गए, कितने मकानों का निर्माण किया गया और कुल कितने प्लाट/मकान आबंटित किए गए;

(ख) क्या कुछ अर्जित भूमि, प्लाट तथा निर्मित रिहायशी मकान, अभी आबंटन के लिए लम्बित हैं, और यदि हां, तो ऐसे प्लाटों/रिहायशी मकानों की कुल संख्या कितनी है और उनका आबंटन न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार उक्त भूमि/प्लाट/मकानों का आबंटन करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में तैयार किये गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा 48281.980 एकड़ भूमि अर्जित की गई है और दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है। गत पांच वर्षों के दौरान पहले से उपलब्ध प्लाटों के अतिरिक्त 2147 प्लाट आयुक्त (भूमि) दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपे गए हैं। 3200 प्लाट आबंटित/नीलाम किये गए हैं। रोहिणी योजना के अन्तर्गत 25445 और प्लाटों का विकास तथा आबंटन किया गया। इस अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 60370 फ्लैटों का निर्माण किया है। परन्तु इसने 80,699 फ्लैट नियतित/आबंटित किये क्योंकि उनके पास पहले से उपलब्ध कुछ अनाबंटित फ्लैट थे।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास 4560.28 एकड़ भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध है। इसमें वह क्षेत्र भी शामिल हैं जो रोकादेश के अन्तर्गत तथा अतिक्रमणाधीन हैं। 57.05 विकसित प्लाट आवंटन की प्रक्रिया में हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास आवंटन के लिये कोई निर्मित मकान शेष नहीं हैं।

(ग) वह क्षेत्र जो न्यायालय के रोकादेश के अन्तर्गत तथा अतिक्रमण के अन्तर्गत नहीं आता, उपयोग में लाये जाने की योजना के अन्तर्गत हैं। जनवरी और फरवरी, 1985 में दिल्ली विकास प्राधिकरण का 184 रिहायशी प्लाटों को नीलामी द्वारा बेचने का प्रस्ताव है। 571 अन्य रिहायशी प्लाट उन्हें आवंटन किये जाने की प्रक्रिया में हैं जिनकी भूमि अर्जित की गई है।

"हुडको" योजना 1979 के अन्तर्गत पंजीकरण तथा फ्लैटों का आवंटन

72. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'हुडको' योजना, 1979 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत हैं तथा उन में से अब तक प्रत्येक श्रेणी में कितने व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित कर दिये गए हैं; और

(ख) फ्लैटों के आवंटन के लिये किस अवधि तक योजना को अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) सूचना इस प्रकार है :—

वर्ग	कुल पंजीकृत	आवंटित/नियतित फ्लैट
जनता	56,249	13,354
निम्न आय वर्ग	67,502	10,821
मध्यम आय वर्ग	47,521	6,394
	1,71,272	30,569

(ख) कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

खाद्यान्नों का आरक्षित भण्डार और उनका आयात

73. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं और चावल का कितना आरक्षित भण्डार है तथा उसका कुल मूल्य क्या है;

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान गेहूं के आयात का ब्यौरा क्या है और वर्ष-वार तथा देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ग) क्या भाग (क) और (ख) में खर्च की गई धनराशि आपस में तुलनीय है और इसका देश की अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(घ) पिछले चार वर्षों के दौरान भण्डारण के कारण वर्ष-वार कितना नुकसान हुआ ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1 दिसम्बर, 1984 को सरकारी एजेंसियों के पास गेहूं और चावल का अनुमानित स्टाक और मूल्य इस प्रकार है :--

	अनुमानित स्टाक (लाख मीटरी टनों में)	अनुमानित मूल्य (करोड़ रुपयों में)
गेहूं	155.1	2915.26
चावल	60.2	1468.76
जोड़	215.3	4384.02

(ख) पिछले चार वर्षों में गेहूं का वर्ष-वार और देश-वार आयात निम्नानुसार था :-

वर्ष	देश	ठेकाबद्ध मात्रा (लाख मीटरी टनों में)	जहाज तक निष्प्रभार अनुमानित मूल्य (विदेशी मुद्रा में) (मिलियन अमरीकी डालर)
1980-81	–	–	–
1981-82	संयुक्त राज्य अमरीका	15.15	262.066
	आस्ट्रेलिया	7.50	135.833
1982-83	संयुक्त राज्य अमरीका	39.50	654.778
1983-84	संयुक्त राज्य अमरीका	9.80	154.814
	कनाडा	5.00	80.246
	अर्जेंटिना	6.50	97.750

(ग) खाद्यान्नों का बफर स्टाक देश में खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में बनाया जाता है ताकि वर्ष के दौरान आपूर्ति और मूल्यों मे स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। तथापि, सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जब कभी आवश्यक और व्यवहार्य समझा जाता है तथा खाद्यान्नों का आयात किया जाता है।

(घ) पिछले चार वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम की केन्द्रीय सरकार के खाते में खाद्यान्नों का बफर स्टाक रखने और उसका वितरण करने के कारण हुई भण्डारण क्षति इस प्रकार थी :–

वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
1980-81	39.41
1981-82	41.79
1982-83	42.48
1983-84	43.38

वनस्पति एकक

75. **श्री चित्त महाटा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वनस्पति बनाने वाले एककों की संख्या कितनी है और सरकार ने उन्हें कितनी राज सहायता दी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : देश में 92 एकक वनस्पति का उत्पादन कर रहे हैं। वनस्पति उद्योग को कोई राज सहायता नहीं दी जाती है।

सिंगरौली सुपर ताप बिजली घर में लगी आग के कारणों का पता लगाने के लिए नियुक्त की गई समिति द्वारा की गई सिफारिशें

76. **श्री चित्त महाटा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंगरौली सुपर ताप बिजली घर में लगी आग के कारणों का पता लगाने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस समिति द्वारा क्या-क्या प्रमुख सिफारिशें की गई;

(ग) क्या समिति द्वारा देश के अन्य सुपर ताप बिजली केन्द्रों में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा 30 अक्तूबर, 1984 को एक समिति नियुक्त की गई है जिसमें निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और सदस्य (प्रचालन), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण शामिल हैं तथा समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

शहरी आवासीय भूमि के मूल्यों में वृद्धि

77. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खासतौर पर महानगरों में शहरी आवासीय भूमि के मूल्यों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में शहरी आवासीय भूमि के मूल्यों में वृद्धि की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां। इसकी प्रवृत्ति स्पष्ट है।

(ख) तीव्र नगरीकरण, विकसित शहरी भूमि की कमी तथा आम मुद्रास्फीति प्रवृत्तियां शहरी क्षेत्रों में भूमि की कीमतों में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। इस वृद्धि के लिए भूमि का बढ़ता हुआ वाणिज्यिकीकरण प्रतिबन्धित भू-धृति, भू-उपयोग तथा भूमि-पट्टा पद्धति और भाटक नियन्त्रण तथा भवन उपनियम आदि जैसे कई अन्य तथ्य भी सहायक हैं।

(ग) देश में शहरी रिहायशी भूमि की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 बनाना;

(2) राज्य आवास विभागों तथा क्षेत्रीय नगर विकास अभिकरणों द्वारा आवास के लिए शहरी भूमि का विकास और विकसित भूमि तथा आवासों की संख्या बढ़ाना;

(3) ग्रुप तथा सहकारी आवास को प्रोत्साहन देना;

(4) भू-धृति को युक्ति-संगत बनाना, भूमि पट्टा, भाटक नियन्त्रण, भवन उपनियम तथा भू-उपयोग पद्धति, वृद्धि प्रवृत्ति को नियमित करने के लिए अन्य कदम हैं।

धौली गंगा पन-बिजली परियोजना

78. **श्री हरीश रावत :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धौली गंगा परियोजना संबन्धी जांच-कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(ग) क्या विद्युत-उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका निर्माण-कार्य शुरू करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) (क) जी, नहीं।

(ख) चरण एक के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य अप्रैल, 1985 तक तथा परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 1985 तक पूरी होने की संभावना है।

(ग) यह सातवीं योजना के साइज पर निर्भर करेगा, जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए आबंटित धनराशि

79. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984-85 की वार्षिक योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि दी गयी है और वर्ष के अंत तक कितनी अतिरिक्त धनराशि दिए जाने की संभावना है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं को उनके मंत्रालय द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984-85 में उत्तर प्रदेश के लिए आबंटित की गई राशि क्रमशः 85.25 करोड़ रुपए और 39.22 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को बराबर के अंश के रूप में बराबर की धनराशि देनी पड़ती है और निर्धारित सूत्र के अनुसार आगे जिलों को धनराशि का आबंटन किया जाता है। लेकिन, राज्य में किए गए आबंटनों की जिलावार सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। जहां तक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का संबंध है, राज्य सरकार को निधियां बंटित की गई हैं और राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जिलावार आबंटन किए जाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित की गई निधियों के अतिरिक्त किसी राज्य को निधियां देने के प्रश्न पर, उसके बेहतर निष्पादन और निधियों की उपलब्धि तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर के अंशदान के प्रावधान के आधार पर विचार किया जा सकता है। लेकिन, इस प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के मामले में उल्लिखित आबंटन से अतिरिक्त राशि इस वर्ष के अन्त तक उपलब्ध किए जाने की संभावना नहीं है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा कार्य परियोजनाएं अनुमोदित की जाती हैं और उनके कार्यान्वित करने के लिए इस मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। जहां तक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का संबंध है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम संबंधी केन्द्रीय समिति द्वारा अनुमोदन के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष कार्य परियोजनाएं तैयार

85-M/B(D)183LSS—6

करनी पड़ती है। इस राज्य सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु अनेक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। केन्द्रीय समिति ने अपनी 11 दिसम्बर, 1984 को हुई बैठक तक लगभग 135.77 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 67 परियोजनाएं अनुमोदित कर दी हैं, ताकि राज्य सरकार आबंटित की गई पूरी राशि का उपयोग कर सके परियोजनाओं का अनुमोदन करने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और आगे चलकर कुछ प्रस्ताव वापिस ले लिए गए थे, जबकि कुछ में राज्य सरकार द्वारा संशोधन कर दिया गया था। इस समय, इस मंत्रालय में दो प्रस्ताव लम्बित पड़े हुए हैं क्योंकि कुछ मुद्दों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण

80. **श्री हरीश रावत :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली प्रशासन की भूमि पर अनधिकृत निर्माण के कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) इन अनधिकृत निर्माणों को गिराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस वर्ष 1984 के दौरान उनके प्रबन्धाधीन भूमि पर अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण के 1597 मामलों का पता लगा था/दर्ज किए गए थे जिनमें से 623 अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण हटाए गए थे।

दिल्ली प्रशासन ने इस अवधि के दौरान अनधिकृत निर्माण के 62 मामलों की सूचना दी है। उनमें से एक न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा है और अन्य 61 मामलों की सूचना पुलिस को दे दी गई है।

राज्यों को घटिया किस्म के खाद्यान्नों की सप्लाई

81. **श्री हरीश रावत :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्यों को बड़ी मात्रा में सड़े हुए गेहूं की सप्लाई की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सड़े हुए गेहूं की सप्लाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने की सम्भावना है

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए और रोलर फ्लोर मिलों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों के अनुसार और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अनुरूप गेहूं जारी करता है। भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से सुपुर्दगी लेने से पहले आबंटितियों को स्टाक का निरीक्षण करने और उनकी क्वालिटी के बारे में अपने आपको संतुष्ट करने का हक है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

छठी योजना अवधि के दौरान सिंचाई लक्ष्य

82. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पांचवीं योजना के अन्त तक कुल कितनी सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की गई और छठी योजना अवधि के दौरान राज्यवार क्या अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किए गए ;

(ख) क्या राज्यों द्वारा अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो छठी योजना के दौरान राज्यवार पूरी की गई बड़ी और मध्यम परियोजनाओं और आरम्भ की जाने वाली नई परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) छठी योजना की समाप्ति से पहले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) पांचवीं योजना (1977-78) के अन्त तक सृजित की गई सिंचाई क्षमता तथा छठी योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त लक्ष्य के सम्बन्ध में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण एक में दी गई है। संसाधनों की कमी के कारण, लक्ष्य से कम उपलब्धि होने की संभावना है। छठी योजना अवधि के दौरान पूरी की गई अथवा जिनके पूरा हो जाने की संभावना है उ. बृहद् सिंचाई परियोजनाओं तथा नई परियोजनाओं के नाम क्रमशः संलग्न विवरण दो और तीन में दिए गए हैं। छठी योजना अवधि के दौरान जिन मध्यम परियोजनाओं के पूरा हो जाने की संभावना है तथा हाथ में ली जाने वाली नई परियोजनाओं के संबंध में सूचना क्रमशः संलग्न विवरण चार तथा पांच में दी गई है।

(घ) राज्य सरकारें निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यथासंभव अधिकतम निधियां आबंटित करके उनको प्राथमिकता दे रही है। इसके अतिरिक्त, दुर्लभ निर्माण सामग्रियां प्राप्त करने में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। उपचारी उपायों के लिए अड़चनों का पता लगाने के वास्ते राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं की तथा केन्द्रीय स्तर पर चुनिंदा परियोजनाओं की मानीटरिंग की जा रही है।

विवरण—एक

(हजार हेक्टेयर में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पांचवीं योजना (1977-78 तक) तक सृजित सिंचाई क्षमता	छठी योजना (1980—85 के लिए सृजित की जाने वाली अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के लक्ष्य
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	4,663	870
2	असम	309	226

1	2	3	4
3	बिहार	4,402	1,680
4	गुजरात	2,312	453
5	हरियाणा	2,885	298
6	हिमाचल प्रदेश	91	28
7	जम्मू और कश्मीर	398	65
8	कर्नाटक	1,933	715
9	केरल	717	303
10	मध्य प्रदेश	2,656	1,033
11	महाराष्ट्र	2,628	875
12	मणिपुर	20	61
13	मेघालय	18	15
14	नागालैंड	35	10
15	उड़ीसा	1,846	660
16	पंजाब	5,083	410
17	राजस्थान	3,086	482
18	सिक्किम	7	8
19	तमिलनाडु	3,018	233
20	त्रिपुरा	33	13
21	उत्तर प्रदेश	13,062	4,550
22	पश्चिम बंगाल	2,720	687
	योग—राज्य	51,922	13,675
	योग—संघ राज्य क्षेत्र	95	66
	योग—राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	52,017	13,741

विवरण–दो

उन वृहद सिंचाई परियोजनाओं के नाम जो छठी योजना के दौरान पूरी की गई/पूरी की जाने की संभावना ।

क्रमांक	राज्य/परियोजना का नाम
1	2
	आन्ध्र प्रदेश
1	निजाम सागर चरण-1 का सुधार
2	समालकोट ग्रीष्म भंडार जलाशय

1	2
	बिहार
3	राजपुर नहर
	गुजरात
4	ककड़पारा
5	माही चरण-1
6	साबरमती
7	उकई
8	कडाना
	हरियाणा
9	पश्चिम यमुना नहर का पुनं ब्यास यूनिट I व इसका विस्तार ब्यास यूनिट II व इसका विस्तार
10	लोहारू लिफ्ट सिंचाई स्कीम
11	सिवानी लिफ्ट सिंचाई
12	नहर परियोजना का विस्तार
	कर्नाटक
13	तुंगभद्रा बांया तट नहर और दक्षिण तट नहर
14	काबीनी (गैर-योजना)
	केरल
15	पेरियार घाटी
16	कुटियाडी
17	पम्बा
18	पज्ञासी
	मध्य प्रदेश
19	भंडर नहर
20	हसदेव दांया तट नहर
21	हलाली
22	चम्बल
23	बर्ना
24	तवा
25	सुक्ता
26	रंगवान उच्च स्तरीय नहर

1	2
	महाराष्ट्र
27	बाघ
28	इतियादोहा
29	काल
30	तुलसी
31	मांजरा
32	मुल्ला
	उड़ीसा
33	सालांदी
34	महानदी डेल्टा
	पंजाब
35	यू. बी. डी. सी. ट्रेकों के क्षेत्रों में गैर बारहमासी सिंचाई का विस्तार
36	ब्यास यूनिट–एक और उसका विस्तार
37	ब्यास यूनिट–दो और उसका विस्तार
38	शाहनहर कैनाल का व्यपवर्तन वीयर
39	रावी/ब्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग
40	राजस्थान नहर चरण-1
	तमिलनाडु
41	चितरपतनमकल
42	वेगई चैनलों का आधुनिकीकरण
	उत्तर प्रदेश
43	रामगंगा गंडक
44	कोसी
45	अदवा
46	दोहरीघाट
47	पूर्वी बैगुल
48	सामान्तर लोअर गंगनहर
49	सुहेली
50	माधो टांडा
	पश्चिम बंगाल
51	मयूरकाक्षी

विवरण—तीन

छठी योजना की नई बृहद परियोजनाएं

क्रमांक	परियोजना/राज्य का नाम
1	2
	आन्ध्र प्रदेश
1	श्री सेल्लम दाया तट नहर
2	पोलावरम बराज
3	मद्रास जल सप्लाई स्कीम
4	कुंडलेरू जलाशय
5	जुराला परियोजना
6	यरुलू जलाशय
7	वर्तमान सिंचाई प्रणाली में वाराबन्दी
	असम
8	चम्पामती
9	पुथीमडी
	बिहार
10	औरंगा जलाशय
11	मसान बांध
12	अजगबिनाथ पम्प
13	जमानिया पम्प
14	अमानत जलाशय
15	तेलले जलाशय
16	कन्हर जलाशय
17	लीलाजान जलाशय
18	अपर सकरी जलाशय
19	बागदोब पर महानन्दा बराज
20	मोहाने जलाशय
21	बरारी पम्प

1	2
22	तायाबपुर पर महानन्दा बराज
23	सोनूआ जलाशय
24	पुनासी जलाशय
25	बुरही जलाशय
26	बनसलोई जलाशय
27	धाकवा जलाशय
28	सरकुंडा जलाशय
29	कांची जलाशय
30	सुकसना घाट पम्प
31	दमनपुर जलाशय
32	जियाजोर जलाशय
33	कोईल कारो
	गुजरात
34	नर्मदा परियोजना (सरदार सरोवर)
35	झनखारी (डब्ल्यू. बी.)
36	सिधुम्बर
	हरियाणा
37	ताजेवाला से मुन्नाह् तक इसकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए समान्तर पश्चिम यमुना नहर बनाना
38	750 एम. एस. स्प्रिंकलर सिंचाई सेट स्थापित करके संरक्षण उपाय
39	25 ड्रिप सिंचाई सेट प्रतिष्ठापित करना
40	मेवात और पटोदी क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना
41	पुराने विस्तार ट्यूबवेलों को विस्तार नहरों के साथ पस्पर जोड़ना
42	भाखड़ा प्रबंध बोर्ड और इसकी वितरण प्रणाली का पुर्ननिर्माण
43	बाढ़ के जल का उपयोग करने के लिए स्कीमें

1	2
	हिमाचल प्रदेश
	शून्य
	जम्मू और कश्मीर
	शून्य
	कर्नाटक
43	वराही
44	दुधगंगा
45	अपर भादरा
46	रामथाल लिफ्ट
	केरल
47	इदामलायर
48	बेपरिपुझा
49	कुरियारकुट्टी करापारा
50	काकाडावू
	मध्य प्रदेश
51	महानन्दी जलाशय चरणतीन
52	आरपा
53	बर्गी व्यपवर्तन
54	धोबातारिया
55	मान
56	जोहट
57	छोटा तावा
58	अपर नर्मदा
59	कुटापाली
60	मरवाही
61	बमराहा
62	सिंध चरण—दो
63	नर्मदा सागर यूनिट—एक
64	बावनथाड़ी

1	2
65	अपर तापी
66	माही
67	पंचम नगर
68	चम्बल लिफ्ट सिंचाई स्कीम कनेरा
	महाराष्ट्र
69	पोशीर
70	लेंडी
71	लोअर पेनगंगा
72	लोअर थिरना
73	घोसी खुर्द
74	लोअर वर्दा
75	लोअर वर्ना
76	वान
77	अरुणावती
78	तुलतुली
79	संगोला ब्रांच
80	करवा
81	तलोम्बा
82	पुनाद
83	खोडाशी में गेटो वाला वियर
	मणिपुर
	शून्य
	मेघालय
	शून्य
	उड़ीसा
84	सुवर्णरेखा
85	समाकोई
86	हीराकुड बांध का अतिरिक्त उमड़मार्ग
87	ओंग चरण—दो (चिरोली)
88	इन्द्रा
89	कनूपुर

1	2
	पंजाब
90	कंडी क्षेत्र में नीचा बांध
91	शाहपुर कन्दी
92	नर्वाण ब्रांच के बाएं ओर के क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना
	राजस्थान
93	चम्बल के नए निर्माण
94	नरबदा
95	माऊंट आबू
96	बिलासपुर सिंचाई एवं जल सप्लाई परियोजना
97	थीन बांध
98	नोहर फीडर
99	सिद्धमुख
	तमिलनाडु
100	परअम्बीकुलम का विस्तार
	उत्तर प्रदेश
101	किशुआ बांध
102	कोथी वहल बांध
103	अर्जुन सहायक
104	चिल्लीमल्लाई पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना
105	भोपाली पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना
106	लोअर गंगा को पक्का करना
	त्रिपुरा
	शून्य
	पश्चिम बंगाल
107	दरकेश्वर जलाशय
108	सिद्धेश्वरी जलाशय
109	तीस्ता बराज परियोजना चरण-1 सोपान-1 का दूसरा उपचरण
110	अजय जलाशय
111	भोसराघाट में सुवर्णरेखा पर बराज
112	अपर कंगासाबांती
113	गजल क्षेत्र के लिए लिफ्ट सिंचाई स्कीम
114	तंगांव घाटी
115	बामनगोला हीबपुर लिफ्ट सिंचाई

विवरण–चार

उन वृहद स्कीमों की संख्या जो छठी योजना के दौरान पूरी की गई/पूरी की जाने की संभावना है ।

क्रमांक	राज्य का नाम	संख्या
1	आंध्र प्रदेश	19
2	असम	3
3	बिहार	18
4	गुजरात	9
5	हरियाणा	5
6	हिमाचल प्रदेश	22
7	जम्मू और कश्मीर	6
8	कर्नाटक	4
9	केरल	शून्य
10	मध्य प्रदेश	35
11	महाराष्ट्र	21
12	मणिपुर	1
13	मेघालय	शून्य
14	नागालैंड	शून्य
15	उड़ीसा	21
16	पंजाब	शून्य
17	राजस्थान	शून्य
18	सिक्किम	शून्य
19	तमिलनाडु	12
20	त्रिपुरा	शून्य
21	उत्तर प्रदेश	9
22	पश्चिम बंगाल	शून्य
	योग–राज्य	165
	संघ राज्य क्षेत्र	शून्य
	योग–अखिल भारत	165

विवरण–पांच

छठी योजना की नई बृहद स्कीमें

क्रमांक	राज्य का नाम	संख्या
1	आंध्र प्रदेश	14
2	असम	10
3	बिहार	40
4	गुजरात	68
5	हरियाणा	–
6	हिमाचल प्रदेश	5
7	जम्मू और कश्मीर	14
8	कर्नाटक	3
9	केरल	33
10	मध्य प्रदेश	17
11	मणिपुर	3
12	महाराष्ट्र	26
13	मेघालय	2
14	नागालैंड	–
15	उड़ीसा	1
16	पंजाब	2
17	राजस्थान	4
18	सिक्किम	–
19	तमिलनाडु	19
20	त्रिपुरा	2
21	उत्तर प्रदेश	19
22	पश्चिम बंगाल	4
	योग–राज्य	26
	संघ राज्य क्षेत्र	–
	योग–अखिल भारत	286

भूमि सुधार

83. **श्री गिरिधर गोमांगों : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को भूमि सुधार के संबंध में क्या राष्ट्रीय मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) इस निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा अब तक राज्यवार क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) अब तक, राज्य-वार कुल कितनी भूमि सरकार को मिल चुकी है, कितनी भूमि फालतू घोषित की गयी है। निपटान के लिए कितने मामले लम्बित हैं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कितने लोगों को इनका लाभ मिला है; और

(घ) छठी योजना अवधि के दौरान लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनके मंत्रालय तथा राज्यों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधार नीति की व्याख्या की गई है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

(1) बिचौलिया पट्टेदारी का उन्मूलन,

(2) सभी काश्तकारों (बटाईदारों समेत) को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करना,

(3) संरक्षित काश्तकारों के उन वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना जिनके काश्तकारी अधिकार बने रहेंगे,

(4) खेती की जोतों पर भूमि सीमा लागू करना और फालतू भूमि को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पात्र परिवारों में वितरित करना,

(5) जोतों की चकबन्दी, और

(6) भूमि के खसरों में नए नाम लिखना।

कृषि जोतों पर भूमि सीमा के बारे में जुलाई, 1972 में हुई मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के आधार पर जो राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए गए हैं, उनकी मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण 1 में दी गई हैं।

जमींदारी, जागीरदारी, इनामदारी इत्यादि जैसी बिचौलिया पट्टेदारियां सारे देश में लगभग समाप्त की जा चुकी हैं। देश के विस्तृत क्षेत्रों में ऐसे कानूनी प्रावधान भी कर दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार दिए जा सकते हैं या जोता—किसान उचित मुआवजा देकर स्वामित्व अधिकार हासिल कर सकते हैं। 56.02 लाख हैक्टेयर भूमि पर 77.19 लाख काश्तकारों ने स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। इनका ब्योरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश में आन्ध्र क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा को छोड़कर लगान की दर कुल पैदावार का चौथा या पांचवां हिस्सा तय कर दी गई है। परिवारों और व्यक्तियों के पास कृषि जोतों पर भूमि सीमा लागू करने के लिए कदम भी उठाए जा चुके हैं।

जोतों की चकबन्दी का कार्यक्रम भी देश के अनेक राज्यों में शुरू किया जा चुका है। अब तक देश में 50 मिलियन हैक्टेयर से ज्यादा जोतों की चकबन्दी की जा चुकी है।

कुछ पुराने स्थायी बन्दोबस्ती इलाकों और कुछ आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों में भूमि के खसरे काफी कुछ अद्यतन कर दिए गए हैं। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में संशोधन सर्वेक्षण और बन्दोबस्ती कार्रवाई की जा रही है।

संशोधित भूमि कानूनों को लागू करने में हुई प्रगति को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण 3 के रूप में संलग्न है।

राज्यों को सलाह दी गई है कि वे प्रशासनिक तन्त्र को मजबूत बनाकर, निगरानी व्यवस्था में सुधार करके और मुकदमों का शीघ्र निपटारा करके, भूमि सीमा कानूनों को पूरे जोर-शोर से कार्यान्वित करें।

विवरण–1

कृषि जोतों पर भूमि सीमा के बारे में 23 जुलाई, 1972 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर तैयार किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत

मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :–

(1) कृषि की जोतों पर भूमि सीमा की परिधि सर्वोत्तम श्रेणी की भूमि की 10 से 18 एकड़ भूमि चाहिए, अर्थात् ऐसी भूमि जिस पर निश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और वर्ष में कम से कम दो फसलें पैदा कर सकती है।

(2) इससे घटिया श्रेणी की जोतों के लिए भूमि सीमा कुछ ज्यादा रखी जाए लेकिन किसी भी हालत में 54 एकड़ से अधिक न हो।

(3) भूमि सीमा 5 सदस्यों की एक परिवार यूनिट पर लागू होनी चाहिए और जहां परिवार इससे बड़ा है वहां प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए उतनी अतिरिक्त भूमि की अनुमति होनी चाहिए कि एक परिवार के पास कुल भूमि निर्धारित भूमि सीमा के दो गुने से अधिक न हो।

(4) संशोधित भूमि सीमा कानूनों को पिछली किसी ऐसी तारीख से लागू किया जाए जो 24 जनवरी, 1971 के बाद की न हो।

(5) चाय, काफी, रबड़, इलायची और कोको के अन्तर्गत भूमि पर भूमि सीमा लागू नहीं होनी चाहिए।

(6) राज्य सरकारें, अपने विवेक से मौजूदा धार्मिक, दातत्व और शैक्षिक न्यासों और सार्वजनिक स्वरूप के शैक्षिक न्यासों को छूट दे सकती हैं।

(7) निज़ी न्यासों को भूमि सीमा से अधिक भूमि रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

(8) भूमि सीमा से बची फालतू भूमि का वितरण करने में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों विशेषतया जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के हैं, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(9) सारे संशोधित कानूनों को संविधान की नवीं अनुसूची में जोड़ा जाना चाहिए ।

विवरण–2

दिसम्बर, 1984 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार बटाईदारों के स्वामित्व के अधिकार दिलाने के बारे में

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	स्वामित्व प्राप्त बटाईदारों की संख्या	शामिल क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र)	33,000	82,000
गुजरात	10,50,000	4,77,529
हिमाचल प्रदेश	54,000	21,000
कर्नाटक	4,76,000	7,77,806
केरल	24,40,000	अप्राप्य
महाराष्ट्र	12,83,000	16,14,000
राजस्थान	8,22,000	17,50,672
पंजाब और हरियाणा	22,000	59,000
त्रिपुरा	10,000	4,800
उत्तर प्रदेश	15,00,000	8,00,000
दिल्ली	29,000	16,000
योग	77,19,000	56,02,807

विवरण 3

भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी संशोधित कानूनों के अन्तर्गत राज्य की घोषित फालतू भूमि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लाभार्थियों की संख्या तथा लंबित पड़े मामलों की संख्या

(दिसम्बर, 1984 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	घोषित फालतू क्षेत्र (एकड़ में)	कब्जे में लिया क्षेत्र (एकड़ में)	लाभार्थियों की संख्या	लंबित पड़े हुए मामलों की सं.	अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के लाभ भोगियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	10,14,050	4,56,021	2,51,263	208	1,22,592	42,902
असम	4,50,918	3,76,445	2,75,142	482	23,564	19,947
बिहार	2,74,794	1,70,463	1,80,533	607	1,02,563	19,828
गुजरात	1,82,180	87,046	6,411	शून्य	4,086	959
हरियाणा	27,088	22,699	6,500	592	3,119	—
हिमाचल प्रदेश	2,69,379	2,68,671	4,393	4	3,929	263
जम्मू और कश्मीर	5,000	—	—	—	—	—
कर्नाटक	2,95,019	1,52,260	26,137	1,027	15,303	657
केरल	1,23,107	85,498	1,02,530	1,468	42,183	6,362
मध्य प्रदेश	2,25,636	1,39,500	36,435	1,764	10,965	14,441
महाराष्ट्र	3,84,552	3,66,202	80,622	1,194	25,616	16,516
मणिपुर	1,029	424	326	38	3	15
उड़ीसा	1,33,749	1,36,486	98,615	922	33,581	37,309
पंजाब	27,714	15,209	3,346	41	1,576	—
राजस्थान	2,58,248	2,32,064	28,853	1,544	11,522	4,261
तमिल नाडु	90,491	84,438	51,797	1,694	23,939	19
त्रिपुरा	1,929	1,847	1,228	—	283	277
उत्तर प्रदेश	2,99,693	2,73,134	2,03,233	1,549	1,46,903	1,405
पश्चिम बंगाल	1,79,470	1,24,485	2,31,276	10,369	93,399	46,098
दादरा और नगर हवेली	8,958	6,776	1,776	—	13	1,762
दिल्ली	722	374	—	46	761	—
पांडिचेरी	2,560	1,161	1,060	94	—	—
योग	42,81,786	30,01,203	15,91,476	23,641	6,64,900	2,13,021

गंगा और तीस्ता नदी जल

84. श्री अमर राय प्रधान : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा और तीस्ता नदी जल के संबंध में भारत और बंगलादेश की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की दिसम्बर, 1984 में हुई बैठक के दौरान आयोग ने जुलाई, 1983 में ढाका में हुई संयुक्त नदी आयोग की बैठक में यथा अनुमोदित तीस्ता-जल के तदर्थ बंटवारे की कार्यविधि को अंतिम रूप दिए जाने की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की । यह निर्णय लिया गया था कि दोनों देशों के सचिव, तदर्थ बंटवारे के प्रबन्धों तथा वैज्ञानिक अध्ययनों के विचारार्थ विषयों के प्रलेखन को अंतिम रूप देने के लिए शीघ्र ही बैठक करें ।

अक्तूबर, 1982 के समझौता ज्ञापन के अनुसार शुष्क मौसम के दौरान फरक्का में गंगा के जल-प्रवाह के बंटवारे की व्यवस्था वर्ष 1983 तथा 1984 के लिए वैध थी । संयुक्त नदी आयोग की इस बैठक की अवधि के दौरान भारत तथा बंगलादेश के मंत्रियों ने शुष्क मौसम में फरक्का में गंगा के जल-प्रवाह के बंटवारे तथा फरक्का में शुष्क मौसम के दौरान गंगा के जल-प्रवाह में वृद्धि करने पर भी विचार विमर्श किया । उन्होंने उक्त वार्ता को आगे जारी रखने की आवश्यकता को स्वीकार किया ।

सूखा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को सहायता

85. श्री अमर राय प्रधान : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को 1984-85 के दौरान राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की ।

(ख) क्या यह केन्द्रीय सहायता सूखा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकतायों को पूरा करने के काफी अपर्याप्त है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में आगे क्या कदम उठाने का है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सूखा और बाढ़ से प्रभावित राज्यों सम्बन्ध में 1984-85 के दौरान अब तक स्वीकृत केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा से सम्बन्धित राज्य-वार जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ख) और (ग). प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा सूखा और बाढ़ की स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करने वाले केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों के आधार पर स्वीकृत की जाती है । केन्द्रीय दलों की सिफारिशें विभिन्न क्षेत्रों में सहायता के सम्बन्ध मे की जाती है , ताकि राज्य प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न स्थिति का पर्याप्त रूप से सामना कर सकें ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	सूखा	बाढ़/चक्रवात इत्यादि
		(करोड़ों रुपये में)	
1.	आन्ध्र प्रदेश	54.42	4.73
2.	असम	—	39.12
3.	बिहार	—	58.94
4.	हरियाणा	8.70	1.55
5.	हिमाचल प्रदेश	5.47	2.73
6.	जम्मू और कश्मीर	—	3.78
7.	कर्नाटक	32.73	—
8.	केरल	—	21.33
9.	महाराष्ट्र	1.20	—
10.	मणिपुर	—	0.28
11.	उड़ीसा	—	23.43
12.	पंजाब	6.35	—
13.	तमिलनाडु	—	8.41
14.	त्रिपुरा	—	*7.99
15.	उत्तर प्रदेश	8.10	47.89
16.	पश्चिमी बंगाल	—	*58.68

* इसमें आगे लाई गई त्रिपुरा (0.69) और पश्चिम बंगाल (10.65) से सम्बन्धित 1985-86 के लिए राशि भी शामिल है।

खाद्यान्नों का उत्पादन और राज्यों को आवंटन

86. श्री अमर राय प्रधान
श्री कमल नाथ
क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में 1980 से लेकर दिसम्बर, 1984 तक वर्षवार चावल और गेहूं का कितना उत्पादन हुआ और उनका कितना आवंटन किया गया ; और

(ख) प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र को चावल और गेहूं के आवंटन का मानदंड क्या था ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) दो विवरण (उपबंध–1 और 2) संलग्न हैं, जिनमें 1980-81 से 1983-84 तक के फसल वर्षों के दौरान चावल और गेहूं के उत्पादन और 1980 से 1984 तक के वर्षों के दौरान चावल और गेहूं के आवंटन के बारे में ब्यौरे दिए गए हैं। (ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. 88/85)

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय भण्डार से चावल और गेहूं के आवंटन केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मासि‌क आधार पर किए जाते हैं।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त भंडारण परियोजना की योजनाएं

87. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से भंडारण परियोजनाएं कार्यान्वित की गयी हैं;

(ख) क्या छटी योजना अवधि के दौरान इस प्रकार की कोई विश्व बैंक के भण्डारण परियोजना योजना उड़ीसा में शुरू की गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में विश्व बैंक से वित्तपोषित इस प्रकार की भण्डारण परियोजना के पूरा करने में हुई प्रगति का क्या ब्यौरा है।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल में समेकित राष्ट्रीय विकास संघ सहायता, सहकारी भण्डारण परियोजनायें लागू कर रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम–1 सहकारी भण्डारण परियोजना, जो 1979–80 में चालू हुई थी, के अन्तर्गत उड़ीसा में 1.66 लाख मीटरी टन की कुल भंडारण क्षमता तथा 10.25 करोड़ रुपये की लागत से 958 ग्रामीण (इनमें 200 पुराने गोदामों का पुर्ननवीकरण शामिल है) तथा 227 विपणन गोदाम मंजूर किए गए थे। इनमें से 1.39 लाख मीटरी टन की क्षमता वाले 743 ग्रामीण और 201 विपणन गोदाम 31-10-1984 तक पूरे हो चुके हैं तथा शेष 215 ग्रामीण और 26 विपणन गोदाम, जिनकी क्षमता 0.27 लाख मीटरी टन है, मार्च, 1985 तक पूरे हो जायेंगे। दूसरी भंडारण परियोजना–अर्थात राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम–3 परियोजना राज्य में 1-7-1984 से शुरू की गयी है और इसे 1987–88 के अन्त तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इसमें उड़ीसा राज्य में 23.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2.626 लाख मीटरी टन की क्षमता वाले 741 ग्रामीण और 484 विपणन गोदामों का निर्माण करने की व्यवस्था है। इस परियोजना के अन्तर्गत 31-3-1985 तक लगभग 200 ग्रामीण और 100 विपणन गोदाम मंजूर किये जाने की संभावना है।

नारियल के पेड़ों के "रूट–विल्ट" रोग के सम्बन्ध में अनुसंधान

88. **प्रो. पी. जे. कुरियन :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "रूट विल्ट" रोग, जिससे केरल में बड़ी संख्या में नारियल के पेड़ रोगग्रस्त हुए हैं, के संबंध में कोई अनुसंधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य कर रहे मुख्य रूप से केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान (सी० पी० सी० आर० आई०) के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, कयांगूलम, केरल में नारियल के जड़ मुरझान रोग पर अनुसंधान किया जा रहा है। जड़ मुरझान रोग के सही कारण का अभी तक अंतिम रूप से पता नहीं चल पाया है। यह रिपोर्ट मिली है कि फंगी, बैक्टीरिया, नेमाटोड वायरस जैसे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म-जीव तथा माइकोप्लाजमा जैसे जीव (एम० एल० ओ० एस०) रोगी नारियल में पाए गये थे। इनमें से केवल माइकोप्लाजमा जैसे जीव ही स्थायी तौर पर रोगी नारियल में पाए गये हैं। संस्थान के एक गहन अनुसंधान कार्यक्रम में कीटाणु रोगवाहकों के संचरण एवं संभावित संसर्ग पर और आगे अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

इसके बावजूद भी जड़ मुरझान रोग के कारण का अभी तक अंतिम रूप से पता नहीं चल पाया है, विस्तृत अन्वेषणों के बाद वैज्ञानिकों ने इस रोग से होने वाली क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया है :—

(i) अच्छी प्रबन्ध विधियों के अंतर्गत रोग सहिष्णु/अधिक पैदावार वाले नारियल के विभिन्न प्रकार के कल्टीवर्स और संकरों का संग्रह और छंटाई। 1982 में पोलिनेसियन और सोलोमन द्वीपों से सी० पी० सी० आर० आई० के वैज्ञानिकों ने पहले ही 24 विभिन्न किस्मों के 2,500 गिरी का चयन किया था और अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में संघरोध स्थितियों के अंतर्गत उन्हें उगाया था। इन जीवों की जड़ मुरझान रोग के प्रति सहिष्णुता के गुण को ध्यान में रखकर छंटाई की जाएगी और जिनमें ये गुण पाये जायेंगे उनका उपयोग अपने देशी नारियल की किस्मों में सुधार लाने (उन्नत बनाने) के लिए किया जाएगा।

(ii) अनुकूलन अनुसंधान कार्यक्रमों को निम्न कार्यों के लिए हाथ में लिया जाएगा : (क) सभी रोग ग्रसित नारियल के वृक्षों को समाप्त करने के बाद त्रिचूर जिले के उत्तरी सीमा-अंचल में रोग को और आगे फैलने से रोकना; (ख) मृदा और समीपवर्ती नारियल पर प्रोफाइलेक्टीक पौधे संरक्षण उपायों का प्रयोग और (ग) रोग रहित क्षेत्रों में उगाए गये अच्छी किस्म के पौधों की रोपाई।

(iii) अर्गेनिक ट्रिसाइक्लोजय, मिश्रित खेती/अन्तः कृषि, पौध पोषण का प्रयोग, फफूंदनाशी दवाओं का छिड़काव और अच्छी प्रबन्ध विधियों को अपनाने जैसी एक मुश्त कृषि क्रियाओं को अपना कर रोग ग्रसित पौधों का पुनर्रोपण;

(iv) संचरण (इनोकुलम) के फैलाव को रोकने के लिए मुरझान रोग ग्रसित अनार्थिक नारियल के पौधों को समाप्त करने की वकालत करना।

"रूट विल्ट" रोग के कारण नारियल के पेड़ों की क्षति

89. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "रूट-विल्ट" रोग के कारण नारियल के पेड़ों को हुई क्षति का अध्ययन किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नारियल उत्पादकों को राहत देने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां, केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, केरल सरकार, नारियल विकास बोर्ड, विकास अध्ययन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम, केरल कृषि विश्वविद्यालय और कोचीन स्थित भारत सरकार के केन्द्रीय वनस्पति रक्षण केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से अगस्त, 1984 के दौरान केरल के आठ जिले, अर्थात् त्रिचूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, एलीपी, क्विलोन पथानामथिता और त्रिवेन्द्रम, का सर्वेक्षण किया गया जहां जड़ मुरझान रोग व्याप्त रहता है। सर्वेक्षण से यह पता चला है कि 1976 में किये गये सर्वेक्षण से फल वाले नारियल के वृक्षों में लगने वाले रोग में तीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आठ जिलों में फल वाले और फल रहित नारियल वृक्षों में रोग की व्यापकता निम्न प्रकार है :

	नारियल वृक्षों की कुल संख्या (हजार में)	रोग ग्रस्त वृक्षों की संख्या (हजार में)
फल वाले नारियल वृक्ष	501,88	24,209
फल रहित नारियल वृक्ष	32,358	5,422

(ग) नारियल उत्पादकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए छठी योजना में नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा समान राशि की भागीदारी योजना के तहत् 54.75 लाख रुपये की धनराशि भारत सरकार के भाग के रूप में निर्मुक्त कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत उत्पादकों को रोग से प्रभावित वृक्षों को हटाने के लिए 75 रुपये प्रति वृक्ष की दर से नकद सहायता और पौध तथा उर्वरक और वनस्पति रक्षण रसायनों जैसे आदानों

की लागत पर 50 प्रतिशत राज-सहायता दी जाती है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में केरल राज्य में रोगग्रस्त और अनुत्पादक बागानों के नवीकरण संबंधी एक अन्य योजना क्रियान्वित की गई है। इस योजना में 50 प्रतिशत लागत पर 4.4 लाख संकर पौध और उवरक को सप्लाई करने का विचार है। छटी योजना के दौरान योजना की कुल लागत 102.93 लाख रुपये है जोकि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन की जायेगी।

केरल में बिजली के संकट की संभावना

90. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में 1985 के अंत तक बिजली का संकट पैदा होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) केरल एक पूर्णतः जल विद्युत प्रणाली है। वर्ष 1985 के दौरान वर्षा सामान्य होने पर आशा की जाती है कि केरल अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी कर लेगा।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

अरुणाचल प्रदेश में माइक्रो पन-बिजली परियोजना

91. श्री पी. के. थुंगन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में सेस्सा के समीप माइक्रो पन बिजली परियोजनाओं की एक श्रृंखला स्थापित करने का राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या उन परियोजनाओं के लिए खरीदे गए उपकरण कार्य में विलम्ब के कारण बिना प्रयोग के पड़े हुए हैं;

(घ) क्या प्रति एकक विद्युत उत्पादन की दर बहुत कम होने के बावजूद परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हो रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क), (ख), (घ) और (ङ) अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में सेस्सा माइक्रो जल विद्युत स्कीम (3 × 500 किलो वाट) की अक्तूबर, 1983 में प्राप्त हुई संशोधित परियोजना रिपोट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है। परियोजना प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि परियोजना के सिविल डिजाइन संबंधी पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में अपने इंजीनियरों को भेजें। स्कीम की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद इसे स्वीकृति हेतु हाथ में लिया जाएगा।

(ग) संघ शासित क्षेत्र के प्राधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों सम्बन्धी संयुक्त समिति की सिफारिशें

92. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति ने संसद के भूतपूर्व सदस्यों के लिए बढ़ी हुई पेंशन और प्रथम श्रेणी के रेल-पास की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). 1. भूतपूर्व/संसद सदस्यों को दी जाने वाली वर्तमान अधिकतम पेंशन रुपये 500 प्रति मास से बढ़ाकर रुपये 750 प्रति मास कर दी जाए ; और

2. भूतपूर्व संसद सदस्य के प्रायिक निवास-स्थान से एक वर्ष में चार बार दिल्ली तक आने और वापिस जाने की रेल की प्रथम श्रेणी द्वारा यात्रा की सुविधा का उपबन्ध करना । ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि

93. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना उत्पादकों की काफी बड़ी राशि चीनी मिलों के पास बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि का राज्य वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है, जिसमें 1984-85 और उससे पहले के मौसमों के लिए 30–11–1984 को चीनी मिलों द्वारा भुगतान न की गई गन्ने के मूल्य की राशि के बारे में राज्यवार स्थिति दी गई है ।

(ग) गन्ने के मूल्य के बकायों का भुगतान सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की सीधी जिम्मेदारी होती है, जिनके पास ऐसे भुगतान करवाने के लिए आवश्यक फील्ड संगठन और शक्तियां हैं । केन्द्रीय सरकार स्थिति पर निगरानी रखती है और गन्ने के मूल्य के बकायों का शीघ्र भुगतान करवाने

के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को निदेश जारी करती है। राज्य सरकारों को हाल ही में परामर्श दिया गया है कि वे मौसम के आरम्भ होने से ही गन्ने क मूल्य के भुगतान पर निगरानी रखें।

केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से उद्योग की तरलता में सुधार करने के लिए कदम उठा रही है, ताकि वे गन्ने के बकायों का भुगतान कर सकें। पिछले 2-3 वर्षों से उठाए गए कदमों में बैंक ऋण सुविधाओं को उदार बनाना, चीनी के स्टाक के प्रति ऋण पर बैंक मार्जिन में कमी करना, उद्योग के हित के लिए चीनी स्टाक के मूल्यन के तरीकों में परिवर्तन करना, मूल्यों को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए मुक्त बिक्री की चीनी की विवेकपूर्ण निर्मुक्तियाँ करना, बफर स्टाक बनाना जिसके प्रति उद्योग स्टाक रखने की लागतों के अलावा 100 प्रतिशत ऋण के हकदार थे, आदि शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ राज्यों को गन्ने के मूल्य के अधिक बकायों को देखते हुए अर्थोपाय अग्रिम भी दिए गए हैं।

इसके परिणामस्वरूप, 1983-84 मौसम के लिए 30-11-1984 को केवल लगभग 2.6 प्रतिशत गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान किया जाना शेष है।

मौसम के पहले भाग में बकायों की राशि, जबकि पेराई पूरे जोरों पर होती है, अधिक होगी। तथापि, ज्यों-ज्यों मौसम समाप्त होता जाता है, त्यों-त्यों बकाया धनराशि तेजी से चुकता होनी शुरू हो जाती है।

1984-85 मौसम के दौरान 30-11-84 तक खरीदे गए गन्ने का देय मूल्य, दिया गया मूल्य और शेष बकाया राशि तथा 30-11-84 को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि के बारे में राज्यवार स्थिति

(आंकड़े लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य	1984-85 मौसम के दौरान 30-11-84 तक खरीदे गए गन्ने का कुल देय मूल्य	30-11-84 तक भुगतान किया गया गन्ने का मूल्य	30-11-84 को गन्ने के मूल्य की देय शेष राशि	30-11-84 को अथवा अद्यतन उपलब्ध तारीख तक गन्ने के मूल्य की बकाया राशि	
					1983-84 मौसम	1982-83 और पहले के मौसम
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	144.75	18.51	126.24	0.18	158.57
2.	असम		शून्य		1.28	0.30
3.	बिहार		शून्य		1,285.81	405.26
4.	गोआ			शून्य		
5.	गुजरात	481.79	330.03	151.76	70.39	136.82
6.	हरियाणा	198.62	25.51	172.11	0.12	0.24

1	2	3	4	5	6	7
7.	कर्नाटक	1,455.45	604.55	850.90	99.67	66.61
8.	केरल	1.99	1.99	—	0.12	41.08
9.	मध्य प्रदेश		शून्य		8.87	16.76
10.	महाराष्ट्र	3,407.85	983.83	2,424.02	94.82	126.31
11.	नागालैण्ड		शून्य		—	27.24
12.	उड़ीसा		शून्य		0.50	0.30
13.	पांडिचेरी		शून्य		0.04	1.44
14.	पंजाब	511.22	152.85	358.37	0.91	0.57
15.	राजस्थान		शून्य		4.04	0.07
16.	तमिलनाडु	155.63	78.45	77.18	0.33	30.07
17.	(i) उ० प्र० (पश्चिमी)	1,326.98	349.08	977.90	3.23	25.03
	(ii) उ० प्र० (मध्य)	603.03	92.14	510.89	15.30	260.23
	(iii) उ० प्र० (पूर्वी)	115.29	—	115.29	312.88	40.17
	(iv) उ० प्र० (जोड़)	2,045.30	441.22	1,604.08	331.41	325.43
18.	पश्चिमी बंगाल		शून्य		1.86	20.08
	अखिल भारत	8,402.60	2,637.94	5,764.66	1,900.35	1,357.15

नोट :—1. इसमें 28 फैक्ट्रियों के बारे में सूचना शामिल नहीं है, जिन्होंने 1984-85 मौसम के लिए आंकड़े नहीं दिए हैं।

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में दिए गये उपबंधों के अनुसार, गन्ने की सुपुर्दगी के 14 दिनों के अन्दर गन्ने के मूल्य का भुगतान किया जाना होता है। कॉलम 5 के आंकड़ों में वह राशि जो कि अभी देय नहीं हुई है अर्थात् पिछले पन्द्रह दिनों में खरीदे गए गन्ने का मूल्य, भी शामिल है।

चीनी मिलों का बन्द होना

94. श्री विजय कुमार यादव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी अनेक चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मिलों के बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन मिलों को पुनः खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). प्रतिष्ठापित चीनी मिलों में से 43 मिलों से चालू चीनी वर्ष के दौरान उत्पादन आरम्भ करने की रिपोर्ट नहीं मिली है। यह सम्भव है कि इनमें से कुछ मिलें शीघ्र शुरू हो जाएं या पहले ही शुरू हो चुकी हों। स्थिति का पता केवल तभी लगता है, जब मिलें उत्पादन आरम्भ करनें के सांविधिक उपबन्धों के अधीन रिपोर्टें भेजती हैं। तथापि, प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 15-1-1985 को 296 मिलें उत्पादन कर रही थीं।

(ग) और (घ). यह सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि चीनी मिल किसी चीनी मौसम के लिए समय पर गन्ने की पेराई शुरू करें। समान्यतया गन्ने की अनुपलब्धता, वित्तीय और श्रमिक समस्याओं के कारण मिलें बन्द रहती हैं।

[अनुवाद]

खरीफ उत्पादन

95. श्री कमल नाथ : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 में खरीफ की फसल सन्तोषजनक थी ;

(ख) इस फसल में चावल तथा अन्य उत्पादों का कितना-कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या खरीफ की फसल में उत्पादित चावल अथवा अन्य किसी उत्पाद का निर्यात करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). वर्ष 1984 से सम्बन्धित खरीफ फसलों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान राज्यों से प्राप्त करने का अभी समय नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). चालू निर्यात नीति के अन्तर्गत खुले सामान्य लाइसेन्स के तहत् केवल बासमती चावल को निर्यात करने की अनुमति दी जाती है। बासमती के अतिरिक्त अन्य चावलों के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है। बाजरा का निर्यात अधिकतम सीमा के अन्तर्गत तथा समग्र सारणीबद्ध नीति के तहत् नाफेड के माध्यम से की जाती है। कुछ शर्तों के अन्तर्गत प्राईवेट पार्टियों को भी बाजरा निर्यात करने की अनुमति दी जाती है। एक सीमित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत मक्का के निर्यात की भी अनुमति दी जाती है। कृषि जिन्सों का निर्यात करने के प्रस्तावों की देश में फसल आकार तथा उपलब्ध अधिशेष की दृष्टि से समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

अनुषंगी सेवा भारों सम्बन्धी लोकुर समिति की सिफारिशें

96. श्री कमल नाथ : क्या निर्माण और आवास मन्त्री अनुषंगी सेवा प्रभारों सम्बन्धी लोकुर समिति की सिफारिशों के बारे में 13 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 3209 के भाग (क) के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोकुर समिति की सिफारिशें भारत के महान्यायवादी को भेजी हैं,

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों पर उनकी क्या राय है; और

(ग) क्या उक्त उत्तर के भाग (ख) में निर्दिष्ट अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

गन्ने की विलम्ब से पेराई होने से चीनी के मूल्य पर प्रभाव

97. श्री कमल नाथ : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पेराई के मौसम में गन्ने की पेराई विलम्ब से शुरू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या चीनी के उत्पादन और मूल्य पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) चालू मौसम में चीनी का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं । चालू मौसम 1984-85 में 15 नवम्बर और 15 दिसम्बर तक उत्पादन कार्य में लगी चीनी फैक्ट्रियों की संख्या क्रमशः 95 और 247 थी, जबकि पिछले मौसम 1983-84 में उक्त तारीखों तक क्रमशः 69 और 243 फैक्ट्रियां उत्पादन करने में लगी हुई थीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) वर्तमान अनन्तिम अनुमानों के अनुसार, चालू मौसम 1984-85 में लगभग 70 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होने की आशा है।

भू-संरक्षण

98. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में सातवीं परियोजना में भू-संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस योजना अवधि में इन योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को दिए जाने वाली केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि में मृदा संरक्षण के जिन उपायों को शुरू करने का विचार है उनमें जल विभाजकों के आधार पर कृषि और गैर-कृषि दोनों किस्म की भूमि को शामिल किया गया है जिसमें कृषि, इंजीनियरी और जैव संबंधी उपाय शामिल हैं, जैसे :—

(1) बहने वाले निकासी चैनलों के साथ कंटूर बांध बनाना तथा पुस्ता बनाना;

(2) बेकार भूमि तथा पहाड़ी ढलानों पर पेड़ लगाना और चारागाह का विकास करना;

(3) बहाव तथा कटाव रोकने के लिए मृदा संरक्षण इंजीनियरी संरचना का निर्माण;

(4) बालू के टीलों, भू-स्खलन, वेगधारा, आदि का स्थिरीकरण;

(5) जल उपयोग तथा वर्षा जल के पुन: उपयोग और साथ ही साथ अवक्रमित भूमि के सुधार के लिए जल-रोक ढांचों को तैयार करना।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित योजनाओं के जरिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है :—

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण;

(2) बाढ़—प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध;

(3) हिमालय के क्षेत्र में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण;

(4) सूखा—प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम,

(5) मरु—विकास कार्यक्रम ;

(6) झूम खेती पर नियंत्रण;

(7) राज्य मृदा सर्वेक्षण संगठनों का मजबूत बनाना;

(8) राज्य भू—उपयोग बोर्डों को मजबूत बनाना;

(9) उबडखाबड़ क्षेत्रों का विकास तथा स्थिरीकरण;

(10) चालू परती भूमि के अलावा खेती योग्य परती भूमि तथा बंजर भूमि का सर्वेक्षण, वर्गीकरण तथा सुधार पेना।

राज्य बिजली बोर्डों द्वारा विद्युत परियोजनाओं को देय राशि

99. श्री के. टी. कोसलराम : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड की ओर विभिन्न विद्युत परियोजनाओं, जो बोर्डों को बिजली सप्लाई करते हैं, को देय कितनी राशि बकाया है, (देश में बोर्ड वार आंकड़े);

(ख) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा शीघ्र भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड द्वारा नेवेली विद्युत परियोजना को 70 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जाना शेष है; और

(घ) यदि हां, तो नेवेली विद्युत परियोजना को बकाया धनराशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) राज्य बिजली बोर्ड विद्युत की बिक्री के कारण विभिन्न केन्द्रीय विद्युत उत्पादन संगठनों के 268.05 करोड़ रुपये ऋणी हैं। विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के संबंध में बकाया देनदारियों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) समय समय पर समीक्षा बैठकों में राज्य बिजली बोर्डों से बकाया राशियों का भुगतान करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

(ग) जी, हां। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा बताए आंकड़ों के अनुसार विद्युत की बिक्री के लिए तमिलनाडु बिजली बोर्ड को नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के 88.72 करोड़ रु. देने हैं।

(घ) बकाया राशि के भुगतान का मामला तमिलनाडु सरकार के साथ उठाया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम/राष्ट्रीय जल विद्युत निगम/दामोदर घाटी निगम/नेवेली लिग्नाइट निगम द्वारा (31-12-84 की स्थिति के अनुसार) राज्य बिजली बोर्डों को बेची गई विद्युत की बकाया राशि

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य बिजली बोर्ड का नाम	संगठन का नाम				जोड़
		रा. ता. वि. नि.	रा० ज० वि० नि०	दा० घा० नि०	ने० लि० का०	
1	आन्ध्रप्रदेश	31.46	—	—	—	31.46
2	आसाम	—	3.74क	—	—	3.74
3	बिहार	—	—	45.09*	—	45.09
4	हरियाणा	0.86	7.26क	—	—	8.12
5	हिमाचल प्रदेश	0.99	5.41क	—	—	6.40
6	गुजरात	1.29	—	—	—	1.29
7	मध्य प्रदेश	17.85	—	—	—	17.85
8	महाराष्ट्र	5.94	—	—	—	5.94
9	पंजाब	—	9.34क	—	—	9.34
10	राजस्थान	9.32	—	—	—	9.32
11	उत्तर प्रदेश	28.51	—	—	—	28.51
12	पश्चिम बंगाल	—	—	12.27*	—	12.27
13	तमिलनाडु	—	—	—	88.72**	88.72
						268.05

*15-1-1985 की स्थिति के अनुसार

**17-1-1985 की स्थिति के अनुसार तथा नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा सूचित

क 14-1-1985 की स्थिति के अनुसार

तमिलनाडु में सिंचाई परियोजनाएं

100. **श्री के. टी. कोसलराम :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार ने कौन-कौन सी बड़ी मध्यम दर्जे की और छोटी सिंचाई परियोजनाएं भेजी हैं, जिन पर अभी केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति नहीं मिली है;

(ख) क्या मध्यम दर्जे की और छोटी परियोजनाओं की यदि इनके कार्यान्वियन में योजना राशि की धनराशि खर्च नहीं की जाती हैं, राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना ही क्रियान्वित किया जा सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो गत पांच वर्षों के दौरान देश में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कौन-कौन सी मध्यम दर्जे की और छोटी सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) तमिलनाडु द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र को भेजी गई ऐसी बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नामों की सूची संलग्न विवरण के रूप में है जिनको अभी अनुमोदित किया जाना है। राष्ट्रीय आयोजना की वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत लघु सिंचाई स्कीमों के संबंध में परियोजना रिपोर्ट केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजना अपेक्षित नहीं होता है। तथापि, मध्यम परियोजनाओं को कार्यान्वियन से पूर्व योजना आयोग को अनुमोदन हेतु भेजना अपेक्षित होता है और यह आशा की जाती है कि योजना आयोग की ऐसी स्वीकृति के बिना राज्य किसी भी मध्यम परियोजना को हाथ में नहीं लेते।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पूरी की गई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार सूची को संकलित किया जा रहा है और सभापटल पर रख दिया जाएगा। चूंकि लघु सिंचाई परियोजनाओं को राज्यों द्वारा स्वयं संस्वीकृत किया जाता है, अतः भारत सरकार लघु परियोजनाओं की सूची नहीं रखती है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम
	क. बृहद् स्कीमें
1	परलबीकुलम अलियार अयाकट विस्तार (1980) कोयेम्बतूर तथा परियार जिला।
2	परलबीकुलम अलियार अयाकट विस्तार (1982)—कोयम्बतूर तथा परियार।
3	कावेरी डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण—थनजुवूर जिला।
	ख. मध्यम स्कीमें
1	अनन्तनार कोडियार चैनल का आधुनिकीकरण—(जिला कन्याकुमारी)
2	अनईमडुवु जलाशय—सेलेम जिला।
3	ओरथुपलयाम जलाशय स्कीम—(पेरियार तथा तिरुची जिला)
4	नोयाल जलाशय स्कीम—(कोयम्बतूर तथा तिरुची जिला)

12.00

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री महोदय।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मेरा एक निवेदन है। शुक्रवार को प्रधान मंत्री महोदय ने जासूसी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था।

अध्यक्ष महोदय : वह उस पर एक वक्तव्य देने वाले हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : ठीक है।

श्री पी. कोलनदाईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, कार्य सूची में. . . .व्यवधान

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : उस वक्तव्य के बाद क्या कल हमारा वह स्थगन प्रस्ताव लिया जायेगा, जिसकी कि मैंने सूचना भेजी है।

अध्यक्ष महोदय : हम परिस्थिति के अनुरूप और राष्ट्र हितों के अनुरूप कार्यवाही करेंगे।

एक माननीय सदस्य : महोदय, मैं चाहता हूं. . . . . .

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बाद।

श्री अमल दत्त : हमें इस पर चर्चा करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे। आपका किसी भी समय स्वागत है।

श्री अमल दत्त : स्थगन प्रस्ताव. . . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं है। जब आप चाहें हम चर्चा करा सकते हैं। परन्तु केवल चर्चा ही होगी और हम चर्चा करायेंगे।

एक माननीय सदस्य : हमें इस पर तुरन्त चर्चा करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उस वक्तव्य के बाद सभा की बैठक प्रथम बार हो रही है और वह वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री पी. कोलनदाईवेलू : एक बात है। श्रीलंका के मामले पर, हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले ही भेज चुके हैं। मेरी शिकायत यह है कि 22 तारीख की कार्य सूची में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हमारा नाम ही नहीं है। मैं इसकी सूचना पहले ही दे चुका हूं।

डा. कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : यह बैलट के अनुसार होता है।

अध्यक्ष महोदय : डा. भोई. मैं उन्हें समझा दूंगा। वह नये सदस्य हैं। समस्या यह है कि हमें लाटरी निकालनी पड़ती है। यह मेरी या अन्य किसी की शक्ति के बाहर की बात है। यह तो बैलट द्वारा होता है। यदि आप प्रो. दण्डवते से पूछें तो वह स्पष्ट कर देंगे।

श्री पी. कोलनदाईवेलू : हमने तो 15 तारीख को ही इसकी सूचना दे दी थी।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना कर्त्तव्य पालन किया। परन्तु यह न मेरे हाथ में है और न किसी के। आपके नाम की लाटरी नहीं निकल सकी। यही समस्या है।

श्री पी. कोलनबाइवेलू : क्या तमिलनाडु की जनता के साथ यह न्याय है ।

डा. ए. कलानिधि (मद्रास मध्य) : मैंने इस पर अल्पावधि चर्चा के लिए नियम 184 के अधीन सूचना भेजी है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पैदा ही नहीं होता । श्री अब्दूल गफ्फूर ।

प्रो. के. के. तिवारी : महोदय यह एक महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : अब यह क्या, इस तरह से नहीं, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ।

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : बिहार के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अध्यक्ष ने, जिस दल का इस सभा और बिहार विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व है, अपने शिष्यों से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अवैध हथियार जमा करने का आव्हान किया है, जो कि बहुत ही गम्भीर मामला है । यह तो हिंसा के लिए उत्तेजित करना है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम नहीं है । आप सूचना भेजिए । यह गृह मन्त्री महोदय का काम है ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बरामूला) : महोदय, प्रधान मंत्री जी ने दोनों सदनों में एक वक्तव्य दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब क्या बात है ?

प्रो. सैफुद्दीन सोज : उन्होंने कहा " इस समय और अधिक सूचना न मांगी जाए ।" परन्तु सभी प्रकार की सूचना प्रेस में छप चुकी है । प्रेस के पास सूचना उपलब्ध है ।

श्री अमल दत्त : आप इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में गम्भीर हूं ।

और आपसे अधिक हूं । वह वक्तव्य दे रहे हैं ।

श्री अमल दत्त : प्रेस के पास पहले से ही सूचना है ।

अध्यक्ष महोदय : इसे किसी ने भी प्रेस को नहीं दिया है । श्री अब्दूल गफ्फूर ।

क्या आप समझते हैं कि जो कुछ प्रेस में छपता है वह वेद वाक्य होता है ?

प्रो. सैफुद्दीन सोज : उन्होंने नाम और फोटो भी दिए हैं । प्रधानमंत्री महोदय ने संसद को विश्वास में नही लिया है ।

(व्यवधान)

12.04 म०प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा लेखा परीक्षित लेखे और कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण तथा दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के लेखापरीक्षित लेखे और कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफ्फूर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 22/85]

(2) (एक) दिल्ली नागरी कला आयोग, अधिनियम, 1973 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 23/85]

बेतवा नदी बोर्ड, झांसी का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि और इसकी कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण तथा केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रति-वेदन, आदि तथा ब्रह्मपुत्र बोर्ड का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) बेतवा नदी, बोर्ड अधिनियम, 1976 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बेतवा नदी बोर्ड, झांसी, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 24/85]

(2) केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत, बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय म रखा गया। देखिए संख्या एल टी. 25/85]

(3) (एक) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1983–84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. 26/85]

(4) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। खिदए संख्या एल०टी० 27/85]

आयल पाम इंडिया लिमिटेड, कोट्टायम के वर्ष 1982-83 तथा मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम, लिमिटेड भोपाल के वर्ष 1979-80 और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द के वर्ष 1983-84 के तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) आयल पाम इंडिया लिमिटेड, कोट्टायम के वर्ष 1982–83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आयल पाम इंडिया लिमिटेड, कोट्टायम के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपरोक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मंत्रालय में रखे गए, देखिए सं. एल. टी. 28/85]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दीं तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मन्त्रालय में रखे गए, देखिए संख्या एल टी 29/85]

(5) (एक) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मन्त्रालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 30/85]

खाद्य निगम अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम और चीनी विकास निधि, अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा भारतीय मानक संस्था का वर्ष 1983-84 का और सुपर बाजर कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1983-84 के पत्रों का विलम्ब से रखने के कारण दर्शाने वाला विवरण

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (90वां संशोधन) विनियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 15 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 33-एफ. संख्या 1–2/77-ई. पी. में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी.-31/85]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) चीनी (वर्ष 1983-84 के उत्पादनके लिये मूल्य निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1984 जो 18 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 669(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चीनी (वर्ष 1983-84 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश 1985, जो 8 जनवरी, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 14(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.-32/85]

(3) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा. का. नि. 548(अ), जो 30 जुलाई, 1984 कें भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनमें 28 सितम्बर, 1983 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 752(अ) का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(दो) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 1984, जो 20 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 817(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा. का. नि. 27, जो 12 जनवरी, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनमें 30 जुलाई, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 548(अ) के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 33/85]

(4) (एक) भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 34/85]

(5) (एक) सुपर बाजार कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सुपर बाजार कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 35/85]

(7) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा-वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 36/85]

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय लोक वित्त-एवं-नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे;

(2) राष्ट्रीय लोक वित्त-एवं-नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 37/85]

[अनुवाद] **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें और अध्यक्ष महोदय से मुखातिब हों। माननीय गृह मंत्री।

12.05 म.प.

सरकार क कुछ प्रमुख व्यक्तियों की राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : 18 जनवरी, 1985 को प्रधान मंत्री ने सदन को विश्वास में लेकर कुछ सरकारी व्यक्तियों की ऐसी गतिविधियों से उत्पन्न एक अत्याधिक गम्भीर मामले के संबंध में जो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है एक बयान दिया था। उसके बाद इस विषय में कुछ और ब्यौरे प्राप्त हुए हैं। मैं अब यह बात बताने की स्थिति में हूं कि हमारी आसूचना ऐजेंसी द्वारा हाल में की गई खुफिया कार्रवाई से मालूम हुआ है कि भारत सरकार में संवेदनशील पदों पर आसीन कुछ व्यक्ति वर्गीकृत दस्तावेज तथा रिपोर्टें एक भारतीय को देते रहे हैं, जो उन्हें नई दिल्ली स्थित एक विदेशी शक्ति के एक ऐजेंट को देता रहा है। हमारी आसूचना ऐजेंसी को इस विषय में पूर्ण कार्रवाई करने और आगे जांच-पड़ताल के आधार पर 17 जनवरी 1985 को शासकीय रहस्य अधिनियम के अधीन एक मामला दर्ज करने के निदेश दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप एक निजी फर्म के एक प्रतिनिधि और प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव के कार्यालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वित्त मंत्रालय और राष्ट्रपति सचिवालय में सरकार के कुछ कर्मचारियों सहित कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ की जा रही है। जांच पड़ताल के दौरान ली गई तलाशियों के परिणामस्वरूप अनेक वर्गीकृत और अत्याधिक संवेदनशील दस्तावेज बरामद हुए हैं। भारत सरकार के कहने पर इस मामले में अन्तर्ग्रस्त एक विदेशी शक्ति का एजेंट हमारे देश से वापिस बुला लिया गया है। आगे जांच पड़ताल की जा रही है।

मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारी आसूचना ऐजेंसियों द्वारा प्रकाश में लाई गयी जासूसी गतिविधियों के विस्तृत स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इन गतिविधियों में अप्रत्यक्ष रूप से भी अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को सजा देने में कोई प्रयास बाकी नहीं रखा जाएगा। इसके साथ-साथ वर्गीकृत सूचनाओं से संबंधित कार्रवाई के बारे में सुरक्षा प्रक्रियाओं का पूर्ण पुनरीक्षण किया जा चुका है और इस संबंध म सभी संबंधित व्यक्तियों को संशोधित अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

माननीय सदस्य इस बात को समझगे कि इस अवस्था में अधिक जानकारी देने से मामले की जांच पड़ताल में बाधा पड़ेगी।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। . . . . (**व्यवधान**) मेरा एक निवेदन है। विवरण बहुत संक्षिप्त है उदाहरणार्थ, आज अखबार में आया है कि एक फ्रांसीसी अधिकारी को, जिसे जासूसी कांड में एक महत्वपूर्ण विदेशी कड़ी के रूप में बताया गया है, पालम हवाई अड्डे से विदेश जाने दिया गया। अतः, हम इस पर पूर्ण और व्यापक चर्चा चाहते हैं ताकि हम देश की एकता और सुरक्षा के हित में बेहतर और अधिक विश्वसनीय जानकारी मिल सके। कृपया हमारी मांग स्वीकार करें. . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? यदि आप धीरे भी बोलें तो भी आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच जाएगी। हम नियमों के अन्तर्गत इस पर चर्चा करा सकते हैं ऐसा प्रावधान है। इसमें कोई मुश्किल नहीं. . . . **व्यवधान**

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : लेकिन सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में पहले दिन ही जब प्रधान मंत्री यहां आए उन्होंने तत्काल सभा को यह जानकारी दी। साथ ही मैं भी मामले के संबंध में संपर्क बनाए हुए हूं और यह मेरा कर्तव्य है और इसलिये जब मुझे पता चला तो मैंने उन्हें सभा के समक्ष वक्तव्य देने के लिए कहा और अब हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। हम मिल कर बैठेंगे और यह निर्णय करेंगे कि कैसी चर्चा हो (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बेकार क्यों चिल्ला रहे हैं ? . . . . . (**व्यवधान**)

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मंत्री महोदय ने वक्तव्य में आत्मतोष का रवैया अपनाया है। सभी मोर्चों पर सुरक्षा भंग हुई है–प्रधानमंत्री के सचिवालय में और गृह मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में सुरक्षा भंग हुई है और यहां वह कहते हैं . . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मुझे राष्ट्रहित में यह निर्णय करना है कि किस प्रकार की चर्चा कराई जाए. . . . (**व्यवधान**)

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् : हम सरकार की इस संबंध में निन्दा करते हैं। एक अभूतपूर्व बात हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कभी किसी चर्चा के लिए मना नहीं किया है मैं सुझाव स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि हम मिलकर बैठेंगे और कुछ तरीका निकालेंगे।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई समस्या है तो मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : सभा को विश्वास में नहीं लिया गया है–

(**व्यवधान**)

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उस विदेशी को कोई राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त थी, क्या वापसी के लिए अनुमति ली गई थी। हम इन सब का ब्यौरा चाहते हैं

और साथ ही यह भी जानना चाहते हैं कि कौन सा देश इसमें शामिल है। यह बात जनमानस को आन्दोलित कर रही है। आप हमें खमोश नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैंने ऐसा कहा है कि हम आपको अलग रखेंगे ? क्या मैंने ऐसा कहा है ?

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् : कृपया उन्हें कहें कि वह स्थिति स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहना यह है कि हम मिल बैठकर चर्चा के लिए कुछ उपाय ढूंढेंगे . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं कुछ गल्त बात कह रहा हूं ।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् : नहीं, नहीं मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा कि आप गल्त बात कह रहे हैं मैं खाली अपनी बात स्पष्ट कर रहा था मैंने यह कहा कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के लिए अनुमति मांगी है और इस संबंध में एक नोटिस दिया है। उसमें मैंने कहा है कुछ कि जो वे कर रहे हैं उसमें निन्दा का भी अंश सम्मिलित है। इस मामले की शुरुआत 10 महीने पहले हुई और ऐसा नहीं है कि रातों-रात ऐसी घटना हो गई है। मैं इस तथ्य की पुष्टि भी कर सकता हूं। आप कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री ने सभा को इस बारे में सूचित किया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं आप मेरी बात का गल्त आशय लगा रहे हैं। मैंने केवल यही कहा कि जब इस जासूसी कांड का भंडा फोड़ हुआ तभी उन्होंने सभा को बताया। यदि 10 महीने पहले बता दिया जाता तो एक भी आदमी पकड़ में नहीं आता

(व्यवधान)

के. पी. उन्नीकृष्णन : आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। कृपया उन्हें कहें कि वह स्पष्टीकरण दें और कुछ अन्य प्रश्नों का भी उत्तर दें

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव के लिए . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न हीं नहीं है। हम चर्चा कराएंगे . . . . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती राम दुलारी सिन्हा

12.12 म.प.

[अनुवाद]

विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधिन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ....

(व्यवधान)

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् : क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री के सचिव ने त्याग पत्र दे दिया है.... (व्यवधान)...जब सारी खबर अखबार में आ गई है तो क्या आप उन्हें स्थिति स्पष्ट करने के लिए नहीं कहेंगे.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ किया जाना चाहिए था वह किया जा चुका है।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् : उनके विवरण में इसका उल्लेख नहीं है....(व्यवधान) आप उन्हें कम से कम इन प्रश्नों के बारे में उत्तर देने के लिए कहें...(व्यवधान)

गृहमंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : प्रधान सचिव ने त्यागपत्र दे दिया है।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् : तो क्या मैं यह समझ लूं कि उन्हें और कुछ नहीं कहना है और यह सब बातें मात्र अफवाहें हैं ? क्या वह इनसे इन्कार करते हैं ? क्या वह इस अफवाह का खंडन करते हैं कि प्रधान मंत्री के सचिव ने त्याग पत्र दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि सचिव ने त्यागपत्र दे दिया है यही उन्होंने कहा है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : उन्हे यह कहना चाहिए कि अखबारो में छपा, है गलत हं। सदन को विश्वास मे नहीं लिया जा रहा है। अखबारों में फोटो भी छपे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : किसके फोटो......

(व्यवधान)

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों चिल्ला रहे हैं ?

---

*दिनांक 21 जनवरी, 1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग II, खण्ड 2, में प्रकाशित।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : वह इसलिए चिल्ला रहे हैं ताकि उनकी आवाज आप तक पहुंच सके ।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : केवल आप तक अपनी आवाज पहुँचाने के लिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऊंचा नहीं सुनता ।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है । वक्तव्य गृह मंत्री द्वारा दिया गया था । किन्तु प्रधानमंत्री के सचिवालय के अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं । प्रधान मंत्री के सचिव ने त्यागपत्र दे दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सच है ।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है । वक्तव्य प्रधानमंत्री को देना चाहिए था ।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न संगत नहीं है । इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाता ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।]

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं विधेयक पुरः स्थापित करती हूं ।

[अनुवाद]

विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन

अध्यादेश 1984 के बारे में विवरण

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : मैं विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अध्यादेश 1984 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 38/85]

12.15 म.प.

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कपास उगाने वाले किसानों को बरबादी से बचाने के लिए कपास के विपणन तथा मूल्य निर्धारण हेतु एक निश्चित नीति अपनाए जाने की आवश्यकता

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ (बड़ौदा) : कपास उगाने वाले किसान इस वर्ष कपास के मूल्यों के बारे में चिंतित हैं। उनकी मुख्य कठिनाईयां अपनी उपज को बेचने तथा उसकी गिरती हुई कीमतों के बारे में हैं। 1982-83 में कपास का उत्पादन गिर गया क्योंकि उससे पहल वर्ष 84 लाख गांठों का उत्पादन होने के कारण उसके मूल्य बहुत गिर गये थे; अगले वर्ष केवल 6 लाख गांठों का उत्पादन हुआ। अतः कम उपज के कारण सरकार ने महंगे भाव पर कपास का आयात किया जिससे सरकार को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। कपास की आवश्यकता को ध्यान में रख कर हर वर्ष एक निश्चित नीति निर्धारित की जानी चाहिए और उसके अनुसार मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिए।

जब पिछले वर्ष अगस्त में कपास का मौसम समाप्त हुआ तो लैवी स्टेपल कपास का मूल्य लगभग 7,000 रुपए प्रति कैंडी था किन्तु अब यह कीमत घट कर 5,500 प्रति कैंडी रह गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति क्विंटल लगभग 150 से 200 रुपए तक की हानि हुई है। कपास का मूल्य कपास उगाने वाले राज्यों द्वारा उत्पादन लगात के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मूल्यों में अचानक गिरावट आ जाने से सब से अधिक हानि किसानों को होती है। इसके अतिरिक्त उनकी उपज का मूल्य उन्हें कभी समय पर नहीं दिया जाता है। चूंकि यह मौसम जल्दी ही समाप्त होने जा रहा है, सरकार को कपास विपणन की दोषपूर्ण नीति में सुधार करने के लिये शीघ्र कदम उठाने चाहिए और किसानों को अच्छी फसल उगान क कारण तबाह होने से बचाना चाहिए।

(दो) केरल में पालघाट में रेल सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने की तत्काल मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री के. कुन्हम्बु (अडूर) : केरल में एक रेल सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने के लिए स्थान चुनने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। केरल सरकार ने पालघाट को इसके लिये उपयुक्त बताया था क्योंकि वहां जल, बिजली एवं रेल मार्ग सहज उपलब्ध हैं। विशेषज्ञ समिति ने, जिसने इस प्रश्न पर विचार किया था, इस कारखाने के लिये पालघाट की उपयुक्तता पर अपना सन्तोष व्यक्त किया था। भूतपूर्व रेल मंत्री ने भी यह आश्वासन दिया था कि केरल में पालघाट में कारखाना स्थापित किया जायेगा।

दुर्भाग्य से, कुछ लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि यह कारखाना पालघाट में स्थापित न किया जाये, कहीं और स्थापित किया जाये। आज केरल में कोई रेल सम्बन्धी उद्योग नहीं है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल में पालघाट में इस कारखाने की स्थापना के लिये कार्य आरम्भ करने की शीघ्र ही अनुमति दी जाए।

(तीन) दिल्ली दुग्ध योजना में फालतू पाए गए कर्मचारियों को सेवामुक्त करने के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली दुग्ध योजना में अनेक वर्षों से कार्यरत लगभग 800 कर्मी केवल इसलिए बेरोजगारी का सामना करने जा रहे हैं क्योंकि कर्मचारी निरीक्षण एकक ने, जिसमें कुछ अधिकारी हैं, जो संगठन के कार्यचालन से भली भांति परिचित नहीं हैं, इतने कर्मचारियों को आवश्यकता से अधिक पाया है। इन कर्मचारियों ने अपना समूचा जीवन संगठन को अर्पित कर दिया है और आज एकाएक उन्हें अधिशेष पाया गया है। इससे अन्य कर्मचारियों में भी रोष की भावना व्याप्त हो गई है। केन्द्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप कर इन 800 कर्मचारियों की नौकरियां बचानी चाहिए, वरन्, स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो सकती है।

दिल्ली दुग्ध योजना एक अनिवार्य सेवा है। 800 कर्मचारियों की छंटनी से श्रमिक अशान्ति पैदा हो जाएगी। यह सरकार की सुविचारित नीति के विरुद्ध है। सरकार को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे सैंकड़ों लोग बेकार हो जाएं।

अतः मैं मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं ताकि इन कर्मचारियों को छंटनी से बचाया जा सके।

[हिन्दी]

(चार) विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कीड़ों के भारी प्रकोप से दलहन की फसल को बचाने के उपाय करने की आवश्यकता

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, विदिशा संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत उदयपुरा, बाड़ी बुदनी एवं नसरुल्ला विकास खंडों के लगभग 90 प्रतिशत ग्रामों की हजारों एकड़ भूमि में दलहन की फसल पर कीड़ों का भारी प्रकोप हो गया है, जिस के कारण क्षेत्र के किसान चिन्तित हैं। अतः मेरा केन्द्र एवं राज्य शासन से अनुरोध है कि उक्त क्षेत्र को तत्काल संक्रामक क्षेत्र घोषित किया जाये, कृषकों को शीघ्र उचित मूल्य पर कीटनाशक उपलब्ध कराये जाये तथा शासन की ओर से युद्धस्तर पर कीटनाशक दवाइयों के हवाई छिड़काव की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आशा है केन्द्रीय कृषि मंत्रालय इस दिशा में तुरन्त कार्यवाही करेगा।

[अनुवाद]

(पांच) केरल के इदुक्की जिले में पहाड़ी-राजपथ (हिल हाइवे) के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

प्रो. पी. जे. कुरियन (इदुक्की) : केरल में इदुक्की देश के सब से पिछड़े जिलों में से है। शायद यह उन थोड़े से जिलों में से एक है जहां नाम भर को भी कोई उद्योग नहीं है।

इदुक्की एक पहाड़ी जिला है जहां केरल की अधिकांश नकदी फसलें जैसे बादाम, अदरक, काली मिर्च आदि उगाई जाती हैं। इस जिले से देश के लिये काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। इस जिले

को बनाने के पीछे यही मन्शा थी कि केरल के पहाड़ी क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सकेगा। किन्तु वहां कुछ भी महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है।

इसके पिछड़ेपन का एक कारण यह है कि वहां सड़कों का अभाव है। इदुक्की जिले का प्रमुख भाग जैसे देवीकुलम, पीरमुडु, उडुम्बम्ब उदम्बुम चोला आदि पश्चिमी घाटों के पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है। सड़क न होने से अच्छे संचार साधन बिल्कुल नहीं है और इससे व्यापार तथा अन्य गतिविधियों में बाधा पड़ती है। इस क्षेत्र में बाहर से आए हुए लोग तथा बागान मजदूर रहते हैं जिनके परिश्रम से देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस जिले के विकास के लिए एक पहाड़ी मार्ग के निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है। इस पहाड़ी मार्ग से जिले में सभी महत्वपूर्ण नकदी फसलें उगाने वाले क्षेत्रों को जोड़ा जा सकता है।

किन्तु राज्य की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इतनी मंहगी परियोजना आरम्भ कर सके अत: मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि इसके लिये पर्याप्त धनराशि आबंटित की जाए ताकि शीघ्र ही इस पहाड़ी मार्ग का निर्माण किया जा सके।

12.24 म. प.

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

(छ:) ट्यूब वैल लगाने हेतु पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों को ऋण देने से संबंधित नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यह बात सवविदित है कि पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, सिंचाई सुविधाओं का अभी तक आवश्यक विकास नहीं हुआ है। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अतरिक्त, उन्हें काफी हद तक भूमिगत जल संसाधनों पर भी निर्भर रहना पड़ता है।

गहरे एवं उथले ट्यूब वैलों में वृद्धि करने के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम से 10 करोड़ रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी उल्लेख किया था कि इन्हीं ट्यूबवैलों का पीने के शुद्ध पानी के लिये भी उपयोग किया जा सकता है।

दुर्भाग्य से जीवन बीमा निगम ने इस आधार पर ऋण देने से इन्कार कर दिया है कि वह केवल पीने के जल सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए ही ऋण दे सकता है।

मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान इस मामले की ओर दिलाना चाहती हूं। चूंकि जीवन बीमा निगम के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या है, इसलिये मैं यह अनुरोध करती हूं कि यदि आवश्यक हो तो नियमों में परिवर्तन किया जाये ताकि पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों को ऐसी परियोजनाओं के लिये भी ऋण दिया जा सके जिससे सिंचाई तथा पेय जल दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो क्योंकि सिंचाई सुविधाएं कृषि उत्पादन के विकास के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण होती हैं।

मैं वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे इस प्रश्न पर विचार करें और पश्चिम बंगाल को 10 करोड़ रुपये के ऋण लेने में सहायता करें।

(सात) आन्ध्र प्रदेश के तूफान ग्रस्त क्षेत्रों के लिए राहत

श्री पुचालापल्ली पेंचालैया (नेल्लौर) : बंगाल की खाड़ी में 12-11-1984 को जो तूफान उठा था वह नेल्लूर तट को पार कर गया था और उसके कारण नेल्लूर, चितूर तथा प्रकाशम जिलों में जान माल की भारी हानी हुई थी । राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राहत कार्यों के लिए कुल 80 करोड़ रुपये की रकम स्वीकृत और खर्च की गई है। भारत सरकार को राहत कार्यों के लिये 115.86 करोड़ रुपये की सहायता देने के लिये एक विस्तृत ज्ञापन भेजा गया है। एक केन्द्रीय अध्ययन दल तूफान प्रभावित जिले का दौरा कर चुका है और उसने स्थिति की गम्भीरता का मूल्यांकन कर लिया है। भारत सरकार ने अविलम्ब कार्यों को आरम्भ करने के लिये केवल 17 करोड़ रुपये का अग्रिम धन स्वीकृत किया है । अभी भारत सरकार से अन्तिम सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे शीघ्र ही 115.86 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति दें और आन्ध्र प्रदेश में तूफान पीड़ित लोगों को बचाएं।

12.27 म.प.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस जारी रखेंगे। अब श्री ब्रह्मदत्त बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदय, आप ने जो धन्यावाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है, उस के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं।

राष्ट्रपति जी ने अपने संक्षिप्त पर सारगर्भित अभिभाषण में सब से पहले उन दु:खद परिस्थितियों का जिक्र किया है, जो पिछले वर्ष के अन्तिम महीनों में इस देश में उत्पन्न हुई। मेरा संकेत तत्कालीन प्रधान मंत्री जी की निर्मम और विश्वासघातपूर्ण हत्या से है। इन परिस्थितियों और इन चुनौतियों का मुकाबला जिस तरीके से किया गया, उस लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस के नेता और उस के कार्यकर्ता और भारत की जनता सराहना के पात्र हैं। राष्ट्रपति जी ने भारत की जनता के विवेक की जो सराहना की है, वह सर्वथा उचित है। लोग यह समझते थे कि जिस प्रकार की स्थिति इस देश में पैदा हो गई है श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद, उस का मुकाबला करना बहुत कठिन होगा लेकिन ये सब गलतफहमियां दूर हो गई। सर्व-सम्मति से नेता का चुनाव हुआ और श्री राजीव गांधी ने लोकतंत्र में आस्था प्रकट करते हुए चुनाव समय से पहले करवाया। लोग यह समझते थे कि वे चुनाव बाद में कराएगें। करा भी सकते थे लेकिन लोकतंत्र में आस्था बहुत व्यक्त करतं हुए, उन्होंने चुनाव को पहले कराया और यह एक अभूतपूर्व चुनाव हुआ, जिस में लोगों ने इलाके की भावना से ऊपर उठ कर, जातिवाद से उपर उठ कर, छोटे-छोटे मुद्दों से

ऊपर उठकर राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना मतदान किया और देश की एकता और अखण्डता के लिए एक मजबूत सरकार बनाने के लिए वोट दिया। हमारे देश की जनता जानती थी कि इस विशाल देश को चलाने के लिए, जिस में बहुत सारे इलाके है, बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारे धर्म हैं, एक ऐसी पार्टी की जरूरत है, जोकि राष्ट्रीय पार्टी हो और इलाके की पार्टी या किसी जाति या मजहब की पार्टी से काम चलने वाला नहीं है। वे चाहते थे कि भारी जनमत से एक राष्ट्रीय नेता बने क्योंकि क्षेत्रीय नेता या छोटे-छोटे वर्गों के नेता इस देश को नहीं चला सकते। हमारे देश के मतदाता यह भी जानते थे कि इस देश को चलाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बने क्योंकि छोटे-मोटे कार्यक्रमों से, जो किसी इलाके को लेकर या किसी वर्ग विशेष को लेकर बनाए जाएं, काम चलने वाला नहीं है।

इसलिये राष्ट्रपति जी द्वारा भारतीय मतदाताओं की जो सराहना की गई है, वह सर्वथा उचित है।

राष्ट्रपति जी ने हमारी अर्थव्यवस्था में जो विकास हुआ है, उसका जिक्र किया है। सबसे पहले उन्होंने किसानों को धन्यवाद दिया है, किसानों की सराहना की है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये। मेरे पूर्ववक्ता ने एक बड़ी आश्चर्यजनक बात इस सम्बन्ध में कही। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ने का सारा श्रेय मानसून को जाता है। मैं मानता हूं कि मानसून एक बहुत बड़ा फैक्टर कृषि उत्पादन बढ़ाने में होता है, लेकिन केवल मानसून से काम नहीं चलता है। किसानों को जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वह चीजें उनको उपलब्ध होनी चाहियें। अगर हम थोड़े दिन के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि, स्वतंत्रता के बाद कृषि उत्पादन लगभग ढाई गुना बढ़ा है इसका कारण वह तमाम उठाये गये कदम हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी के जमाने में उठाये गये। जहां-जहां कांग्रेस के सराकरें बनीं, वहां किसानों को बहुत अधिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। कृषि उत्पादन बढ़ने का एक कारण सामन्तवादी और जमींदारी प्रथा समाप्त करना था हमारे वैज्ञानिक ने नये-नये तरह के बीच का अनुसंधान किया और विकास किया, सिंचाई के साधनों का विकास किया गया। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, वह था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। किसान पहले महाजन के चूंगल में रहता था और समय पर उन्हें पूंजी उपलब्ध नहीं होती थी, लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बहुत बड़े पैमाने पर उनको मदद पहुंचायी गई ताकि वह चीजें खरीद सकें। उन छोडे-छोटे किसानों को, जिन को सहायता नहीं मिल पाती थीं, उनको भी इन बैंकों के माध्यम से सहायता पहुंचायी गई ताकि वह बीज और खाद आसानी से खरीद सकें।

किसानों के हितों की रक्षा करने के लिये यह नम्र निवेदन करूंगा कि, आम तौर पर किसान जब उत्पादन बढ़ाता है तो उसके दाम घटने लगते हैं और कभी-कभी बाढ़, सूखा और दूसरी प्राकृतिक विपदायें आ जाती हैं, इसलिये यह फसल बीमा योजना जो कुछ क्षेत्रों में लागू की गई है, उसको ज्यादा से ज्यादा लागू करना चाहिए ताकि किसानों को कोई खतरा कृषि उत्पादन करने में और बढ़ाने में न रहे।

औद्योगिक उत्पादन के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले वर्ष से तुलना की है। यह वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में शुरू की गई थी और अगर 1979-80 के वर्ष को हम देखें तो सारे देश में उत्पादन 17 फीसदी घट गया था। जिस

समय कांग्रेस की नई सरकार 1980 में बनी तो उस समय मुल्क की अर्थव्यवस्था बहुत चिन्ता की हालत में थी। उस समय से हम इसकी तुलना करें तो यह तुलना और अधिक अच्छी और हमको सार्थक लगेगी।

कोयले की चर्चा राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में की। कोयले का उत्पादन तो हमें बढ़ाना चाहिये, लेकिन उसकी क्वालिटी में भी सुधार होना चाहिए, क्योंकि कोयले की क्वालिटी में सुधार करने से ही, हमारा बिजली का उत्पादन, जो ताप बिजली घर हैं, उनमें बढ़ेगा। हमें बिजली के उत्पादन में बहुत अधिक सुधार करना चाहिये।

खास तौर से जो हमारे तापीय विद्युतगृह हैं, थरमल पावर हाऊसिज हैं उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। उसके लिए तीन-चार बातें जरूरी हैं। एक तो उनको अच्छे किस्म का कोयला उपलब्ध होना चाहिए। दूसरे कोयले को ढोने के लिए रेलवे के वेगंस समय पर पर्याप्त संख्या में प्राप्त होने चाहिए जिससे उन्हें समय पर कोयला पहुंच सके। उनकी मरम्मत के किए जो पुर्जे होते हैं जो कि इन्स्ट्रमेंटेशन लिमिटेड, कोटा में या अन्य जगह पर बनाये जाते हैं उनकी उपलब्धि भी इन विद्युतगृहों के लिए समय पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। मैं तो यह भी सुझाव दूंगा कि नये तापीय विद्युतगृह बनाने से पहले हमको ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम पुराने तापीय विद्युतगृहों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करें।

मुझे इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद देना है कि पांच सौ करोड़ रुपये की योजना सरकार ने बनाई है ताकि पुराने तापीय विद्युतगृहों में सुधार किया जा सके। यहां, मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो हमारा कृषि का उत्पादन है या औद्योगिक उत्पादन है वह हम सब से ताल्लुक रखने वाली चीज है। यह उत्तर भारत का गंगा-यमुना का विशाल मैदान है, इसमें इतनी क्षमता है कि यह सारे देश को अन्न दे सकता है। लेकिन इसके सामने हमेशा दो मुसीबतें रहती है। एक मुसीबत बाढ़ की और दूसरी मुसीबत सूखे की। कभी कभी तो दोनों ही मुसीबतें साथ साथ आती जाती हैं। इसीलिए मैंने इंश्योरेंस का जिक्र किया था लेकिन वह काफी नहीं है। इन दोनों मुसीबतों से छुटकारा पाने का एक ही इलाज है कि हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियां, गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों और पूर्व से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को इकट्ठा किया जाए। इसके लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए चाहे वह हमारे देश में हो, या उसके सम्बन्ध में नेपाल से सहयोग कर के किया जा सके। इसके सम्बन्ध में पहल की गई है लेकिन अभी भी इन नदियों के पानी की बहुत क्षमता है जिसको कि हम संचय कर सकते हैं और उसे बेकार बहने से रोक सकते हैं। इससे बाढ़ भी नियंत्रित होगी और जो हर वर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है उससे बचा जा सकेगा।

इसके साथ साथ सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी और बिजली का उत्पादन भी बढ़ेगा। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। इस महत्वपूर्ण बात के लिए एक बहुद्देश्यीय योजना होनी चाहिए जिससे कि इनके रख-रखाव और संचालन का खर्चा कम हो सके और हमारा पर्यावरण भी खराब न हो।

दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि तापीय विद्युतगृहों को कोयले पर निर्भर करना पड़ता है। कोयले की मात्रा और उसकी क्वालिटी का इसमें बड़ा भाग रहता है कोयले को ढोने के लिए वेगंस की कमी नहीं रहनी चाहिए। इन विद्युतगृहों में पुर्जों का खर्चा भी बहुत होता है। इसलिए तापीय और

जलीय विद्युतगृहों का अनुपात ठीक किया जाना चाहिए। इससे उत्तर भारत की बहुत-सी मुसीबतें कम हो जाएंगी अगर हम अपनी बहुउद्देश्यीय योजनाओं को तेजी से अपने हाथ में ले सकें।

एक मेरा नम्र निवेदन यह है कि हमारे प्रदेशों के पास साधन काफी नहीं हैं। अब सातवीं योजना बनने जा रही है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सातवीं योजना में इन तमाम योजनाओं को जरूर लिया जाना चाहिए। जिन योजनाओं का सम्बन्ध एक प्रदेश से हो या कई प्रदेशों से हो उनका समावेश राष्ट्रीय योजना में किया जाना चाहिए।

मान्यवर, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के अन्तिम भाग में नर्मदा का जिक्र किया है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस जैसी कई परियोजनाएं हैं जो कि केवल इस कारण से नहीं शुरू हो पा रही हैं या नहीं चल पा रही हैं कि हमारे प्रदेश आपस में बैठ कर उनके बारे में फैसला नहीं कर पा रहे हैं। देश के सामने प्रदेश के हिसाब से सोचने का क्या औचित्य है? इसलिए मेरा कहना है कि इन योजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना बनाई जाए और राष्ट्रीय फारमूले के हिसाब से उसकी क्षमता को बांटा जाए।

[अनुवाद]

प्रो. एन. जी. रंगा : राज्यों तथा केन्द्र दोनों को ऐसा करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्म दत्त : हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य बहुत ठीक कह रहे हैं। सवाल यह है कि कोई बहुत बड़ी परियोजना होती है जिसमें प्रदेश भी आते हैं और राष्ट्रीय सरकार भी आती है। बंटवारे का एक फारमूला तथ्य है। मैं समझता हूं कि उससे न्याय हो जाता है।

अब मैं बीस सूत्री कार्यक्रम और दूसरे राष्ट्रीय कार्यक्रम जिनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, उनके बारे में भी कहना चाहूंगा। जो कुछ कहा गया है उससे मैं पूणतः सहमत हूं। लेकिन अपने अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि इन तमाम योजनाओं में गुणात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हमारी एकीकृत ग्राम विकास योजना है जिसमें लगभग साढ़े चौदह करोड़ परिवारों को उसके अन्तर्गत लाया गया है। उसमें भी गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए। यहां मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। इसमें जो कठिनाई आती है, जो भ्रष्टाचार होता है वह अनुदान पर होता है। भ्रष्टाचार की मूल में अनुदान है। अगर हम किसी को कैश अनुदान देते हैं तो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, आपस में बांट लेते है। इसलिए इस बात पर हमें विचार करना होगा। हमें अनुदान के स्वरूप को बदलना होगा। ब्याज की दर को कम करके अदायगी की अवधि बढ़ाकर हम लाभ तो उतना ही पहुंचा सकते हैं, लेकिन यह जो नकद अनुदान की बात है, इससे होने वाली कठिनाइयां कम हो जाएंगी। बैंकों का भी इसमें बड़ा भारी योगदान है। 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो क्रांतिकारी कदम उठाया बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का, उसका बड़ा भारी प्रभाव हुआ है। गांवों में भी बहुत सी बैंकों की शाखाएं खुली हैं, छोटे कस्बों में खुली हैं, लेकिन अभी भी हमें छोटे-छोटे गांवों में जाने की जरूरत है, ताकि गांवों के दस्तकार, भूमिहीन लोग इसका लाभ उठा सकें। सातवीं पंजवर्षीय योजना में भी हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश के प्रत्येक जिले में खोलें क्योंकि वे कम खर्चीले होते हैं और पिछड़े से पिछड़े इलाके में वे विश्वास प्राप्त कर सकते हैं।

यहां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एन आर ई पी का जिक्र किया गया और आर एल ई जी पी का जिक्र किया गया। जिन लोगों ने इन योजनाओं को प्रत्यक्ष चलते हुए देखा है, मैंने भी देखा है,

85-L/B(D)183LSS

उनको यह अहसास होता है, महसूस होता है कि कितना बड़ा परिवर्तन वहां हुआ है। लोगों को रोजगार, देने में और इलाके का विकास करने में काफी सहयोग मिला है। सड़क बनाने में, तालाब बनाने में इन चीजों की मरम्मत करने में, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाने में काफी मदद मिली है। इसके लिए जो सबसे बड़ी कठिनाई आ रही है वह यह है कि इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए गांवों में हमारे पास मशीनरी नहीं है। लोग गांवों में बड़े-बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन हिचकिचाते हैं, दूर-दराज के गांवों में जाने से हिचकिचाते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, विशेष तौर पर मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारी पंचायतें हैं, ग्रामसभा प्रधान हैं, ब्लाक प्रमुख हैं, उनको कुछ अधिकार दिए जाएं कि 50 हजार या एक लाख रुपए तक की योजनाओं को अपने जरिए वे करा सकें, खुद करा सकें। उनका नियंत्रण किया जा सकता है, देखरेख की जा सकती है। इसके लिए तकनीकी लोग ब्लाक स्तर पर हैं। इसके क्रियान्वयन का काम हमें ग्राम सभाओं को और ब्लाक प्रमुखों को सौंपना चाहिए। जो भी योजनाएं बनाई जाएं उनमें इन लोगों का सहयोग लेना चाहिए।

मैं देश में नियोजन प्रणाली के विकेन्द्रीयकरण के पक्ष में हूं और विकेन्द्रीयकरण केवल नाम का नहीं बल्कि क्रियान्वयन का विकेन्द्रीयकरण हो, जो हमारे अधिकार हैं उनका भी विकेन्द्रीयकरण हो। विकेन्द्रित योजनाएं बनाकर ही हम विकास कर सकते हैं। आठवीं लोकसभा का कार्यकाल और सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल लगभग एक सा होगा। 1985 से 90 तक करीब-करीब यह कार्यकाल रहेगा। इसमें हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि विकास के साथ-साथ हम क्षेत्रीय विषमताओं को भी दूर करें। क्षेत्रीय विषमता के साथ-साथ मनुष्य और मनुष्य में जो विषमता है, उसको भी दूर करना है। इसके लिए जो सहायता का फार्मूला है, उसको बदलना होगा, ताकि क्षेत्रीय विषमता और व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में विषमता दूर हो सके। जब तक यह विषमता रहेगी तब तक हम समाजवाद के वास्तविक उद्देश्य तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाएंगे।

मान्यवर, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन एक और बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने ऊसर सुधार के लिए एक निगम या परिषद् का गठन करने की बात कही है। मेरा नम्र निवेदन है कि ऊसर का इस्तेमाल कृषि भूमि के लिए नहीं बल्कि वन लगाने के लिए भी हो सकता है, इससे हम उद्योगों को कच्चा माल दे सकते हैं। अधिकांश मामलों में जो हमारी हाउसिंग स्कीम्स हैं, आवास योजनाएं हैं और जो हमारे बड़े-बड़े उद्योग हैं, उनके लिए भी हमें कृषि योग्य भूमि के बजाए ऊसर भूमि का उपयोग करना चाहिए और उसका विकास करना चाहिए।

मैं, एक दो बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा जो इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। एक नयी मिनिस्ट्री बनाई गई है, जो वाइल्ड लाइफ से ताल्लुक रखती है। यह बहुत अच्छी बात है। हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास। दोनों कामों का संतुलन हमें बनाना पड़ेगा। मैंने तो एक मौके पर प्रधान मंत्री जी से कहा था कि जंगल के किनारे पर रहने वाले लोगों को वाइल्ड लाइफ में शामिल कर लीजिए क्योंकि उनकी जिन्दगी जंगलियों जैसी ही है। काश्मीर से लेकर मिजोरम और नागालैण्ड तक जो फैले हुए पर्वतीय विशाल प्रदेश हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत एक पर्वतीय विकास मंत्रालय गठित किया जाना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का हल हो सके, जिससे सारे राष्ट्र को लाभ हो। इन शब्दों के साथ, इस सदन

के वरिष्ठ नता प्रो. एन. जी. रंगा द्वारा पेश किए गए तथा श्री बी. आर. भगत द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सी. माधव रेड्डी (अदिलाबाद) : सभापति जी, जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उस पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मेरी पार्टी को चालीस मिनट दिए गए हैं, लेकिन में बीस मिनट ही बोलूंगा। अभी-अभी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने इस बात का ज़िक्र किया कि कांग्रेस पार्टी को अखण्ड बहुमत मिला और वह इस बात का सबूत है कि लोगों ने राष्ट्र की एकता और अखण्डता का ध्यान रखा। अगर वह यह समझते हैं कि लोगों ने एकता और अखण्डता को ध्यान में रखकर ही उन्हें बहुमत दिलाया तो यह गलत है। इसकी वजह यह है कि राष्ट्र की एकता और अखण्डता को मानने वाले सभी लोग हैं। कोई भी ऐसा मैम्बर या कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, जो इसके खिलाफ हो। यह कहना कि कांग्रेस पार्टी ही इसकी हकदार है तो यह बिल्कुल गलत है। मैं इसके खिलाफ़ हूं और इसका प्रोटेस्ट करता हूं। यहां पर जितने भी सदस्य चुनकर आए हैं, सभी इस देश की एकता और अखण्डता को मानते हैं। फिर, यह भी कहा गया कि कांग्रेस को इसलिए बहुमत मिला क्योंकि वे स्ट्रांग सेन्टर के लिए चुनाव लड़े। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कांग्रेस का मुकाबला हम लोगों ने भी किया। हमने यह दिखा दिया कि स्ट्रांग सेन्टर के साथ-साथ हमने स्ट्रांग स्टेट के लिए भी चुनाव लड़ा। स्ट्रांग सेन्टर और स्ट्रांग स्टेट की बुनियाद पर ही हम लोगों ने चुनाव लड़ा। इसी वजह से जबर्दस्त जीत हमें हासिल हुई। इससे यह साबित होता है कि हिन्दुस्तान के लोगों की यह इच्छा है कि अगर स्ट्रांग सेन्टर हो तो वीक स्टेट न हों। जहां कहीं भी लोगों को यह बताया जाए कि वे स्ट्रांग स्टेट के साथ स्ट्रांग सेन्टर चाहते हैं तो वे बराबर बहुमत से जीताएंगे। आपका पैर अगर कमजोर है और हाथ मजबूत है तो आप हाथ के बल नहीं चल पायेंगे। हाथ और पैर दोनों मजबूत हों तभी आप चल सकेंगे। मैं चाहता हूं कि हम यह महसूस करें कि जब सन्टर स्ट्रांग हो तो स्टेट्स को भी स्ट्रांग करने की कोशिश की जाए। अफसोस इस बात का है कि पिछले 18 सालों में इस सदन में यह हुआ कि सब राज्यों को वीक किया जाए। एक-एक करके आपन कई कदम उठाए और उन सब का नतीजा यह निकला कि तमाम स्टेट्स आपके स्ट्रांग सन्टर के ऊपर निर्भर हो गए। मैं आपको एक नहीं, कई मिसालें दे सकता हूं। उनमें से एक ग्लेरिंग मिसाल यह है कि इस सदन में भारत के संविधान को समय-समय पर कई बार बदला गया और जब-जब भी उसम परिवर्तन किया गया, हर बार स्टेट के किसी-न-किसी हक को छीन कर केन्द्र के अधीन कर दिया गया। पहले फौरेस्ट विषय स्टेट लिस्ट में था, जब 31 साल पहले मैं इस सदन का मम्बर था, उस समय फौरेस्ट स्टेट लिस्ट में था, लेकिन अब आप देख लीजिए, उसको कान्करैन्ट लिस्ट में लाया गया है। क्या आप बात सकत हैं, उसको कान्करैन्ट लिस्ट में लाने की क्या आवश्यकता थी, क्यों उस विषय को राज्यों के अधिकार क्षेत्र से छीन कर केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में लाया गया? आज उसका नतीजा यह हो रहा है कि स्टेटों के विकास के सारे काम ठप्प पड़ गए हैं, इसका उनकी कन्स्ट्रक्शन एक्टीविटीज पर बुरा असर पड़ रहा है, उसमें रुकावटें आ रही हैं। मैं आप को उसकी मिसाल देना चाहता हूं।

फौरेस्ट कन्जर्वेशन ऐक्ट 1980 में बना और उसके अनुसार फौरेस्ट को स्टेट लिस्ट से हटा कर कान्करैन्ट लिस्ट में लाया गया। इसके परिणाम-स्वरूप हमारे कई प्रोजक्ट्स का काम रुक गया, क्योंकि यदि किसी जंगल में से हमें कोई बिजली की लाइन ले जानो होती है तो यहां फौरेस्ट मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से उसकी इजाजत लेनी पड़ती है, वरना हम उस लाइन को उस जंगल से नहीं ले जा सकते। फिर यहां केन्द्र के फौरेस्ट आफिस से उस की इजाजत नहीं मिलती। यदि किसी

जंगल से हमें कोई नहर गुजारनी होती है तो उसकी इजाजत के लिए केन्द्रीय सरकार के पास आना पड़ता है, कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो उसके लिए केन्द्रीय सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। यहां पर इजाजत मिलने से पहले पूछा जाता है कि वहां कितने झाड़ हैं जिनको आप काटेंगे, उनके स्पीसीज क्या हैं, उनकी किस्म क्या है, उसका एरिया कितना है। जब हमारी तरफ से इन सारी बातों का जवाब आता है तो शायद फिर पूछेंगे कि उस झाड़ में पत्ते कितने हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप यह सारी बातें जानकर क्या इस तरह से फौरेस्ट का प्रिजर्वेशन करेंगे, क्या इसी तरह से कन्जर्वेशन करना चाहते हैं। फारेस्ट कन्जर्वेशन का यह मतलब तो नहीं है कि आप विकास कार्यों में रुकावट डालने के लिए कोई कानून बनायें। आप फौरेस्ट को कन्जर्व करने के लिए कानून भले ही बनाईये, लेकिन उनकी इम्पलीमैंटेशन का काम स्टेट्स के ऊपर छोड़िये। यदि उसकी इम्पलीमैंटेशन आप ही शुरु करेंगे तो फिर राज्यों में कोई काम नहीं होगा। मुझे मालूम है, हमारे राज्य के हजारों छोटे-छोटे प्रोपोजल्स यहां पड़े हुए हैं, बड़े प्रोजैक्टस की बात छोड़ दीजिए, उनमें ग्राम पंचायतों, पचायत समितियों के कई प्रोपोजल्स ऐसे हैं जिनमें एक गांव से दूसरे गांव तक दो-तीन या चार मील की सड़कें बनती हैं और वे जंगलों में से होकर गुजरती हैं। फौरेस्ट से गुजरने वाली हर सड़क के लिए हमें केन्द्र से इजाजत लेनी पड़ती है, वरना हम सड़क नहीं बना सकते। यहां प्रोपोजल भेजने पर उसकी इजाजत तीन-चार साल तक नहीं मिलती और इस कारण वह रोड नहीं बन सकता। इस तरह से एप्रोच रोड्स, बड़ी रोड्स और बिजली के काम रुक जाते हैं। सारा विकास कार्य ठप्प पड़ जाता है, नहरों का काम रुक जाता है।

हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तेलगु गंगा प्रोजेक्ट है, जिस के जरिए हम मद्रास को 15 क्यूसेक पानी देना चाहते हैं और साथ ही रायल सीमा के कहतजदा इलाकों को पानी पहुंचाना चाहते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी इतनी जरूरत है, मगर वह प्रोपोजल यहां पर रुका हुआ पड़ा है। इसका कारण यह है कि तेलगु गंगा प्रोजेक्ट नलमल्लई जंगल से गुजरता है और हमें उसकी इजाजत केन्द्रीय सरकार से लेनी होगी। दो साल से आपके यहां फाइल पड़ी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इस तरह से आप क्या फायदा करना चाहते हैं, क्या इस तरह से आपका सैन्टर मजबूत होगा। इस तरह से तो आप अधिकारियों के पास फाइलों की संख्या ही बढ़ाते जा रहे हैं। मैं यह भी जानता हूं कि जहां हमारे फारैस्ट के मिनिस्टर साहब के पास पहले रोजाना 10 या 15 फाइलें आती थीं, अब उनकी संख्या बढ़ कर 500 तक पहुंच गई है। आखिर कहां तक आप फाइलों को देखेंगे। उसका नतीजा यह हो रहा है कि स्टेट का चीफ सैक्रेटरी, जो कि एक सीनियर आफिसर होता है, जब कोई प्रोपोजल आपके सैन्टर में भेजता है तो यहां का एक अण्डर सैक्रेटरी या डिप्टी सैक्रेटरी उसको रिजैक्ट करके भेज देता है, वह उस प्रोपोजल पर या फैसले पर कोई निर्णय लिए बिना बैठा रहता है, ही सिटस ओवर हिज जजमैन्ट। क्या इस तरह से आप सैन्टर को मजबूत करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से रुटीन वर्क्स बढ़ाने से आपका सैन्टर मजबूत नहीं होता है।

इस तरह से जो छोटी छोटी पावर्स आपने ले ली हैं, जब तक आप उन्हें स्टेट्स को वापिस नहीं देंगे तब तक इस देश की तरक्की नहीं होगी। यह मैंने एक ही मिसाल दी है, ऐसी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। मैं बता सकता हूं कि कितने सबजैक्ट्स को स्टेट लिस्ट में से निकाल कर आपने कांकरेंट लिस्ट में डाल दिया है।

हमारी शिकायत यह है कि सैंटर के पिछले किरदार ऐसे रहे हैं कि काफी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने देखा है कि कुछ स्टेट्स के साथ एक बर्ताव किया

जा रहा है और दूसरी स्टेट्स के साथ दूसरा वर्ताव किया जा रहा है, और यह इसलिए कि वहां कांग्रेस की सरकार नहीं है ।

इलैक्ट्रिसिटी की बात मैं बताना चाहता हूं । अभी श्री शंकरानन्द जी यहां बैठे थे, वह बता सकेंगे । केन्द्रीय सरकार जो इलैक्ट्रिसिटी बनाती है एन. टी. पी. सी. में चाहे कल्पक्कम में हो या अटामिक पावर पलांट में हो या रामगुंडम में हो, चाहे कहीं भी हो, कई राज्यों में इलैक्ट्रिसिटी के प्रोजैक्ट हैं जहां बिजली बनती है और यह बिजली बेची जाती है स्टेट्स के इलैक्ट्रिसिटी बोर्डज को किस दाम पर यह बिजली बेची जाती है ? साउदर्न स्टेट्स के लिए यह 56 पैसे प्रति यूनिट बेची जाती है. नादर्न स्टेट्स के लिए 36 पैसे प्रति यूनिट बेची जाती है, ऐसा क्यों ? आप यह कह सकते हैं कि प्रोडक्शन साउथ में ज्यादा है या कम है, इसकी कोई बात नहीं है । आप यह नहीं करत हैं कि नार्थ से बिजली ले जाकर साउथ में देते हैं ।

(व्यवधान)

हां, ईस्टर्न में और ज्यादा है । वैस्टर्न में बहुत कम है, वहां यह 34 पैसे प्रति यूनिट है । नार्थ जोन में 36 पैसे है और साउथ जोन में 56 पैसे प्रति यूनिट है, ऐसा क्यों है ? क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ? क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि वहां आपकी गवर्नमैंट नहीं है ? यह सरासर डिस्क्रिमिनेशन है ऐसी कई मिसालें मैं दे सकता हूं और एक-एक मिसाल से मैं साबित कर सकता हूं । डिस्क्रिमिनेशन बराबर होता रहा है और आइन्दा यह नहीं होना चाहिये, यह मेरी अर्ज है ।

एक और सवाल हमारे सामने है । राज्यों को पैसा मिलना बहुत मुश्किल बात है । डैवलपमैंट वर्क के लिए यहां से जो पैसा एलाट होता है, उससे हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं । हमने देखा है कि जराय में सबसे बड़ा जरिया हमारे सामने मार्केट वारोइंग्ज का है । इस बारे में अगर हम देखें तो पता लगेगा कि 1952-53 में फर्स्ट फाइव ईअर प्लान में और सैकिंड प्लान में जितना पैसा मार्किट वारोईंग्ज से आता था उसका 50 फीसदी राज्य को मिलता था और 50 फीसदी केन्द्र अपने पास रखता था । अब तो हालत यह हो गई है कि मार्केट वारोइंग्ज का 10 परसैंट स्टेट्स को मिलता है और 90 फीसदी सैंटर के पास रह जाता है । यह एक दिन में नहीं हुआ है, कंटीन्युअसली इसमें कमी की गई है और मैं फिगर्स बता सकता हूं कि थर्ड फाइव ईअर प्लान में यह 51 परसैंट सैंटर के लिए था और 49 परसैंट स्टेट्स के लिए था और फोर्थ प्लान में यह घटकर 27 परसैंट हो गया । आखिर म चलकर 1983-84 में यह 10 परसैंट हो गया ।

जितना पैसा आपको वारोइंग्ज से मिलता है, उसमें से 10 परसैंट आप राज्य को डिस्ट्रिब्यूट करते हैं और 90 परसैंट अपने पास रखते हैं और फिर आप कहते हैं कि पसा आपको नहीं देंगे ।

1.00 म० प०

यह आप इसलिए करते हैं कि राज्य बराबर आपके पास आयें और भीख मांगे और कहें कि हमें पैसा चाहिए । फिर भी आप नहीं देंगे ।

हमारा कहना यह है कि यह डिस्क्रिमिनेशन राज्यों के साथ नहीं होना चाहिये । राज्यों को पूरा पैसा मिलना चाहिए, एलाटमैंट ज्यादा होनी चाहिये ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होती है और हम 2 बजे पुनः कार्यवाही शुरु करेंगे ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिय 2 बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई ।

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बज कर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री सी. माधव रेड्डी अपना भाषण जारी रखेंगे ।

[हिन्दी]

श्री सी. माधव रेड्डी : सभापति महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि राज्यों के साथ केन्द्र किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन का बर्ताव कर रहा है । एक मिसाल इस की मैं और देता हूं । दो साल पहले केन्द्र सरकार ने यह नीति बनाई थी कि आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन दो राज्यों में सीमेंट इंडस्ट्री की तरक्की रोक दी जाए, इस वजह से कि उन के हिसाब से सीमेंट का सरप्लस उत्पादन वहां पर हो गया था । आप जानते हैं कि सीमेंट का अभी तक सरप्लस नहीं है । पिछले साल में हम सीमेंट इम्पोर्ट किए हैं । और आगे भी हर साल आप सीमेंट इम्पोर्ट करते जायेंगे । लेकिन इसके बावजूद केन्द्र सरकार ने इस नीति को अपनाया कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, दोनों प्रदेश सीमेन्ट के मामले में सरप्लस हो गए हैं इसलिए वहां पर सीमेन्ट फैक्टरीज़ नहीं खोली जानी चाहिए और उसके बाद सेलेक्टिव बेसिस पर सीमेन्ट फैक्टरीज़ के लाइसेन्स दिए जा रहे हैं । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में सीमेन्ट फैक्टरीज़ नहीं खोलेंगे तो और कहां पर खोलेंगे ? क्या आप यू. पी. और बिहार में सीमेन्ट के कारखाने लगायेंगे ? यू. पी. में आप शूगर फैक्टरीज़ लगा सकते हैं लेकिन दक्षिण प्लैटो में—खास तौर से कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में, जहां पर लाइम-स्टोन के बहुत बड़े-बड़े डिपाजिट्स हैं, वहीं पर सीमट फैक्टरीज बन सकती हैं । केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में जो नीति अपनाई, उसका मकसद यही था कि वहां पर कांग्रेस गवर्नमेन्ट्स नहीं थीं, अपोजीशन पार्टीज़ की गवर्नमेन्ट्स थीं । इस सिलसिले में खास तौर पर इन्हीं दो राज्यों को ही चुना गया और इनके बारे में यह नीति अपनाई गई । मेरा चार्ज है कि यह केन्द्रीय सरकार की जो नीति थी वह पोलि-टिकली मोटिवेटेड थी । यदि आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि सीमेन्ट के मामले में सरप्लस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सीमेन्ट कहीं से भी कहीं को जा सकता है, सीमेन्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है । जो सीमेन्ट आन्ध्र प्रदेश में बनती है वह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जाती है या किसी भी प्रदेश में जा सकती है । इसलिए सरप्लस होने का कोई मतलब नहीं है । मैं समझता हूं कोई भी आनरेबल मेम्बर इस बात को नहीं मानेगा कि सीमेन्ट के प्रोडक्शन में हम सरप्लस हो गए हैं । इसलिए जितने भी सीमेन्ट की जरूरत है उसके लिए इण्डस्ट्री बनाने के लिए फ्रीली लाइसेन्स दिए जाने चाहिए और जहां भी सीमेन्ट फैक्टरीज बनाई जा सकती है, जहां पर भी उसके लिए रा-मैटी-रियल , कोयला और लाइम-स्टोन वगैरह मौजद है, वहां पर बड़ी और मिनी सीमेन्ट फैक्टरीज लगाने के लिए लाइसेन्स देने चाहिए । यह बात जो मैं कह रहा हूं , वह वैसे ही नहीं कह रहा हूं, वह रिकार्ड पर है । सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने जो ऐसी नीति अपनाई और जो नोटिफिकेशन है वह सदन के सामने है जिसको सभी लोग जानते हैं ।

सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश के बारे में पिछल दो सालों से केन्द्रीय सरकार की नीति कुछ अच्छी नहीं रही है । आन्ध्र प्रदेश के कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो रुके हुए हैं । जैसे कि पोलवर प्रोजेक्ट है, उसके बारे में हमने प्रपोज़ल भेजा हुआ है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है । इसी तरह से तेलुगु

गंगा का प्रोजेक्ट कई महीनो से रुका हुआ है, उसकी सैंक्शन नहीं हो रही है। इसी तरह से पोचमपाड़ प्रोजेक्ट है, श्री रामसागर (सैकंड फेज) प्रोजेक्ट है जिसकी सैंक्शन नहीं हो रही है। इसी तरह से इचमपल्ली प्रोजेक्ट का भी कोई पुरसांहाल नहीं है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट तो बना चुका है लेकिन वसुंधरा प्रोजेक्ट (सैकेन्ड फेज) रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है–हम नहीं जानते हैं (व्यवधान) ये इतने प्रोजेक्टस हैं जिन पर कोई फैसला नहीं हो रहा है। खतो-किताबत चलती है लेकिन फैसला नहीं होता है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो इतने प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, उनको रोकने का कोई भी औचित्य नहीं है, इनको फौरी सैंक्शन दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे आंध्र प्रदेश में एन०टी० रामाराव सरकार ने एक काफी महत्वपूर्ण स्कीम चलाई हुई है की गरीबों मदद करने के लिए, उनको मंहगाई से बचाने के लिए दो रुपए कं जो चावल देने की बहुत बड़ी स्कीम चल रही है जो कि बहुत कामयाब है। 50 लाख फैमिलीज उसका लाभ उठाती हैं जो कि गरीब हैं। इस स्कीम के लिए हमें 20 लाख टन चावल चाहिए। जितना भी चावल हमारे आंध्र प्रदेश में पैदा होता है उसमें से जितना चावल प्रोक्योर करना है वह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया प्रोक्योर करती है लेकिन प्रोक्योर्मेन्ट के बाद हमारे इलाके मे पैदा हुए चावल को हमें देने से इन्कार करती है। हमारी जरूरत 20 लाख टन की है लेकिन 10 लाख टन ही मिलता है और बाकि 10 लाख टन चावल ज्यादा दाम पर हमें बाजार से खरीदना पड़ता है जिस पर हमारी गवर्नमेन्ट को 140 करोड़ रुपया देना पड़ता है।

हमारा अनाज हमको देने के लिए क्या दिक्कत है। जितना आप प्रोक्योर करते हैं, उसका आधा तो दीजिए।

एक माननीय सदस्य : कितना प्रोक्योर करते हैं?

श्री सी. माधव रेड्डी : जितना भी प्रोक्योर करते हैं, उसका आधा दीजिए। 1984 मे तकरीबन 50 लाख टन प्रोक्योर हुआ है, आधा नहीं तो बीस लाख टन तो दीजिए। जब आप इतना देंगे तो सब लोगों को दे सकेंगे, लोग खुश होंगे और उनको पेट भर कर खाना मिलेगा। हमें यह पसन्द नहीं है कि प्रोक्योर तो आप करें और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जितना अनाज चाहिए, उतना आप नहीं देते हैं, जिससे हम लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते।

एक माननीय सदस्य : रिक्वायरमैंट क्या है?

श्री सी. माधव रेड्डी : रिक्वायरमैंट बीस लाख टन है।

सभापति महोदय, इस साल हमारे प्रदेश में काफी बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। कई फैमिलिज तबाह हो गई हैं। 50 प्रतिशत "सोन-एरिया" इफैक्टिड हो गया है। हमारा अन्दाजा है कि करीब दो हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। राज्य की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 370 करोड़ रुपये की मदद मांगी, लेकिन मिला सिर्फ 44 करोड़ रुपया।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : अन्य राज्यों की तुलना में आन्ध्र प्रदेश को सबसे अधिक धनराशि मिली।

[हिन्दी]

श्री सी० माधव रेड्डी : इतना बड़ा अकाल, इतना बड़ा साइक्लोन, इतनी बड़ी मुसीबतें, इतना बड़ा डिजास्टर, इस साल किसी स्टेट में नहीं आया होगा। मेरी अर्ज यह है कि आप हमारी जरूरतों

का ख्याल करें। मांग की गई सौ करोड़ रुपये की, लेकिन दिया गया सिर्फ 50 करोड़ रुपया। आप यह देखिए कि हमारी मांग क्या है और आप कितना दे रहे हैं। जब किसी राज्य में ऐसी स्थिति होती है, तो सैन्ट्रल टीम वहां का दौरा करके अपनी रिपोर्ट सैन्टर को देती है। इसमें आपकी मदद आते-आते वहां की जरूरतें रह जाती हैं। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप कोई एसी बॉडी बनायें, जिसे चाहे डिजास्टर कमेटी कहिए, परमानेंट स्टैचुटरी बॉडी कहिए, जो यह देखे कि किस राज्य को कितनी मदद की आवश्यकता है। हो सकता है, कल यह स्थिति बिहार में आ सकती है, वैस्ट बंगाल में आ सकती है और वहां के आफिसर यहां केन्द्र में चार पांच चक्कर लगायें और इसमें दो-तीन महीने निकल जायें तथा हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पायें। इसलिए मेरी अर्ज है कि कोई एक ऐसी आटोमैटिक मशीनरी होनी चाहिए, जो इफैक्टिड एरियाज का दौरा करके जल्दी मदद दे सके। हो सकता है कि हम फण्ड्स प्राप्त करने के लिए एग्जैजिरेट करते हों, इसकी वजह यही है कि यदि हम सौ करोड़ मांगेंगे तो पांच करोड़ आप देंगे। इसलिए हम एग्जैजिरेट करत हैं।

सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। प्रधान मंत्री जी ने यह ऐलान किया कि पंजाब और असम की समस्या का हल जल्दी निकालेंगे। मैं जानता हूं कि पंजाब और असम का मसला काफी कठिन मसला बन गया है। इस समस्या का हल निकालने के लिए अपोजिशन का सहयोग खास तौर से हमारी पार्टी का सहयोग आपके साथ है। खास तौर से मैं सिक्ख भाइयों से अपील करूंगा कि काफी खून बह चुका है, अब ज्यादा इस पर कुछ नहीं होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस मसले का हल निकालना चाहिए, क्योकि हिन्दुस्तान पंजाबी, हिन्दु, सिक्ख और मुसलमान सभी का देश है। इस देश में सभी रहते हैं और सब को मिलकर, शान्ति के साथ रहना चाहिए तथा इस देश की तरक्की करनी चाहिए। खास तौर से मैं पंजाबी भाइयों से कहूंगा कि वे इस बात का हमेशा ख्याल रख।

अंत में, मैं इकबाल का यह शेर कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं :

"चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगामें-हक दिया था,
नानक ने जिस चमन में वहदत के गीत गाए,
तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया,
जिसने हिजाजियों से दश्ते-अरब छुड़ाया,
मेरा वतन यही है, मेरा वतन वही है।"

धन्यवाद

[अनुवाद]

श्री जयदीप सिंह (गोधरा) : मैं भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें इस देश में हुए विभिन्न प्रकार के विकास के सभी पक्षों पर प्रकाश डाला गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि अगले वर्षों में क्या किया जाना है। मैं सरकार का ध्यान कतिपय ऐसे पक्षों की ओर दिलाना चाहूंगा जिन पर, मेरे विचार से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम 21वीं शदी में पदार्पण की बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी प्रत्येक आवश्यकता के बारे में आत्म-निर्भर बनने के प्रश्न को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यह

बात प्रायः सुनने में आती है कि जब कभी देश में किन्हीं महत्वपूर्ण वस्तुओं की मांग होती है तो यह खतरा सदा बना रहता है कि पश्चिमी देश किसी न किसी बहाने इन वस्तुओं को हमें उपलब्ध न करायें जिससे उस क्षेत्र विशेष में हमारे विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

मैं विशेष रूप से आपका ध्यान उस विवाद की ओर दिलाना चाहता हूं जोकि सिलिकन के आयात के बारे में चल रहा है। देश में सिलिकन का आयात रक्षा उद्देश्यों के लिये किया जाता है। हमें भय है कि हम सिलिकन के आयात पर अधिक निर्भर हैं जबकि हमें देश में ही इसका उत्पादन करना चाहिए। जहां तक इसका सम्बन्ध है, मैं इस बारे में पूरी तरह से सहमत हूं। किन्तु जिस प्रश्न पर अब बहस हो रही है वह यह है कि क्या सिलिकन तकनीक को अमरीका अथवा पश्चिम के किसी अन्य देश से आयात करना चाहिए अथवा क्या इसका अपने ही देश में उत्पादन किया जाना चाहिए। मेरी राय यह है कि यह एक ऐसा पदार्थ है जिसका हमें अपने ही देश में उत्पादन करना चाहिए। क्योंकि सिलिकन की हमारी कुल मांग केवल 25 टन है। और 5 टन की तो हमें बहुत ही आवश्यकता है। मेरे विचार से इसके आयात के लिए अमरीका के साथ हमारी बातचीत चल रही है और इसका मूल्य लगभग 90 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। मेरे विचार से इतना पैसा बरबाद करना एक अपराध होगा। हमारे देश में ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सरकार को स्पष्ट तौर पर बताया है कि यदि उन्हें अवसर प्रदान किया जाए तो वे आवश्यकतानुसार उत्पादन कर सकते हैं। महोदय, यह कहते थोड़ा दुख होता है कि इस देश में इस समय अनेक मामलों में इस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं कि उन पर नौकरशाहों का ही वर्चस्व होता है। विदेशों से सिलिकन मंगाने के विषय में जो राय मांगी जाती है उसका हमेशा गहराई से अध्ययन नहीं किया जाता और उन्हें आवश्यक नहीं समझा जाता है। इस मामले विशेष में हमारे वैज्ञानिकों ने इसका नमूना तैयार करके जो सभी प्रकार के परीक्षणों पर खरा उतरा है, यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका उत्पादन यहां हो सकता है तो फिर मैं यह नहीं समझ सका कि सरकार विदेशी तकनीक का आयात क्यों करना चाहती हैं। विदेशी तकनीक हमें तभी बेची जाती है जब उनके लिये उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। वे ताजा किस्म की तकनीक हमें नहीं देते। यदि हम उस तकनीक का आयात करते हैं तो विश्व की तुलना में उस आयातित उत्पाद का मल्य सब से अधिक होता हैं। इसलिये हमारे लिये उसके आयात की सम्भावना नगण्य हो जाती है। यह भी हो सकता है कि कुछ वर्षों की अवधि में वह तकनीक बिल्कुल पुरानी हो जाए। अतः हमें उसका आयात करने की बजाय इस परियोजना को विकसित करने के लिये अपने देश में वैज्ञानिकों को सहायता देनी चाहिए। इस परियोजना को पूरा करने में यदि दो वर्ष का समय लगने की सम्भावना हो तो हमें दो वर्ष की आवश्यकतानुसार सिलिकन खरीद कर उसका भंडार कर लेना-चाहिये। इस प्रकार उसकी कीमत भी काफी कम होगी और हम अपने देश के विशेषज्ञों को भी यह चुनौती दे सकेंगे कि क्या वे देश की आवश्यकताओं के लिए उसका उत्पादन कर देश की सहायता कर सकते हैं। आरम्भ में देश में बनी सिलिकोन की क्वालिटी विश्व में बनी सिलिकोन के समान अच्छी नही होगी किन्तु क्वालिटी सुधार के लिये कुछ समय तो हमें अपने लोगों को देना ही होगा। मुझे अभी तक याद है कि कुछ वर्ष पहले जब जापान विभिन्न उत्पादों के लिये विश्व बाजार में पदार्पण कर रहा था तो वह बड़ी घटिया किस्म की वस्तुओं का ही उत्पादन करता था। ऐसा मजाक था कि जब भी घटिया किस्म की किसी वस्तु को देखा जाता था तो कहा जाता था कि वह वस्तु जापानी होगी। किन्तु पिछले कुछ वर्षों में यह हुआ है कि जापान इस सम्बन्ध में न केवल विश्व में अन्य देशों के स्तर पर आ गया है अपितु वह आगे भी बढ़ गया है। अतः हमें अपने लोगों को क्वालिटी सुधार के लिये कुछ समय तो देना ही होगा। हमेशा ही तकनीक का

आयात करने के उत्साह को त्याग देना होगा और मेरे विचार से हमें अपने देश में ही इसके उत्पादन का प्रयास करना चाहिये ।

सिंचाई के क्षेत्र में हमनें बहुत प्रगति की है, इस बात का उल्लेख यहां किया गया है । मेरे राज्य गुजरात में राज्य की समूची पूर्वी पट्टी पहाड़ी क्षेत्र है । इसी क्षेत्र से अधिकांश नदियां निकलती हैं और इसी क्षेत्र में पनढाल भी है । अत: सभी सिंचाई परियोजनाएं इसी क्षेत्र में स्थित हैं । किन्तु इस क्षेत्र को इससे अधिक लाभ नहीं पहुंचता है क्योंकि अब जिस सबसे बड़ी समस्या का सामना किया जा रहा है, और मेरे विचार से देश के अनेक भागों में भी यही स्थिति है, वह है जब इन सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है, तो उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, गांव के गांव उजड़ जाते हैं और इन गांवों की जनता का कहीं और पुनर्वास करना पड़ता है । भारत में बड़े पैमाने पर लोगों का पुनर्वास कोई सुगम कार्य नहीं है—क्योंकि यहां इतना विस्तृत खाली भूमि क्षेत्र उपलब्ध नहीं है जहां पर जनता को पुन: बसाया जा सकता हो । गुजरात में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों को पिछले 20 वर्षों से वह भूमि नहीं दी गई है जो उन्हें दी जानी चाहिए थी । जो भूमि उन्हें दी जानी चाहिए थी, किसी न किसी कारण से उन्हें नहीं दी गई । वे केवल खेती ही कर सकते हैं । यदि आप उन्हें पैसा देगें तो वे कोई व्यापार नहीं कर पायेंगे अथवा कोई उद्योग नहीं लगा पायेंगे । वे लोग केवल खेती बाड़ी कर सकते हैं, वे केवल यही कार्य जानते हैं । क्योंकि उन्हें जमीन नहीं दी गई है इसलिए अब वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं । उनमें से अनेक व्यक्ति प्रतिदिन लकड़ी के टुकड़े इकट्टा कर उसे ईंधन के रुप में बेच कर आजीविका कमा रहे हैं । अत: मेरा यह कहना है कि सरकार इस समस्या से भलि-भांति अवगत है । प्रश्न यह है कि सरकार इस बारे में युद्ध स्तर पर क्या कर रही है क्योंकि जैसा मैने कहा, कई मामलों में लगभग 20 वर्ष का समय बीत चुका है और नये बांधो की योजना बनायी जा रही है जिसका अर्थ यह होगा कि और अधिक लोग उजाड़े जायेगें लेकिन जिन लोगों को पहले ही उजाड़ा जा चुका है उनकी समस्या का अभी तक हल नहीं निकाला गया है । जो बांध पहले बनाये गए हैं उनकी सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया है । अधिकांश में परिकल्पित क्षमता का 50 प्रतिशत बल्कि 40 प्रतिशत उपयोग ही किया गया है । उसका परिणाम यह है कि न तो सिंचाई पूरी तरह हो सकी है और न ही विस्थापित लोगों को फिर सें बसाया गया है । इस बारे में एक विशेष-नीति बनानी होगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन लोगों को फिर से बसाने के लिए कुछ उपचारी उपाय तत्काल उठाये जाएं ।

गुजरात में कपड़ा उद्योग की समस्या काफ़ी बड़ी है । वहां अनेक मिलें बंद कर दी गई है क्योंकि वे रूग्ण मिलें हैं । सरकार मिल समस्या से निपट सकती है । किन्तु इस समय हमारी सबसे बड़ी समस्या मिल मजदूरों की है । 30,000 से अधिक मिल मज़दूर इस समय बेरोजगार हैं और वे दिहाड़ी वाले मज़दूर हैं । यदि उन्हें निर्णय के लिए महीनों इंतजार करना पड़ा तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जायेगा । अत: रूग्ण कपड़ा मिलों के बारे में निर्णय जल्दी से जल्दी लिया जाना चाहिए । गुजरात सरकार ने तो इन मिलों को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी देने का प्रस्ताव भी रखा है । भारत सरकार ने अभी निर्णय लेना है । इस बारे में तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है ।

हम गरीबों को विभिन्न स्कीमों के अतंर्गत ऋण दे रहे हैं किन्तु धन वितरण का निर्णय लिए जाने के बाद अनेक औपचारिकताएं पूरी करनी होगी होती हैं जिसका परिणाम यह' है

कि अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें ऋण दिया जाना था लेकिन उन्हें अभी तक मिला नहीं है। मंत्रालय को शीघ्र ही इसकी जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए ताकि इन लोगों को कुछ राहत मिल सके।

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली (मद्रास-दक्षिण) : सभापति महोदय, मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है और मैं स्वंय को सम्मानित महसूस करती हूं कि मुझे इस पवित्र संसद में भारत के लोगों का प्रतिनिधि चुनकर भेजा गया है। हमें एक ही उद्देश्य से चुना गया है और वह है अपने देश के लोगों की सेवा करना। हमें अपने उन महान नेताओं से जिन्होंने संसद के इसी सदन से अपने राष्ट्र के भाग्य का निर्माण किया और राजनीतिक रोशनी और विचार दिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं उन नेताओं को श्रद्धांजलि देती हूं और प्रभु से प्रार्थना करती हूं कि वह मुझे न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र—दक्षिण मद्रास, के लोगों बल्कि समस्त भारत के लोगों के प्रति अपने कर्त्तव्य को पूरा करने की शक्ति दे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं गरीबी पर बोलना चाहती हूं क्योंकि हमारे देश में यह सबसे बड़ी बुराई है जिसका हमें मुकाबला करना है। सरकार अकेली इसका मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि गरीबी और अधिक जनसंख्या परस्पर सम्बद्ध समस्याएं हैं। जनसंख्या के विस्फोट को रोकना होगा और वह तभी हो सकता है जब लोग स्वंय इस कार्य में हिस्सा लें। अतः परिवार नियोजन समस्या को गम्भीरता से लेना होगा; इनसे संबंधित कार्य-क्रमों और प्रचार कार्य को और अधिक गम्भीरता से करना होगा। उसी सामान्य तिकोन से, जो आजकल भारत में सर्वत्र दिखाई पड़ता है और घिसे-पिटे घटिया तथा उबाऊ वृत्त चित्रों से काम नहीं चलेगा। मेरा सुझाव है कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के कार्य पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इससे जनसंख्या वृद्धि में कमी लाने और परिणामतः गरीबी खत्म करने में सहायता मिलेगी।

भारत गांवों में बसा है। अतः गांवों का दर्जा बढ़ाना होगा। उनका विकास करना होगा उनमें स्वच्छता लानी होगी तथा उन्हें और अधिक सुंदर बनाना होगा क्योंकि हमारे ग्रामीण गांवों, से यहां आजीविका कमाने के लिए आते हैं जिससे कि वे अपनी स्थिति में सुधार ला सकें तथा अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। जब वे शहरों में आते हैं तो वस्तुतः उनका यहां कोई घर नहीं होता है। उन्हें गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है या फुटपाथों पर सोना पड़ता है। वे उपेक्षित महसूस करते हैं और उनके पास कोई नौकरी नहीं होती। मेरा सरकार से अनुरोध है कि गांवों के प्रति उनका दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि वहां सभी सुविधाएं, बेहतर सफाई व्यवस्था, शुद्ध पेय जल, पहनने को अच्छे कपड़े और रहने को अच्छे मकान उपलब्ध हो सकें। वहां अस्पताल और स्कूल जरूर हों। यह सुनिश्चित किया जाए कि गांव इस स्थिति में आ जाएं कि वे अपनी आवश्यकताएं स्वंय पूरी कर लें और गांवों के लोगों को अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए शहरों में न आना पड़े। वहां ऐसा स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण होना चाहिए कि शहरों में रहने वाले लोग गांवों में बसने की सोचने लगे।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही है। मेरे विचार से यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक तो लड़कियों के गरीब माता-पिता को काफी लाभ होगा और दूसरे इस स्कीम से उनके सिर से एक भारी बोझ उतर जायेगा। इससे न केवल

लड़कियों को शिक्षा मिलेगी बल्कि वे बेहतर नौकरियां पाने के योग्य होंगी तथा आत्म निर्भर बनेगी। ऐसा होने पर देश व्यापी दहेज की बुराई से छुटकारा पाना सरल हो जायेगा। इसलिए मैं समझती हूं कि लड़कियों को शिक्षा देना सर्वाधिक स्वागत योग्य कदम है।

महोदय, यह खुशी की बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में दल-बदल विरोधी विधेयक लाने की बात कही गई है। यह काम तो काफी पहले किया जाना चाहिए था। मैं इसका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि वर्तमान 8वीं लोक सभा में इसे पारित किया जायेगा। दल-बदल ऐसा कार्य है जैसे सेना से कोई सिपाही भगोड़ा हो जाए। हम सब जानते हैं कि यह कितना गम्भीर अपराध है। दल के कार्यकर्ताओं को ईमानदार होना चाहिए, उन्हें निष्ठावान और अनुशासित व्यक्ति माना जाता है। दुर्भाग्यवश स्थिति ऐसी नहीं है। आशा है इस संशोधन से यह सुनिश्चित हो जायेगा कि अवसरवादी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए दल-बदल नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह उनका पहला भाषण है। कृपया हस्तक्षेप नहीं कीजिए।

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली : मैं यह कहना चाहती हूं कि उन्हें अपने दल का आभारी होना चाहिए। आखिरकार वे विधानमण्डलों में अपने दल के टिकट पर चुने जाते हैं। दल के कार्यकर्ताओं ने उनकी सहायता की होती है और दल के नेताओं ने उनका मार्गदर्शन किया होता है। लेकिन जब उनका हितसाधन होता है वे दल-बदल लेते हैं और दल को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। इससे न केवल दल में निराशा और कार्यकर्ताओं में हताशा उत्पन्न होती है बल्कि मतदाताओं को भी निराशा और दुखः होता है तथा उन्हें इस प्रकार के दल-बदल पर क्रोध आता है। अतः मैं दल-बदल विरोधी संशोधन का सहर्ष स्वागत करती हूं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सभापति महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे माननीय सदस्यों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

श्री पी० कोलनवाई वेलू (गोबिचेट्टिपालयम्) : सभापति महोदय, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है और मैं माननीय सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कोई विश्वकोश नही होता क्योंकि उसमें विश्वकोश की तरह विस्तार से सब बातें नहीं बतायी जा सकती। मेरे विचार में यह प्रथम सूचना रिपोर्ट की तरह है। एक वकील के नाते मैं केवल इसी प्रकार के उदाहरणों से समझा सकता हूं। तेजस्वी माता के तेजस्वी पुत्र भारत के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी एक आधुनिक प्रबंधक की तरह है और मेरे विचार में वह बहुत शीघ्र प्रगति करेगें और फले-फूलेगें। अब मैं अभिभाषण की कुछ स्वागत योग्य बातों पर बोलूंगा....

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण को प्रथम सूचना रिपोर्ट कहना उसका अपमान है।

श्री पी. कोलनबाईवेलू : नहीं, यह बेहतर उदाहरण है। अभिभाषण भी कुछ स्वागत योग्य बातों के लिए मैं सत्तारूढ़ दल और माननीय प्रधान मंत्री को बधाई देना चाहता हूं और उसकी प्रशंसा करता हूं।

देश में खाद्यान्न के रिकार्ड उत्पादन के लिए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। अन्य वर्षों के मुकाबले 1984 में मूल्यों में स्थिरता बनी रही। एन. आर. ई. पी., आई. आर. डी. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जनता पार्टी के शासन काल में जो काम के लिए अनाज कार्यक्रम चलाया गया था वही श्रीमती गांधी के शासन काल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, कार्यक्रम (एन. आर. ई. पी.) बना। जनता शासन में यह शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। बाद में इसके लिए 50 प्रतिशत धन राज्यों को और शेष 50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। मेरा भारत सरकार और मंत्री महोदय को सुझाव है कि इसे सभी राज्यों के लिए पुनः शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बना दिया जाए।

जहां तक आई. आर. डी. पी. का सम्बंध है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबों और पद दलितों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की सहायता करना है लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक प्रतिभूति मांगते हैं। अतः मैं सत्तारूढ़ दल से अनुरोध करता हूं कि चूंकि गरीबों और पददलितों के लिए प्रतिभूति देना सम्भव नहीं होगा, अतः केन्द्र सरकार को इस दिशा में समुचित कदम उठाने चाहिए।

जहां तक आर. एल. ई. जी. पी. का सम्बंध है आप अन्य देशों के मुकाबले अच्छा कार्य कर रहे हैं क्योंकि लगभग सभी निर्माण कार्य आर. एल. ई. जी. पी. द्वारा किये जा रहे हैं। राज्यों में राजमार्ग विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख सड़कों, अन्य जिला सड़कों, राज्य राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों जैसी अनेक सड़कें आती हैं। 'अन्य जिला सड़कें' वस्तुतः ग्रामीण क्षेत्रों में आती हैं। राज्य सरकारों के लिए 'अन्य जिला सड़कों' पर व्यय करना बहुत कठिन होता है। आर. एल. ई. जी. पी. के अंतर्गत अन्य जिला सड़कों को भी लिया जा सकता है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं। एन. आर. ई. पी. के अंतर्गत भी उत्पन्न मानव दिवसों की गणना की गई है। प्रश्न यह है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने मानव दिवसों का कार्य पैदा किया गया है। मान लीजिए एक मजदूर को केवल एक सप्ताह के लिए कार्य मिलता है और उसे किसी कार्य विशेष पर लगाया जाता है, उसे पुनः वही कार्य दिया जाता है। लेकिन मानव दिवस उसी व्यक्ति के सम्बंध में गिने जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि मानव दिवसों की गणना एक कार्य विशेष पर लगाये गए व्यक्तियों की संख्या के आधार पर की जानी चाहिए। एन. आर. ई. पी. कार्य के लिए वही सही आंकड़े माने जाने चाहिए। मेरा संघ सरकार को सुझाव है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ और अधिक कहा जाना चाहिए था।

जहां तक सिंचाई परियोजनाओं का संबंध है दक्षिणी राज्य में भाखड़ा बांध और अन्य बांधों जैसे बड़े-बड़े बांध नहीं बनाये जा रहे हैं। इसलिए दक्षिणी राज्यों को समुचित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए। मैं तो यहां तक सुझाव देता हूं कि सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीयकरण से ही कुछ अन्य क्षेत्रों की सिंचाई की जा सकती है। यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए। जब श्रीमती गांधी प्रधान मंत्री थी तब हमारे माननीय

मित्रों ने इसी बात पर बल दिया था अतः मेरा सुझाव है कि यह कार्य यथा सम्भव शीघ्र किया जाना चाहिए । मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि एक ओजस्वी नेता के रूप में श्री राजीव गांधी आगे आयेंगे और इस सदन में नदियों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा करेंगे । जब श्रीमती गांधी सत्ता में थीं तो उन्होंने लगभग सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था । इसी प्रकार सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण करके सिंचाई सुविधाओं को बेहतर तरीके से तथा अधिक क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जा सकता है ।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है 200 से भी अधिक सदस्य, जो वरिष्ठ सदस्य हैं, पवित्र गंगा को कावेरी तथा गोदावरी के साथ जोड़ने के बारे में पूरी तरह से जानते हैं और यह कार्य किया जाना चाहिये । दक्षिणी भागों में उत्तरी भागों जैसे पंजाब और अन्य राज्यों के समान सिंचित क्षेत्र नहीं है । गंगा नदी को कावेरी के साथ जोड़ कर हम अधिक राज्यों और अधिक क्षेत्रों में सिंचाई कर सकेंगे । इसे यथा संभव शीघ्र किया जाना चाहिये ।

कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच कावेरी का मामला भी मुख्य मामला है । कु अन्य राज्य भी इस विवाद में शामिल हो गये हैं । कावेरी के मामले को हल किया जाना चाहिये क्योंकि 1924 में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच समझौता हुआ था । लेकिन वे कहते हैं कि यह समझौता केवल 50 वर्षों के लिये था और इसके बाद इस समझौता को खत्म कर दिया गया था । कर्नाटक सरकार का कहना है कि यह समझौता 1974 में खत्म कर दिया गया था । लेकिन हमारा मामला ऐसा नहीं है । हमारे लिये यह सतत समझौता है । इसे खत्म नहीं किया गया था अपितु यह जारी है । हमारा तर्क यह है । अतः केन्द्रीय सरकार को इस मामले को यथासंभव शीघ्र हल करने के लिये आगे आना चाहिये ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में श्रीलंका के मामले के बारे में जो उल्लेख किया गया है मैं उसकी सराहना करता हूं और इस पर तत्काल कार्यवाही करने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा माननीय प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं । इसके साथ ही मैं यह कहूंगा कि श्रीलंका में तमिल लोगों की हत्या और उनके संहार से वहां पर दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम हो रही है । तमिल लोगों की संख्या कम हो रही है और इसलिये उचित कार्यवाही की जानी चाहिये । यदि हमें श्रीलंका में सेना भी भेजनी पड़े तो यह कार्यवाही तत्काल की जानी चाहिये ।

दल-बदल विरोधी विधेयक के बारे में मैं कहूंगा कि इसके कुछ गुण तथा अवगुण भी हैं । और मेरी बहन श्रीमती वैजयन्तीमाला दल-बदल विरोधी विधेयक के बारे में कह रही थी कि पार्टी के एक सदस्य को अपनी पार्टी के प्रति वफादार होना चाहिये और अनुशासनबद्ध होना चाहिये । मैं इससे सहमत हूं । लेकिन साथ ही मान लीजिए इस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बेईमान नेता आ जाता है और इस विधेयक के कारण वह निरंकुश बन जाता है । वह पार्टी से स्वतः पार्टी के लोगों को निकाल देता है और इस लिये इस विधेयक में उचित संशोधन किये जाने चाहिये ।

निःशुल्क शिक्षा देने के बारे में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी । मैं कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु में हम उच्चतर माध्यमिक स्तर तक लड़कों और लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं । अतः मैं सुझाव देता हूं कि राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय उसे वापस किया जाना चाहिये क्योंकि गत चार वर्षों से हम ऐसा कर रहे हैं । यह राशि राज्य सरकार को वापस की जानी चाहिये ।

जहां तक तमिलनाडु सरकार का संबंध है, हमारे पास निर्धन व्यक्तियों तथा दलित लोगों के लिये बहुत सी सामाजिक कल्याण योजनायें हैं। वास्तव में, गत चार वर्षों में तमिलनाडु म हमने आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की योजना शुरू की है जिसके द्वारा सभी गांवों में पेय जल उपलब्ध कराके तथा सड़कों, स्कूल भवनों, प्रसूति ग्रहों, कालोनियों का निर्माण करके तथा श्मशान भूमि आदि की व्यवस्था करके उन्हें आत्म-निर्भर बनाया जाये। अब तक हमने अकेले इस योजन के लिये ही लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

हम एक सामूहिक योजना भी कार्यान्वित कर रहे हैं जिसे मुख्य मंत्री की पौष्टिक भोजन योजना कहा जाता है। मैं यहां पर सत्तारूढ़ पार्टी तथा माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मुख्य मंत्री की इस योजना को बीस-सूत्री कार्यक्रम में शामिल करें क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस योजना की सराहना की थी। मदर टेरेसा ने भी इसकी सराहना की है। दसवीं कक्षा तक जो गरीब छात्र पढ़ रहे हैं, उन्हें निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तगत लगभग 83 लाख छात्रों को प्रतिदिन एक बार भोजन मिल रहा है। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह इस योजना को वित्त पोषित करने के लिये आगे आये और इसे बीस-सूत्री कार्यक्रम में शामिल करना चाहिये।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं यह है कि हांलाकि राष्ट्रपति ने 17 तारीख को अभिभाषण दिया है तथापि प्रधान मंत्री को इस सत्र में शुरू की जाने वाली कुछ नई योजनाओं का उल्लेख करना चाहिये। वस्तुतः मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री कम से कम बजट सत्र में नई योजनाओं को पेश करेंगे। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री नई योजनाओं को पेश करेंगे तथा वह उन्हें कार्यन्वित करेंगे और हमें अमर भारत प्रदान करेंगे। माता इंदिरा गांधी हमें अमर भारत देना चाहती थीं। यह कार्य प्रधान मंत्री द्वारा किया जाना चाहिए।

माता इंदिरा गांधी द्वारा** बंगलादेश में लोकतंत्र की स्थापना हुई..... (व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : नहीं **इस शब्द का प्रयोग मत करें।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा सुझाव है कि उन्होंने जो यह कहा है "द्वारा **बंगला देश.....इसे कार्यवाही वृत्तांत में उन्हें शामिल नहीं करना चाहिये।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : यह ठीक नहीं है।

प्रो. मधु दण्डवते : इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देना चाहिये।

सभापति महोदय : जी, हां।

श्री पी. कोलनदाई वेलू : जब बंगला देश में संकट था तो माता इंदिरा गांधी द्वारा उचित कार्यवाही की गई थी। इसी प्रकार श्रीलंका में भी जहां इसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, प्रधान मंत्री को उचित कार्यवाही करनी पड़ेगी।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में पिछले वर्ष हमारे देश में जो संघर्ष हुआ, उतार-चढ़ाव हुए, उनका जिक्र किया है।

मैं समझता हूं कि पिछला साल एक चुनौती का वर्ष था। हमारे देश की अखंडता और राष्ट्रीय एकता को जितना बड़ा खतरा पिछले साल हुआ, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, इतनी बड़ी चुनौती, इतना बड़ा खतरा देश की अखंडता और राष्ट्रीय एकता के सामने कभी नहीं आया।

इंदिरा जी का कत्ल जो हुआ, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। मैं इस बारे में बुनियादी बात कहना चाहता हूं। मेरी समझ में इंदिरा जी का कत्ल बेअन्त सिंह और सतवन्त सिंह ने या कुछ लोगों ने नहीं किया बल्कि इंदिरा जी का कत्ल तो फिरकापरस्ती ने किया है। इंदिरा जी का कत्ल या मर्डर तो साम्प्रदायिकना के विष ने किया है। जिस प्रकार सन् 1948 में महात्मा गांधी का कत्ल फिरकापरस्ती ने किया, उन ताकतों ने किया जिन्होंने हिन्दुस्तान के अन्दर चारों तरफ साम्प्रदायिकता का विष फैलाया, नाथूराम गोडसे को मैं कातिल नहीं मानता महात्मा गांधी का, बल्कि में कातिल मानता हूं उन ताकतों को जिन्होंने हिन्दुस्तान में फिरकापरस्ती का माहौल बनाया।

इसी प्रकार से इंदिरा गांधी का जो कत्ल हुआ, यह एक या दो व्यक्तियों ने नहीं किया, उनका कत्ल उस माहोल और वातावरण ने किया है जो कि हिन्दुस्तान के अन्दर बना और दुनिया के कुछ मुल्कों में बैठकर कुछ लोगों ने बनाया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लन्दन में बैठकर जगजीत सिंह चौहान ने बयान दिया कि जो इंदिरा गांधी का कत्ल करेगा उसको एक लाख डालर इनाम दिया जायेगा।

मुझे दुख इस बात का है कि जब यह बयान दिया गया श्री जगजीत सिंह चौहान ने, उस समय मेरे जैसे चन्द नौजवानों ने, जिन्होंने जगजीत सिंह चौहान की गिरफ्तारी की मांग की और मांग को कि उसको गिरफ्तार किया जाये और उसको हिन्दुस्तान में भेजा जाये ताकि हिन्दुस्तान की अदालत में उसके ऊपर मुकादमा चल सके, उस समय देश की कुछ विरोधी पार्टियां इस मुद्दे के ऊपर चुप रहीं और श्रीमती इन्दिरा गांधी के कत्ल.......

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपनी बारी आने पर बोल सकते हैं।

श्री ललित माकन : मुझे पूरा बोलने दीजिए। मुझे पूरा बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : आप अपनी बारी आने पर बोल सकते हैं तथा उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन : सभापति महोदय, उस समय कुछ विरोधी दल, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, राष्ट्र-हित के राजनीतिक दल हैं, उन्होंने चौहान के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उस समय जबकि श्रीमती इन्दिरा गांधी के कत्ल के लिए, उनके बयान के ऊपर, एक लाख डालर का इनाम रखा गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस समय बहुत से नेताओं ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। यह नहीं कहा कि चौहान जो लंदन में बैठकर इन्दिरा गांधी के कत्ल के लिए एक लाख डालर का इनाम रख रहा है, वह ग़लत है।

जब श्रीमती गांधी ने अपने कत्ल से पहले साफ शब्दों में यह कहा कि देश को बाहरी और अन्दरूनी ताकतों से खतरा है तो देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता ने, उसका नाम नहीं लूंगा, कहा कि देश को अन्दरूनी या बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि देश को इन्दिरा गांधी से खतरा है। उस समय एक दूसरे नेता ने यह कहा, और इन्दिरा गांधी के कत्ल से कुछ दिन पहले कहा, कि श्रीमती गांधी बहुत बड़ी नेता है, यह देश की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। इस प्रकार का माहौल जब देश के अन्दर बनाया गया और जब यह कहा गया देश को इन्दिरा गांधी से खतरा है, देश की सबसे बड़ी दुश्मन इन्दिरा गांधी हैं, और हिन्दुस्तान में बैठकर विरोधी पार्टियों के कुछ नेताओं ने यह कहा कि श्री चौहान ने लंदन में बैठकर एक लाख डालर का इनाम रखा है। इस तरह से एक ऐसा माहौल हिन्दुस्तान में बनाया गया कि कोई भी श्रीमती गांधी का कत्ल कर सकता है।

सबसे बड़ा सवाल मैं यह रखना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के अन्दर से धर्म को राजनीति से पूरी तरह से अलग नहीं किया जायेगा, महात्मा गांधी का कत्ल होता रहेगा, इन्दिरा गांधी का कत्ल होता रहेगा। आज इस बात का फैसला संसद में बैठकर करना होगा कि हिन्दुस्तान के किसी भी मन्दिर में, गिरजाघर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में किसी भी धार्मिक नेता को इस बात की इजाजत नहीं दी जायेगी कि वह देश की राजनीति के बारे में बात करे, देश के राजनीतिक मुद्दों के ऊपर फैसला करे। जब तक मजबूती से इस पर फैसला नहीं होगा, कानून नहीं बनेगा, फिरकापरस्ती हमारे देश को तोड़ती रहेगी, देश की एकता और अखण्डता को खतरा पहुंचता रहेगा।

दूसरी बात जो राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कही, वह भ्रष्टाचार के बारे में है। मुझे यह कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है। ऐसा आज तक हिन्दुस्तान और शायद किसी भी देश में नहीं हुआ होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोधी पार्टियां कहती हैं कि देश में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिये, लेकिन पहली बार देश के अन्दर हमारे प्रधान मंत्री ने स्वयं आगे बढ़कर कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें आन्दोलन छेड़ना होगा। देश के अन्दर और भी बहुत से लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन छेड़े हैं। मुझे याद है स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा आन्दोलन छेड़ा। इसी सदन के अन्दर, देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने यहां धरना दिया और कहा कि गुजरात की असेम्बली को डिसमिस किया जाये और चिमन भाई पटेल की सरकार को भंग किया जाये, क्योंकि वह भ्रष्ट आदमी हैं, इसलिये उनको हटा दिया जाये। उन्होंने बहुत बड़ा आन्दोलन चलाया। श्रीमती गांधी ने उस भूतपूर्व प्रधान मंत्री की इज्जत करते हुए, उनका सम्मान करते हुए और जिस प्रकार संसद के अन्दर वह भूख हड़ताल पर बैठे, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने गुजरात की असेम्बली को भंग किया। और उन भ्रष्ट मुख्य मंत्री को, जिस को वह कहते थे कि यह भ्रष्ट है, हटा दिया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इंदिरा जी ने तो मुख्य मंत्री को हटा दिया लेकिन हमारी विरोधी पार्टियों के पास ऐसा कौन सा गंगा का जल है कि हम ने निकाला, उन्होंने गंगा जल छिड़का और वह पवित्र हो गया? पवित्र होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसा आन्दोलन हम नहीं चलाना चाहते। मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारे नेता, हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधी ईमानदारी से चाहते हैं कि देश में से भ्रष्टाचार समाप्त हो। वह चाहते हैं कि वह चाहे अफसर हो चाहे कोई नेता हो, चाहे वह कितना बड़ा अफसर हो, चाहे वह कितना बड़ा नेता हो, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा,

84-M/B(D)183 LSS—10

पार्टी में नहीं किया जाएगा, प्रशासन में नहीं किया जाएगा। इसका जो जिक्र किया राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में और प्रधान मंत्री जी ने जो जिक्र किया, उसका मैं स्वागत करता हूं।

इसके अलावा मैं टेक्सटाइल के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी के भाषण में टेक्सटाइल के बारे में जिक्र किया गया है कि इसकी एक नयी नीति बनायी जाये। मुझे इस बात की खुशी है और खुशी इसलिए है कि आज देश में सबसे बुरी हालत में कोई उद्योग है तो वह टेक्सटाइल उद्योग है। हिन्दुस्तान के लाखों कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों का भविष्य अन्धकार में भटक रहा है। चाहे वह बम्बई के लाखों मजदूर हों, चाहे वह दिल्ली की कपड़ा मिलों के मजदूर हों, चाहे वह गुजरात की कपड़ा मिलों के लाखों मजदूर हों, आज सरकार की जिस प्रकार की नीति है, मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जो देश के अन्दर हालात बन रहे हैं उन हालात में जो आर्गनाइज्ड टेक्सटाइल मिल्स हैं खासकर उन टक्सटाइल मिलों का जो वीविंग डिपार्टमेंट है जो बनता खाता है, जिसमें कपड़ा बुना जाता है वह बुनता खाता आज हिन्दुस्तान की कपड़ा मिलों में 90 प्रतिशत बन्द पड़ा है। दिल्ली के अन्दर एक बिरला मिल है, पिछले तीन सालों से यह बन्द पड़ी है। दिल्ली की मेट्रोपोलिटन कौंसिल में, मैं जब वहां मेयर था। मैंने वहां पर आवाज उठायी और यह फैसला भी कराया कि इस का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि नाम तो उस का कपड़ा मिल है लेकिन पिछले तीन सालों में एक गज कपड़ा भी उस मिल में नहीं बना। मैं यह चाहता हूं, हम कोई माडर्नाईजेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि देश के अन्दर माडर्नाइजेशन हो, लेकिन सरकार को मैं यह कहना चाहता हूं कि उस को ऐसी नीति बनानी चाहिए, वह देश की तमाम ट्रेड यूनियन्स को बुलाए, तमाम ट्रेड यूनियन्स के नेताओं से बात करे और देश की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हाथ में ले। वह माडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, तो करें हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को यह यकीन दिलाना होगा कि एक भी मजदूर को रिट्रेंच नहीं किया जायेगा। ऐसी नीति टेक्सटाइल की बनाने की जरुरत है।

हिन्दुस्तान के लाखों मजदूर आज परेशान हैं, 25-25, 30-30 साल जिन को काम करते हो गए हैं आज उनको कहा जा रहा है कि तुम काम छोड़ कर, नौकरी छोड़ कर चले जाओ। यह हालत दिल्ली में है। सिर्फ बिरला मिल की यह हालत नहीं है, दिल्ली की बाकी चार मिलों में भी यही हालत आज पैदा होने जा रही है। ऐसी बिरला मिल की हालत हो रही है, मिल बन्द पड़ी है, ऐसे ही बाकी मिलें भी बन्द हो जाएगी। बम्बई के अन्दर जो संघर्ष हुआ, उस के बाद 16 मिलों को सरकार ने हाथ में लिया। गुजरात के अन्दर भी, हमारे साथी ने जिक्र किया हालत खराब है। आज जो देश का बहुत बड़ा उद्योग है जिस में लाखों लोग काम करते हैं, उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। आप ने इस का जिक्र किया मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन जरुरत इस बात की है कि जल्दी से जल्दी टेक्सटाइल के बारे में एक पालिसी बनायी जाये मैं यह भी चाहता हूं कि इस हाउस के अंदर इस का डिस्कशन हो, ट्रेड यूनियन के लोगों को बुलाया जाये ताकि ऐसी पालिसी बने जिस से लाखों मजदूरों को नुकसान न हो, उन की नौकरी बनी रहे जो मजदूर काम करना चाहते हैं, उन को काम मिले। इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं।

इस के अलावा जिक्र किया गया है जो हायर सेकेन्ड्री तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देने के बारे में, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। कुछ राज्यों में पहले से यह है लेकिन पहली दफा राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों के लिए हायर सेकेन्ड्री तक की निःशुल्क शिक्षा का इंतजाम किया गया है। मैं

समझता हूं कि हमारे समाज में जितनी कुरीतियां और बुराइयां हैं उन से मुकाबला करने के लिए आज जरुरत इस बात कि है कि महिला वर्ग पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर चले और उन के बराबर हो। इस के लिए जरुरत है कि सुदूर गांवों के अन्दर जो छोटी-छोटी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जिन के मां-बाप के पास पैसा नहीं है स्कूलों में भेजने के लिए, आज जरुरत इस बात की थी कि देश की पचास प्रतिशत आबादी जो गांवों में रहती है जो स्कूलों में न जा पाने की वजह से इस देश की तरक्की में अपना योगदान नहीं दे पाती हैं, उसको शिक्षित किया जाए ताकि इस देश को खुशहाल बनाने में भी वे भी अपना योगदान दे सके। मैं समझता हूं हायर सेकेन्ड्री तक निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करने से यह देश मजबूत होगा। इस देश का महिला वर्ग भी जब तक कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान नहीं देगा तब तक देश मजबूत नहीं हो पायेगा। इस प्रकार से न केवल यह देश ही मजबूत होगा, देश की आर्थिक स्थिति ही मजबूत होगी बल्कि इस देश में जो सामाजिक बुराइयां और कुरीतियां हैं वे भी दूर हो सकेंगी। शिक्षा प्रणाली के बारे में परिवर्तन लाने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है और राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया है, इस सम्बन्ध में पिछले कई सालों स हम सुनते जरुर आ रहे थे कि एजूकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए लेकिन केवल सुनते ही थे, कोई बदलाव नहीं आता था, लेकिन अब प्रधान मन्त्री ने एक दफा ही नहीं कई दफा कहा है तथा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी जिक्र है और हमें बड़ी खुशी है कि अब ऐसी शिक्षा प्रणाली देश में अपनाई जायेगी जिसमें ऐसी हालत नहीं होगी कि लाखों लोग डिग्रियां लेकर सड़कों पर घूमते रहें और नौकरियां न मिलें। उसमें केवल कलर्क बनाने के लिए शिक्षा नहीं दी जायेगी वल्कि ऐसी शिक्षा दी जायेगी जिससे देश का उत्पादन बढ़ सकेगा। आज हमें देश में ऐसे नौजवान बनाने की जरुरत है कि जो कि कारखानों को मजबूत कर सकें। ऐसा एजूकेशन सिस्टम चलाया जाना चाहिये जिसमें यह जरुरी न हो कि बी० ए० की डिग्री सिर्फ इसलिए लेनी होगी कि नौकरी करनी है। अलग.अलग प्रायर्टीज फिक्स अप होनी चाहिए और साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि किस काम के लिए क्या पढ़ना है। वकील बनाना है, वैज्ञानिक बनाना है या इंजीनियर बनाना है उसी के आधार पर एजूकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आज जो लाखों नौजवान बी० ए०, एम० ए० की डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके मां-बाप परेशान हैं, उनको देखते हुए जैसाकि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में संकेत दिया है, देश में ऐसी शिक्षा-प्रणाली अपनाई जायेगी जिससे लाखों नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा और बेकारी दूर होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रो० रंगा द्वारा पेश किये गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। महोदय, पिछले चुनावों में हमें लोगों ने जो जनादेश दिया है वह केवल जनादेश नहीं है। यह वर्तमान विश्व में ठोस तरीके से भारतीय लोगों की इच्छा की वास्तविक अभिव्यक्ति है कि चुनौती आने पर वे किस प्रकार इसे स्वीकार करने के लिये तैयार हैं।

भारत के इतिहास में और संभवतया विश्व लोकतंत्र के इतिहास म 1985 का वर्ष एक महत्वपूर्ण वर्ष है। अमरीका की रिपब्लिकन पार्टी के बाद इस समय पूरे विश्व की विशालतम राजनीतिक संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और हम इस वर्ष इसकी शताब्दी मनाने जा रहे हैं। हमें

गर्व है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शताब्दी वर्ष में भारत के लोगों ने कांग्रेस को श्रेय देने के लिये और भारत की विरासत तथा संस्कृति और विश्व लोकतंत्र में कांग्रेस का मजबूत और समृद्ध रिकार्ड बनाने के लिये दोबारा भारत के दूर-दराज क्षेत्रों से 400 से अधिक सदस्यों का पुन: निर्वाचन करके कांग्रेस को सुदृढ़ता प्रदान की है।

सभापति महोदय, विपक्ष के सदस्यों को कांग्रेस की जीत पर गर्व महसूस करना चाहिये। इस भावना से नहीं कि उनके विपक्षियों की जीत हुई है अपितु इस भावना से कि स्वयं वे भी कभी इसी संस्कृति से आए थे और एक ऐसी पार्टी जिसमें उनके पूर्वज रहे थे। इस बात से कोई व्यक्ति इंकार नहीं कर सकता कि स्वाधीनता के अभ्युदय अथवा स्वाधीनता के पूर्व देश में जिस राजनीतिक संस्था में इनकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी और जब शताब्दी वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 400 से अधिक सदस्यों का जनादेश प्राप्त हुआ और वह भी ठोस तरीके से तथा वह भी ऐसे समय में जब एकता को खतरा था तो वास्तव में यह एक ऐसी बात है जिस पर न केवल कांग्रेस के सदस्यों को अपितु विपक्ष के सदस्यों को भी गर्व महसूस करना चाहिये कि वस्तुत: पूरे विश्व की सभ्यता में राष्ट्र के गर्व को पुन: सुदृढ़ करने के लिये कांग्रेस और लोकतंत्र एक साथ चल रहे हैं।

सभापति महोदय, इस कारण मैं इसे 'चुनौती' कहता हूं। हमारी प्रिय स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पश्चिम (और विशेषकर अमरीका में) में अधिकांश समाचार-पत्रों ने अपने संपादकीय स्तम्भों में कुछ इस तरह की बात कहने का प्रयास किया है कि इसके बाद भारतीय लोकतंत्र इतना अधिक मजबूत नहीं होगा तथा भारत में एकता नहीं बनी रहेगी आदि। उन्होंने यह भी कहा कि गरीब भारतीय लोग और अनपढ़ भारतीय लोग इस बार अपने अधिकारों का दावे के साथ प्रयोग नहीं कर सकेंगे। लेकिन हुआ क्या? इसके बावजूद, भारत के लोगों ने अपनी शक्ति और अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया जो नकारात्मक न होकर अत्यन्त सकारात्मक है।

मेरे विचार से भारत में पिछले सभी चुनावों की तुलना में केवल यही चुनाव ऐसा है जहां जाति और धर्म के सभी बंधनों को तोड़ कर गांवों और शहरों के लोगों ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात को समझा है। उन्होंने इस बात को बाइबिल अथवा गीता अथवा कुरान से नहीं समझा है अपितु अपनी अन्तरात्मा से समझा है कि राष्ट्र की एकता समय की प्रमुख जरुरत है। इस कारण से ही उन्होंने हमारी पार्टी का बड़े पैमाने पर समर्थन किया और हमें दोबारा सत्ता में लाए।

सभापति महोदय, मैं महसूस करता हूं कि इस समय हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का आना भी भारतीय इतिहास का अद्वितीय भाग है। हमारा प्रधान मंत्री कौन व्यक्ति है? हमारा प्रधान मंत्री एक युवा व्यक्ति है जिन्होंने अपने माता-पिता से हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के इतिहास को समझा। उन्होंने पुस्तकों के जरिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के इन चरणों को समझा है लेकिन देर से पैदा होने के कारण वह राष्ट्रीय संघर्ष में हिस्सा नहीं ले सके। हमारा प्रधान मंत्री कौन हैं? वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पता है कि स्वाधीनता संघर्ष क्या था, भारत की गलियों में क्या-क्या हुआ, इस बारे में उन्हें अपने मस्तिष्क और हृदय में पता है तथा वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता का लाभ किन्हें हुआ है। अब उन्हें भारत को समझने, इसे दोबारा नया रूप देने और देश की पद्धति तथा लोकतंत्र के मूल्यों को दोबारा ऊपर उठाने तथा नये तरीके से लोकतंत्रीय पद्धति के मूल्यों और अगली दो अथवा तीन पीढ़ियों में एक नये भारत का निर्माण करने के लिये अवसर मिला है। इसी कारण मैं मानता हूं कि यह अवधि तथा हमारे प्रिय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के आने का समय 1985 के इतिहास में

भारतीय लोगों का पुनर्जागरण काल है। और इस समय हमारे प्रधान मंत्री का प्रयास नये सिरे से शुरू करना तथा भारत को एक नया रूप तथा आकार देना है। मैं आशा करता हूं कि हमारे विपक्षी सदस्य प्रधान मंत्री को आवश्यक समय देंगे जिससे वह शुरू किये गए कार्य को जारी रख सकें। मैं आशा करता हूं कि वे उनकी सद्भावनाओं के बारे में टीका-टिप्पणी शुरू नहीं करगे। मैं यह भी आशा करता हूं कि वे यहां पर बैठे हुए केवल अपने विपक्षी सदस्यों के बारे में ही नहीं सोचेंगे अपितु वे अगली दो अथवा तीन पीढ़ियों के बारे में सोचेंगे। सभापति महोदय मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधान मंत्री जहां एक ओर वर्तमान भारत को गांधी जी के भारत, जवाहरलाल जी के भारत तथा इंदिरा गांधी के भारत के साथ जोड़ेंगे वहां दूसरी ओर वह इसे लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं के साथ जोड़ेंगे तथा वह भारत को भारतीय लोकतंत्र तथा विश्व सभ्यता के लिये एक मजबूत देश बनायेंगे।

सभापति महोदय, अब मैं राष्ट्रपति अभिभाषण के कुछ भागों पर विचार करूंगा। मैं पैराग्राफ 15 का उल्लेख करता हूं जो मूल्य वृद्धि के बारे में है। महोदय, यह सच है कि मुद्रा-स्फीति पर भारी नियंत्रण और रोक थी। यह सच है कि लोकतंत्र की रक्षा तथा देश की एकता के लिये इस बार महिलाएं विशेषकर गृहणियां बहुत बड़ी संख्या में आगे आईं और मैं सरकार तथा अपने प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी गृहणियों को इससे क्या लेना-देना है कि हम कांग्रेस में हैं अथवा विपक्ष में हैं। उन्हें इसकी चिंता है कि केलेंडर वर्ष के एक महीने में परिवार का खर्चा मासिक बजट के अनुसार किस प्रकार चलाया जाये। अतः मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इसका पता लगायें कि क्या हमारी गृहणियों के हित के लिए कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं की दरें निर्धारित करना संभव है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रत्येक माह उपयुक्त बजट के जरिए परिवार के भार को वहन कर सकें। यह मेरा मत है कि काश्मीर से कन्याकुमारी तक कम से कम कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं को निर्धारित मूल्य के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इसका अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन मैं अपने भाषण में इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं। यह अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के बारे में है। मैं माननीय प्रधान मंत्री का आभारी हूं में और उनकी इस विचारधारा की सराहना करता हूं कि उन्होंने स्वामी विवेकानन्द के जन्म दिवस समारोह के अवसर पर, जो इस देश के राष्ट्रीय जागरण के महान नायक थे, अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष का उद्घाटन किया। महोदय, मेरा विचार है कि हमारे प्रधान मंत्री जी श्री राजीव गांधी भारत भूमि पर स्वामी विवेकानन्द का जन्म दिवस मना कर अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष का शुभारम्भ कर रहे हैं। मैं यह भी अनुभव करता हूं कि वे हमें विवेकानन्द की भांति यह भी समझा रहे हैं कि :–

"उत्तिष्ठ जागृत वरान्नु निबोधत:"

महान जागृति आ गई है और सभा का समय हमारे हाथों में है। हमें इसका सदुपयोग करना है। सभापति महोदय, इस अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में मैं सरकार से कतिपय प्रस्तावों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि पैरा 43 में यह कहा गया है :

"इस समय आवश्यकता इस बात की है कि युवक आगे आएं और राष्ट्र निर्माण के कार्य म उत्साहपूर्वक भाग लें। इस संबंध में उचित कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा।"

महोदय, इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम, म अन्तर्राष्ट्रीय पहलू से संबंधित युवा आन्दोलन को लूंगा। सम्पूर्ण विश्व में विश्व युवा आन्दोलन तीन श्रेणियों में विभाजित है।

एक है—विश्व लोकतांत्रिक युवा संघ आन्दोलन। यह मूलत: साम्राज्यवाद विरोधी युवा आन्दोलन है जिसका मुख्यालय बुडापेस्ट में है और इसे समाजवादी देशों से समर्थन मिलता है। हम समय-समय पर इस संस्था के कार्यक्रम में भाग लेने का प्रयास करते हैं। दूसरा, समाजवादी युवा आन्दोलन है जिस पर पश्चिमी जर्मनी का नियंत्रण है और पश्चिम के साथ सम्बद्ध है। तीसरा, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा चलाया जा रहा 'वर्ल्ड यूथ असेम्बली' है जो विभिन्न विकासशील देशों के युवाओं के माध्यम से अनेक गुप्त कार्यों में संलग्न है। महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह युवाओं की सभी खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अपने पद का सदुपयोग करें।। मैं गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष से यह अनुरोध भी करता हूं कि विश्व-शान्ति में योगदान देने हेतु शक्ति-गुटों से स्वतन्त्र एक गुट-निरपेक्ष युवा आन्दोलन संस्था बनाएं।

महोदय, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इस अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में रोजगार कार्यक्रम को अलग नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिसमें कोई वित्तीय कठिनाई नहीं है। हमें ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का ध्यान रखना होगा, हमें इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करना और सुदृढ़ बनाना होगा। परन्तु इसके साथ ही हमें शहरी रोजगार कार्यक्रम का भी ध्यान रखना होगा। इस समय शहरी निर्धन लोगों के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे समस्या के इस पहलू पर भी विचार करें। मैं गंदी बस्तियों में ऐसे शहरी युवकों की, दस्तकारों की तथा अन्य अर्ध-कुशल और कुशल व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जिनकी स्थिति चिन्ताजनक है। मैं उन मुसलमान और अल्पसंख्यक युवकों की बात कर रहा हूं जो चौथी अथवा पांचवीं कक्षा तक पढ़े हैं परन्तु कहीं नौकरी नहीं प्राप्त कर सके हैं। और वे मजबूरी में कुछ समाज-विरोधी कार्यों में लग जाते हैं। अतः मैं सरकार से शहरी निर्धन लोगों के रोजगार हेतु व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, इस संबंध में मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश में युवकों का लगातार शोषण किया जा रहा है। यदि एक युवक किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो उसे नौकरी के आवेदन-पत्र के साथ 25 रुपये के पोस्टल आर्डर लगाने पड़ेंगे। एक बेरोजगार युवा व्यक्ति के पास पोस्टल आर्डर लगाने के लिए पैसा कैसे हो सकता है? यदि हम देश के युवाओं से सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में नौकरी हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ पोस्टल आर्डर भेजने के लिए कहते हैं तो हम उनके साथ न्याय नहीं करते। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह युवाओं द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ पोस्टल आर्डर मांगने का यह धन्धा बन्द करें।

तीसरा, महोदय, आयु सीमा एक बहुत बड़ी कठिनाई बन गई है। मेरी राय में नौकरी चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोई आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि सेना, पुलिस तथा अन्य संवेदनशील सेवाओं को छोड़ कर अन्य सेवाओं के मामले में आयु-सीमा नहीं होनी चाहिए। युवाओं में बेरोजगारी हर जगह है। यदि 40 अथवा 42 वर्ष का व्यक्ति किसी भी संगठन में नौकरी रख लिया जाता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। वह 10 या 15 साल नौकरी करके सेवा-निवृत्त हो सकता है। परन्तु कोई आयु-सीमा अथवा नौकरी के लिए मना नहीं होनी चाहिए। निस्सन्देह, यह प्रस्ताव क्रान्तिकारी हो सकता है परन्तु इस देश के युवा इस प्रस्ताव का स्वागत करेंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात खेलों के बारे में है। मैं देश के महत्वपूर्ण नगरों और कस्बों में अपर्याप्त खेल मैदानों का जिक्र करना चाहता हूं।

महोदय, जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कि एशियाई खेलों के दौरान माननीय प्रधान मंत्री जी के पास खेलों का प्रभार नहीं था अथवा उनके पास भारत सरकार के मंत्रिमंडल में उनके पास कोई विभाग नहीं था परन्तु उन्होंने एशियाई खेलों की सफलता के लिए अपनी तरफ से बहुत अच्छा कार्य किया और देश को गौरव दिलाया। अब उनके पास खेलों का प्रभार है मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह देश में कम से कम एक ओलम्पिक खेलों का आयोजन करने के लिए पहल करें ताकि हम देश में इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। मैं जब लॉस एंजेल्स ओलम्पिक देखने गया था तब मुझे स्वयं आयोजकों ने यह बताया था कि नौंवे एशियाई खेलों की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमरीका के लॉस एंजेल्स में की गई तैयारी से हजार गुणा बेहतर थी। इससे मैंने भारतीय होने का गर्व अनुभव किया. . . . (व्यवधान) . . . .मैं पदक तालिका की नहीं व्यवस्था की बात कर रहा था। कृपया कुछ धैर्य रखिए। कभी तो देश पर गर्व किया करो, हमेशा अपने बारे में न सोचते रहो।

मैं फुटबाल टीम के साथ स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का सन्देश चीन लेकर गया था। वहां चीन के खेल मंत्री ने मुझ से कहा "हमें नौवे एशियाई खेलों के दौरान जो खेल व्यवस्था भारत में देखने को मिली, हम उससे बेहतर व्यवस्था के बारे में सोच भी नहीं सकते।

मैं इस अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस सरकार की पहल पर देश में कम से कम एक बार ओलम्पिक आयोजित करने के लिए मित्रों को तैयार करें।

अब खेलों के बारे में। मेरे विपक्षी मित्र श्री जयपाल रेड्डी ने ठीक कहा है और मैं उनके दुःख में भागीदार हूं। मैं भी लॉस एंजेल्स गया था और मुझे बहुत दुःख हुआ कि हम एक भी स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं कर सके। भारत एक ऐसा देश है जहां निधन लोग गांवों म साइकिलों से आते-जाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि साइकिल वैलेड्रोम में भारत से एक भी साइकिल प्रतिस्पर्धी नहीं था। भारत तलवारबाजी में प्रसिद्ध है जयपुर से मध्य प्रदेश तक राजाओं और महलों ने इसको बढ़ावा दिया परन्तु इस खेल में भारत की ओर से एक भी प्रतिस्पर्धी नहीं था। भारत में तीरन्दाजी मुख्य और अत्यन्त महत्वपूर्ण शस्त्र विद्या है। यह रामायण और महाभारत के युग से चली आ रही है। परन्तु भारत की ओर से इस खेल में एक भी व्यक्ति नहीं था। भारत में व्यक्ति मीलों पैदल चलते हैं परन्तु भारत की ओर से इस खेल में एक भी प्रतिस्पर्धी नही था।

ओलम्पिक में यदि आप पदक प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल हाकी और फुटबाल पर ध्यान केन्द्रित मत करिए। ग्यारह खिलाड़ियों को दस दौर खिलाकर आप एक स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं। परन्तु यदि आप एक पिस्तौल को प्रभावी ढंग से चलाते हैं, और यदि आप पैदल चलने म आगे निकलते हैं, तो आप एक पदक प्राप्त कर लेते हैं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न खेल संघ सोये हुए हैं। खेल मंत्रालय को वहां से भ्रष्ट व्यक्ति हटाने चाहिए। वे लोग इन खेल संघों के नाम पर धन कमा रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। यद्यपि म खेल संगठनों के कार्यचालन की स्वायत्ता में किसी भी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध हूं परन्तु खेलों में तब तक सुधार नहीं होगा जब तक आप अपराधियों को नहीं पकड़ते। मैं एक खेल संगठन का सदस्य हूं। मैं जानता हूं कि लोग वहां केवल धन कमाने आते हैं और कुछ करने नहीं जाते। वे पदकों

या अन्य किसी बात की चिन्ता नहीं करते। वे लड़कों से पूछते हैं और वे कहते हैं–"हम आपका नाम सम्मिलित कर लेंगे बशर्ते आप वापस आते समय हमारे लिए इन चीजों को ले आएं।" मैं जानता हूं मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप देश में एक खेल की उपेक्षा न करें। देश के उत्तरी भाग से आप मेरे मित्र संभवत: इसे पसन्द न करें परन्तु मुझे आशा है कि वे भी इसे पसन्द करेंगे, क्योंकि वे भी फुटबाल में बराबर दिलचस्पी रखते हैं। भारत फुटबाल में अत्यन्त पिछड़ा हुआ था। मैं आपको बताता हूं, मैं संभवत: उस दिन सभा में उपस्थित न होऊं अथवा मैं उस दिन तक जीवित न रहूं परन्तु कुछ वर्षों के बाद जल्दी ही इस क्षेत्र में भारत की प्रतिभा चमकेगी। हम दस गोलों से, आठ गोलों से अथवा छ: गोलों से हारा करते थे अब वह अन्तर कम हो गया अब हम एक-एक गोल से बराबर रहते हैं अथवा स्कोर एक–शून्य रहता है। जब श्रीमती गांधी जीवित थीं उनके आशीर्वाद से भारत में 'जवाहर लाल नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय गोल्ड कप फुटबाल टूर्नामेंट' नाम से एक टूर्नामेंट आयोजित किया गया था जो अब कोचीन में हो रहा है। इसमें पहली बार चीन से अर्जेन्टीना तक सभी टीमों ने भाग लिया था। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां खिलाड़ियों से हाथ मिलाने आई थीं। इन्दिरा जी उस दिन स्टेडियम में उपस्थित रहीं और उन्होंने उस दिन का खेल देखा जब भारत और चीन का मैच बराबर चल रहा था। मुझे उनका उस दिन का मजाक याद आ रहा है। उन्होंने कहा–"अब हमारा भारत 1962 का भारत नहीं है, अब हमारा चीन के साथ मैच बराबर रहा है।" वह क्षण हमारे खिलाड़ियों के लिए गर्व का क्षण था। हमने बहुत आशाओं से उस खेल-प्रतियोगिता का आयोजन किया था। अब यह तीसरा वर्ष है। मुझे बताया गया है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने आयोजकों को अब स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वे अगले वर्ष से इस आयोजन के लिए उन्हें विदेशी मुद्रा नहीं देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू की विश्व-शान्ति की कल्पना का अपमान होगा। इस खेल-प्रतियोगिता के माध्यम से हमने सम्पूर्ण विश्व को एक छत के नीचे इकट्ठा किया। अत: मैं यह अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री और सरकार को खेलों पर अधिक जोर देना चाहिए। खेलों से ही देश के युवाओं का स्वास्थ्य सुधर सकता है।

अन्त में मेरा कहना है कि कोई भी खिलाड़ी 35–40 वर्ष की आयु के बाद शारीरिक रूप से राष्ट्र को योगदान नहीं दे सकता अथवा अपनी जीविका नहीं कमा सकता। मैं यह अनुरोध करता हूं कि कृपया वित्त मंत्रालय से आग्रह किया जाए कि जब तक वे खेलों में सक्रिय रहते हैं, उनकी आय पर आय-कर न लगाया जाए, एक राजनीतिज्ञ 90 वर्ष की आयु तक भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, भीमसेन जोशी की भांति एक संगीतकार 60 वर्ष की आयु तक सक्रिय रह सकता है परन्तु एक खिलाड़ी 40 वर्ष की आयु के बाद मैदान में नही रह सकता। आप उसकी आमदनी पर आय-कर क्यों लगाते हैं। उन्हें यह राशि उन्हें अपने कठिन दिनों में व्यय करने दीजिए। कृपया खेलों में सक्रिय खिलाड़ियों पर सारा का सारा आय कर हटा दीजिए।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : सभापति महोदय, जब जार्ज आरवेल ने अपना सुप्रसिद्ध उपन्यास '1984' लिखा तो उस समय सभी हैरान थे कि उन्होंने इस वर्ष-विशेष को ही क्यों चुना। महोदय, जब वास्तव में 1984 आया तो विश्व के सभी बुद्धिजीवियों ने इस उपन्यास को पुन: पढ़ा और यह निष्कर्ष निकाल कर प्रसन्न हुए कि मानवता उस भयानकता से बची हुई है जिसकी कल्पना जार्ज आरवैल ने की थी।

परन्तु महोदय, 1984 स्वतन्त्र भारत के लिए सर्वाधिक अन्धकारपूर्ण वर्ष साबित हुआ है। पंजाब में आंतकवादियों द्वारा निर्दोष हिन्दुओं और नरमपंथी सिखों की हत्या, भारतीय सेना द्वारा

स्वर्ण मन्दिर में प्रवेश, हमारे प्रधान मंत्री की उनके अपने ही घर में विश्वासघातियों द्वारा हत्या और दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में इसके बाद हुई मूर्खतापूर्ण हिंसा आदि वे अनर्थकारी घटनाएं हैं जिन्होंने भारत के लोकतान्त्रिक क्षितिज को धूमिल कर दिया है।

हाल ही के चुनावों के अभूतपूर्व परिणाम, जिस पर सत्तारूढ़ दल के सभी सदस्यों को गर्व है, 1984 को इस अत्याधिक चिन्तनीय और दुःखद पृष्ठभूमि की सुनियोजित प्रतिक्रिया है। महोदय, आप इस लोक सभा पर दृष्टि डालें।

मुझे फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व की अवधि की राष्ट्रीय विधान सभा की याद आती है जिसमें तीन वर्ग के लोग थे। इन तीन वर्गों में अभिजात वर्ग, धार्मिक पण्डित वर्ग और जन सामान्य के प्रतिनिधि शामिल थे। महोदय, मैं जानता हूं यहां पर अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है निस्संदेह स्वयं श्री राजीव गांधी प्रथम अभिजात व्यक्ति हैं, जो कि देश पर 35 वर्षों से शासन कर रहे परिवार के अब सबसे बड़े सदस्य हैं। श्री फ्रैंक एंथनी ने इस वंश परम्परा से पृथक केवल एक जनता का ही उल्लेख किया था। प्रतीत होता है कि वह दूसरा उदाहरण भूल गए जबकि श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 18 महीने की अल्प अवधि के लिये देश का शासन संभाला था। इन दो अवसरों को छोड़कर एक परिवार ने ही हमारे महान प्रजातन्त्रीय देश भारत पर पिछले अनेक वर्षों से शासन किया है। इसके अतिरिक्त यहां अन्य भी अनेक भूतपूर्व अभिजात वर्ग के व्यक्ति हैं, जो राज परिवारों की सन्तान हैं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : आप क्या कह रहे हैं ? प्रजातन्त्र में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ भी बनने की आजादी है।

(व्यवधान)

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : महोदय, ये व्यवधान डाल रहे हैं तथा यह समय मेरे समय से काटा जाये।

इस सदन में धार्मिक पण्डित वर्ग के लोग कौन हैं, फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व की अवधि के . . .

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये। आपका जब वक्त आयेगा तब जबाब दे दीजिये।

[अनुवाद]

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : महोदय, क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं ? क्या मैं माननीय सदस्य से यह प्रार्थना कर सकता हूं कि वह इस देश के उन लोगों का निरादर न करें जिन्होंने श्री राजीव गांधी को इस देश का प्रधान मंत्री चुना है ?

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : मैं, इस बात पर भी आऊंगा कि चुनाव किस ढंग से हुआ है। महोदय आप भी मंत्री महोदय से यह कह दें कि वह उन लोगों का निरादर न करें जिन्होंने विरोधी पक्षों को मत दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। जब मैं बोल रहा होऊं तो आप कृपया अपने स्थानों पर बैठ जायें। (व्यवधान) आप पुराने सदस्य हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिये।

मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जनता ही बड़ी न्यायधीश है। क्या आपको इस कथन पर कोई आपत्ति है ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

सभापति महोदय : श्री रेड्डी, कृपया अपना भाषण जारी रखें ।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : यही कारण है जिसकी वजह से 51 प्रतिशत लोगों ने विरोधी दलों को अपने मत दिये ।

श्री बी. शंकरानन्द : श्री जयपाल रेड्डी किसी समय हमारे साथ थे। वह श्रीमती गांधी के बड़े प्रशंसक थे। अब इन्होंने अपना दृष्टिकोण बदल लिया है ।

(व्यवधान)

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी: मुझे यह कहना पड़ेगा कि मेरे दोस्त श्री शंकरानन्द का राजनितिक ज्ञान बहुत पुराना पढ़ गया है। इसको नवीनतम बनाने की जरूरत है। (व्यवधान) मैंने श्रीमती गांधी के साथ से आपतकाल के बुरे दिनों में अलग हो गया था। तब से मैंने इस देश के लोगों की आजादी के लिए लड़ना शुरू किर दिया है। मैं उस आजादी की इस लड़ाई को जारी रखूंगा।

अब आप मुझसे यह पूछना चाहेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व की अवधि की राष्ट्रीय विधान सभा में पादरी वर्ग के जो लोग थे उनके समान यहां कौन हैं। उस समय के धार्मिक पण्डित वर्ग के व्यक्तियों में तड़क-भड़क की कमी नहीं थी। मैं व्यंग्यात्मक रूप में उनकी तुलना इन फ़िल्मी सितारों से कर रहा हूं जो लोक सभा की सीटों को सुशोभित किये हुए हैं । मैं कोई फिल्मी सितारों पर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं। मैं तो मात्र ऐतिहासिक प्रतिरूप की बात कर रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : मैं यह कहता हूं कि सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्यों में विनोद प्रियता की कमी है। (व्यवधान)

प्रो. पी. जी. कुरियन (इडुक्की) : श्री एन. टी. रामाराव भी एक फिल्मी सितारे हैं।

सभापित महोदय : रेड्डी जी, आपके लिये समय बहुत सीमित है। आप सीधे अपनी बात कहिये। ये सब बातें करके आप अपना वक्त खो रहे हैं।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : अपनी पार्टी से सिर्फ मैं ही एक वक्ता हूं।

सभापति महोदय : आप आठ मिनट ले चुके हैं ।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : श्रीमान, मुझे आपका संरक्षण चाहिये ।

सभापति महोदय : आपको संरक्षण मिल रहा है ।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं अपनी तरफ से आदरणीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह इन सदस्य महोदय की बात को इतनी गम्भीरता से न लें।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : मैं अपने मंत्री जी की विनोद प्रियता की सराहना करता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : रेड्डी जी, कृपया अपनी बात जारी रखें, और सही बात पर आयें। वरन् अपना वक्त खो देंगे।

(व्यवधान)

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : फ्रांस की राष्ट्रीय विधान सभा का तीसरा अंग जनसामान्य के प्रतिनिधि थे और उस वर्ग का लोक सभा में प्रतिनिधित्व विरोधी पक्ष करता है। सन् 1971 में कांग्रेस ने जो उस समय सत्ता में थी, "गरीबी हटाओ" का एक ठोस नारा लगाया और उसने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की। सन् 1980 में इसने यह कह कर लोगों की आशाओं को उभारा कि वह एक स्थायी सरकार प्रदान करेगी। (व्यवधान) (दोनों ही बार लगाये गये नारे ठोस थे परन्तु उन दिशाओं में सरकार का कार्य निष्पादन कुछ नहीं था अतः जब वह 1984 में आई तो इन्होंने एक नकारात्मक नारा दिया। इन्होंने शोक में डूबे राष्ट्र की भय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया।

मैं सदन का ध्यान कांग्रेस (आई) के पांच वर्ष के शासनकाल की ओर दिलाना चाहूंगा। सन् 1980 में कांग्रेस (आई) ने कहा था कि वे देश को एक स्थाई सरकार देंगे। परन्तु उन पांच वर्षों में केन्द्रीय मंत्रीमंडल में 18 बार फेरबदल की गई। केन्द्रीय सरकार के गृह जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण विभागों वाले मंत्रियों को तीन बार बदला गया और कांग्रेस (आई) के मुख्य मंत्रियों का तो इससे भी बुरा हाल था। चार साल में आन्ध्र प्रदेश में चार मुख्य मंत्री बने। कांग्रेस (आई) के प्रत्येक परवर्ती मुख्य मंत्री का कार्यकाल आंध्र प्रदेश में आधा होता गया। श्री चेन्ना रेड्डी 2 वर्ष तक रहे, श्री अन्जैया एक साल तक रहे, श्री वैन्गल राव 6 मास तक रहे और श्री विजयभास्कर रेड्डी केवल 3 मास तक ही रहे। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ कि वहां पर तीन मुख्य मंत्री बने। उत्तर प्रदेश में भी तीन मुख्यमंत्री बने।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप अपना भाषण समाप्त करेंगे क्योंकि आप 11 मिनट ले चुके हैं जबकि आपकी पार्टी के लिए केवल 10 मिनट निर्धारित किये गये हैं। मैं आपको 2 मिनट और देता हूं। कृपया ध्यान करें कि प्रत्येक पक्ष को संसद् में उसकी सदस्य संख्या के अनुसार समय निर्धारित किया जाता है।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : लोकसभा के 1980 के चुनाव में मूल्य रेखा नियंत्रण का उन्होंने जो वायदा किया था उसके बारे मे मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों में मूल्यों में 66 प्रतिशत वृद्धि हुई। जहां तक कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के बारे में उनका वायदा था, क्या यह काफी नहीं होगा अगर मैं उनको याद दिलाऊं कि पिछले पांच वर्षों में 300 बार नागरिक अधिकारियों की मदद के लिए फौज को बुलाना पड़ा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पिछले पांच वर्षों में 70 बार फौज को बुलाना पड़ा। मैंने 1980 के राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी पढ़ा है। उसमें आसाम समस्या का नाममात्र ही उल्लेख था। पंजाब की समस्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिसका अर्थ है जब कांग्रेस (ई) ने 1980 में प्रशासन की बागडोर

सम्भाली थी तब पंजाब की समस्या थी ही नहीं। अतः, इससे साफ पता चलता है कि पंजाब की समस्या पूर्णतया कांग्रेस (ई) की ही देन है। इसका श्रेय सर्वथा कांग्रेस (ई) को ही जाता है।

महोदय, निस्सन्देह वे चुनाव जीत गये हैं। उन्होंने चुनाव कैसे जीते? जसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, उन्होंने संकट का भय खड़ा करके तथा एक ही व्यक्ति श्री राजीव गांधी के व्यक्तित्व को उभार करके चुनाव जीता था। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री बनने से पहले के चार वर्षों में श्री राजीव गांधी को जब वह केवल एक साधारण संसद सदस्य ही थे, कितना समय दिया गया था। मैं चाहता हूं कि सरकार हमें यह बताये। दूसरे महोदय. . . .

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात शीघ्र समाप्त कीजिए।

श्री राम प्यारे पनिका : मुख्य मंत्री बनने से पूर्व उनके मुख्य मंत्री महोदय क्या थे ?

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : मैं सरकारी प्रचार माध्यमों के अनुचित प्रयोग का उल्लेख कर रहा हूं।

सभापित महोदय : कृपया अपने विषय की बात कीजिए।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : क्या रेडियो और दूरदर्शन कोई मुद्दा नहीं है।

महोदय, श्री राजीव गांधी देश में अब स्वच्छ प्रशासन लाना चाहते हैं, स्वच्छ नवीन राजनीति लाना चाहते हैं। उनकी पहचान कम्प्यूटरीकृत छवि निर्माण के हंगामे में पूर्णतया खो गई है। आप उन्हें नहीं जानते। आप उन्हें पहचान नहीं सकते और कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : महोदय, चुनावों की पूर्व सन्ध्या पर कांग्रेस (ई) ने राष्ट्रीय विपक्षी दलों के विरुद्ध अश्लील, अशोभनीय प्रचार किया था और उन्हें देशद्रोही कहा था। अब मैं उन आरोपों का उल्लेख करता हूं जो प्रधान मंत्री महोदय ने चुनावों के दौरान लगाए थे और अब वह राष्ट्रपति के अभिभाषण के अपने उत्तर में हमें बतायें और यह सपष्ट करें कि क्या वह अभी भी उन आरोपों पर अडिग हैं।

उदाहरण स्वरूप, प्रधान मंत्री महोदय ने लगातार यह आरोप लगाया था कि विपक्षी दलों ने आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन किया था।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : मैं चाहता हूं कि वह सिद्ध करें (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप किसी एक सदस्य को कितना समय देते हैं ?

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : मैं चाहता हूं कि यदि उनके पास उसका कोई साक्ष्य है तो वह प्रस्तुत करें। मैं इसके लिए साक्ष्य की बात कर रहा हूं।

सभापित महोदय : कृपया समाप्त कीजिए, अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : उनको काफी समय मिल गया है।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : हमारा कहना यह है कि संत भिंडरांवाले को कांग्रेस ने उभारा और उसे उन्होंने ही बढ़ावा दिया था। मैं भिंडरांवाले के बारे में कुछेक प्रश्न उठा रहा हूं। मैं कोई विवाद नहीं उठा रहा हूं। मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं। जिससे कि मुझे साफ-साफ उत्तर दे सकें। पहली बात यह है कि यह सही नहीं है कि 1979 के शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनावों में कांग्रेस (ई) ने संत भिंडरांवाले और दल खालसा का समर्थन नहीं किया था ?

एक माननीय सदस्य : नहीं. नहीं।

(व्यवधान)]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : श्री लोंगोवाल और श्री प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाले नामपन्थी अकाली............ (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। मुझे अन्य सदस्यों को बुलाना है कृपया समापन कीजिए।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : मेरा समय दूसरों ने ले लिया था।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : भिंडरांवाले को 1980 में क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया था ? निरंकारी अध्यक्ष बाबा गुरुबचनसिंह की हत्या की किसने जिम्मेदारी ली है ?

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : अब मैं डा. चौहान की बात करता हूं।

सभापति महोदय : यदि आप हर किसी की बात करेंगे तो फिर इसका कोई अन्त नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : डा. चौहान को कांग्रेस ने 1969 के मध्यावधि चनावों म एक उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया था।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह आपका प्रथम भाषण है और इसीलिए मैंने आपको नहीं टोका लेकिन अब आप सभी के लिए बाधक बन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : कांग्रेस सरकार ने 1971 में डा० चौहान को पारपत्र दिया था।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अपना भाषण समाप्त कीजिए मुझे अगले सदस्य को बुलाना है।

(व्यवधान)

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : डा. चौहान 12 अप्रैल 1980, को भारत में आए थे। भारत भूमि पर रहते हुए उन्होंने खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना की घोषणा की थी। मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और उसका परिपत्र जब्त क्यों नहीं किया गया। ऐसा कैसे हुआ कि भारत सरकार को अप्रैल 1981 तक उसका परिपत्र रद्द करने में एक वर्ष और लग गया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको पर्याप्त समय दे चुका हूं। अब कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं अगले सदस्य को बुलाऊंगा।

श्री शरद दिघे।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जो कुछ वह कहते हैं वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : आप कृपया उन्हें अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति तो दीजिए।

सभापति महोदय : मैंने उन्हें पर्याप्त समय दिया है। आप तो बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं आपको तो यह बात समझनी चाहिये। (व्यवधान) मैं उन्हें एक मिनट का समय और दे रहा हूं। इस तरह से संसद नहीं चलती है।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : हमारे राष्ट्र के सम्मुख जो कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए मैं अपने दल की ओर से पूरा सहयोग देने का वचन देता हूं। परन्तु हम यह नहीं चाहते कि प्रधान मंत्री के वक्तव्य मात्र दिखावा और चालबाजी ही बनी रहे।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रो. रंगा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में पिछली सरकार की उपलब्धियों की पूर्ण समीक्षा की गई है और भावी कार्यक्रम के बारे में भी दस मुद्दों का उल्लेख किया गया है।

गत वर्ष की सबसे दुःखद घटना हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की निर्मम हत्या थी। इस अभिभाषण में यह बताया गया है कि न्यायमूर्ति एम. पी. ठक्कर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति, हत्या के लिए जिम्मेदार तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए की गई है। मैंने एक माननीय सदस्य की बात ध्यानपूर्वक सुनी, जिन्होंने इस मुद्दे पर बहुत ही अच्छा भाषण दिया है। मैं इस बात पर उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि इस जांच में इस मुख्य तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या इस हत्या के पीछे किसी साम्राज्यवादी ताकत का हाथ था। यह जांच भी उन अन्य अनेक जांच-आयोगों की तरह होनी चाहिए जो चलती रहती हैं और सही मुद्दे पर नहीं आ

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पाती हैं इस मामले में समस्त राष्ट्र यह जानने को इच्छुक है कि क्या इस हत्या में कोई विदेशी हाथ था या यह इस देश की शान्तिपूर्ण तथा प्रजातान्त्रिक सरकार में अस्थिरता लाने के इरादे से किया गया था। इस दृष्टिकोण से उचित और गहन जांच करानी पड़ेगी। प्रधान मंत्री सचिवालय आदि में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए कुछ लोगों की गिरफ्तारियों के हाल के समाचारों से पता चलता है कि इस देश में सरकार को अस्थिर बनाने की गहरी चाल थी। अतः, यह कोई हत्या मात्र नहीं है यह तो मामले की गहराई से जांच करने का प्रश्न है जिससे कि हम अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर भी यह जान सकें कि कौन हमारे वास्तविक मित्र हैं और कौन इस देश के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। अतः मेरा यह निवेदन है कि सरकार को सच्चाई का पता लगाना चाहिये और उन सही ताकतों का पता लगाने में कोई कसर नहीं रख छोड़नी चाहिये जो हमारी प्रधान मंत्री महोदया की दुःखद हत्या के पीछे कार्य कर रही थीं।

जहां तक चुनाव परिणामों का संबंध है, मैंने विपक्षी सदस्यों के कई भाषण सुने हैं। मैं केवल उनसे यही निवेदन करूंगा कि अब समय है कि वे अपनी हार स्वीकार कर लें। यह कहने से कोई फायदा नहीं है कि "आपको तो केवल 50 प्रतिशत या 49 प्रतिशत मत ही मिले हैं अधिकांश, जनता ने तो आपके विरुद्ध मतदान किया है।" हम एक संविधान के अधीन कार्य करते रहे हैं—पाश्चात्य शासन पद्धति———और इन तमाम वर्षों में सभी चुनावों में, हमने उसी मानक को अपनाया है कि जिसको अधिक सीटें मिलती हैं। 1977 के चुनावों में भी, आप इसे कांग्रेस का सफाया मानते थे। किस आधार पर मानते थे ? केवल सीटों के आधार पर ही। अतः अब जो 401 सीटें आई हैं उनका बड़ा महत्व है। वह इस पार्टी को दिए गए भारी जनादेश की द्योतक है। मतों के विचार से भी इस देश में, किसी भी चुनाव में किसी भी दल को, कभी भी 49 प्रतिशत या 50 प्रतिशत मत नहीं मिले हैं। अतः विपक्षी दलों को अब अपनी हार मान लेनी चाहिये, वास्तविकता को पहचान कर कल्पना लोक में विचरण नहीं करना चाहिये। यदि उनका यह कहना है कि यह कोई जनादेश नहीं है, और इस दल को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है तो मैं कहूंगा कि आप में नेक और समझदार लोग भी हैं और वे स्वयं को धोखा दे रहे हैं। ऐसी बात सोचना भी उनके हित में नहीं है। श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के तुरन्त बाद श्री राजीव गांधी को पार्टी द्वारा प्रधान मंत्री चुन लिया गया था। परन्तु पार्टी वहीं पर ही नहीं रुकी। इस दल को भारी जनादेश देकर सारे देश ने इसका समर्थन कर दिया है। अतः श्री राजीव गांधी के चुनाव का न केवल दल ने बल्कि इस देश के बहुसंख्यक मतदाताओं ने समर्थन किया है। अतः मेरा यह निवेदन है कि किसी को भी इस सफलता को कम नहीं समझना चाहिये और अब उनको यह सोचना चाहिये कि इस दल को भारी जनादेश मिला है। यह तो एक सुदृढ़ केन्द्रीय सरकार के लिए मत दिया गया है। सुदृढ़ केन्द्रीय सरकार का यह अर्थ नहीं है कि उसकी तुलना में राज्य सरकार कमजोर हो। सुदृढ़ सरकार का अर्थ है एक दल जो स्थायी सरकार बना सके और पूरे पांच वर्ष तक ठहर सके। सुदृढ़ सरकार का अर्थ मिली-जुली सरकार से नहीं या उस कमजोर सरकार से नहीं जो ढाई वर्ष में ही गिर जाए। अतः, जनादेश सुदृढ़ सरकार हेतु है, जनादेश एक युवा और गतिशील प्रधान मंत्री के लिए है, जनादेश इस सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्य के लिए है।

इन प्राथमिक टिप्पणियों के बाद अब मैं इस अभिभाषण के मुद्दों पर आता हूं। इसमें प्रगति के अनेक मुद्दों का उल्लेख किया गया है। जहां तक थोक मूल्य का संबंध है यह बताया गया है कि गत वर्ष 7.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले इस वर्ष केवल 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह एक बहुत

बड़ी उपलब्धि है। परन्तु मैं, जैसा कि एक सदस्य ने पहले भी उल्लेख किया है, निवेदन करता हूं कि आम आदमी, अर्थात् उपभोक्ता केवल खुदरा कीमतों में ही रुचि रखता है। अतः, यह देखने के लिए सावधानी बरतनी होगी कि सर्वसाधारण को आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर मिलें, उन दरों पर मिलें जो कि उसकी मजदूरी की आय से मेल खाती हों, जिससे कि भूमिहीन मजदूर भी उन्हें खरीद सके। इसके लिए बिचोलियों को समाप्त करना होगा तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना होगा जिससे कि खुदरा कीमतें और उपभोक्ता कीमतें आम आदमी की पहुंच में आ सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, विश्व शान्ति और निरस्त्रीकरण के प्रयास जोर-शोर से किये जाने चाहियें, क्योंकि यह हमारा विनम्र योगदान है। महाशक्तियां पहले ही मिल चुकी हैं। परन्तु जहां तक गुट-निरपेक्ष देशों का संबंध है, उनके लिए एक ऐसी स्थिति पैदा करना अनिवार्य है, जहां पर महा-शक्तियों को निरस्त्रीकरण के पथ का अनुसरण करने के लिए बाध्य किया जा सके। अतः हमारे प्रधान मंत्री महोदय की अध्यक्षता में होने वाली बैठक की कार्यवाही की जायेगी और निरस्त्रीकरण का वातावरण तैयार करना होगा।

मेरा चुनाव क्षेत्र मुख्यतया कपड़ा मिलों से सम्बद्ध है। इसलिए मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के उस पैराग्राफ 39 को रूचि से पढ़ता हूं जिसमें यह कहा गया है कि कपड़ा उद्योग की स्थिति दयनीय है और इस समस्या पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बारे में मेरा प्रथम सुझाव यह है कि खादी, हथकरघा और विद्युतकरघा तथा कपड़ा मिलों के लिए एक व्यापक नीति होनी चाहिये जिससे कि मिलों के विभिन्न वर्गों की मिलों के लिए कुछ उत्पादन आरक्षित किया जा सके।

जहां तक कपड़ा मिलों का संबंध है, मैं और आगे बढ़कर यह कहूंगा कि इस उद्योग का राष्ट्रीय-करण करने का समय आ गया है। केवल बीमार मिलों का ही प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की नीति अच्छी नहीं है, क्योंकि कपड़ा मिलों के मालिक या प्रबन्धक जानबूझ कर एक ऐसी नीति अपना रहे हैं जिससे कि इकाईयां बीमार पड़ जाती हैं। वे मिलों का रुपया हड़प जाते हैं, मशीनों को हटा लेते हैं और इकाई को बीमार बना देते हैं जिसके परिणामस्वरूप हमें अन्ततः उन मिलों का प्रबन्धक अपने हाथों में लेना पड़ता है जिनकी कि स्थिति अत्यन्त दयनीय होती है। अब हम ऐसी मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले रहे हैं और उन्हें घाटे में चला रहे हैं। ऐसी मिलो का अधिग्रहण करने से कोई लाभ नहीं है। अतः बिना समय खोये कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। जिससे कि अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की इकाईयों पर सरकार का हक हो और हम उन्हें न लाभ न हानि के आधार पर चला सकें। तब हम एक ऐसी नीति का पालन कर सकते हैं जहां हम कामगारों को रोजगार दे सकते हैं।

हमें इस उद्योग के बारे में विचार करते समय केवल प्रबन्धकों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मजदूर भी इस उद्योग के अंग हैं। बम्बई में कपड़ा मजदूरों की दीर्घकालीन हड़ताल के बाद स्थिति यह हो गई है कि मिलों में कपड़ा मजदूरों का बहुत अपमान किया जा रहा है। उनकी सौदा करने की शक्ति समाप्त हो गई है। उनका पूर्णतया शोषण किया गया है। अतः जब हम कपड़ा उद्योग की शोचनीय दशा को सुधारने के बारे में सोचते हैं तो हमें कपड़ा उद्योग के मजदूरों की दशा के बारे में भी सोचना चाहिए।

राष्ट्रपति द्वारा एक और मुद्दे का उल्लेख किया गया है, यह न्यायिक प्रणाली के बारे में है। यह कहा गया है कि शीघ्र न्याय मिलना सुनिश्चित किया जाना होगा। केवल प्रक्रिया संबंधी कानूनों

में संशोधन करके शीघ्र न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। मेरे विचार में न्यायिक प्रणाली में कमी यह है कि बड़े से लेकर छोटे न्यायाधीश को कम वेतन दिया जाता है। मैं इन तमाम वर्षों के दौरान न्यायालयों में एक वकील के रूप में की गई प्रैक्टिस के आधार पर कह सकता हूं कि जहां तक छोटी अदालतों का संबंध है। न्यायाधीशों का वेतन बैंक के चपरासी से भी कम है। अतः इन पदों की ओर कोई भी व्यक्ति आकर्षित नहीं होता है। अच्छे वकील न्यायाधीश के पद को स्वीकार नहीं करते। मैं न्यायाधीशों के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि न्यायाधीशों के पदों के लिए केवल अकुशल व्यक्ति ही मिलते हैं। न्याय की गति धीमी होने का यही एक कारण है। इसलिए हमें जिस मुख्य बात पर ध्यान केन्द्रित करना है वह है बड़े से बड़े न्यायाधीश से लेकर छोटे से छोटे न्यायाधीश की सेवा शर्तें, ताकि अच्छे वकील इन पदों की ओर आकर्षित हों और इन पदों को स्वीकार करने में तथा न्याय प्रदान करने में प्रोत्साहन मिले।

उन्हें नियुक्त करते समय उनकी जांच भी की जानी चाहिए। मैं राजनीतिक दृष्टि से जांच पड़ताल की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि निष्ठा की दृष्टि से जांच-पड़ताल की बात कर रहा हूं। यदि आप न्याय के इस मन्दिर में भ्रष्टाचार से बचना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि जांच-पड़ताल के बाद तथा उनकी ईमानदारी, निष्ठा और पिछली सेवा के बारे में पता लगाने के बाद उनकी नियुक्ति की जाए।

लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा देने के बारे में भी कहा गया है। यह एक प्रशंसनीय उद्देश्य है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। जहां तक महाराष्ट्र राज्य का संबंध है, वहां लड़कियों के लिए पहले से ही मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है। अतः जब हम मुफ्त शिक्षा देने के बारे में विचार कर रहे हैं तब उन राज्यों को और अधिक वित्तीय सहायता दी जानी होगी जिन्होंने इस योजना को लागू कर दिया है।

अब जहां तक युवा वर्ष का संबंध है, यह देख कर हमें प्रसन्नता होती है कि हमने अपने देश में इस वर्ष की शुरुआत सबसे छोटा प्रधानमंत्री चुनकर और जहां तक राष्ट्र का संबंध है, उसकी बाग डोर युवकों के हाथों में सौंप कर की है। इस प्रकार हमने अच्छी शुरुआत की है और मुझे विश्वास है कि हम इस वर्ष से ऐसी योजनाएं बनाएंगे कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में युवकों को प्रोत्साहन मिले और वे राष्ट्र की प्रगति और विकास संबंधी सभी गति विधियों में भाग ले सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

3.59 म. प.

यूनियन कार्बाइड के भोपाल स्थित कारखाने की भंडारण टंकियों से जहरीली गैस के रिसाव के परिणामस्वरूप मानव और पशु जीवन की भारी क्षति के बारे में वक्तव्य पर चर्चा

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : सभापति महोदय, मैं नियम 193 के अन्तर्गत भोपाल में हुई गम्भीर दुर्घटना पर चर्चा की शुरुआत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस दुर्घटना में जहरीली गैस

के रिसाव के कारण सैंकड़ों नागरिक मर गए और उससे भी अधिक संख्या में नागरिक जीवन भर के लिए लूले लंगड़े हो गए हैं। महोदय, जब मुझे भोपाल दुर्घटना का पहली बार पता चला कि वहां वास्तव में चालीस टन घातक मिथाइल आयसो साइनेट गैस का रिसाव हुआ है और काफी संख्या में लोग मरे हैं तो मुझे यह प्रतीत हुआ कि एक छोटे पैमाने पर हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए प्रयोग को दोहराया जा रहा है। इन द्वीपों पर परमाणु बम गिराया गया था और उसके परिणाम स्वरूप काफी लोग मरे थे और काफी लूले लंगड़े हो गए थे।

4.00 म० प०

महोदय, इस गम्भीर दुर्घटना पर चर्चा करते समय मैं चाहता हूं कि सुरक्षा संबंधी पहलुओं, प्रौद्योगिकी संबंधी पहलुओं, किसी क्षेत्र विशेष में इस प्रकार के संयंत्र लगाने की अनुमति देने के बारे में लाइसेंस देने की नीति और सुरक्षा को खतरा तथा औद्योगिक सुरक्षा निदेशक जैसी संस्था द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रियाओं की गहराई से जांच की जाए, ताकि हम स्थिति का सही जायजा ले सकें।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सभा के समक्ष जो वक्तव्य रखा है वह अपर्याप्त है और जल्दी में दिया गया वक्तव्य है जिसमें इस विराट समस्या का पूर्ण जायजा नहीं लिया गया है। इस वक्तव्य में उन खतरों का कोई जिक्र नहीं है जो पैदा हुए हैं और उन प्रौद्योगिकी समस्याओं का और कठिनाइयों का कोई जिक्र नहीं है जिनसे मुकाबला करना पड़ा है, उसमें अफसरों द्वारा हर कदम पर की गई धोखाधड़ी का कोई उल्लेख नहीं है। अत: महोदय, मेरा उद्देश्य इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करना है और उसे आपके माध्यम से सभा के समक्ष रखना है ताकि मंत्री महोदय वाद विवाद में हस्तक्षेप करते समय अथवा वाद-विवाद का उत्तर देते समय मेरे द्वारा सभा के समक्ष रखी जा रही समस्याओं के बारे में सरकारी विश्लेषण प्रस्तुत कर सकें।

भोपाल में जिस प्रकार यह दुर्घटना हुई है, मैं उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। दो दिसम्बर, 1984 की उस विनाशक रात को, अगले वर्ष में प्रवेश करते हुए, हमें पता चला कि जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। प्रारम्भ में यह अनुमान था कि लगभग 3000 से अधिक लोग मरे हैं। अनुमान में अन्तर हो सकता है, परन्तु इससे इस विराट दुर्घटना का पता चलता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस दुर्घटना के वैज्ञानिक कारण क्या थे, प्रौद्योगिकी कमियां क्या थीं, सुरक्षा संबंधी त्रुटियां क्या थी और उसी के प्रकाश में उन्हें समस्या का पुन: विश्लेषण करना होगा और स्थिति का पुन: जायजा लेना होगा।

उच्च दाब में तरल रूप में एकत्रित की गई मिथाइल आयसो साइनेट गैस को वास्तव में उच्च दाब की आवश्यकता होती है और उच्च दाब बनाए रखती है। इसे 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। सर्दी की रात को मेरे विचार में उस प्रणाली का तापक्रम 12-14 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं था। यदि तरल को गैस के रूप में परिवर्तित करना हो तो तापक्रम 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड करना होगा। मेरा विचार तो यही है जब तक मंत्री महोदय अपने स्पष्टीकरण में इससे इन्कार न करें कि प्रणाली में आन्तरिक बाधाओं के कारण पैदा हुई ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक थी। उदाहरण के लिए, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि जहां तक सम्पूर्ण प्रणाली का संबंध

है, कतिपय प्रौद्योगिकी असफलताओं के कारण, पानी को प्रणाली में जाने दिया गया। पानी के इस गैस में मिलनें से प्रतिक्रिया हुई और इसके परिणाम स्वरूप इन दो तत्वों की रासायनिक क्रिया ऊष्मारेची परिवर्तन हुए और प्रणाली का सम्पूर्ण तापक्रम 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का अर्थ है पानी का उबलांक और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के उस उच्च तापक्रम पर दबाव में वृद्धि हुई और पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा पैदा हुई और उसके परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण प्रणाली में विस्फोट हुआ और फलस्वरूप दुर्घटना हुई।

यह दबाव टैंक और कैमिकल स्क्रूबर को जोड़ने वाले सेफ्टी वाल्व में विस्फोट के लिए पर्याप्त था। महोदय, मैं कुछ तकनीकी प्रश्न उठाना चाहता हूं और मैं इन प्रश्नों को केवल भोपाल दुर्घटना के संदर्भ में ही नहीं उठाना चाहता बल्कि इसलिए उठाना चाहता हूं कि भोपाल जैसी दुर्घटना से भविष्य में बचा जा सके। मैं जानबूझ कर इन प्रश्नों को उठा रहा हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि केमिकल स्क्रूबर द्वारा गैस बेअसर क्यों नहीं की गई अथवा बाहर रिसकर मानव जीवन को क्षति पहुंचाने से पहले फ्लेयर टावर में जल क्यों नहीं गई। संभवतः यदि गैस को किसी कार्य के लिए इस्तेमाल किया गया होता अथवा कैमिकल स्क्रूबर द्वारा बेअसर कर दी गई होती अथवा फ्लेयर टावर में जल गई होती तो इस सारी दुर्घटना से बचा जा सकता था।

क्या कारण है कि पर्याप्त सावधानी क्यों नहीं बरती गई? महोदय, मेरे पास सारी प्रणाली का चार्ट और चित्र है और मुझे पता चला है कि फ्लेयर टावर को इस्तेमाल नहीं किया जा सका, क्योंकि पाइप की लम्बाई खत्म हो गई थी और उसे बदला नहीं जा सका। चूंकि पाइप पूर्णतया नष्ट हो चुकी थी, यह ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सका और समय पर उसे बदला नहीं जा सका जिसक परिणाम-स्वरूप 'फ्लेयर टावर' में यह गैस बेअसर नहीं हो सकी।

4.06 म.प.

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई]

बहुत से अनुसंधान वैज्ञानिक इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह निष्कर्ष सही है। यह कैसे हुआ कि संयन्त्र को चलाने वाले कर्मचारियों को तापक्रम में वृद्धि का अनुमान नहीं हुआ। रसायन शास्त्र का साधारण ज्ञान रखने वाला तथा इस प्रकार की प्रणाली विशेष के तकनीकी कार्यचालन की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि यदि प्रणाली में पानी चला जाता है और तरल मिथाइल आयसो साइनेट गैस में मिल जाता है तो इसकी पूरी संभावना होती है कि ऊष्मापेक्षी परिवर्तन हों और काफी मात्रा में ऊष्मा पैदा हो और बढ़ हुए दबाव और तापक्रम के जोर से सारी प्रणाली ही नष्ट हो जाए। इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या संयंत्र से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह काम करने लायक नहीं रहा है और क्या इसकी उपेक्षा की गई?

सभापति महोदया, एक ऐसी संस्था है जिसे सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो प्रत्येक राज्य में एक औद्योगिक सुरक्षा निदेशालय होता है। मुझ ठीक-ठीक पता नहीं है कि क्या केन्द्रीय स्तर पर औद्योगिक सुरक्षा निदेशालय है या नहीं। परन्तु मुझे ठीक-ठीक याद है कि राज्य स्तर पर ऐसे संगठन हैं और औद्योगिक सुरक्षा निदेशालयों को सौंपी गई जिम्मेवारियों में से एक जिम्मेवारी यह भी है कि उन्हें इन संगठनों का आवधिक निरीक्षण करना होता है। उन्हें प्रौद्योगिकी की

जांच करनी होती है और यह पता लगाने का प्रयास करना होता है कि क्या कोई असामान्य बात हुई-है अथवा क्या कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है अथवा क्या कोई ऐसी त्रुटियां है जिनके कारण सारी प्रणाली की सुरक्षा में कमी आ गई है? क्या ऐसा किया गया था नहीं?

सयंन्त्र में 10-30 म. प. यह खराबी हुई, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अगले दिन प्रातः 2.15 बजे तक भोंपू (साइरन) नहीं बजाया गया था। कुछ समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि पहली चेतावनी प्रातः 1 00 बजे दी गई थी। संयन्त्र का दौरा करने वाले कुछ व्यक्तियों ने प्रभावित लोगों से बात करने के बाद बताया कि प्रातः 2.15 बजे साइरन बजाया गया था। सभापति महोदया, मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि भोंपू (साईरन) दो तरह के हैं। एक 'साइरन' वह है जो लगातार बजता रहता है। यह 'साइरन' किसी क्षेत्र विशेष की आसपास की आबादी के साथ किसी दुर्घटना की चेतावनी देने के लिए बजाया जाता है। दूसरा 'साइरन' ध्वनि विस्तारक यंत्र पर किसी संयन्त्र विशेष में अन्दर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। मुझे बताया गया है और मैंने कई कागजात देखे हैं तथा कई प्रेस समाचार देखे हैं जिनसे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रारम्भ में सारे शहर के लिए तथा पर्यावरण क्षेत्र के लिए आम 'साइरन' बजाया गया था बाद में यह बन्द कर दिया गया और इसके बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र पर संयन्त्र के कर्मचारियों के लिए चेतावनी दी जाने लगी और शहर के लोगों के लिए और कोई चेतावनी आदि नहीं दी गई। यह सबसे बड़ी असफलता रही है।

गैस के प्रभाव के बारे में कुछ पहलू सामने आए हैं जिनके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से विस्तार में जानना चाहता हूं। आप में जो सदस्य भोपाल के बारे में जानते हैं उन्हें यह पता होगा कि भोपाल में एक 'अपर लेक' है। सौभाग्यवश इस झील ने किसी हद तक नए भोपाल शहर के निवासियों की इस घातक गैस से रक्षा की। प्राकृतिक सौन्दर्य का शुक्र है, क्योंकि इस झील के कारण, प्राकृतिक सौन्दर्य ने नए भोपाल के इस क्षेत्र विशेष की घनी आबादी को बचाने में ढाल का काम किया।

मैं यह भी माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ अनुसंधान वैज्ञानिकों ने दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद संयन्त्र क्षेत्र में, कार्बाइड संयन्त्र के निकट वनस्पति और वृक्षों की जांच करने के बाद पाया कि वृक्षों के पत्तों पर असर पड़ा है और उनके रंग में परिवर्तन हुआ है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान शाखा के डीन प्रो. दवे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि वनस्पति के रंग में परिवर्तन फासजीन के कारण हुआ न कि मिथाइल आयसो साइनेट गैस के कारण। मैं माननीय मंत्रीमहोदय से यह जानना चाहता हूं कि तथ्य क्या हैं और क्या इस संबंध में कोई वैज्ञानिक जांच और अनुसंधान किया गया है। यह केवल भोपाल दुर्घटना का ही प्रश्न नहीं है बल्कि हम भविष्य में भी ऐसी घटनाओं से बचना चाहते हैं। अतः इस पहलू विशेष की ओर ध्यान दिया जाना होगा।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इर्द गिर्द के वातावरण पर इसका दीर्घकालीन प्रभाव क्या रहा है? क्या पर्यावरण सम्बन्धी प्रभाव लम्बे अरसे तक बने रहेंगे और जनसंख्या के कतिपय वर्ग पूरी तरह पंगु हो जायेंगे?

मैं सरकार तथा प्रबन्धकों की ओर से की गई भूलों के बारे में संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। जब मैं इन भूलों का उल्लेख कर रहा हूं तो मैं इनका उल्लेख दोष ढूंढने की दृष्टि से नहीं कर रहा हूं। मैं सरकार एवं प्रबन्धकों द्वारा की गई धोखाधड़ी एवं उनकी असफलताओं का उल्लेख इसलिये कर रहा हूं कि मैं इनके बारे में इस सभा को बता सकूं ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुःखद घटनाओं से बचा जा सके। केन्द्र सरकार ने कार्य दल के इस परामर्श से अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है कि चूंकि यह जहरीली गैस बहुत ही खतरनाक है, इसे भंडार करके नहीं रखा जाए बल्कि उसका तत्काल उपयोग कर लिया जाए। किन्तु ऐसा करने में असफलता क्यों हुई? इस पहलू के बारे में कार्य दल को किसी प्रकार का भ्रम नहीं था और सरकार द्वारा गठित कार्य दल ने यह स्पष्ट कहा था कि इस जहरीली गैस का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए और यदि कहीं रिसाव हो तो उसे निष्प्रभावी किया जाना चाहिये। सुरक्षा सम्बन्धी यह पहलू ध्यान में क्यों नहीं रखा गया?

अमरीका में भी यूनियन कारबाइड संयंत्र है किन्तु वहां पर यह सतर्कता बरती गई है कि वह टैंक, जिसमें तरल एवं निर्मित गैस रखी जाती है, भूमिगत रखा गया है ताकि खतरे की सम्भावना को न्यूनतम रखा जाये। मैं आपको बताना चाहता हूं दुर्भाग्य से भोपाल में अमरीका की तरह की सावधानी नहीं बरती गई यहां पर जो टैंक था वह काफी सीमा तक भूमि के उपर था। पर्यावरण तथा इस संयंत्र के इर्द-गिर्द की बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को इतना भारी नुकसान होने का एक यह भी कारण था।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, यदि माननीय सदस्य सुनने का कष्ट करें तो मैं एक बात कहना चाहूंगा जिससे चर्चा में भी सुविधा होगी।

माननीय सदस्य इस दुःखद घटना एवं एम. आई. सी. गैस के रिसाव के उन कारणों को बता रहे है जो उन्हें समाचार पत्रों एवं वैज्ञानिकों से प्राप्त हुए हैं। किन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बातों का उन्होंने अभी उल्लेख किया है उन सब की राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग द्वारा जांच की जा रही है। जांच सम्बन्धी विचारार्थ विषयों में एक विषय यह है :

> "यूनियन कारबाइड के कीटनाशक संयंत्र में 2 और 3 दिसम्बर के बीच की रात्रि को हुई दुर्घटना के कारण तथा परिस्थितियां तथा जहरीली गैसों के रिसाव के कारण और आस पास के क्षेत्रों के अनेक निवासियों तथा भोपाल के अनेक नागरिकों की मृत्यु एवं रुग्णता।"
>
> "सुरक्षात्मक उपायों की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता और उनका सही कार्यान्वयन जिसमें कारखाने के प्राधिकारियों और/अथवा सांविधिक अथवा गैर-सांविधिक निरीक्षणकारी एजेन्सियों की लापरवाही या सदोषता का . . . .। उद्योगों में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए उपायों के बारे में सिफारिशें . . . . . .।"

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल में दो तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की है जो इस जांच आयोग की सहायता करेंगे। यह जांच आयोग गैस के रिसाव के मामलों की जांच कर रहा है तथा वह भी देख रहा है कि क्या एम. आई. सी. का सही ढंग से भंडारण किया गया था अथवा नहीं और क्या टैंक को सही ढंग से रखा गया था अथवा नहीं।

जब यह मामला जांच आयोग के समक्ष है और यह न्यायाधीन है, तो मेरे विचार से इस सम्बन्ध में ब्यौरों पर विचार करने से कोई काम नहीं होगा।

प्रो. मधु दण्डवते : मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ है कि इस मामले को इस समय उठाया गया है। मैं आपसे यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने तो यह आशा की थी कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठायेगा और कहेगा कि चूंकि माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार एक जांच आयोग की स्थापना की गई है, कम से कम मंत्री महोदय मेरी इस आशा को तो पूरी करेंगे।

मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है मैंने उसका प्रत्येक शब्द पढ़ा है। मुझे उनके वक्तव्य के बारे में पूरा पता है।

मैं भूतकाल के पूर्वोदाहरण को उदधृत कर रहा हूं। आप इस सभा में पहली बार आये हैं और इसलिए मैं आपको इस सभा में भूतकाल के पूर्वोदाहरणों के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। जिस सभा में आप पीठासीन अधिकारी थी वहां भी पूर्वोदाहरण होंगे और आप इस बात की पुष्टि कर सकती हैं कि अनेक अवसरों पर, जिन मामलों में जांच आयोग भी नियुक्त किये गये हैं, उन पर भी भूतकाल में चर्चा होती रही है। अध्यक्षपीठ का केवल यही निर्णय था कि जांच आयोग पर किसी प्रकार का आक्षेप किए बिना आप इस समस्या पर इस सदन में चर्चा कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने तो एक बार यह भी कहा था कि सभा में माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना भी जांच आयोग की सूचना का स्रोत बन सकता है। अतः चाहे जांच आयोग नियुक्त किया जा चुका है, इस विषय पर बहस को नहीं रोका जा सकता। मैं पूरी तरह जानता हूं कि आपने जांच आयोग का उल्लेख किया है। इसलिये म जांच आयोग पर किसी प्रकार का आक्षेप किए बिना इस मामले पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पूरी सावधानी बरत रहा हूं। मैं तो अपने विचार व्यक्त कर अपना योगदान दे रहा हूं क्योंकि अपनी संसदीय गतिविधियों के कारण जांच आयोग के समक्ष जाने का हमारे पास समय नहीं है। अतः मैं तो आपके तथा मंत्री महोदय के माध्यम से जांच आयोग से बात कर रहा हूं। इसलिए मैं अपने पास उपलब्ध सभी सूचना सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं कि आयोग के निष्कर्षों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना सरकार को सदन के पास उपलब्ध पूर्ण सूचना देने का अधिकार है। मैं किसी भी भांति प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। न ही मैं यह आक्षेप कर रहा हूं कि मंत्री महोदय उत्तर देते हुए प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदया : कृपया जांच आयोग पर कोई आक्षेप न लगायें। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। मंत्री महोदय ने जांच आयोग को प्रेषित विचारार्थ मुद्दों के बारे में बता दिया है। इनमें सुरक्षात्मक एव अन्य बातें शामिल हैं। आपने इन मामलों के संबंध में बहुत सूचना दे दी है। अतः अपना भाषण यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयास करें।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं यह पहले ही जान गया था कि आप क्या कहने जा रही हैं। मैंने आक्षेप न करने संबंधी आपका परामर्श मान लिया है। मैंने अभी तक किसी के विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं लगाया है, यूनियन कारबाइड के विरुद्ध भी नहीं। सभा में मेरा कार्य करने का ढंग कभी ऐसा नहीं रहा है।

सभापति महोदया : यदि आप अपने विचार संक्षेप में रखें तो बेहतर होगा ।

प्रो. मधु दंडवते : मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा । केवल मेरा संक्षिप्त में बोलना ही थोड़ा लम्बा होगा ।

सभापति महोदया : मुझे आशा है कि आप हमेशा संक्षिप्त भाषण देंगे ।

प्रो. मधु दण्डवते : क्या यह सही है कि गैस टैंक दबाव मापी यंत्रों तथा सेफ्टी वाल्वों का रख रखाव सन्तोषजनक नहीं था ? में यह जानना चाहता हूं । यदि मामला न्यायाधीन है तो माननीय मंत्री महोदय पिछले पन्द्रह वर्षों की लोकसभा की कार्यवाही देख सकते हैं । जांच आयोग के समक्ष विचाराधीन समस्या सम्बन्धी प्रश्नों को इस सदन में पूछा जाता रहा है । यदि आप सदन को सूचना देना चाहते हैं तो आप सूचना दे सकते हैं । अन्यथा आप यह कह कर एक वाक्य में उत्तर दे सकते हैं; कि समूचा मामला विचाराधीन है ।

सभापति महोदया : जांच आयोग इन सब बातों पर विचार कर रहा है । अत: इस तरह तो इन बातों को दोहराने वाली बात है ।

प्रो. मधु दंडवते : इस सभा के अध्यक्ष महोदय ने सोच समझ कर और यह जानते हुए भी कि जांच आयोग नियुक्त किया गया है, नियम 193 के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा उठाने के लिए विनिर्णय दिया है । मेरे विचार से मंत्री महोदय द्वारा उठाई गई आपत्ति का अध्यक्ष महोदय ने पूर्वानुमान लगा लिया था । मैं मानता हूं कि उन्हें आयोगों की प्रक्रिया एवं कार्यचालन के बारे में बहुत ज्ञान है और चूंकि उन्होंने अपने विवेक से इस चर्चा की अनुमति दी है । इसलिए मुझे अपनी बात कहने दी जाए । नि:सन्देह मैं अपनी बात संक्षेप में ही कहने का प्रयास करूंगा ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने इस विषय पर चर्चा उठाने के बारे में आपत्ति नहीं की है । मैंने यह निवेदन किया है कि एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है जो इन बातों की जांच करेगा कि यह दुर्घटना क्यों हुई, एम. आई. सी. उड़ कर वातावरण में कैसे आ गई, दोष क्या था, क्या उपक्रम ने पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय दिये थे, अथवा नहीं, इन सब मामलों को विचारार्थ विषयों में शामिल किया गया है और आयोग इन सब बातों पर विचार करेगा । जांच आयोग की सहायता के लिये तकनीशियन हैं, वैज्ञानिक हैं और हम अगले दो अथवा तीन महीनों में आयोग के प्रतिवेदन की आशा कर रहे हैं । यदि आप इन सब बातों पर चर्चा करना चाहते हैं, अपने पास उपलब्ध सूचना देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । आप ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र हैं ।

प्रो. मधु दंडवते : मुझे अपने ज्ञान प्रदर्शन की इच्छा नहीं है । मैं जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के अधिकारों एवं देश के विभिन्न भागों में व्याप्त स्थिति की सुरक्षा के लिये यहां आया हूं । वैसे मैं किसी विश्वविद्यालय में जाकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकता हूं । यह सभा ऐसा करने का स्थान नहीं है । मुझे यहां ऐसा करने का न तो अभिमान है और न ही मेरी इच्छा है । वास्तव में, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं जिसे कोई अधिक ज्ञान नहीं है । मैं तो केवल वही बात कहने जा रहा हूं जिसका मुझे विभिन्न वैज्ञानिकों से बातचीत करके पता चला है ।

सभापति महोदया : मंत्री महोदय आपको केवल यह बताना चाहते थे कि इन सब बातों को जांच आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल किया जा चुका है । कृपया आप अपनी बात जारी रखें और यथाशीघ्र अपना भाषण पूरा करें ।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं अपना भाषण जारी रखूंगा । अनावश्यक ही असंगत बातें नहीं उठाई जानी चाहिए । यदि मंत्री महोदय सही कह रहे हैं तो मेरे विचार से अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर चर्चा की अनुमति देकर गलती की है । अध्यक्ष महोदय जानते हैं कि एक जांच आयोग नियुक्त किया जा चुका है फिर भी उन्होंने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हमें आश्वासन दिया था और उस आश्वासन को सभा में दोहराया था कि वह एक पूर्ण चर्चा करने की अनुमति दे रहे हैं । आप लोक सभा की कार्यवाही-वृतान्त से देख सकते हैं । उन्होंने कहा था कि भोपाल दुर्घटना पर एक पूर्ण चर्चा की अनुमति दी जाएगी । अतः मैं अपना भाषण जारी रखता हूं ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : आप आगे अपनी बात कहें । मुझे कतई आपत्ति नहीं है ।

प्रो. मधु दंडवते : जहरीली गैस का रिसाव होने दिया गया..........किन्तु हमें सभा में इस विषय पर बहस से नहीं बचना चाहिये । मैं बस यही कहना चाहता हूं ।

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जब वह आयोग के समक्ष जाएं अथवा आयोग के समक्ष अपने अधिकारी भेंजे तो मेरे विचार से हम जो यहां कुछ बातें उठा रहें हैं, उनसे उन्हें सहायता मिलेगी । इसीलिए ये बातें मैं यहां कह रहा हूं । अन्यथा म इस पर एक लेख लिख सकता था ।

एक प्रश्न यह था कि दबाव बहुत बढ़ा दिया गया था । जहां तक तापमान का सम्बन्ध है, यह बढ़ कर 100° सेन्टीग्रेड हो गया था और दबाव जो प्रति वर्ग इंच के हिसाब से एक पौंड बढ़ना चाहिये था, प्रति वर्ग इंच 55 पौंड तक बढ़ाया गया । यदि दबाव इतना बढ़ाया गया था तो मैं सभा को बताना चाहता हूं कि दबाव एवं तापमान में अचानक इतनी वृद्धि उस संयन्त्र के कतिपय तकनीशियनों के जाने बिना नहीं हो सकती थी । अतः इस प्रश्न पर तकनीशयनों तथा वहां के तकनीकी कर्मचारियों से चर्चा की जानी चाहिये । ऐसा कैसे हुआ कि तापमान 12°–14° सेन्टीग्रेड से बढ़कर 100° सेन्टी-ग्रेड हो गया और जब उस प्रणाली में कुछ तकनीकी परिवर्तन हो रहे थे तो उनके ध्यान में कैसे नहीं आये और उन्हें उसका पूर्वानुमान कैसे नहीं हो सका ? इस पहलू पर विचार किया जाना होगा ।

सरकार द्वारा नियुक्त कार्यदल की एक सिफारिश यह थी कि प्रशीतन पद्धति का सहीं संचालन सुनिश्चित किया जाए । यह दुःखद घटना कैसे घटी ? क्योंकि तापमान 12°–14° सेन्टीग्रेड से बढ़-कर 100° सेन्टीग्रेड हो गया । तापमान में इस प्रकार की वृद्धि को रोकने के लिए इस पद्धति के अन्दर एक युक्ति है अर्थात् प्रशीतन पद्धति । दुर्भाग्य से जब यह दुर्घटना घटी तो प्रशीतन प्रणाली खराब थी, यह बिल्कुल बन्द थी, इसे चालू नहीं किया गया था । यदि प्रशीतन प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य कर रही होती तो तापमान में इतनी वृद्धि न होने दी जाती दबाव में भी इतनी वृद्धि न होने दी जाती, इस प्रकार गैस का रिसाव न होता और समूची दुर्घटना से भी बचा जा सकता था ।

जब पूरी प्रणाणी में थोड़ी सी गैस का रिसाव शुरु हुआ था तो उन्हें इसका पता लग जाना चाहिये था । किसी भी सक्षम प्रौद्योगिकीविद को गैस के बहुत थोड़ी सी मात्रा में रिसाव होने पर इस बात का पता लग सकता है । अत्यन्त संवेदनशील मापक (गेज) हैं । मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का छात्र रहा हूं और मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं कि जब कभी बड़े पैमाने पर गैस का

रिसाव होता है तो शुरू में ही मापक इसका पता लगा सकते हैं। यहां तक कि गैस थोड़ी सी मात्रा में रिसाव का भी पता चल जाना चाहिये। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों नहीं किया गया था।

अब म अत्यन्त संगत पहलू को लेता हूं। यहां पर आपको यह मामला किसी आयोग को और किसी साक्षी के लिए सौंपने की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो मैं सरकार से पूछ रहा हूं और इसके लिये जांच आयोग संगत नहीं है। सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल द्वारा पहले सिफारिश की गई थी कि इस विशेष संयंत्र की स्थापना कहां पर की जानी चाहिये और इनकी सिफारिशें दो किस्म की थीं। कार्यकारी दल ने सरकार को बताया था कि इस प्रकार के संयंत्र की स्थापना से सुरक्षा को खतरा है, गैस के लीक होने का खतरा है और इससे पर्यावरण के भारी दूषित होने का खतरा है और इसलिये यह जरूरी है कि या तो इस प्रकार के संयंत्र की स्थापना भोपाल में तट दूर द्वीप में की जाए अथवा विकल्प के रूप में यह समुद्र के तट पर होना चाहिये जहां बहुत कम व्यक्ति रहते हैं। इन दो बातों की सिफारिश की गई थी। इसके बावजूद मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1975 में इस संयंत्र को स्पष्ट रूप से लाइसेंस तथा स्वीकृति क्यों प्रदान की गई थी। जहां तक लाइसेंस प्रदान करने की बात का संबंध है, इसकी जांच-पड़ताल से कोई संबंध नहीं है। इसका केवल सरकार से संबंध है और इसलिये जो भी जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर माननीय मंत्री महोदय को सदन को बताना चाहिये कि कार्यकारी दल की स्पष्ट सिफारिशों के बावजूद उन्हें लाइसेंस क्यों जारी किया गया था।

अन्त में मैं सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। हम अनिवार्य आवश्यकता के रूप में जांच आयोग पर निर्भर नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है कि आयोग की नियुक्ति से पूर्व भी सरकार ने स्वयं अपने विभाग तथा प्रबंधक वर्ग के प्रतिनिधियों के सहयोग से पूरी स्थिति, प्रौद्योगिकीय कमियों, किए गए रसायनिक परिवर्तनों तथा इससे हुई क्षति का स्वतंत्र मूल्यांकन क्यों नहीं किया गया था? इसका कारण क्या है कि जांच आयोग की नियुक्ति से पूर्व भी सरकार द्वारा तैयार किये गए कारणों का कोई विश्लेषण नहीं किया गया था? इसका कारण क्या है कि पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान का कोई सही अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सका? जहां तक इस बात का संबंध है, यह जांच आयोग को सौंपा नहीं गया है। इसका वैज्ञानिकों तथा विज्ञान विशेषज्ञों का अपना दल है और वह इस प्रकार के विशेषज्ञ दल की सहायता से प्राक्कलन तैयार कर सकते थे कि पर्यावरण पर प्रभाव कितनी दूर तक हो सकता है। इसका आयोग से कोई संबंध नहीं है।

तीसरे, सरकार द्वारा अब तक दिये गये सभी वक्तव्यों तथा इस सदन में माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में इस प्रकार की खतरनाक परियोजना के स्थल, लाइसेंस संबंधी नीति, प्रौद्योगिकीय पहलू, सार्वजनिक सुरक्षा निदेशालय की परिधि तथा क्षेत्राधिकार, औद्योगिक सुरक्षा के बारे में अपनाई जाने वाली भावी नीति का कोई उल्लेख नहीं है ताकि इस प्रकार की खतरनाक स्थिति से बचा जा सके।

अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय को आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक इस दुर्घटना का संबंध है, स्थिति की भयंकर वास्तविकताओं के कराण हम इस दुर्घटना को ऐसा नहीं मानते हैं कि जिससे हम राजनीतिक लाभ उठा सकें। हम केवल जन प्रतिनिधियों के रूप में चिंतित हैं कि भोपाल में हिरोशिमा और नागासाकी की छोटी घटना दोहराई गई है। मैं नहीं चाहता कि भोपाल जैसी घटना देश के विभिन्न भागों में हो। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यदि वह

महसूस करते हैं कि इसकी कुछ बातें उनकी स्थिति तथा जांच आयोग को परेशानी में डालेंगी तो वह चुप रह सकते हैं। लेकिन जहां तक अन्य बातों का संबंध है, जहां तक लाइसेंस संबंधी नीति के कुछ पहलुओं, भावी प्रोद्यौगिकीय विकास के कुछ पहलुओं तथा प्रतिबंधों, जो आपने इस देश में कार्यरत बहुराष्ट्रिक कम्पनियों पर लगाये हैं, का संबंध है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप भविष्य में लिये कुछ नीति बनायेंगे तथा मार्गदर्शी सिद्धांत लागू करेंगे, ताकि भोपाल में हुई दुर्घटना की तरह कोई अन्य दुर्घटना न हो। मैं आशा करता हूं कि इस चर्चा के दौरान मेरे द्वारा उठाई गई इन बातों पर माननीय मंत्री महोदय आश्वासन देंगे।

धन्यवाद।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : सभापति महोदय, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से भोपाल दुर्घटना की अत्यधिक व्यापकता को कम नहीं कर सकता है। यह विश्व के इतिहास में किसी समय कहीं पर हुई अत्यन्त बड़ी तथा अत्यन्त दारुण औद्योगिक विपत्ति है। जो कुछ हुआ है और कुछ अतिक्रमण हुआ है उसके ब्यौरे में जाये बिना और जांच आयोग के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किये बिना.......................

प्रो. मधु दण्डवते : आपकी अनुमति से मैं एक मिनट लेता हूं ताकि मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछ सकूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र श्री फैलीरो भी इसका बुरा नहीं मानेंगे।

सभापति महोदया : ठीक है।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि ऐसी शिकायतें हैं कि पीड़ितों के चिकित्सा रिकार्ड तथा उन्हें जो अलग-अलग चोट पहुंची है इसका लेखा-जोखा नहीं रखा गया और इसके परिणामस्वरूप डाक्टरों को पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी थी। यह बहुत से डाक्टरों की शिकायतें हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सीय उपचार पर्याप्त नहीं था। अनुसंधान कार्य को भी पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाया गया है।

इसके अतिरिक्त मैं वित्तीय सहायता के बारे में एक ठोस उदाहरण देना चाहता हूं। अपना सब कुछ गंवा देने वाले पीड़ित व्यक्तियों तथा इससे प्रभावित हुए व्यक्तियों के पास आय का कोई साधन नहीं था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ प्रभावित हुए व्यक्तियों को 'क्रास्ड चेक' के रूप में वित्तीय सहायता दी गई थी। उनका कहना है : "हम क्रास्ड चेक' को लेकर क्या करें क्योंकि हमारा कोई बैंक खाता नहीं है।" इसके अतिरिक्त 12 किलोग्राम प्रति यूनिट तक उन्हें खाद्यान्न सहायता दी गई थी। उनके पास धन नहीं था, अतः उन्हें गेहूं के रूप में सहायता दी गई थी इस गेहूं को आटा पीसने वाली चक्की में ले गये। आटा पीसने वाली चक्की के मालिक ने गेहूं की पिसाई देने की मांग की और इन प्रभावित हुए व्यक्तियों ने कहा : हम अपना सब कुछ गंवा चुके हैं और इसलिए हम आपको गेहूं की पिसाई का मूल्य भी अदा नहीं कर सकते हैं। हमारे 12 किलोग्राम गेहूं में से दो किलोग्राम गेहूं पिसाई मूल्य के बदले ले लें और शेष गेहूं अर्थात् 10 किलोग्राम को हम घर ले जायेंगे।" दुःखद स्थिति तो यह है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन सभी समस्याओं पर गौर करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन व्यक्तियों के पास गेहूं की पिसाई देने के लिये पैसे नहीं है उन्हें किसी न किसी रूप में कुछ सहायता दी जायेगी।

महोदया, मैं आपका तथा श्री फैलीरो का आभारी हूं जिन्होंने मुझे इन प्रश्नों को उठाने की अनुमति दी है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदया, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि यह औद्योगिक विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी विपत्ति है और मुआवजे के बारे में पिछले वक्ता द्वारा उठाए गए प्रश्न तथा विपत्ति के पीड़ितों के लिए क्या किया जा रहा है, ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सरकार द्वारा अत्यन्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये । यह केवल सरकार ही नहीं है अपितु इस विपत्ति के लिये मुख्य अपराधी यूनियन कारबाइड है जिसे प्रभावित हुए व्यक्तियों, मृतक व्यक्तियों के परिवारों, इस समय प्रभावित हुए व्यक्तियों तथा जिनके प्रभावित होने की संभावना है, को पूरा मुआवजा देना चाहिये । क्योंकि इस एम. आई. सी. गैस का प्रभाव केवल अब अथवा निकट भविष्य में नहीं महसूस किया जाएगा अपितु इसका प्रभाव लम्बी अवधि के बाद महसूस किया जायेगा । इन सभी व्यक्तियों का ध्यान रखा जाना चाहिये और न केवल अब प्रभावित हुए व्यक्तियों के लिये अपितु भविष्य में प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिये भी प्रावधान किया जाना चाहिये ।

यह अच्छी बात है और जिस तरीके से प्रधान मंत्री, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं, ने 4 दिसम्बर को उस काले सोमवार को अपना चुनाव अभियान छोड़ दिया और वह तत्काल रसायन तथा उवरक मंत्री के साथ घटना स्थल पर जाकर अध्ययन करने के लिये भोपाल विमान से गये । उसकी सदन को सराहना करनी चाहिए ।

जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने यूनियन कारबाइड के बड़े मालिक वारेन एंडरसन को गिरफ्तार किया । उसकी हमें सराहना करनी चाहिये । उन्हें गिरफ्तार करके इन बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को चेतावनी दी गयी है कि यदि वे इस देश में हमारे लोगों की मौत और विनाश के कार्यों में हिस्सा लेंगे तो वे बच नहीं सकेंगे ।

एक माननीय सदस्य : उन्हें कितने घंटे गिरफ्तार किया गया था ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आपको पता है कि सरकार की शक्ति गिरफ्तार करने की है लेकिन हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति को रखना न्यायालय के अधिकार में है । लेकिन हम इस प्रकार बहस में नहीं पड़ना चाहेंगे । यहां पर मैं पूर्वाग्रह के बिना इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया । मैं यह कहने में आपके साथ हूं कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायालय ने अपेक्षाकृत कम जमानत रखी जो दो हजार डालर से भी कम है । यह दुर्भाग्यपूर्ण था । जांच आयोग क्या करेगा इस बारे में विचार किये बिना मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हम इससे तत्काल कुछ सबक सीख सकते हैं ताकि हजारों निरपराध लोगों की जो जानें गई हैं वे व्यर्थ में नहीं गयी हैं ।

मुद्दा यह उठता है कि सामान्य रूप से बहुराष्ट्रिक निगम और विशेषकर कीटनाशी उद्योग के क्षेत्र में इस देश में किस तरीके से कार्य करते हैं । सभापति महोदया, इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवेदन में क्या कहा गया है मैं केवल उसे उद्धृत करूंगा । विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवेदन में कहा गया है :

"दिन के प्रत्येक मिनट में तीसरे विश्व के देशों में औसतन एक व्यक्ति को कीटनाशी षधियों द्वारा विष खिलाया जाता है अर्थात् प्रत्यक वर्ष लगभग पांच लाख लोग इसके शिकार

होते हैं और लगभग प्रत्येक एक घंटे और पैंतालिस मिनट पर कीटनाशी औषधियों के कारण एक मौत होती है। इस तरह से कम से कम प्रत्येक वर्ष कुल 5,000 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवेदन में आगे कहा गया है 'पश्चमी देशों में प्रतिबंधित अथवा खत्म किये गये कीटनाशी अथवा खतरनाक रसायनों के लिये तीसरा विश्व एक बड़े बाजार के रूप में उभरकर सामने आया है। एशिया में फार्मूलेशन संयंत्रों की वृद्धि हो रही है जो अधिकांशतया घातक वस्तुओं का निर्माण करते हैं।"

भारत बी एच और डी डी टी का उत्पादन कर रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, कि देश में डी डी टी के उत्पादन की क्या स्थिति है। इसे जांच आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं रखा गया है। इसका उत्पादन कौन कर रहा है? इस खतरनाक नाशीकीट मारक दवाई के उत्पादन में कौन से रक्षोपाय किये जा रहे हैं? डी डी टी और बी एच सी दोनों पर संयुक्त राज्य अमरीका में या तो प्रतिबंध है या उनका उत्पादन अत्यधिक सीमित है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 1976 में संयुक्त राज्य अमरीका की नाशीकीट मारक दवाइयों के निर्यात की 30 प्रतिशत दवाइयां ऐसी थी जिनके प्रयोग पर अमरीका में प्रतिबंध था। ऐसा केवल अमरीका में नहीं था। योरोपीय देश भी जो सांझा बाजार के योरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य हैं, तीसरी दुनिया के देशों को वही नाशीकीट मारक दवाइयां और औषधियां निर्यात करते हैं जिन पर वहां प्रतिबंध लगा है। इन औषधियों को भारत और मलेशिया जैसे देशों में भेजा जाता है जिसके फलस्वरूप अनेकों व्यक्तियों की जानें जाती हैं और सम्पत्ति नष्ट होती है।

यह दिलचस्प बात है कि भोपाल संयंत्र की मालिक यूनियन कार्बाइड का एक ऐसा ही संयंत्र वैस्ट वर्जीनिया में भी है। यद्यपि संयंत्र भोपाल जैसा ही है लेकिन जहां तक दुर्घटना के समय किये जाने वाले रक्षोपायों का संबंध है, वैस्ट वर्जीनिया स्थित संयंत्र में कुछ ऐसे रक्षोपायों की व्यवस्था की गई है जिनकी भोपाल संयंत्र में व्यवस्था नहीं की गई है और इतने बड़े पैमाने पर विनाश का यह एक मुख्य कारण है। सभापति महोदय, बालासट्रीट जर्नल को साक्षातकार देते हुए यूनियन कार्बाइड के एक प्रवक्ता ने बातयां है कि इस प्रकार के उद्योग में प्रयोग में लाए जाने वाले बचाव संबंधी कुछ उपकरण भोपाल में नहीं लगाये गये थे। कार्बाइड के प्रवक्ता ने कहा कि कम्पनी के वैस्ट वर्जीनिया संयंत्र में एक कम्प्यूट्रीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली प्रयोग में लायी जाती है, जिससे टैंकों में उस तापमान या दबाव के बनने का पता लग जाता है जो तरल रसायन को गैस में बदल सकता है। भारतीय संयंत्र में इस प्रकार का उपकरण नहीं लगाया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है और क्या यह सामान्यतः सच है कि हम पश्चिमी देशों से प्रौद्योगिकी तो ले रहे हैं किन्तु उस बुनियादी प्रौद्योगिकी को नहीं ले रहे जिसकी सहायता से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों से बचा जा सके और इसका कारण या तो यह है कि हमने इसे प्राप्त करने की परवाह नहीं की या संबंधित देश इसे देने को तैयार नहीं है। क्या इस बारे में मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि भविष्य में जब कभी औद्योगिक प्रौद्योगिकी का अंतरण होगा स्वास्थ्य को होने वाले खतरों से बचाव से सम्बंधित बुनियादी प्रौद्योगिकी का अनिवार्यतः इस देश में अंतरण किया जाएगा। सभापति महोदया, भोपाल संयंत्र में यह कोई अकेला मामला नहीं है।

सभापति महोदया : आप कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री एडुआर्डो फलीरो : मैंने अभी तो आरम्भ किया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि दिसम्बर, 1984 में हुई भोपाल दुर्घटना उस संयंत्र में होने वाली पहली दुर्घटना नहीं थी । इससे पहले छः दुर्घटनाएं वहां हुई थी । ये छः दुर्घटनायें संयंत्रों में विभिन्न स्थानों पर हुई थीं और उनमें से कम से कम एक दुर्घटना में तो मौतें हुई थीं । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इनमें से प्रत्येक घटना के बाद संयंत्र और मशीनरी का निरीक्षण किया गया था, क्या संयंत्र के कार्यकरण में दोष पाये गए थे, क्या संयंत्र प्रबंधकों को इन दोषों को दूर करने के लिए कहा गया था और क्या बार-बार चेतावनी दिए जाने और इन संयंत्रों में पर्याप्त सावधानी बरते जाने के बावजूद संयंत्र प्रबंधक स्थिति में सुधार लाने में असफल रहे । ऐसी स्थिति में मैं यह जानना चाहता हूं कि इन प्रबंधकों को जो पहले हुई दुर्घटनाओं के मामले में निदेशों को क्रियान्वित करने में असमर्थ रहे । कितना जिम्मेदार ठहराया गया ।

यह जो कुछ भोपाल में हुआ है वह स्थिति का चरमोत्कर्ष था किन्तु ऐसी घटनाएं देश के अन्य भागों में भी होती रही हैं । हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे संयंत्रों से सम्बद्ध खतरों—स्वास्थ्य आदि को होने वाले खतरों, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में लोगों में जागरुकता के अभाव के खतरों—के प्रति राजनीतिक और लोक जागरूकता की कमी के कारण इन संयंत्रों में अनेक अपेक्षित बचाव उपाय नहीं किये जाते हैं । क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रायः लाईसेंस देने से सम्बन्धित अधिकारियों को किसी न किसी तरीके से मनवा लिया जाता है—उन्हें लालच दिया जाता है ताकि इन रक्षोपायों का सख्ती से पालन न करना पड़े ।

यदि यूनियन कार्बाइड के मामल में यह पता लगाया है कि उस फर्म ने लोगों को अपने खर्च पर वैस्ट वर्जीनिया संयंत्र की सैर करने भेजा था तो कोई आश्चय नहीं होगा । अनेक बार तो इससे भी अधिक कुछ दिया जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि पर्यावरण संबंधी रक्षोपायों को लागू नहीं किया जाता है । सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करने जा रही है कि पर्यावरण प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को रोकने के लिए जो कार्य किये जाने हैं वे अधिक सख्ती से उनका पालन करें ?

मैं दो प्रश्न पूछ कर समाप्त करूंगा । भोपाल में जो हुआ है उसको देखते हुए और सरकार की इस समस्या को युद्धस्तर पर हल करने की राजनीतिक इच्छा को देखते हुए सरकार ने कौन से स्पष्ट उपाय किये हैं । जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कृषि मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के बीच और अधिक समन्वय हो । आप किस प्रकार बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेंगे ? इस समन्वय के अन्तर्गत कौन से विनिर्दिष्ट कार्य हैं जो किये जायेंगे, कितने समय में परिकल्पित सुधार—जिनका उल्लेख मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में किया है—क्रियान्वित किये जायेंगे ?

दूसरी बात यह है कि यहां उद्योग स्थल निर्धारण नीति का उल्लेख किया गया है । भोपाल संयंत्र ने दिखा दिया है कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियों में क्या खतरे निहित हैं । इस संयंत्र को भोपाल रेलवे स्टेशन के निकट स्थापित किया गया था, जो काफी भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र है । क्या यह सच नहीं है कि जुलाई, 1984 में अर्थात् छः महीने पहले भारत सरकार ने तत्कालीन पर्यावरण मंत्री ने एक उद्योग स्थल निर्धारण नीति तैयार की थी किन्तु उद्योग मंत्रालय उस पर सहमत नहीं हुआ था ? इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या सरकार इस उद्योग स्थल निर्धारण नीति की घोषणा करेगी ? क्या सरकार ने उद्योग मंत्रालय के साथ परामर्श करके उद्योग स्थल निर्धारण नीति को अंतिम रूप दिया है ? औद्योगिक लाइसेंस नीति में ऐसा कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है

जिसमें यह व्यवस्था हो कि इस प्रकार के रक्षोपाय न करने पर औद्योगिक लाइसेंस रद्द कर दिय जायेंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी संयंत्र में पर्यावरण नियंत्रण उपायों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके अंतर्गत उस उद्योग का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। क्या सरकार ने इस बारे में सोचा है जिससे कि औद्योगिक लाइसेंस नीति में ऐसा उपबंध रखा जा सके कि भोपाल में हुई दुर्घटना तथा अन्य पर्यावरण दुर्घटनाओं जैसे मामलों में औद्योगिक लाइसेंस रद्द किया जा सके ? राज्य सरकारों को कितना समय दिया गया है जिससे कि वे कारखाना प्रवर्तन तंत्र को युक्तिसंगत बना सकें ताकि, जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया है, पर्यावरण नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ किया जा सके ? मैं चाहता हूं कि न केवल भारत सरकार के विभागों को बल्कि राज्य सरकारों को भी यह बताया जाए कि भोपाल की तरह का पर्यावरण सम्बन्धी विनाश —मुझे आशा है कि ऐसा न केवल इस देश में बल्कि विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं होगा—बड़े निगमों में पुनः नहीं होना चाहिए तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपनी मनमर्जी नहीं करने दी जानी चाहिए। क्या सरकार और मंत्री महोदय इस सदन को यह बतायेंगे कि वे निर्धारित समय में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री इरासु अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : मैं पीड़ितों को दी गई अंतरिम सहायता के बारे में जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्षतिपूर्ति के लिए निगम के विरुद्ध मुकदमे दायर करने के उद्देश्य से उन्हें किस प्रकार की कानूनी सहायता दी जा रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार इस प्रकार का कोई कदम उठा रही है जिससे कि पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने संबंधी दावों का निपटान न्यायालय में गए बिना हो जाए। ऐसे कारखानों के लिए कौन से निवारक उपाय किये गये हैं जो ऐसी जहरीली गैस छोड़ते हैं जिनसे तत्काल मृत्यु नहीं होती लेकिन जिनसे श्रमिकों की निश्चय ही धीरे-धीरे मृत्यु होती है ? क्या इस बारे में कोई स्कीम बनायी गई है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने भोपाल में नरसंहार किया है। मैं मांग करती हूं कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की संपत्ति शीघ्र जब्त की जाये। अन्य सदस्यों ने जो बातें पहले कही है मैं उनको दोहराना नहीं चाहती। परन्तु मुझे खेद है क्योंकि मैं यह आशा करती थी कि मंत्री महोदय यूनियन कार्बाइड द्वारा जनसंहार किये जाने की सख्त निंदा करेंगे। यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी लेकिन इससे पहले जो चेतावनियां दी गईं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। मैं यूनियन कार्बाइड का ध्यान लिकेज पत्रिका के सितम्बर-दिसम्बर 1980 के अंक की ओर दिलाना चाहती हूं। मुख पृष्ठ के अन्दर की ओर एक व्यंग्य चित्र है। इसमें कहा गया है कि "यदि एम आई सी जहरीली गैस का संयंत्र में रिसाव होता है तो आप क्या करेंगे ?" यह उस कम्पनी के सुरक्षा कर्मियों से पूछा जा रहा है। उत्तर है "लम्बी छलांग" जिसका अर्थ यह है कि वे भाग जायेंगे। मेरे पास इसकी एक प्रति है।

मध्य प्रदेश की विधान सभा में 1982 में छोटी-छोटी दुर्घटनाओं के बाद भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के विधायक श्री महेन्द्र कर्मा सहित अनेक विधायकों नें इस कारखाने के स्थान के बारे में प्रश्न किये थे। तत्कालीन कांग्रेस आई श्रम मंत्री का उत्तर था "इस कारखाने पर 25 करोड़ रुपया लगाया गया है। यह कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है जिसे मैं उठा कर और जगह रख दूं।" केवल यही नहीं, इससे भोपाल को काफी बड़ा खतरा हो गया है या इसकी सम्भावना है।

बारम्बार की छोटी-छोटी अत्यन्त गम्भीर दुर्घटनाओं के बावजूद 1982 में यह रवया अपनाया गया। अतः मेरा कहना यह है कि यह जनसंहार उन दीर्घकालीन अपराधों का परिणाम है जो कारखानों में किये जा रहे थे। मेरी मांग है कि कारखाने पर कब्जा कर लिया जाए, अनुसंधान और विकास केन्द्र सहित इसकी सारी सम्पति जब्त कर ली जाए।

आपने बताया है कि 1400 मृत्यु के मामले दर्ज किये गए हैं। जैसाकि मैंने उस दिन कहा था मैं 16 को भोपाल गई थी। मैं पूरा दिन वहां लोगों के साथ रही। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। उन्होंने बताया कि सभी लोग भाग गए थे, अब वे वापस आ रहे हैं। उन्होंने मुझ बताया कि कम से कम 5,000 लोग मरे हैं।

जहां तक राहत देने का सवाल है, अब तक मैंने देखा है कि रेल कर्मचारियों, जो झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के मुकाबले अधिक संगठित हैं, में भी 41 मौतें तथा उनके परिवारों में 69 मौतें अर्थात् कुल 110 मौतें हो चुकी हैं। यह स्थिति 16 तक की है। केवल 57 मामलों में ही कुछ क्षतिपूर्ति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बहुत अपर्याप्त है तथा आपके आंकड़ों में यह नहीं दिखाया जा रहा है कि बहुत से लोग भाग गए थे और अब वापस आ रहे हैं।

इस समय एक बड़ी समस्या यह है कि अस्पतालों से जो प्रमाणपत्र जारी किये गये थे उनम यह उल्लेख नहीं किया गया है कि मौत गैस रिसाव से हुई है। उनमें टी.बी., पेट दर्द या ऐसी कुछ अन्य बिमारी लिखी हुई है। इससे काफी बड़ा खतरा हो गया है क्योंकि जब तक प्रमाणपत्रों में यह नहीं बताया जाता कि मौत जहरीली गैस के कारण हुई है। उनके लिए प्रमाणपत्र के आधार पर क्षतिपूर्ति के दावे नहीं किय जा सकेंगे। यह एक गंभीर स्थिति है।

मैंने वहां अनेक लोगों से मुलाकात की और उनसे पूछा कि वे कैसे महसूस कर रहे हैं। उन्होंने, मैं रेलवे कुलियों की बात कह रही हूं। उदाहरण के तौर पर मैं हिन्दी में कहना चाहती हूं :

[हिन्दी]

कलेजा बहुत जलता है। चार दिन के बाद भी एक दिन हम खा नहीं सकते ह, उल्टी आती है। हम चल नहीं सकते हैं और आंख से दिखाई नहीं देता है।

[अनुवाद]

उनके सभी अंग प्रभावित हुए हैं। यह स्थिति केवल कुलियों की नहीं थी बल्कि सभी वर्ग के लोगों की थी। मैं रेलवे कोलोनी गई थी, मैं अन्य प्रभावित क्षेत्रों में गई थी। वहां औरतों को ठीक से दिखाई नहीं देता है। उनका कहना है कि वे बीड़ी भी नहीं बना सकती हैं क्योंकि उन्हें ठीक से नहीं दिखाई देता है। जिन लोगों ने पहले सोचा था कि वे बिल्कुल ठीक हो गए हैं, उन्हें नयी-नयी बीमारियां लग रही हैं।

अब जहरीली गैस से प्रभावित लोगों, विशेषकर गरीब लोगों के बारे में बहुत चर्चा हो रही है मैंने एक औरत को देखा जो गैस दुर्घटना के समय गर्भवती थी।

कुछ दिनों बाद उस महिला ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया जिसका रंग पूरी तरह नीला था। वह नीले रंग की जहरीली गैस का ही परिणाम था।

अब एक गम्भीर समस्या यह सामने आ रही है कि लोग इससे प्रभावित हैं उनका क्या होगा। वे मरे नहीं हैं लेकिन वे जीवित लाशें हैं। जो कुछ मैंने देखा उससे मैं कांप उठी। अगर यही स्थिति

वहां बन रही है, तो कुछ समय बाद क्या होगा ? जैसा कि आप जानते हैं आज नागासाकी और हिरोशीमा की बात की जा रही है। इसके पीछे भी कुछ कारण हैं। वह कारण है इस जहरीली गैस से वैसी ही स्थिति पैदा होगी ।

सभापति महोदया : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं आपको ही सम्बोधित कर रही हूं, क्योंकि मैं समझती हूं कि औरों की अपेक्षा आप लोगों के दर्द को अच्छी तरह से समझ सकेंगी ।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : निश्चय ही एक महिला होने के नाते मैं आशा करती हूं कि मेरे पुरुष सहयोगियों को भी इसका उतना ही अहसास होगा। मैं इसके बाद में होने वाले कुप्रभावों से चिन्तित हूं। मैंने वहां लोगों से पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, "बहुत सी दवाइयां मिलती है, गोलियां बहुत मिलती हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है।" उनको बहुत सी दवाइयां मिल रही हैं, लेकिन इनका कोई असर नहीं हो रहा है। यह राय है उनकी। और असली स्थिति भी यही है।

यूनियन कार्बाइड ने कहा है कि वहां साइनाइड जैसी जहरीली गैस नहीं बनती। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह वहां थी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इसमें मरे व्यक्तियों की शव परीक्षा की रिपोर्ट प्रकाशित की जाए। यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक जवान की मृत्यु हो गई है। मैंने सुना है कि उसकी शव परीक्षा रिपोर्ट में पाया गया है कि वह साइनाइड के जहर से मरा है। खैर, ऐसी बातें तो जांच के दौरान आयेंगी और मैं विश्वास करती हूं कि गम्भीर रूप से मैडिकल जांच नहीं की गई है। और उन प्रभावित लोगों को कोई दवाई फायदा नहीं पहुंचायेगी। इसलिए, विशेषरूप से मंत्री का ध्यान मैं इस पहलू की ओर दिलाना चाहती हूं।

जहां तक चेतावनी देने का संबंध है, मैं कहना चाहती हूं कि उस दिन जब गैस लीक हुई तब दिन के ग्यारह बजे थे। मंत्री महोदय ने अपने विवरण में कहा है कि सरकार ने अपनी सारी गाड़ियों, आदि का वहां प्रयोग किया। मुझे यह पता चला है कि जब गैस रिसनी आरम्भ हुई तो काफी समय तक कोई चेतावनी नहीं दी गई। उसके बाद भी मात्र भोंपू बजाया गया। एक फक्टरी में भोंपू प्रायः बजता रहता है। न तो यूनियन कार्बाइड की तरफ से और न ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी समय लाउडस्पीकरों से चेतावनी दी गई। और न ही लोगों को बताया गया कि वे सारी रात क्या-क्या करें। वास्तव में पहली दफा सुबह 6 बजे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाउडस्पीकर द्वारा बताया गया की अब गैस समाप्त हो गई है, और वे लोग वापस घरों को लौट सकते हैं। तब क्या हुआ ?

5.00 म. प.

इतनी सारी मौतें क्यों हुई ? जब गैस स्टेशन की तरफ से दूसरी ओर थी। बस्ती की तरफ फैल रही थी तो लोगों को पता ही था कि ऐसी घटना हो गई है। वे फैक्टरी की तरफ भागने लगे। सांस लेने से काफी मात्रा में जहरीली गैस उनके पेट में चली गई। इसके परिणामस्वरूप ही इतनी अधिक संख्या में मौतें हुई। अगर आरम्भ में ही लाउडस्पीकर द्वारा लोगों को यह बता दिया जाता कि यह करो, यह न करो तो ये लोग फैक्टरी की तरफ न भागते। अगर सही समय पर यह व्यवस्था कर दी जाती तो इतनी मौतें न होती। प्रभावित लोगों पर इसका बाद में होने वाला कुप्रभाव न पड़ता।

यह एक गम्भीर मामला है। मंत्री महोदय के विवरण को पढ़ कर मुझे काफी दुःख हुआ है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने परिवहन और चिकित्सा अधिकारी जुटाने में शीघ्र कार्यवाही की। लेकिन असलियत यह नहीं है।

महोदय, क्योंकि आप मुझे भाषण जल्दी समाप्त करने के लिए कहेंगे, और मैं वहां गई थी और वहां के लोगों ने मुझ से कहा था कि मैं उनकी आवाज को संसद में उठाऊं, तो यह सब कहना मेरा कर्त्तव्य हो जाता है।

महिलाओं और उनकी संतति पर कुप्रभाव के बारे में, उन्होंने मुझसे कहा है मैं इस बात की मांग करूं कि इस समस्या पर गम्भीरता से विचार किया जाए। म निवेदन करना चाहती हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए।

जहां तक यूनियन कार्बाइड के रवैये का संबंध है, मैं आपको एक कार्टून दिखा चुकी हूं। लेकिन इसके अलावा, मैं कुछ बातें पूछना चाहती हूं। मैंने पढ़ा है कि यूनियन कार्बाइड वहीं एक और फैक्टरी खोलने के बारे में विचार कर रही है, जिससे कि लोगों को रोजगार दिया जा सके। अब भोपाल के लोग वास्तव में बहुराष्ट्रीक कम्पनी के नाम से ही डरने लगे हैं। वे कहते हैं कि सरकार को इसकी सम्पदा को जब्त करना चाहिए। यही नहीं वे कहते हैं कि सरकार इस कम्पनी से पैसा लेकर अपना संयंत्र स्थापित करें, जो कि जहरीली गैस के अलावा अन्य उत्पाद पैदा करे। वे ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि काफी संख्या में लोग वास्तव में शारीरिक रूप से अपंग हो गये हैं, अगर आप उन्हें देखें तो पायेंगे कि वे अपने आप चल भी नहीं सकते हैं। उनमें से काफी दैनिक मजदूरी वाले मजदूर हैं। वे आशा नहीं करते कि भविष्य में वे ऐसा मेहनत वाला कार्य कर सकेंगे। इसलिए सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप वास्तव में उनको बचाना चाहते हैं तो आप को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि वहां कोई ऐसी फैक्टरी या उद्योग खोला जा सके जिसमें लोगों को हल्का काम मिल सके। लम्बे समय तक ये प्रभावित लोग भारी कार्य नहीं कर सकते। मैं नहीं जानती कि इस पहलू पर विचार किया गया है या नहीं।

प्रत्येक व्यक्ति यह पूछ रहा है कि अनुसंधान और विकास खण्ड में क्या होता रहा है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सबने कहा है कि इतनी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनेट जमा करने का कोई औचित्य ही नहीं है, जबकि इतनी मात्रा में इसे जमा रखने के लिए सुरक्षा प्रबन्ध मौजूद नहीं थे। अगर ऐसा है, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या यह बहुराष्ट्रीय कम्पनी इस 'आर एण्ड डी' केन्द्र का प्रयोग किसी अन्य जहरीली गैस की जांच के लिए कर रही थी, और भोपाल की जनता पर इसका परीक्षण कर रहे थे जिसके फलस्वरूप वह इस देश में या अन्य किसी देशों में रसायनयुद्ध के लिए अपने साम्राज्यवादी प्राकाओं को तैयार कर सकें। ये कुछ प्रश्न हैं जोकि भोपाल वासियों के दिमाग को अन्दोलित कर रहे हैं। मैं नहीं समझती कि यह विवरण उन्हें कोई सान्त्वना दे सकेगा।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : सभापति महोदय, भोपाल गैस काण्ड हमारे देश में इस शताब्दी की सब से बड़ी दुर्घटना है, जिस में, सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। यूनियन कार्बाइड एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है और जैसा कि आप जानते हैं, जितनी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं इनका एक एटीचूड रहा है, विकासशील देशों और विकसित देशों में काम करने का डबल-स्टैंडर्ड। यह उस डबल-स्टैंडर्ड का परिणाम है कि भोपाल में इतनी बड़ी दुर्घटना घटी। 1969 में इस कारखाने की स्थापना

85-M/B(D)183LSS—12

हुई थी, अगर पिछले दो सालों के इस के एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो ऐसा लगता है कि यूनियन कार्बाइड कम-से-कम पर्सोनल के माध्यम से अपना काम चलाना चाहती थी। पिछले दो सालों में इस कम्पनी ने अपने बहुत से महत्वपूर्ण स्टाफ में कटौती की, जैसे जहां 11 आपरेटर्स की जरूरत थी वहां सिर्फ 6 आपरेटर्स से काम चला रहे थे, जहां 4 मेन्टनेन्स स्टाफ चाहिए था, वहां दो से काम चला रहे थे और पूरे प्लांट का मेन्टनेन्स स्टाफ जहां 850 होना चाहिए था, वहां केवल 642 से काम चला रहे थे। इस तरह से आप देखेंगे कि मेन्टेनेन्स के जितने भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेन्टस थे या टेकनीकल साइड के डिपार्टमेन्टस थे, उन में इन्होंने बहुत भारी कटौती की, जिस की वजह से इतना इम्पार्टेन्ट यह प्लांट है उतने ही हल्केपन से यूनियन कार्बाइड के मैनेजमेन्ट ने इस को लिया है।

जैसा कि माननीय सदस्य श्री एडुआर्डो फैलीरो ने कहा है, आप वैस्ट विरजीनिया के प्लांट को देखें और भारत के भोपाल के प्लांट को देखें। उन के रख-रखाव और सुरक्षा के उपायों में जमीन आसमान का अन्तर है और यहां पर जो लापरवाही दिखाई गई, उस का ही यह सब से बड़ा परिणाम हुआ कि सैकड़ों लोगों की जानें गई और इतनी बड़ी दुर्घटना यहां पर हुई। भोपाल का जो यह गैस कांड हुआ है, उस में सैंकड़ों लोगों की जानें गई हैं।

मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि इस संबंध में समय समय पर जो ट्रेड यूनियनें वहां पर हैं और खास तौर पर वहां पर जो इन्टक और भारतीय मजदूर संघ की ट्रेड यूनियनें काम कर रही हैं, उन्होंने सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित अपने सुझाव बार-बार मैनेजमैंट के सामने रखे थे लेकिन इस का परिणाम यह हुआ कि वहां पर इन्टक के जो दो कर्मचारी थे उनको डिसमिस किया गया और बी. एम. एस के एक कर्मचारी को गलत चार्ज लगा कर डिसमिस किया गया। वे अपने हित की बात नहीं करते थे बल्कि सुरक्षा की बात करते थे परन्तु मैनेजमैंट ने दूसरे चार्ज लगा कर उन को डिसमिस किया। इस ढंग से वहां पर व्यवस्थापकों की और प्रशासकों की यह मनोवृत्ति रही है कि ट्रेड यूनियन को दबाया जाए। उन को दबाने के लिए उन्होंने दूसरे ढंग से गलत तरीके इस्तेमाल किये और लोगों को डिसमिस किया और नौकरी से निकाला। यूनियन कार्बाइड के मैनेजमैंट ने इस ढंग से हथकंडे अपनाए और इससे साफ जाहिर होता है कि प्लांट की सुरक्षा और कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में उन का कोई ध्यान नहीं गया।

अभी यहां पर कम्पंसैशन की बात कही गई। मैं यह कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत तत्परता से इतनी बड़ी दुर्घटना में जो भी मदद हो सकती है वह की और सरकार की तरफ से और शासन की तरफ से काफी मदद करने का प्रयास किया गया। दुर्भाग्य की बात यह हुई कि यह दुर्घटना आधी रात को घटी। अगर दिन में दुर्घटना घटती, तो इतनी जानें न जाती। आधी रात को दुर्घटना घटने से बहुत ज्यादा जान व माल की हानि हुई परन्तु मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो भी सुविधा दी जा सकती थी जैसे मैडिकल की, पुनर्वास की और कैम्प आदि की, वह सुविधा दी गई। इस में स्वयं-सेवी संस्थाओं ने भी काफी योगदान दिया और इस के लिए हम सब उन के आभारी हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी चुनाव-कार्यक्रम को छोड़ कर, 4 तारीख को भोपाल गये और वहां जा कर स्वयं इस चीज का निरीक्षण किया। इस ढंग से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जितना भी हो सकता है, उस ने किया। हो सकता है कि व्यवस्था में कुछ कमी रही हो और इसलिए यह हुआ कि सैंकड़ों और हजारों की तादाद में लोग प्रभावित हुए। मैडिकल ऐड

वहां पर उन सब के लिए पर्याप्त नहीं थी और वहां पर इतने ज्यादा अस्पताल भी नहीं हैं लेकिन जितना हो सकता था, टेन्टों में अस्पताल लगाने का प्रयास किया और उन के पुनर्वास का इन्तजाम किया गया। इस ढंग से हम कह सकते हैं कि शासन ने जो कुछ किया, वह परिस्थितियों को देखते हुए प्रशंसनीय है।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक चीज की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। वहां पर जो रेलवे स्टाफ है और खास कर स्टेशन सुपरिन्टेंडेंट श्री हरीश धुर्वे थे, उन्होंने अपनी जान स्वयं दे कर हजारों लोगों की जान बचाई और बहुत सी ट्रेनों को वहां जाने से रोका। मैं चाहूंगा कि उन के परिवार के बारे में, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हो या रेलवे मंत्रालय की ओर से हो, कुछ न कुछ अलग से इन्तजाम किया जाए।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से कुछ बातें पूछना चाहूंगा। फैलीरों साहब ने जैसा कहा कि पर्यावरण विभाग ने इन्डस्ट्रीज एलोकेशन पालिसी के बारे में जो सिफारिश की थी, वह मैं समझता हूं बहुत अच्छी है। वह नीति पर्यावरण विभाग ने भारत सरकार के सामने रखी है और उद्योग मंत्रालय के सामने रखी है। मैं चाहता हूं कि घटना के बाद, उस पर गहराई से सोचा जाए और उस पर विचार करने के बाद यह कोशिश करें कि आने वाले समय में जितनी भी इंडस्ट्रीज लगें, चाहे गैस की इंडस्ट्री हो या किसी और चीज की हो, वह इंडस्ट्री आबादी के नजदीक नहीं लगे। इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए।

हम सब जानते हैं कि जितनी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, वे जो इक्विपमेंट डवलपिंग कन्ट्रीज को देती हैं वे इक्विपमेंट या आइटम्स आऊटडेटिड होते हैं। यह मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने कारखाने हैं जिनके इक्विपमेंट वेस्टर्न कन्ट्रीज में आऊटडेटिड हो गये और उन्हें मल्टी नेशनल कम्पनीज इस देश में इस्तेमाल में ला रही हैं। ऐसी जो कम्पनियां हैं क्या उन्होंने सुरक्षा के कोई विशेष कदम उठाये हैं ?

हमारे जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी इस बात को उठाया है कि हमारे यहां जो तीन एक्टस् हैं–(1) वाटर (प्रिवेंशन एण्ड कन्ट्रोल ऑफ पोल्युशन) एक्ट 1974, (2) एयर (प्रिवेंशन एण्ड कन्ट्रोल पोल्युशन) एक्ट 1981, (3) इन्सेक्टिसाइड्स एक्ट, 1968–इनमें इस घटना के बाद से बहुत से संशोधन करने की गुंजाइश हो गई है, क्योंकि ये जितने भी एक्ट हैं उनमें पनिशमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे ला मिनिस्ट्री से सलाह कर के इन एक्ट्स में पनिशमेंट देनें, दण्ड देने का प्रावधान करें ताकि पर्यावरण से सम्बन्धित जो कानून हमारे देश में हैं उन पर ठीक ढंग से अमल हो सके, वे देश में ठीक ढंग से लागू हो सकें। क्या मंत्री जी इस संबंध में कदम उठायेंगे ?

[अनुवाद]

श्री सी. पी. ठाकुर (पटना) : सभापति महोदया, मुझे इस विषय पर बोलते हुए खुशी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपना भाषण इस प्रकार के दर्दनाक मामले से आरम्भ करूंगा और वह भी चिकित्सा के विषय पर, जिस पर मैं पिछले 20 वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूं।

आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि 1984 हमारे लिए एक संकट भरा वर्ष था और देश को कई दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ा। अभी हम अपने प्रिय प्रधान मंत्री की क्रूर हत्या के

सदमे से उभर भी न पाये थे कि हमें इस प्रकार की महानतम् दुर्घटना का सामना करना पड़ा। हमें अपने प्रधान प्रधान मंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए कि वह मौके पर गये, प्रभावित लोगों के लिए सब कुछ किया और राज्य सरकार को किसी भी उपचारात्मक कदम उठाने के लिए, तैयार रहने के लिए सचेत किया। लेकिन निश्चय ही, जैसा कि कई सदस्यों ने कहा है, इस दुर्घटना का गहराई से अध्ययन और विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो।

अब, आप सब इस बात से सहमत होंगे कि भारत उद्योगीकरण की ओर बढ़ रहा है। इस विकास और उद्योगीकरण की प्रक्रिया में आपको काफी जहरीली गैसों और रसायनों से निपटना होता है। आप इससे बच नहीं सकते। लेकिन इसके साथ ही आपको उपचारात्मक उपायों के बारे में काफी सावधान रहना होगा।

अब कुछ शब्द कीटनाशी दवाओं के बारे में कहना चाहूंगा। यह एक मिश्रण है, जिसमें कीटमार, कृतंक मार, फंगसनाशी, तृणभक्षी नाशी और धूमकनाशी शामिल हैं। इस समस्या का चिकित्सीय पहलू तब सामने आता है जब इस गैस का या तो भोपाल की तरह खुला प्रभाव हो या इसका धीरे-धीरे प्रभाव पड़े। इसके खुले में प्रभाव से आंखों में जलन आदि हो जाती है । आंख दुखने लगती है जिसके परिणामस्वरूप अंधापन भी हो सकता है। इससे चमड़ी रोग भी हो सकते हैं। पर इसका, मुख्य प्रभाव फेफड़ों पर पड़ता है। इसके फलस्वरूप फेफड़ों के नलिकाएं खराब हो जाती हैं जिससे बाद में मौत भी हो जाती है। इस गैस के प्रभाव से गले का कैंसर, और गर्भस्थ बच्चों में विकृति आ जाने आदि जैसी बीमारियां हो सकती हैं। खाद्यान्न, फल और सब्जियों जो कि हम रोज खाते हैं, इनमें जो कीटनाशक दवाएं डाली जाती हैं, उनसे भी हमारे शरीर पर दूरगामी असाध्य प्रभाव पड़ता है। ये कीटनाशक दवाइयों से प्रदूषित होते हैं।

एक दफा हम पटना मैडिकल कालिज, अस्पताल में जहर के कारणों का अध्ययन कर रहे थे। सभा यह जानकर हैरान होगी कि इसका सबसे सामान्य कारण कीट नाशक दवाएं थी। इसका रसायनिक पहलू यह है कि मिथाइल आसोसाइनेट, फोसजीन गैस से तैयार होती है जोकि एक जहरीली गैस है। यह गैस मिथाइल से मिलती है और उसकी प्रक्रिया होती है और फोसजीन गैस कार्बन मोनो ऑक्साईड और टोक्सीक क्लोरीन के मिश्रण से होने वाली प्रतिक्रिया से तैयार होती है। इस प्रकार उद्योगों को कई एक विषैले और जहरीले तत्वों से निपटना होता है । इसलिए हमें इस उद्योग के लिए निवारक कार्यक्रम तैयार करने में काफी सावधानी बरतनी होगी ।

निवारण के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। इस तरह के उद्योग के लिए दो प्रकार के निवारक तरीके सोचे जा सकते हैं। पहला इस प्रकार की दुर्घटनाएं दुबारा न हों। दूसरा तरीका है दुर्घटना के बाद उपचारात्मक कार्यों की योजना बनाना अर्थात् भोपाल में जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, उसका मुकाबला करने के लिए योजना तैयार करना।

इस प्रकार की दुर्घटनाएं पुन: न हो, इस बारे में सभा के विचारार्थ मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा है, प्रेस में भी आरोप लगाया गया है देश में

नहीं विदेशी प्रेस में—कि बहुत से बहुराष्ट्रिक अपनी पुरानी और बेकार तकनालॉजी विकासशील देशों पर थोप देते हैं और वे विकासशील देशों द्वारा आधुनिक तक्नॉलाजी प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। इससे देश को दो तरह से नुकसान पहुंचता है—एक तो देश नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं कर सकता, दूसरे, पुरानी तकनीक के कारण, दुर्घटनाओं में वृद्धि के अवसर अधिक हो जाते हैं।

यह उद्योग या इसी प्रकार के खतरनाक उद्योग कहां स्थापित हों, इस बारे में अनेक पारिस्थितिक समितियों ने कई सुझाव दिये हैं। इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अधिकतर विकासशील देशों में सुरक्षा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में शामिल नहीं की गई है। इसलिए कालिजों में सेफ्टी इंजीनियरिंग को भी शामिल किया जाना चाहिए। उद्योगों में सुरक्षा विभाग महत्वपूर्ण और छोटा विभाग होता है। ये लोग समझते हैं कि उनका महत्व नहीं है, उनकी अनदेखी की जाती है। इसलिए इसे महत्व दिया जाना चाहिए। सुरक्षा प्रक्रिया की देखभाल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जानी चाहिए तथा उसके द्वारा समय-समय पर जांच की जानी चाहिए।

दूसरे किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी की साख का अनुमान, केवल उसकी आर्थिक साख के आधार पर नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि सुरक्षा क्षेत्र में उसके कार्य को भी ध्यान में रखना चाहिए।

जहां तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का संबंध है, अमेरिका की प्रमुख पत्रिका 'वाल स्ट्रीट जर्नल' ने यूनियन कार्बाइड के बारे में लिखा है :—

> "यह एक दानवाकार उन्मत्त उपक्रम है जो बिना सोचे समझे नई कम्पनियां खोलता जा रहा है।"

ऐसी रिपोर्ट है कि यूनियन कार्बाइड ने इन्डोनिशिया आदि विकासशील देशों में सुरक्षा प्रक्रिया संबंधी उचित उपाय नहीं किये। इसलिए इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस उद्योग सहित अन्य उद्योगों में, जिनमें बार-बार दुर्घनाएं होती रहती हैं जैसे कम्प्यूटराईसड-मल्टी-टायर दुर्घटना चेतावनी सिगनल प्रणाली जैसी आधुनिक संकल्पनाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को भी कीटशानक दवाओं का विकल्प प्राप्त करने हेतु अनुसंधान और विकास कक्ष के कार्य में तेजी लाने पर विचार करना चाहिए। 'यूनेस्को' ने कीट-नाशक दवाओं के कई विकल्प सुझाए हैं। इन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अधिक उपज देने वाली फसलों के लिए किया जाता है और ये फसलें केवल बड़े किसानों द्वारा उगाई जाती हैं। अतः समग्र कृषि उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से सीमान्त किसानों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए तथा उनकी सहायता की जानी चाहिए। कीटनाश दवाओं के विकल्प के बारे में विचार किया जाना चाहिए तथा एक अनुसंधान विभाग होना चाहिए जो ऐसे घातक कीटनाशकों के स्थान पर अन्य विकल्प के बारे में सुझाव दे सके।

85-M/B(D)183LSS—13

अब एक जांच आयोग का गठन किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं इसके संबंध में विस्तार में नहीं जाना चाहता और न ही सभा का समय लेना चाहता हूं। किन्तु मैं कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं जिनकी ओर जांच आयोग को ध्यान देना चाहिए।

(क) क्या भारत और अमरीका के सुरक्षा उपायों का स्तर एक समान है;

(ख) वे कौन से कारण थे जिनके परिणामस्वरूप सारा तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित हो गया; और

(ग) घातक तत्व कौन सा था– फासजीन अथवा 'मिक' एम० आई० सी० ?

जिन लोगों की इस दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है उनका चिकित्सा सम्बन्धी रिकार्ड रखा जाना चाहिए, ताकि आयु, लिंग, आर्थिक दशाओं के अनुरूप उन पर पड़े घातक प्रभावों के बारे में जाना जा सकता। गैस से प्रभावित भोपाल के लोगों के स्वास्थ्य का अगले 15–20 वर्षों तक ध्यान रखा जाए और यह देखा जाए कि कहीं गैस के असर के कारण कैंसर, जन्मजात दोष और तंत्रिका सम्बन्धी विकृति आदि तो नहीं विकसित हो रही यह सब कम्पनी के खर्चे पर किया जाना चाहिए। हिरोशिमा और नागासाकी में हुए बम विस्फोट के भयानक परिणाम आज भी देखने को मिलते हैं।

इसका अध्ययन करने तथा व्यापक उपायों, जिनमें वैधानिक उपाय भी सम्मिलित हों, क्योंकि आज तक हम यही फैसला नहीं कर पाए कि किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाए, को सुझाने हेतु एक संसदीय समिति बनाई जाए, ताकि ऐसे संकट का सामना करने के लिए व्यापक उपाय सुझाए जा सकें।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : सभापति महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर सभा को आपत्ति न हो तो कल मध्याह्न भोजन के लिए अवकाश न करके सभा की कार्यवाही को उस दौरान भी जारी रखा जाए। **(व्यवधान)** आप मध्याह्न भोजन कर सकते हैं लेकिन सभा की कार्यवाई जारी रहेगी, क्योंकि काफी सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद संबंधी प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं।

सभापति महोदया : मैं आशा करती हूं कि सभा इस सुझाव से सहमत है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आशा है कि हमारे युवा मंत्री हमें मध्याह्न भोजन करवाएंगे और यही बात एक दम ठीक रहेगी।

श्री गुलाम नबी आजाद : आपका न केवल मध्याह्न भोजन के लिए अपितु रात्रि भोजन के लिए भी स्वागत है।

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : सभापति महोदय, प्रारम्भ में ही मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी यूनियन कार्बाइड की भूमिका के बारे में कहीं भी कुछ उल्लेख नहीं किया है। महोदया, यह बहुराष्ट्रीय कम्पनी इस रासायनिक विनाश और रासायनिक विध्वंस के लिए जिम्मेदार ठहराई जानी चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी ने ठीक ही कहा है कि इस कम्पनी ने भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड संयंत्र के आसपास रहने वाले लोगों का संहार किया है। जहाँ तक हमें पता चला है कि कम से कम 90 प्रतिशत गरीब लोग इस विनाशकांड के शिकार हुए हैं। महोदय, इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी, यूनियन कार्बाइड ने आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए। सुरक्षा उपायों के अभाव में लगभग 2500 लोग मारे गए। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से लगभग 10,000 से 20,000 तक लोग प्रभावित हुए हैं।

जांच के दौरान यह भी पता चला है कि यह संयंत्र एम०आई०सी० गैस के साथ-साथ फोसजीन गैस भी बना रहा था और उसका भंडारण भी कर रहा था। किसी भी संयंत्र को फोसजीन गैस के भण्डारण पर प्रतिबन्ध है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से फोसजीन गैस के भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और ऐसा एक अन्तराष्ट्रीय विनियम के अंतर्गत किया गया। लेकिन इस संयंत्र में फोसजीन गैस इकट्ठी रखी पाई गई। इससे यह स्पष्ट है कि संयंत्र के प्रबंन्धकों ने ऐसी घातक गैस के भंडारण सम्बन्धी अंतराष्ट्रीय विनियम का पालन नहीं किया।

वास्तव में यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों तथा विनियमों का भी कभी पालन नहीं किया और न ही सरकार ने कभी इतनी हिम्मत की कि वह इस बात की जांच करती कि क्या इस संयंत्र के प्रबंधकों द्वारा ऐसे नियमों और विनियमों का पालन किया जा रहा है। इसलिए हमारा विचार है कि सरकार की अकर्मण्यता और यूनियन कार्बाइड द्वारा सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था न कर पाना ही इस विनाश के लिए उत्तरदायी है।

जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सम्बन्ध है, यूनियन कार्बाइड, जो अमरीका की एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है, के विश्व के अन्य भागों में भी कीटनाशक संयंत्र हैं। अमरीका में वर्जीनिया में भी इसका एक संयंत्र है जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अद्यतन संयंत्र है। वहां सुरक्षात्मक उपाय भी नवीनतम है। वह कम्प्यूटरीकृत भी है। लेकिन भोपाल संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्था न तो अद्यतन है और न ही कम्पयूटरीकृत। साथ ही यह भी पता चला है कि भोपाल का संयंत्र एक पुराना संयंत्र है। संभवतया अमरीका में यह अप्रचलित हो गया था। पहले इस संयंत्र को कनाडा में लगाने का विचार था लेकिन कनाडा ने अमरीका से यह संयंत्र आयात करने से इन्कार कर दिया क्योंकि एक तो इसमें उचित सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव था, दूसरे वह उनके वांछित स्तर के अनुकूल नहीं था। लेकिन वही संयंत्र, लगभग पुराना संयंत्र आसानी से भारत को निर्यात कर दिया गया और इसे भोपाल में लगाया गया। चूंकि आज संयंत्र में आधुनिकतम उपकरण नहीं लगाए गए थे इसलिए इसे एम०आई०सी० अथवा फोसजीन गैस बनाने की अनुमति ही क्यों दी गई ? इसमें आधुनिकतम व्यवस्था नहीं थी। इसका उत्पादन लाइसेंस शुरू शुरू में ही वापिस ले लिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि यूनियन कार्बाइड अथवा बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अल्प विकसित देशों, विशेषकर भारत जैसे देशों पर हमेशा कुछ किस्म का दबाव डाल सकती हैं। इसलिए भारत आधुनिकतम प्रणाली के अभाव में भी ऐसे संयंत्र को लेने पर राजी हो गया। यही पुरानी प्रणाली ही इस रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी थी जिसके कारण हजारों लोगों की जाने गई।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 1,70,000 व्यक्तियों को, अस्थायी तौर पर स्थापित किए गए औषधालयों और अस्पतालों से चिकित्सा सहायता मिल रही है। मैं यह कहना

चाहता हूं कि आप अंदाज लगा सकते हैं कि इन अस्पतालों और औषधालयों से जहाँ लाखों लोगों का इलाज चल रहा है वहां उन्हें किस तरह की चिकित्सा सहायता मिल रही होगी ।

बड़े पैमाने पर हुए इस विनाश से यह सिद्ध हो गया है कि सरकार तथा कर्मचारी इन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों के मामले में बहुत सर्तकता बरतने की जरूरत है साथ ही सरकार को अन्य खतरनाक संयंत्रों के बारे में भी, विशेषकर रासायनिक संयंत्रों का, जोकि कुछ हद तक हवा पानी को दूषित करने के लिए जिम्मेदार है, सावधानी बरतनी है । वे वातावरण को इस ढंग से दूषित करते हैं कि कई बार काफी संख्या में लोग इन रासायनिक कारखानों के औद्योगिक अपशेष का शिकार बन जाते हैं । यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में एक ऐसा महाविनाश किया है जिसकी तुलना हिरोशिमा और नागासाकी से की जा सकती है । इस तथ्य का उल्लेख हमारे कई माननीय सदस्यों ने किया है । औद्योगिक विश्व में कहीं भी कभी भी किसी भी गैस कांड में इतने अधिक लोगों की मृत्यु नहीं हुई ।

1975 में श्री एम०एम० भट्ट जो भोपाल नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी हैं, ने एक आदेश पारित करके सरकार और कारखाने के प्रबंधकों से कहा था कि कारखाने को शहर से बाहर स्थापित किया जाए । लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया और इसके विपरीत प्रशासनिक अधिकारी का तत्काल तबादला कहीं और कर दिया गया और कुछ लोगों को जो कारखाने के आस पास रह रहे थे, शहर से बाहर भेज दिया गया । कुछ अरसे के बाद फिर लोग कारखाने के आस पास आकर बस गए । उन्होंने वहां झुग्गी झोपड़ियां बना लीं । यही क्षेत्र विशेष रूप से इस विपत्ति से प्रभावित हुआ । दुर्घटना के शिकार अधिकांश लोग वही थे जो कारखाने के आस-पास की झोंपड़ियों में रह रहे थे । कुछ लोग, जो जय प्रकाश नगर में रह रहे थे भी प्रभावित हुए । रेलवे कालोनी में और उसके निकट रहने वाले भी इससे प्रभावित हुए । इस गैस त्रासदी के दुष प्रभाव काफी लम्बे अरसे तक रहेंगे । इन प्रतिकूल प्रभावों का शिकार बनेंगे लोग और यह प्रतिकूल प्रभाव शायद उन्हें उम्रभर के लिए अपंग बना देंगे । अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने कहा है :

> "गैस से प्रभावित व्यक्ति आंख के विकास, खांसी, सांस की कठिनाई वमन प्रवृत्ति तथा दम घुटने आदि से पीड़ित हुए ।"

किंतु अब यह भी पता चला है कि पीड़ित व्यक्ति स्नायु सम्बन्धी अन्य बीमारियों का भी शिकार बने हैं । कुछ लोगों के मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ा है । कुछ लोगों को पेशाब की भी तकलीफ हुई है और कुछ लोगों के दिल पर भी असर हुआ है । अतः दुघटना से प्रभावित लोगों को बीमारियां केवल त्वचा सम्बन्धी अथवा सांस की कठिनाई तक ही सीमति नहीं है । गैस के दुष्प्रभावों से शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को अपेक्षाकृत अधिक नुकसान पहुंचा है । अतः सरकार को उचित उपाय करने चाहिए, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके और साथ ही गस दुर्घटना से पीड़ित लोगों को आवश्यक चिकित्सा सहायता भी दी जानी चाहिए ।

अन्त में मैं यूनियन कार्बाइड (इण्डिया) लिमिटेड में अनुसंधान और विकास कक्ष की स्थापना के संबंध में एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूं पिछले दो तीन वर्षों से यूनियन कार्बाइड (इण्डिया) लिमि-टड आर्थिक कारणों से कुछ लोगों की या तो छंटनी कर रही है अथवा उन्हें सेवा निवृत कर रही है ।

दूसरी ओर अनुसंधान और विकास एकक में अधिक वेतन वाले व्यक्ति रखे जा रहे हैं; कुछ पी०एच० डी. और कुछ एम. एस. सी. व्यक्ति इस अनुसंधान और विकास एकक में नियुक्त किये गये हैं जिसके कारण स्वयं संयन्त्र पर जितनी राशि व्यय होती है; उससे कहीं अधिक राशि उनके वेतन पर व्यय होती है । इतना ही नहीं; जाँच के दौरान यह पता चला कि युनियन कारर्बाइड (इंडिया) लिमिटेड और अमरीका स्थित यूनियन कारबाइड के बीच यह समझौता हुआ है कि भारत के अनुसंधान और विकास एकक में जो आंकड़े उपलब्ध होंगे वे तीन लाख अमरीकी डालर की लागत पर अमरीका भेज दिये जायगे । इसमें सन्देह नहीं है कि यह एक बहुत बड़ी राशि है और यह राशि यूनियन कारबाइड (इंडिया) लिमिटेड के प्रत्यक्ष प्रबंध के अधीन एक एकक में अनुसंधान और विकास कार्य पर व्यय की जाती थी । अनुसंधान का कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विनाशकारी कीटों से संबंधित था और हरित क्षेत्र का उपयोग कार्यों के लिए शांतिपूर्ण तथा कीटाणु-युद्ध के सम्बन्ध में अनुसंधान तथा विकास के लिये किया जायगा । माननीय मंत्री जी से मैं यह पुंछना चाहूंगा कि क्या वह इस बात की पुष्टि करेंगे कि इस एकक में कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और क्या कीटाणु-युद्ध प्रणाली से संबंधित आंकड़े इस एकक द्वारा तैयार किये जा रहे हैं ।

जहां तक राहत उपायों और क्षतिपूर्ति का संबंध है, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि राज्य सरकार तथा संघ सरकार द्वारा भी कुछ राहत उपाय किये गये है और गैस दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को राहत दी जा रही है । कुछ माननीय सदस्यों ने भी बताया है कि पीड़ित व्यक्तियों को, विशेष कर उन व्यक्तियों को, जो अपने कार्य पर नहीं जा सके, 12 किलोग्राम गेहूं दिया गया है । उस संबंध में, मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि पीड़ित व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों का एक दल अप्रर्याप्त राहत दिये जाने के विरोध में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के आवास के समाने धरने पर बैठा था । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या पीड़ित व्यक्तियों को विशेषकर उन व्यक्तियों को जो कुछ समय तक कार्य करने में असमर्थ ह, पर्याप्त राहत दी जायेगी और क्या इस दुर्घटना में जख्मी होने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त मुआवजा दिया जायगा ।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह (शहडोल) : सभापति महोदय, यह भोपाल एम आई सी गैस की दुर्घटना जो हुई, यह सदन और सारा हिन्दुस्तान इस दुख से स्तब्ध है । इस में आप हम सब शामिल हैं । मैं दो तीन चीजें बताना चाहता हूं । माननीय दण्डवते साहब ने जो कहा कि वहां के शासन की ओर डाक्टरों की कमी है और पर्याप्त दवाइयां नहीं दी जा रही हैं, तो जैसी कि मेरे पास सूचना है, वास्तव में पहले तो एम आई सी गैस से सम्बन्धित क्या दवा करनी चाहिए, यह डाक्टरों को भी, जो वहां हैं, मालूम नहीं था कि किस रूप में हम दवा करें, लेकिन यहां दिल्ली से विशेषज्ञ डाक्टरों की टीम गई । उन्होंने दवा सजेस्ट की और वह दी गई । उस में यह बताया गया है कि भोपाल के अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया था कि बाहर से भी डाक्टर आदि बुलाने की आवश्यकता होगी रात्रि में ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर ली गई थी । 3 दिसम्बर को दोपहर तक बाहर से भी डाक्टरों के दल आ गए । भोपाल के 21 अस्पतालों एवं डिस्पसरियों में तथा 12 अस्थायी तौर पर इसी प्रयोजन के लिए बनाई गई डिस्पसरियों में मरीजों का इलाज किया गया । 700 डाक्टरों जिस में 2 सौ बाहर के भी डाक्टर शामिल थे, उन्होंने यह इलाज किया ।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में मध्य प्रदेश शासन ने तो सहायता दी ही और मृतकों के परिवारों को अनुदान के रूप में प्रत्येक परिवार को दस हजार रुपये का अनुदान दिया। जो सीरियस रूप में हैं उन को 2 हजार रुपये और जो सामान्य रूप के मरीज वहां पर सर्वेक्षण में पाये गए उन को 1 हजार रुपया दिया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि ओर भी ज्यादा राशि दी जा सके तो देनी चाहिए।

एक निवेदन और है। जैसाकि नेता जी ने भी कहा है, कि वह अर्धरात्रि का समय था और मुझे भोपाल के सम्बन्ध में पूरी तरह से जानकारी है, जहां पर यह घटना घटी, जो यह फैक्टरी है वह घनी आबादी वाले इलाके में है और लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हो सकी कि वे किस ओर भागें। अभी तक जो कब्रिस्तान के आंकड़े हैं, 8-1-1985 तक के वह 1408 लोगों के दफनाए जाने के हैं लेकिन अन्य जगहों पर भोपाल के अलावा जो मरीज आकर मरे उनकी क्या जानकारी है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मध्य प्रदेश शासन को निदेश दें कि उनकी ओर से इस प्रकार का सर्वेक्षण होना चाहिए कि भोपाल के बाहर कितने मरीजों की मृत्यु हुई है और उनके सम्बन्ध में क्या विचार कर रहे है ?

जहां तक वैधानिक सहायता का सम्बन्ध है, जस्टिस भगवती साहब का वहां दौरा हुआ था, कानून राज्य मंत्री भारद्वाज जी ने भी वहां जा कर स्थिति को देखा है और लीगल ऐड के सम्बन्ध में, जहां तक मेरी जानकारी है, 7-12-84 को यह घोषणा की गई थी कि गैस पीड़ितों को इस योजना के अन्तर्गत पात्रता की सीमा में छूट देकर निःशुल्क कानूनी सहायता दी जायेगी। इसके साथ साथ इसमें कुछ आंकड़े भी दिये गए हैं कि अब तक के सर्वेक्षण में कुल कितने परिवारों के विवरण लिए जा चुके हैं। इसमें बताया है कि अब तक कुल 11 हजार परिवारों के विवरण लिए जा चुके हैं। और इस प्रकार से कुल 60 हजार लोगों का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि इनमें कितनी महिलायें हैं कितने पुरुष हैं और कितने बच्चे हैं। बताया गया है कि 11 हजार परिवारों में महिलायें 15,365, पुरुष 21,760 और 23,109 बच्चे हैं। इस तरह से 60 हजार लोगों का सर्वेक्षण हो चुका है जो कि गैस से पीड़ित हुए हैं। मेरा निवेदन है कि यह सर्वेक्षण आपके पास है लेकिन जिस रात्रि को यह घटना घटी तब जिसको जो भी साधन मिला वह जाकर दूर दराज के अस्पतालों में भर्ती हुआ तो उनके बारे में भी आप सर्वेक्षण करायें।

जहां तक इस बात का सवाल है कि पर्याप्त मात्रा में राशन और दवाइयां उपलब्ध नहीं थीं तो उससे मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि वहां पर मध्य प्रदेश शासन की ओर से सात शिविर खोले गए थे लेकिन कम लोगों के आने के कारण तीन शिविर बन्द करने पड़े यद्यपि चार शिविर अभी भी बराबर चल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें किसी पार्टी विशेष का प्रश्न नहीं है, इस महान दुःख में जो भी परिवार जहां से पीड़ित है उसकी सहायता करना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व हो जाता है। और वास्तव में यदि पुर्नवास की व्यवस्था करनी है तो कैसा क्या करना है इस बात को देखना होगा।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं कि अपने गुजरात दौरे को छोड़कर चार तारीख को भोपाल में जाकर अस्पतालों में मरीजों से मिले और अपने सहायता कोष से 40 लाख

की सहायता भी दी। तत्पश्चात् 55 लाख की सहायता और दी। इस प्रकार से पर्याप्त राशि वहां पर है। साथ ही मध्य प्रदेश शासन ने जो लीगल ऐड का निर्णय लिया है कि चाहे भारत के अन्दर केस दायर करेंगे या अमरीका में करेंगे, उसका सारा खर्चा मध्य प्रदेश शासन वहन करेगा, यह स्वागत योग्य है।

मैं और अधिक न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि भोपाल में श्मशान घाट से जो आंकड़े लिए गए हैं उसी प्रकार से अन्य जगहों के आंकड़े भी लिये जायें। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि घटनास्थल के पास ही रेलवे स्टेशन है और उस रात्रि को घटना के बाद वहां के सुपरिटेंडेंट, श्री हरीश धुर्वे अपने सारे स्टाफ से कहा कि वे भाग जायें और चूंकि भोपाल से रात्रि में कई महत्वपूर्ण ट्रेन्स गुजरती हैं इसलिए उन्होंने सभी जगह मेसेजेज दे देकर ट्रेन्स को रोका और इस प्रकार से टेलिफोन करते हुए टेलिफोन उनके हाथ में ही रह गया और उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। इसके लिए मेरा निवेदन यह है कि रेलवे मंत्रालय को यह सोचना पड़ेगा कि उसके परिवार को सही मुवाअजा मिले। अभी विरोधी पक्ष के सदस्य ने कहा कि मुआवजा देने का मसला मध्य प्रदेश शासन या केन्द्र शासन ने क्यों नहीं सोचा। यह मसला भी तय हो रहा है, मध्य प्रदेश के लॉ सैकेटरी और एटोर्नी-जनरल बराबर अमरीका गए हुए हैं। वे कानूनी सलाह लेने गए हैं कि यह केस वहां की कोर्ट में चलाना चाहेंगे या हिन्दुस्तान की कोर्ट में चलाना चाहेंगे। मेरा निवेदन यह है कि जो भी मुवाअजा लोगों को देने के लिये तय हो, वह बराबर नियमानुसार उनको मिले।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : महोदया, यह कितने अफसोस की बात है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस रात्रि को यह घटना हुई, उस रात्रि को कलेक्टर, और एस. पी. अपने-अपने घर में मौजूद नहीं थे। वे अपने प्राणों के भय से भाग खड़े हुए। जिस वक्त वहां की जनता की आखों में से पानी निकलना शुरू हुआ, छाती में दर्द शुरू हुआ, तो उन्होंने कलक्टर और एस. पी. को फोन किया वहां केवल फोन की घण्टी बजती रही, फोन को उठाने वाला कोई नहीं था। इससे हमें पता चलता है कि राज्य सरकार के लोग अपने प्राणों के भय स बाहर चले गए।

इस बारे में मध्य प्रदेश विधान सभा में पहले भी प्रश्न उठाए गए थे। फैक्ट्री के कर्मचारी पांच मर्तबा पहले भी इस गैस लीकेज के कारण मारे गए, तो इस पर वहां के लेबर मिनिस्टर द्वारा यह जवाब दिया गया कि पूरा प्रबन्ध कर लिया गया है और आगे चलकर ऐसी कोई लिकेज नहीं होगी लेकिन वहां की लेबर मिनिस्ट्री, एन्वायर्न डिपाटमेंट और डायरेक्टोरेट ने क्या किया, जिसनी सहायता राज्य सरकार की और से मिलनी चाहिए थी, उतनी सहायता नही मिल सकी। 1975 में भोपाल के म्युनिसिपल कमीशनर ने कहा था कि इस कम्पनी को बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि एक तो यह बस्ती में स्थित है और दूसरे कभी भी गैस लिकेज के कारण दुर्घटना हो सकती है। इस पर उनका वहां से तबादला कर दिया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने उसको वहां से बाहर निकालने के बारे में गम्भीर रूप से नहीं विचार किया।

अभी सदन में एक माननीय सदस्य द्वारा बताया गया कि वहां पर काफी प्रबन्ध किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं अगर वहां पर काफी प्रबन्ध किया गया होता तो वहां पर यह दुर्घटना क्यों होती। अभी तक वहां पर जितने लोग मारे गए हैं। उनकी संख्या निर्धारित नहीं हुई है। बहुत से लोग तो

भोपाल से बाहर जाकर अस्पतालों और डिसपैंसिरीज में चिकित्सा पर रहें हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जनगणना सूची लेकर...

श्री बलबीर सिंह : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बाहर जो एडमिट हुए हैं, उनका बराबर सर्वेक्षण किया जाए।

श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो संख्या बता रहे हैं, उस संख्या से तो कहीं ज्यादा लोग मारे हैं। बहुत से लोग तो भोपाल के आजू-बाजू के शहरों के अस्पतालों में चिकित्सा पा रहे हैं, जिनकी गणना नहीं की गई है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जनगणना सूची को लेकर यदि आप जांच करेंगे तो मालूम हो सकेगा कि कितने लोग मारे गए हैं। 1981 के सैंसस को ले कर एक मर्तबा वहां की आबादी के साथ कम्पेअर करने से पूरा पता चल सकता है।

उस फैक्टरी को फिर से वहां रखने की कोशिश हो रही है और विधान सभा में वहां के कुछ मंत्रियों ने कहा है कि उस को री-लाइसेंसिग देने को तैयार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उस को फौरन वहां से शिफ्ट करना चाहिये और आबादी के अन्दर उस फैक्टरी को लगाने का लाइसेंस कैसे दिया गया, इस के बारे में गौर किया जाना चाहिये। वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर और दूसरे अफसरों ने कहा है कि उस को वहां से निकाल दिया जाय, फिर भी उस को रखने का क्या मतलब है? इसमें मध्य प्रदेश सरकार का उत्तरदायित्व है या नहीं, इस के बारे में सोचना पड़ेगा।

वहां पर जांच के लिये जो आयोग नियुक्त किया गया है उस के बारे में भी विचार होना चाहिए। वहां पर जो 6 मर्तबा गैस का लीकेज पहले हो चुका है उस के बारे में भी आयोग को बताना चाहिये। यूनियन कार्बाइड और राज्य सरकार का इस में कहा तक उत्तरयात्वि है इस के बारे में पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिये। उस फैक्टरी को फिर से जो लाइसेंस देने की बात हो रही है राज्य सरकार की जो इस तरह की उपेक्षा की भावना है इस के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): सभापति महोदय, इस चर्चा में अनेक सदस्यों ने भाग लिया है। पिछले दिन मैंने जो वक्तव्य दिया था, उसमें मैंने कहा था कि यह एक ऐसी दुखद घटना घटी है जो न केवल भोपाल, न केवल अपने देश बल्कि पूरे विश्व की सबसे दुखद घटना है।

यह कहना अतिश्योक्ति नहीं है कि यद्यपि इस एकक में पहले भी कुछ छोटी-मोटी घटनायें हुई थीं किन्तु किसी को भी यह आशा नहीं थी कि इस प्रकार की कोई घटना होने वाली है। जहाँ तक यूनियन कार्बाइड का प्रश्न है, उन्होंने अपनी गतिविधि देश में 1967 से आरम्भ की थी। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी गतिविधि ट्रोम्बे में आरम्भ की थी। इसके अनन्तर उन्होंने अपनी गतिविधि भोपाल में अंतरित कर दी थी, और मिक निर्माण के लिये उन्होंने आशय-पत्र हेतु आवेदन किया था। मिक से जो कीटनाशक औषधि तैयार की जाती थी उसे कार्बोराइल कहा जाता था। आशय-पत्र 1972 में

दिया गया था और 1975 में उस आशय-पत्र को लाईसेंस में अन्तरित कर दिया गया था। वे लोग 1980 से 'मिक' का निर्माण कर रहे थे। और मिक से कार्बोराइल तथा अन्य कीट-नाशक औषधियां तैयार की जा रहीं थीं।

6.00 म० प०

इस स्थान पर, इस पावन सदन को मैं यह बता देना चाहता हूं कि कुछ सदस्यों की यह धारणा बनी हुई है कि य बहु-राष्ट्रिक कम्पनियां केवल विकासशील देशों में ही ऐसी जोखिम भरी वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं। किन्तु ऐसी बात नहीं है। यहां तक कि विकसित देशों में भी, खतरनाक . . .

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर): उन्होंने सभी देशों के साथ एक सी ही बेइंसाफी की है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल: उन्होंने केवल अन्य देशों के साथ ही बेइंसाफी नहीं की है, बल्कि उन देशों के साथ भी की है जहां से वे अपनी गतिविधियां संचलित करते हैं। अत: सदस्यों को मैं यह समझा रहा था कि ये खतरनाक रसायन अथवा कीट-नाशक दवाइयां न केवल विकासशील देशों में तैयार की जाती हैं। बल्कि विकसित देशों में भी तैयार की जाती हैं। जहां तक मिक और मिक से तैयार किये जाने वाले कार्बोराइल का संबंध है, उसे अमरीका में भी तैयार किया जाता है।

सभापति महोदया: चूंकि इस चर्चा का समय समाप्त हो गया है, इसलिये, सभा की अनुमति से क्या मैं इसकी चर्चा का समय आध घंटे के लिये और बढ़ा सकती हूं।

अनेक सदस्य गण: जी हां।

सभापति महोदया: इसलिये इसकी चर्चा का समय आधा घंटा बढ़ा दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल: अत: वे जो मिक तैयार कर रहे थे, उसे वे फ्रांस आदि जैसे अन्य विकसित देशों को भी सप्लाई कर रहे थे। इस पर चर्चा आरम्भ करते समय प्रो. मधु दण्डवते ने इस दुःखद घटना से संबंधित मामलों का ब्यौरा दिया था। उन्होंने कुछ विवरण दिया था कि किस प्रकार कुछ समय तक साइरन नहीं बोला, टैंक में किस प्रकार दवाव बढ़ गया था, दवाव किस प्रकार 100 डिग्री तक पहुंच गया था, रासायनिक क्रिया किस प्रकार हुई आदि-आदि। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उसके बारे में मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहता हूं।

प्रो. मधु दंडवते: आप रसायनिक क्रिया के बारे में बता सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल: मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो जांच आयोग गठित किया है वह उन सभी मामलों की जांच कर रहा है कि सुरक्षा उपाय कहां समुचित नहीं किये गये थे, वे कहां अपर्याप्त थे, वातावरण में जो गैस व्याप्त हो गई थी वह कहां से रिसी थी; टैंक में मिक का घोल किस प्रकार तैयार हुआ था, और वह किस प्रकार गैस में परिवर्तित हो गया था और किस प्रकार वातावरण में फैल गया था। अत: इन सभी मामलों की जांच, जांच-आयोग द्वारा की जा रही है। एक सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या इस आयोग को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कोई समय निर्धारित किया गया है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि जांच आयोग के गठन के समय ही, स्वयं सरकारी आदेश में यह निर्धारित किया गया है कि आयोग अपनी जांच पूरी करके 15 मार्च तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर

देगा; इसका मतलब है कि अगले दो महीने तक रिपोर्ट आ जायगी और रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर रिपोर्ट के आधार पर राज्य स्तर पर और केन्द्रीय स्तर पर आगे जो कार्यवाही अपेक्षित होगी, वह की जाएगी।

प्रो. दण्डवते ने इस बात का उल्लेख किया है कि कार्यबल ने कहा है कि ऐसे खतरनाक रसायन एकक अथवा ऐसे खतरनाक उद्योग शहरी क्षेत्रों में स्थापित नहीं किये जाने चाहिएं। मुझे यह नहीं मालूम है कि वह किस कार्य बल का उल्लेख कर रहे हैं किन्तु इस उद्योग की स्थापना 1975 में हुई थी और आशय पत्र को लाईसेंस में अंतरित करते समय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से तकनीकी विकास के महानिदेशक और राज्य सरकार से परामर्श लिया गया था और स्थान के बारे में भी परामर्श लिया गया था। इन सब औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आशय पत्र दिया गया था। जहां तक स्थान निर्धारित करने की नीति का संबंध है, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस उद्यम को जिस समय लायसेंस दिया गया था, उस समय, 1975 में उद्योग की स्थापना के लिए स्थान निर्धारित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की कोई विशिष्ट नीति नहीं थी। दिसम्बर 1977 में तैयार की गई औद्योगिक नीति के अनुपालन में, मानक शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत अथवा बड़े महानगरों के आस-पास औद्योगिक एकक स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाने की नीति फरवरी 1978 से लागू की गई थी। अत: स्थान संबंधी नीति दिसम्बर 1977 में बनाई गई थी और वह 1978 में लागू हुई थी किन्तु इस पार्टी को लाईसेंस तो 1975 में दे दिया गया था।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : यह बड़ी दु:खद बात है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हाल ही में, जून 1984 में, औद्योगिक विकास विभाग ने 18 प्रकार के उद्योगों की स्थापना के बारे मार्गनिर्देश जारी किये हैं। अब ये मार्गनिर्देश 20 उद्योगों के संबंध में जारी किये गये हैं। ये मार्गनिर्देश पर्यावरण विभाग के परामर्श से जारी किये गये थे और इन मार्गनिर्देशों में इन उद्योगों की स्थापना संबंधित राज्य प्राधिकारों की विशिष्ट अनुमति अपेक्षित होती है तथा साथ ही राज्य प्रदूषण बोर्ड की अनुमति भी अपेक्षित होती है और कम्पनी को उपचारात्मक उपाय अथवा प्रदूषण उपचारक सुविधायें उपलब्ध करानी पड़ती हैं।

प्रो. मधु दंडवते : माननीय मंत्री जी, यदि आप दूसरी बात पर जोर देते हैं, तो क्या मैं यह समझूं कि जहां तक कार्यबल का संबंध है, उसने ऐसी कोई सलाह नहीं दी है कि इस संयन्त्र को समुद्र के किनारे ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाय जहां बहुत कम मनुष्य रहते हों अथवा उस स्थान पर स्थापित किया जाय जो समुद्र के किनारे से भी दूर हो? क्या इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं थी?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं माननीय सदस्य से कार्यबल के बारे में जानना चाहता था क्यों कि हमें कार्य बल के बारे में पता नहीं है और यह भी नहीं मालूम है कि इसे क्या अनुदेश दिये गये थे? कार्य बल का गठन कब किया गया था इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है। मैं यह कह रहा था कि दिसम्बर 1977 तक उद्योगों की स्थापना के बारे में कोई विशिष्ट नीति नहीं थी। केवल दिसम्बर 1977 में नीति संबंधी निर्णय लिया गया था और उसे 1978 में कार्यान्वित किया गया था। यदि माननीय सदस्य इस बात का ब्यौरा दे कि जो कार्य बल गठित किया गया था, वह कब गठित किया गया था, उसने ऐसे मार्गनिर्देश कब जारी किये थे कि ये उद्योग समुद्र के किनारे स्थापित किये जायें,

तो मैं सत्यापन करने और उन्हें सूचना देने की स्थिति में हो सकूंगा। यदि वह कार्यबल का उल्लेख केवल इसलिये कर रहे हैं कि विभिन्न स्तरों पर अनेक कार्यबल गठित किये जाते रहे हैं—तो उसका पता लगाना और सत्यापित करना मेरे लिये कठिन होगा।

प्रो. मधु दण्डवते : ठीक है, मैं खोज करूंगा।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदया, चिकित्सा सुविधा के बारे में माननीय सदस्य श्री दंडवते यह महसूस कर रहे हैं कि चिकित्सा सुविधा पर्याप्त नहीं है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि सैकड़ों व्यक्ति अस्पतालों की ओर भेजे गये, डाक्टर भेजे गये, केवल उस राज्य से ही नहीं अपितु दिल्ली से भी दो सौ अथवा तीन सौ डाक्टर गये थे जिनमें से अनेक विशेषज्ञ थे। अन्य स्थानों से भी विशेषज्ञ गये थे। आज भी विभिन्न अस्पतालों में हजारों व्यक्तियों का इलाज हो रहा है और मध्य प्रदेश सरकार ने पीड़ित लोगों के उपचार के लिये व्यापक प्रबंध किया है और चिकित्सा सुविधा के लिये सरकार भारी धनराशि व्यय कर रही है। यदि किसी क्षेत्र में कोई कमी हो तो माननीय सदस्य मुझे बता सकते हैं और मैं यह सूचना आगे भेज दूंगा और मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस बात का ध्यान रखने के लिये पर्याप्त कदम उठायें कि प्रभावित लोगों को पर्याप्त राहत और चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जायें।

प्रो. मधु दंडवते : उन प्रभावित व्यक्तियों को जो हमीदा हस्पताल में हैं, रिकार्ड तथा प्रमाणपत्र नहीं दिये जा रहे हैं। वहां डाक्टरों को भी उपलब्ध नहीं है। ये शिकायत है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करूंगा। मैं मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों से पूछूंगा और यह देखूंगा कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित अनुदेश जारी कर दिये जायें कि इस प्रकार की कमियों को यथा शीघ्र दूर कर दिया जाये।

कुछ माननीय सदस्यों ने दिये जाने वाले चैकों के बारे में कहा है। जब चैक दिये गये थे तब मैंने राज्य सरकार के अधिकारियों से उनके बारे में पूछा था और यह पता चला था कि चैक का तत्काल भुगतान किया जाता था। प्रतिनिधि के साथ एक अधिकारी भी था जिसमें अनुग्रह राशि का भुगतान किया था और चैक जैसे ही पीड़ित व्यक्तियों को अथवा उनके संबंधियों को दिये जाते हैं, उनका तत्काल भुगतान कर दिया जाता है और ऐसा इसलिये होता है कि जो अधिकारी चैक जारी करता है, वह भी साथ रहता है। ऐसा प्रबंध किया गया है। यदि कोई चूक है तो मैं निश्चित रूप से संबंधित अधिकारियों से कहूंगा कि इस मामले की जांच की जाये।

कुछ सदस्य यह जानना चाहते थे कि पीड़ित व्यक्तियों को राहत की कितनी राशि दी जा रही है। जहां तक राहत की नकद राशि का संबंध है, मृत्क व्यक्तियों के लिये प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये है, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिये 2000 रुपये है तथा मामूली रूप से घायल व्यक्तियों के लिये 1000 रुपये है। इस हिसाब में अब तक 1 करोड़ रुपयों से अधिक व्यय किया जा चुका है। और इससे कुल 14497 व्यक्ति लाभान्वित हुए है। जहां तक मृतक व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को राहत की नकद राशि का संबंध है, वह अब भी दी जा रही है। जहां कहीं भी ऐसे मामले अब भी है, वहां के लोग प्राधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं और उन्हें राहत की नकद राशि प्राप्त हो रही है। यह अनुग्रह राशि का भुगतान है। वैध मुआवजे का मामला विधि मंत्रालय द्वारा अलग से निपटाया जा रहा है।

हर महीने 1.1 लाख परिवारों को सामान के रूप में राहत दी जा रही है। उसकी मात्रा है: 9 किलो गेहूं प्रति यूनिट प्रति माह और 3 किलो चावल प्रति यूनिट प्रति व्यक्ति 500 मिलिलिटर खाद्य तेल प्रति यूनिट प्रति व्यक्ति, 500 ग्राम चीनी प्रति यूनिट प्रति माह और बच्चों के लिये तथा दूध पिलाने वाली माताओं को 200 मिलीलिटर दूध दिन में दो बार। राज्य सरकार द्वारा यह समान न केवल प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को ही दिया जा रहा बल्कि अप्रभावित क्षेत्र की गंदी बस्तियों के प्रत्येक व्यक्ति को भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार यह राहत शहर की दो-तिहाई आबादी को दे रही है।

इन पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने संबंधी गतिविधियों का पर्यविक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राहत समिति का गठन किया गया है : अब तक जिन्सों के रूप में राहत प्रदान करने के लिए 5 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं।

श्री फैलीरो डी. डी. टी. बनाने वाली कम्पनी का नाम तथा यह जानना चाहते हैं कि क्या देश में आज भी डी. डी. टी. का प्रयोग किया जा रहा है। इस समय डी. डी. टी का प्रयोग मुख्यत: मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति कुछ कीटनाशकों का प्रयोग जिसमें डी. डी टी. भी शामिल है, धीरे-धीरे समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। डी. डी. टी. का उत्पादन पांचवें दशक से एच. आई. एल. द्वारा जो कि एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, मुख्य रूप से मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है।

माननीय सदस्य श्री अय्यापू रेड्डी मुआवजे के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा कि अपने वक्तव्य में मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस प्रश्न की जांच के लिए विधि मंत्रालय मे एक सैल का गठन किया गया है और माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि महान्यायवादी संयुक्त राष्ट्र गए हुए हैं और उनकी एक दो दिन में आने की संभावता है। उनकी वापसी पर ही मुआवजा देने तथा कंपनी पर मुकदमा चलाने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

मेरे पास एक नोट है, जो विधि मंत्रालय ने तैयार किया है और मुझे दिया गया है। मैं उसका केवल एक पैरा पढ़ूंगा ताकि माननीय सदस्यों को यह जानकारी मिल जाए कि किस बात की जांच की जा रही है और मुआवजे का दावा करने के संबंध में विधि मंत्रालय का क्या विचार है :

> "सरकार इस कंपनी को तथा गैस के शिकार लोगों को हुए नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा प्राप्त करने के लिए जिन विभिन्नि विकल्पों पर विचार कर रही है, उनमें से एक विकल्प है इससे हुए नुकसान के लिए मुकदमा दायर करना। विधि तथा न्याय मंत्रालय का यह तर्कसंगत विचार है कि भारत सरकार अपने नागरिकों के हितों की संरक्षक होने के नाते यूनियन कारबाइड कॉरपोरेशन पर मुकदमा दायर कर सकती है। भारत सरकार द्वारा संरक्षक के नाते की गई कार्यवाही पर बिना किसी प्रकार प्रभाव डाले लोग सामूहिक रूप से भी कार्यवाही कर सकते हैं।

विधि मंत्रालय का अब तक का यही विचार है। तथापि, अंतिम निर्णय महान्यायवादी के संयुक्त राष्ट्र संघ से वापिस लौटने पर ही लिया जाएगा और मुझे आशा है कि निर्णय शीघ्र ही लिया

जायेगा और कंपनी पर नुकसान का दावा करने अथवा कंपनी पर मुकदमा दायर करने की कार्यवाही भी यथाशीघ्र की जाएगी ..... (व्यवधान)

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : न्यायालय में जाने की बजाय, जिसमें अधिक समय भी लग सकता है, उनके साथ मुआवजे के संबंध में सीधी वार्ता भी की जा सकती है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : श्री अय्यापू रेड्डी जानना चाहते है कि क्या सरकार न्यायालय में गए बिना भी समझौता करने के लिए तैयार है। इस स्थिति में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक मुआवजे के प्रश्न का संबंध है, यह एक कानूनी प्रश्न है, जिस की जांच विधि मंत्रालय कर रहा है। हम विधि मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार ही कार्य करेंगे। यह प्रश्न कि क्या न्यायालय से बाहर भी निपटारा होना संभव है, मैं समझता हूं कि एक परिकल्पना मात्र है। मेरे विचार से हमें कंपनी की ओर से अभी तक ऐसी कोई पेशकश नहीं मिली है। इसलिये मेरे लिए माननीय सदस्य श्री रेड्डी द्वारा दिए गए इस सुझाव के संबंध में कुछ कहना कठिन है। लेकिन मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक कानूनी मामले और कंपनी पर मुकदमा दायर करने तथा मुआवजे का दावा करने का प्रश्न है, हम विधि मंत्रालय से समय समय पर प्राप्त सुझावों के अनुसार ही चलेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी जानना चाहती हैं कि क्या इस कारखाने और इसकी संपत्ती को जब्त किया जा रहा है। उन्होंने बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से सुझाव दिया कि यूनियन कारबाइड कॉरपोरेशन की सारी संपत्ति जब्त कर ली जानी चाहिए। मैं माननीय सदस्य को केवल इतना कह सकता हूं कि हमें मध्य-प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही यह अनुरोध कर चुके हैं। उन्होंने दो सुझाव दिए हैं। एक सुझाव यह है कि यूनियन कारबाइड कॉरपोरेशन को दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया जाये और दूसरा सुझाव यह है कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन की सारी संपित भारत सरकार को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। इन दो सुझावों की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही हम निर्णय लेंगें। मैंने यह उद्धरण इसलिए दिया क्योंकि मुख्यमंत्री का भी यही विचार है कि यूनियन कारबाइड कॉरपोरेशन कोइसे चालू रखने तथा विशेषकर उनके अपने राज्य भोपाल में किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी कारण उन्होंनें ये सुझाव दिए हैं और हम इन सुझावों पर ध्यान दे रहें है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : जब्त करने का अर्थ अधिग्रहण करना नहीं है। क्या आप मुआवजा देने पर विचार कर रहे है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरे विचार से नुकसान के लिए कम्पनी पर दावा करना, उसकी संपत्ति के मूल्य से कई गुना ज्यादा होगा। अतः वह कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उन्हें वह किसी भी हालत में देना ही होगा।

जैसा कि मैंने कहा कि यह बड़ी दुःखद घटना घटी है। इसने राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और उन सभी देशों की आंखें खोल दी है, जहाँ ऐसी इकाईंया है और वे भी पर्याप्त उपाय करने पर विचार कर रहे हैं।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : इस घटना से कई लोगों की आंखे खुल गई हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने यह स्वीकार किया है। इस दुर्घटना के बाद, सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मैं संक्षेप में उन महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताना चाहूंगा।

सरकार ने व्यक्तियों तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खतरनाक पदार्थों से निबटने के लिए विकसित देशों में प्रचलित पद्धतियों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए विशेष सैल बनाने का निर्णय किया है। इस अध्ययन के आधार पर विद्यमान प्रणाली तथा प्रक्रियाओं का विस्तृत पुनरीक्षण करना तथा हमारे देश में विधायी तथा संस्थागत प्रबंन्ध में कमियों का पता लगाना संभव होगा। ऐसा करना आवश्यक हो गया है क्योंकि यह महसूस किया जा रहा है कि विकसित देशों में किए गये सुरक्षा उपाय विकासशील देशों में किए सुरक्षा उपायों से अधिक त्रुटिरहित हैं। इसलिए यह समिति उस प्रश्न की जांच करेगी। वे यह पता लगाने जा रहे हैं कि विकसित देशों में कौन-कौन से सुरक्षा उपाय किए गए हैं। रिर्पोट प्राप्त होने के बाद जो भी कार्यवाही आवश्यक समझी जाएगी वह की जाएगी।

जहां तक लोगों के स्वास्थ्य का संबंध है गैस अथवा खतरनाक रसायनों की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ेगा' सरकार इस दुर्घटना के सभी पहलुओं का अध्ययन करने, इसके भावी परिणामों के संबंध में प्रामाणिक विचार प्रस्तुत करने तथा चिकित्सा एवं वैज्ञानिक पहलुओं के आधार पर उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता के संबंध में एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक और चिकित्सा समिति बनाने पर विचार कर रही है।

पर्यावरण विभाग भी कदम उठा रहा है। इसने प्रदूषण पर नियंत्रण करने की दृष्टि से भविष्य में उद्योगों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने हेतु कार्यवाही की है। जनवरी 1985 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पांच राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन किया है। मैं ऐसी दु:खद घटना, जैसी कि भोपाल में हुई, के संबंध में वास्तव में खतरनाक रसायनों का विश्लेषण करने, उन खतरनाक रसायनों जिनका प्रयोग कच्चे माल के रूप में, माध्यमिक के रूप में और अंततः उत्पाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कि किस्मों की सूची बनाने, उन उद्योगों का पता लगाने, जिन्हें खतरनाक उद्योग माना जाना चाहिए, राज्यवार उन इकाइयों की सूची बनाने और उस सूची में से उन सभी इकाइयों का नाम हटाने, जो कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थित हैं, उनमें विद्यमान सुरक्षा प्रक्रियाओं तथा सुरक्षा अभ्यास की जांच करने तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थित उन इकाइयों के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाने, आदि महत्वपूर्ण विषयों का ही उल्लेख करूंगा।

श्रम मंत्रालय भी आवश्यक कदम उठा रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य को जानकारी है, यद्यपि लाइसेंस तो केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया था, पर यह उद्योग भोपाल राज्य में है। अत: जहाँ तक श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का संबंध है, यह उद्योग उस राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। यह देखना राज्य सरकार का काम है कि कारखाना अधिनियम में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त उपबंध बनाए गए है और उन्हें उचित रूप से लागू किया गया है कि नहीं। श्रम मंत्रालय श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए विद्यमान नियमों और विनियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है। "फैक्ट्री एडवाइसेज, सर्विसेज एंड श्रम संस्थानों

के महानिदेशक को दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने और उन्हें रोकने तथा साथ ही भोपाल में हुई दुर्घटना के संदर्भ में व्यावसायिक बाधाओं संबंधी उपबंधों का विस्तृत पुनरीक्षण करने के लिए कहा गया है।

श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कहा है कि वे यह देखने के लिए कि क्या कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत तथा कीटनाशकों और बायलरों आदि मदों के बारे में सुरक्षा नियमों तथा विनियमों को ठीक तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है, तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर निरीक्षण करने के लिए प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु विशेष कदम उठाएं।

सबकी यह धारणा हो गई है कि वायु, जल तथा सब्जियां संदूषण से मुक्त नहीं हो सकते। राज्य सरकार ने 3 दिसम्बर को नगर के जल की जांच की थी और रिपोर्ट से पता चलता है कि वह प्रदूषित नहीं था। परीक्षण रोज किए गए और यह परीक्षण उस समय अधिक कर दिए गए थे जब एम० आई० सी० सम्बन्धी जांच की जा रही थी। वायु और जल के नमूनों की जांच उन 6 वैज्ञानिकों द्वारा की गई जिन्हें 5 और 6 दिसम्बर को पर्यावरण विभाग ने भेजा था और इस तथ्य की घोषणा जनता को कर दी गई थी कि ये रसायन के प्रभाव से मुक्त है। भारत सरकार के संयंत्र सुरक्षा सलाहकार ने भोपाल के स्थानीय कैमिस्ट की सहायता से पेड़ पत्तों जिनमें प्रभावित क्षेत्रों की वनस्पति तथा भोजन भी शामिल है, नमूनों की जांच की और यह पाया गया कि इनमें न तो एम० आई० सी० और न ही हाइड्रोजन साइनेट का प्रभाव था। तदनुसार जनता को सूचना दी गई और उन्हें पर्याप्त सतर्कता बरतने के लिए कहा गया।

अंत में मैं हताहतों की संख्या संबंधी प्रश्न पर आता हूं क्योंकि विभिन्न वर्गों ने भिन्न-भिन्न बातें कही हैं कुछ कहते हैं कि उन की संख्या 5000 से कम नहीं है कुछ कहते है कि इनकी संख्या 10000 से कम नहीं है और कुछ ने तो यह दावा किया है कि इनकी संख्या 20,000 से कम नहीं है। मैंने अपने वक्तव्य में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार को अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार यह संख्या केवल 1,408 है। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यह अंतिम आंकड़े नहीं हैं।

प्रो. मधु दंडवते : मंत्री महोदय, मुझे आशा है कि केन्द्र और राज्य के मृतकों के संबंध एक ही मानदंड अपनायेंगे।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मानदंड का प्रश्न ही नही है : मैं स्थिति के बारे में बता रहा हूं। यह सूचना अस्पताल के शवगृहों, श्मशान घाटों, और कब्रिस्तानों से प्राप्त हुई है। मृतकों की संख्या अधिक भी हो सकती है। अत: उन्होंने जो भी आंकड़े एकत्र किए हैं, उन्होंने भोपाल के अपने सभी पुलिस स्टेशनों अपने सभी नगर निगम के वार्डों में 1,408 संख्या बताई है। उन्होंने स्थानीय समाचार पत्रों में यह प्रचार कर दिया कि ये सूचियां वार्डों और पुलिस स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। लोग जाकर जांच पड़ताल कर सकते हैं। और यदि वह समझें कि सूची पूरी नहीं है और अधिक लोगों की मृत्यु हुई है तो वह बता सकते हैं। उन्होंने इस संबंध में जनता तथा विभिन्न संस्थानों से सहायता मांगी है। उसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज के साथ-साथ कुछ अन्य समाज सेवी संस्थानों को मृतकों की तथा प्रभावित लोगों की संख्या, किसी की मृत्यु या काम के अयोग्य होने के कारण घर पर पड़े असर, उन्हें उपलब्ध सहायता और चिकित्सा सुविधान, पुनर्वास की आवश्यकता और संपत्ति तथा अन्य संबंधित वस्तुओं के हुए नुक्सान की जानकारी लेने के लिए घर-घर

जाकर सर्वेक्षण करने का काम सौंपा है । टाटा इंस्टीट्यूट और सोशल साइंसेज ने इसका व्यापक सर्वेक्षण किया है और मैं समझता हूं कि रिपोर्ट इस माह के अंत तक तैयार हो जायेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, मध्य प्रदेश सरकार उसे करने के लिए तैयार है।

अत: संक्षेप में मैंने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया है। मैं माननीय सदस्यों को केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि यह एक सबसे बड़ी दु:खद घटना है और भारत सरकार या राज्य सरकार को इस त्रासदी को किसी भी तरह कम नहीं आंक रही है।

प्रो. मधु दंडवते : इससे पहले कि आप अपनी बात समाप्त करें मैं कहूंगा कि आपने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने कहा था कि यह परम्परा रही है कि औद्योगिक सुरक्षा निदेशालय निश्चित अवधि पर संयंत्रों का निरीक्षण करता है। औद्योगिक सुरक्षा के संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संयंत्र के मामले में ऐसा किया गया था?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं नहीं जानता । कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत वहां कारखाना निरीक्षक तथा महा निदेशक हैं। वे समय-समय पर निरीक्षण करते हैं । मेरे पास वह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । यदि माननीय सदस्य उक्त बारे में जानने के बहुत इच्छुक है तो मैं वह सूचना एकत्र करके उन्हें दे दूगां ।

श्री रेणुपद दास : मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार-------

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने खत्म नहीं किया है। मैं बस समाप्त करने ही वाला हूं।

सभापति महोदय : इन्होंने खत्म नहीं किया है। वह खत्म करने वाले है। उनको समाप्त करने दीजिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदया, मैं माननीय सदस्यों को तथा उनके द्वारा सारे देश को यह स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि यह सर्वाधिक बुरी दुर्घटना है जिसने प्रत्येक व्यक्ति की आंखे खोल दी हैं। अत: यह हमारा व प्रत्येक अधिकारी का फर्ज है कि मुनासिब व जरूरी तथा कारगर कदम उठायें ताकि ऐसी दु:खद घटनायें न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दूसरे देशों में भी फिर से न हों। इसको ध्यान मे रखकर हमने पहले ही कुछ कदम उठाये हैं और हम इसके बारे में बहुत गम्भीर हैं। हम इस दुर्घटना को कम महत्व नहीं दे रहे हैं। हम इस मामले को चुनौती के तौर पर लेंग और ऐसी दुर्घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए हर मुनासिब कदम उठाने के लिए और उन पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है ।

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : राहत के सम्बन्ध में मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार 9 किलोग्राम गेहूं व 3 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट के हिसाब से राशन बांटने का कार्य शुरू कर रही है। लेकिन विवरण में यह कहा गया कि . . . .

सभापति महोदया : नौं जमा तीन—यह 12 किलोग्राम होता है ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह 12 किलोग्राम होता है।

श्री ऐनुल हक : 12 किलोग्राम प्रति यूनिट का परिवार। इन्होंने विवरण में कहा कि 12 किलोग्राम प्रति यूनिट दिया जायेगा। लेकिन अगर यह प्रति यूनिट का परिवार है तो यह बहुत कम व अपर्याप्त है क्योंकि जैसा कि आप जानते है कि प्रति परिवार का मतलब है कम से कम पांच व्यक्ति। पांच व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 से 70 किलोग्राम राशन हर मास चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि प्रति परिवार यूनिट को सिर्फ 12 किलोग्राम अनाज राशन में दिया जायेगा। अगर यह एक परिवार--यूनिट है तो यह बहुत कम व अपर्याप्त है और उनको तुरन्त 60 से 70 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति मास के हिसाब से राशन बांटा जाए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 12 किलोग्राम प्रति परिवार यूनिट का मतलब है 12 किलोग्राम प्रति वयस्क व्यक्ति प्रति मास।

श्री वड्डे सोभानेद्रीस्वारा राव (विजयवाड़ा) : माननीय मंत्री जी ने कई बार यह कहा है कि हमारे देश की यह सबसे बड़ी दुर्घटना है जो स्मृति में आती है। क्या सरकार पूरी गम्भीरता से इस बात को विचार करेगी कि संचय टंकी में इतनी भारी मात्रा में 'मिक' इकट्ठा करने की बजाय उत्पादन के तरीके को बदला जाय जिससे एक टन 'मिक' प्रति घंटा के हिसाब से लगातार तैयार हो और ज्यादा मात्रा में इसको संचय टंकी में इकट्ठा करने की अनुमति न दी जाय? क्या सरकार इस नजरिये पर पूर्ण गम्भीरता से सोचेगी?

सभापति महोदया : दूसरे सदस्यों को भी प्रश्न पूछने दीजिए। उसके बाद वह उत्तर दे देगें।

प्रो. मधु दंडवते : उन्हें इनको उत्तर देने दें।

व्यवधान

सभापति महोदया : ठीक है, पर उनकी सुविधा अनुसार।

श्री वीरेंद्र पाटिल : मैं माननीय सदस्यों को सिर्फ इतना बता सकता हूं कि यूनियन कार-बाईड 'मिक' तैयार करती थी और 'मिक' से कारबोरिल बना रही थी। अतः वहां पर दो प्रक्रियाएं हैं। माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि दो प्रक्रियाओं को बजाय सिर्फ एक प्रक्रिया क्यों न हो।

श्री वड्डे सोभानेद्रीस्वारा राव : नहीं नहीं। इस तरह से नहीं। 100 टन या 90 टन 'मिक' को संचय टंकी में जरुरत से अधिक रखने की अनुमति देने के बजाय उत्पादन प्रक्रिया को बदला जा सकता है ताकि यह एक लगातार प्रक्रिया हो सके।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यही तो मैं कह रहा हूं। इन्होंने यह सुझाव दिया है कि पहले 'मिक' तैयार करें फिर उसको कारबोरील मे बदलने की बजाय यह एक एक लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। तब 'मिक' को संचय करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन माननीय सदस्य को मैं बताऊं कि यह कारखाना बिल्कुल बन्द है। मेरा यह ख्याल है कि राज्य सरकार इन गतिविधियों को पुनः शुरु करने हेतु अनुमति देने को तैयार नहीं। राज्य सरकार तो यह भी नहीं चाहती कि वह कम्पनी इसी नाम से उत्पादन के किसी अन्य क्षेत्र में कार्य शुरु करे। वे मध्य प्रदेश में इसके अस्तित्व को नहीं चाहते। अतः यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मेरा कहना यह है कि: (क) क्या जो कुछ यूनियन कार्बाइड के अनुसंधान व विकास खंड में हो रहा था उसको जांच आयोग को भेजा है;

(ख) आजकल वे अस्पताल जो प्रमाण—पत्र दे रहे हैं उनमें मृत्यु जहरीली गैस के कारण हुई का जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसमें बाद में मुआवजे की राशि लेने में कठिनाई होगी। मैंने यह मुद्दा पहले ही अपने भाषण में उठाया था; और

(ग) क्या सरकार गैस से पीड़ित लोगों को हल्के काम वाले उद्योगों में लगाने की सोच रही है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक अनुसंधान व विकास केन्द्र का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि इस उपक्रम का अनुसंधान व विकास केन्द्र भोपाल में है। लेकिन इस केन्द्र में ये अनुसंधान क्रियायें एवं जन्तुओं और कीटों पर कीटनाशी तथा कृमिनाशी दवाइयों के बारे में अनुसंधान उष्णकटिबन्धीय परिस्थितियों में कर रहे थे। विदेशी कम्पनियों के साथ कोई सहयोग स्वीकार नहीं है। जहां तक कार्य की शर्तों का सम्बन्ध है उनमें अनुसंधान व विकास गतिविधियां शामिल नहीं हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : सभापति महोदया, उन दूसरी दो बातों का क्या होगा ? मध्य प्रदेश के अस्पताल प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं जिनमें मृत्यु का कारण जहरीली गैस होने का उल्लेख हो।

डा. सरदीश राय (बोलपुर) : सभापति महोदया, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने व्यक्ति वह पशु इस गैस के रिसने से असमर्थ हो गये हैं। यह पहला सवाल है।

दूसरा प्रश्न यह है कि इसने किस प्रकार पशु व वनस्पति जीवन को प्रभावित किया है।

तीसरा प्रश्न यह है कि क्या वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण विभाग इतने सक्रिय हैं कि वे ऐसे गैस प्रदूषण को रोक पायें। अगर नहीं तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक पशु व अन्यों पर इस गैस के असर का सम्बन्ध है यह जानकारी टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसिज द्वारा एकत्र की जा रही है। वे ये सब जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं।

डा. सरदीश राय : उन्होंने कहा कि बहुत पशु मारे गये। हमें आंकड़े दीजिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य कितने पशु मारे गये, यह संख्या जानना चाहते हैं। मैं यह जानकारी इकट्ठी करके दे दूंगा।

सभापति महोदया : सभा कल 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.38 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार 22 जनवरी, 1985/2 माघ 1906 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

85-M/B(D)183LSS—250—3-10-85—GIPS